छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा **पंचम सत्र**

मंगलवार, दिनांक 11 मार्च, 2025

(फाल्गुन 20, शक सम्वत् 1946)

[अंक 11]

Web copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 11 मार्च, 2025

(फाल्गुन 20, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी के साथ कोई नहीं है । सदन में इनके पक्ष की उपस्थिति देखकर आज यह साबित हो रहा है। ऐसा लगता है कि आपके समर्थन में इधर के कोई नहीं हैं ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- सभी आ रहे हैं ।

प्रदेश के दिव्यांगजनों के लिये संचालित योजनायें

[समाज कल्याण]

1. (*क्र. 1146) श्री अजय चंद्राकर : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में कितने दिव्यांगजन हैं? क्या इनकी दर्ज संख्या के लिये किसी प्रकार का सर्वे किया गया है? यदि हां तो कब ? यदि नहीं तो इनकी दर्ज संख्या का आंकलन किस प्रकार किया जाता है? **(ख)** वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक दिव्यांग कल्याण अंतर्गत दिव्यांगों के लिये कौन-कौन सी योजनायें संचालित हैं व उसके अंतर्गत लाभ लेने हेतु आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है ? किन-किन योजनांतर्गत कितने दिव्यांगों द्वारा लाभ हेतु आवेदन किया गया है? उनमें से कितने को लाभ दिया गया है व कितने लंबित हैं ? योजनावार वर्षवार बतायें? **(ग)** उक्त वर्ष में ट्रायसाईकिल व इलेक्ट्रिक ट्रायसाईकिल हेतु कितने दिव्यांगों द्वारा आवेदन किये गये हैं ? उनमें से कितने को प्रदाय किये गये ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) प्रदेश में जनगणना 2011 अनुसार 6,24,937 दिव्यांगजन हैं । समाज कल्याण विभाग द्वारा पृथक से डोर-टू-डोर सर्वेक्षण वर्ष

2022-23 में कराया गया है। **(ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र[1] अनुसार है** । **(ग)** वर्ष **2021-22** से **2024-25** तक ट्रायसायकल एवं इलेक्ट्रिक ट्रायसायकल हेतु 9,435 दिव्यांगजनों के आवेदन प्राप्त हुये हैं**,** जिसमें 8,893 दिव्यांगजनों को प्रदाय किए गए हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जो परिशिष्ट दिया गया है, उसकी कुछ बातें मैं आपके ध्यान में ला देता हूं, फिर जैसा आप कहेंगे, वैसा मैं करूंगा । परिशिष्ट में क्रमांक 17 में मोटराईज्ड ट्राईसायकल प्रदाय योजना की जानकारी दी गई है । उसमें इनके विभाग की 17 योजना है, योजनाएं तो और भी हैं। इन्होंने परिशिष्ट में 4 साल की जानकारी दी है । प्रश्न के उत्तर में इन्होंने जो संख्या बताई है, उसमें ट्रायसायकल हेतु 9435 आवेदन प्राप्त हुए हैं और 4 साल के प्राप्त आवेदन का ग्रांट टोटल 5465 आवेदन निकलता है । उसके बाद इन्होंने 4 साल में लाभान्वित संख्या बतायी है, उसको जोड़ो तो वह 4923 निकलता है और मंत्री जी ने उत्तर में लाभान्वितों की संख्या 8,893 दी है । आप परिशिष्ट को और प्रश्न के उत्तर को देख लीजिए । उसके बाद अंतर है तो अब क्या सही है, क्या गलत है, विधान सभा में ऐसी जानकारी दी जाती हैं । यह उन्हीं के विभाग के द्वारा दी गई परिशिष्ट के हिसाब से मैं बोल रहा हूं । आप इसको उत्तर में बताएंगी कि दोनों में अंतर क्यों हैं ? आपने ही उत्तर दिया है । उत्तर में जो ग्रांट टोटल दिया है और परिशिष्ट को जोड़ो तो दोनों में अंतर है । मैं किसको को आधार मानूं, कौन से आधार पर प्रश्न पूछूं ? परिशिष्ट को आधार मानना है या प्रश्न में उत्तर दिया है, उसको आधार मानना है ? आपने ही दोनों उत्तर दिया है और दोनों में अंतर है । आप चाहें तो दोनों का टोटल जुड़वा लीजिए । संयोग से आज आपके अनुदान मांग पर चर्चा है । अनुदान मांग पर भी 31 दिसम्बर, 2024 की स्थिति में आपने जो जानकारी परिशिष्ट में दी है और जो जानकारी आपने प्रतिवेदन में दी है, उसमें जमीन-आसमान का अंतर है। आप परिशिष्ट नम्बर 1 को देख लीजिए और मेरे पास प्रतिवेदन है, मैंने पूरा टैग लगाकर रखा है । नम्बर 2 सामर्थ्य विकास योजना, नम्बर 3 नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना, नम्बर 4 नि:शक्तजन छात्रवृत्ति है । तो यह दोनों साथ-साथ हैं, दोनों के आंकड़ों में अंतर है । प्रतिवेदन में 31 दिसम्बर, 2024 तक की स्थिति में दिया है और परिशिष्ट में जो उत्तर दिया है, उन दोनों उत्तरों में अंतर है। मैंने आपको जो ग्रांट टोटल बताया, उत्तर में आपने कहा कि 9435 दिव्यांगजनों के आवेदन प्राप्त हुए हैं । मैंने आपके परिशिष्ट से जो आंकड़ा बताया, उसके लाभान्वित में अंतर है और उन चारों को जोड़ेंगे तो उसमें अंतर है ।

अध्यक्ष महोदय :- इतनी लंबी भूमिका में आप जैसे विद्वान सदस्य एक नये मंत्री से पूछेंगे ? आप भूमिका कम करिए और छोटा सा प्रश्न करिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एकदम छोटा सा प्रश्न कर देता हूं । इसमें मैं किसको आधार मानूं ? मैं सिर्फ यही आपसे पूछ रहा था । मैं आगे बढ़ जाता हूं । आप अपने

[1] परिशिष्ट "एक"

अधिकारियों से पूछ लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- आप इसके बाद वाला प्रश्न कर लीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके ध्यान में लाने के लिए बताया, ऐसा मान लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है । छोटा-छोटा प्रश्न करिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- जी हां, बिल्कुल छोटा-छोटा प्रश्न करूंगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, 2011 की जनगणना के बाद अगली जनगणना कब होगी, अभी यह अनिश्चित है, लेकिन पिछली सरकार में और अभी भी दिव्यांगजनों के बारे में जिस-जिस चीज में आप पढ़ेंगे तो कार्रवाई सही नहीं है, चाहे वह बैकलाग भर्ती के हों, सीधी भर्ती के हों, चाहे समाज कल्याण के विषय हों । इसलिए मैंने इसमें स्पेशिफिक प्रश्न लगाया है । आपने 2022-23 में घर-घर जाकर जो सर्वे किया, वह किस पद्धति से आपने सर्वे किया, उसको कितने लोग मिले और क्या 2011 के बाद उसके सर्वे आप कितनी अवधि में करवाएंगे, इसके कोई नियम हैं क्या ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी वरिष्ठ सदस्य हैं और वे एक ही विभाग नहीं बल्कि सभी विभागों की जानकारी को बहुत गंभीरता से लेते हैं और सवाल भी उसी हिसाब से पूछते हैं। मैं इसे सही मानती हूं कि हमारे विभाग में जो कमियॉ होंगी, उसे बताने का भी काम कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने जो जानकारी मांगी थी।

अध्यक्ष महोदय :- दिव्यांगजन का सर्वे किस पद्धति से होता है, वह इस पर ही प्रकाश डालने के लिए बोल रहे हैं? अजय जी का प्रश्न यही है कि दिव्यांगजन का सर्वे किस पद्धति से होता है।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2011 में भारत सरकार के द्वारा एक सर्वे की टीम आई थी। वर्ष 2011 के बाद विभाग के द्वारा पुन: सर्वे कराया गया, जिसमें दिव्यांगजनों के सर्वेक्षण के लिए एजेंसी का चयन किया गया, जिसमें भंडार क्रय नियम 2002 के तहत खुली निविदा पद्धति के माध्यम से सर्वे हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, खुली निविदा के माध्यम से हुआ हो, उसको भी मैं छोड़ देता हूं। आगे जो प्रश्न छूट गया था, उसी को पूरा कर दीजिए। वर्ष 2022-23 में आपने सर्वे करवाया है और अभी वर्ष 2025-26 चल रहा है, तो मैंने ये कहा कि अद्यतन सर्वे करने के लिए कोई नियम, निर्देश हैं क्या? उसकी पृष्ठभूमि में मैंने बताया कि दिव्यांगजनों को लाभ नहीं मिल रहा है। जैसी योजना की पात्रता है, वैसा शत प्रतिशत लोगों को लाभ मिले, तो उसके संबंध में आपके क्या निर्देश हैं? इसके बाद एक छोटा सा प्रश्न और पूछूंगा, बस, फिर बंद कर दूंगा।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी ऐसे कोई नियम नहीं हैं, लेकिन विभाग के द्वारा सर्वे कराया गया है और जो सर्वे कराया गया है, उसमें अगर सर्वे के आधार पर अधिसूचना प्रकाशित कराने के लिए..। माननीय अध्यक्ष महोदय अभी कोई ऐसा कुछ नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आप अगला प्रश्न करिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बस, बस, बस, बस। ठीक। जी, जी, जी, जी, बिल्कुल। माननीया मंत्री महोदय, आपके अधिकारी लोग भी बैठे हैं, सुन रहे हैं। वर्ष 2011 के सर्वे में 6,24,937 दिव्यांगजन हैं। आपने जो आंकड़ा दिया है, उसके अनुसार उसमें 37,537 लोगों को लाभ मिल रहा है। मैं आपके वर्ष 2011 के आंकड़े को ही ले लेता हूं, तो शत-प्रतिशत लोगों को पात्रता के अनुसार आपकी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए कोई अभियान चलायेंगी, कोई व्यवस्था करेंगी, कोई निर्देश देंगी, ताकि इन योजनाओं का लाभ उठाकर दिव्यांगजन भी सम्मान की जिन्दगी जी सकें? अभी आपने जो आंकड़े दिए हैं, उसमें 6,24,937 दिव्यांगजन में से 37,537 लोग ही लाभान्वित हो रहे हैं, तो आपकी कृपा दृष्टि उन पर पड़ेगी क्या, वे लाभ ले पायेंगे क्या? आप मुझे यह बता दीजिए।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें आंकड़े दिए गए हैं कि सर्वे के आधार पर 6,24,937 दिव्यांगजन हैं, जिसमें सर्वे के आधार पर हर कैटेगिरी के लोग आते हैं और कैटेगिरी के हिसाब से वह चाहे दिव्यांग हों क्योंकि दिव्यांग भी कई प्रकार के होते हैं, उनको उस हिसाब से लाभ मिल रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि पूरे को लाभ मिले क्योंकि आपने जो उत्तर दिया है, उसमें सिर्फ 37,537 लोगों को लाभ मिलता दिख रहा है। तो जिस तरह के भी विकलांग हैं, शत-प्रतिशत आपकी योजनाओं का लाभ ले सकें, इसके लिए कोई कदम उठायेंगी, कोई निर्देश देंगी, कोई कार्रवाई करेंगी, ताकि वे लाभान्वित हो सकें? आप मुझे यह बता दीजिए।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जहां तक पता है कि जो 6,24,937 दिव्यांगजन हैं, उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसमें 40 परशेंट से ऊपर वाले को काफी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और जिनको नहीं मिल रहा है, उनके लिए हम विभागीय अधिकारियों के माध्यम से निर्णय लेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न संख्या 02, श्री धर्मजीत सिंह।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय...।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, नहीं, इसमें प्रश्न नहीं होता।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न नहीं कर रहा हूं। आज पुराने दिन याद आ गए कि लीलाराम भोजवानी जी और इधर जो बैठते थे, उनके दिन आज याद आ गए।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के प्रावधान

[महिला एवं बाल विकास]

2. (*क्र. 1744) श्री धर्मजीत सिंह : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत विगत 03 वर्षों में कुल कितने जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ हैं, वर्षवार विवरण देवें? **(ख)** कंडिका "क" के योजनांतर्गत विवाहित जोड़ा के लिए कुल कितने रूपये शासन द्वारा खर्च करने का प्रावधान हैं, जिसमें कितने रूपये की सामग्री एवं कितने रूपये सहयोग राशि दिए जाने का प्रावधान हैं? **(ग)** कंडिका "क" के तहत विगत 03 वर्षों में तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल कितने जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ हैं, वर्षवार विवरण देवें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 4,241 जोड़ों, वर्ष 2022-23 में 9,040 जोड़ों एवं वर्ष 2023-24 में 7,280 जोड़ों का विवाह सम्पन्न हुआ है। **(ख)** मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के दिशा निर्देश अनुसार प्रत्येक कन्या के विवाह हेतु अधिकतम 50,000 रूपये की राशि व्यय किए जाने का प्रावधान है जिसमें प्रति कन्या राशि 7,000 रूपये वर-वधु हेतु श्रृंगार सामग्री के रूप में एवं ड्राफ्ट/बैंक खाते के माध्यम से राशि 35,000 रूपये दिए जाते है तथा सामूहिक विवाह आयोजन व्यवस्था पर प्रति कन्या अधिकतम राशि 8000 रूपये तक व्यय किये जाने का प्रावधान है। **(ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र[2] अनुसार है।**

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का पर्याप्त जवाब दे दिया है। मुझे और कुछ नहीं पूछना है।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन निर्माण

[महिला एवं बाल विकास]

3. (*क्र. 1754) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला-जांजगीर-चांपा में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या कितनी है? भवन विहीन, अहाता विहीन, जर्जर भवन, स्वीकृत भवन एवं किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की विस्तृत जानकारी विकासखंडवार देवें? **(ख)** वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक की स्थिति में स्वीकृत भवन एवं राशि आहरण के पश्चात् भी कितने भवन निर्माण नहीं किए गए है, की जानकारी वर्षवार, जनपद पंचायतवार देवें? राशि आहरण पश्चात् भवन निर्माण/अहाता निर्माण नहीं किए जाने के

[2] परिशिष्ट "दो"

कारण क्या है? इस हेतु जिम्मेदार अधिकारी कौन है? उनके विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है? **(ग)** वर्ष 2024-25 में आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु बजट में कितनी राशि प्रावधानित थी? कितनी राशि जारी की गई है? कितने भवनों का निर्माण स्वीकृत किया गया है? कितने निर्माण प्रारंभ हुए है? विकासखंडवार जानकारी देवे?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ**[3] **अनुसार है। (ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है।**

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने मेरे प्रश्न के जवाब में बताया है कि जनपद पंचायत, बम्हनीडीह में 02 कार्य स्थल विवाद के कारण अप्रारंभ है, बलौदा में 02 कार्य जमीन विवाद के कारण अप्रारंभ है और नवागढ़ में 01 कार्य स्थल विवाद के कारण अप्रारंभ है। कुल मिलाकर 05 कार्य अप्रारंभ हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि यह स्थल विवाद किस प्रकार का है और उन जमीनों का स्वामित्व किसका है ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदया ने जो आंगनबाड़ी के स्थल की बात की है। कुछ जगह ऐसी हैं, जहां पर आंगनबाड़ी खोलने को तो खोल दिये जाये लेकिन जगह नहीं मिलने की वहज से वह लंबित हो जाता है। उसका वही कारण है कि यदि कहीं पर जमीन दिख जाये या पंचायत के माध्यम से कहीं पर जमीन निर्धारित कर दे तो आंगनबाड़ी केंद्र बन जायेगा।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय मंत्री जी, आप यह बताने का कष्ट करें कि विवाद के निराकरण हेतु स्थानीय प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य महोदया का सवाल नहीं सुन पायी।

अध्यक्ष महोदय :- शेषराज जी, आप प्रश्न रिपीट कर दीजिये।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- अध्यक्ष महोदय, स्थल विवाद के क्या कारण है और स्थानीय प्रशासन उसके लिए क्या निराकरण कर रहा है ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात पहले भी कही है कि स्थल के निराकरण के लिए कलेक्टर द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि वहां पर जगह चिन्हांकित कर आंगनबाड़ी केंद्र बनाने की स्वीकृति मिले।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पामगढ़ विधान सभा में 3 आंगनबाड़ी भवन हैं, जिनका कार्य निरस्तीकरण की ओर है। वह इसलिए निरस्तीकरण की ओर है क्योंकि बस्ती के अंदर जो पुराने आंगनबाड़ी केंद्र बने हैं, वह 600 वर्गफुट में है और अभी जो प्रस्तावित आंगनबाड़ी भवन है, वह 1200 वर्गफुट का है। हमें गांव में बस्ती के अंदर जगह नहीं मिल पा रही है। माननीय मंत्री जी, क्या इसके लिये कोई उचित प्रावधान है कि गांव के अंदर आंगनबाड़ी भवन कैसे बनाया जाये ?

[3] परिशिष्ट "तीन"

अध्यक्ष महोदय :- इन्होंने कहा है कि कलेक्टर को बोलकर स्थान का चयन करेंगे और स्थल का चयन हो जाये या आप कुछ सुझाव देती है तो उस आधार पर भवन बन जायेगा। आप दूसरा प्रश्न कर लीजिये।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गांव में सघन बस्ती है और वहां पर जगह नहीं है। कलेक्टर साहब व पटवारी के द्वारा प्लान के लेआऊट में तालाब के पार को भी देखा गया है लेकिन छोटे बच्चों के लिये पानी के पास आंगनबाड़ी भवन बनाना उचित नहीं है इसलिए उसको निरस्त कर दिया गया है। गांव के बाहर भी आंगनबाड़ी भवन नहीं बना सकते क्योंकि छोटे बच्चों को लाने ले जाने में दिक्कतें होंगी। इसमें मेरा एक यह सुझाव है कि यदि हम 600 वर्गफुट में दो मंजिला भवन का निर्माण कर दें तो वह ज्यादा सही रहेगा क्योंकि गांव के अंदर जमीन नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, उन्होंने जो बोला, उसका परीक्षण करवा लेंगे कह दीजिये।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- अध्यक्ष महोदय, इसका परीक्षण करा लेंगे।

राइस मिलरों द्वारा उठाया गया धान तथा केन्द्रीय पूल में जमा किया गया चावल

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

4. (*क्र. 606) श्री भूपेश बघेल : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- राज्य में वर्ष 2023, 2024 एवं 2025 में 26 जनवरी तक राइस मिलरों द्वारा कितना धान उठाया गया था तथा केन्द्रीय पूल में कितना चावल जमा किया गया ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2023, 2024 एवं 2025 में 26 जनवरी तक राइस मिलरों द्वारा उठाव तथा केन्द्रीय पूल में जमा चावल की जानकारी निम्नानुसार है-

क्र.	खरीफ विपणन वर्ष	राईस मिलरों द्वारा धान उठाव की मात्रा	केन्द्रीय पूल में जमा चावल की मात्रा (लाख मेट्रिक टन)
1	2022-23	107.46	58.11
2	2023-24	144.16	74.26
3	2024-25	92.81	3.52

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रश्नकाल बढ़िया आसानी से चल रहा है। यह प्रश्न भी उसी प्रकार से बहुत सरल है।

अध्यक्ष महोदय :- क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं ?

श्री भूपेश बघेल :- नहीं। लेकिन यदि बघेल जी चाहेंगे तो आगे भी बढ़ जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, आप प्रश्न करिये।

श्री भूपेश बघेल :- बघेल, बघेल से प्रश्न पूछ रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- पूछिये, पूछिये।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने उत्तर दिया है कि वर्ष 2022-23 में 58.11 लाख मीट्रिक टन चावल केंद्रीय पूल में जमा किया गया। वर्ष 2023-24 में 74.26 लाख मीट्रिक टन चावल केंद्रीय पूल में जमा किया गया। आपको इस साल केंद्रीय पूल में कितना चावल जमा करने की अनुमति मिली है ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2023-24 में 82.92 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने का लक्ष्य था, जिसमें से केंद्रीय पूल में 77.63 लाख मीट्रिक टन चावल जमा किया गया।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मुझे समझ में नहीं आया।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 5.29 लाख मीट्रिक टन चावल केंद्रीय पूल में जमा करना शेष है। इसके लिए शासन द्वारा शेष चावल के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह नहीं था कि पिछले साल का कितना चावल जमा करना बकाया है। लेकिन आपने उत्तर दिया कि लगभग 5 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करना शेष है, उसके लिये आपको धन्यवाद। लेकिन यदि शासन स्तर पर निर्णय लिया जाना है तो शासन मतलब राज्य सरकार या भारत सरकार ?

श्री दयालदास बघेल :- राज्य सरकार।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल तो अभी-भी वही है इस साल आपको केंद्रीय पूल में कितने लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने की अनुमति मिली है ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय पुल में 69.72 लाख मीट्रिक टन जमा करना है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मुझे फिर से बताये। मैं नहीं सुन पाया।

श्री दयालदास बघेल :- अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय पूल में 69.72 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने का लक्ष्य है।

श्री भूपेश बघेल :- अभी तक आप उसके विरूद्ध में कितना चावल जमा कर पाये हैं?

श्री दयाल दास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो शेष चावल जमा करना है वह लगभग 60 लाख Metric ton जमा करना है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय मंत्री जी, मतलब अभी 6 लाख Metric ton चावल जमा कर चुके हैं ? क्योंकि आपने इस प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया है कि केन्द्रीय पूल में जमा चावल की मात्रा वर्ष 2024-2025 में 3.52 है।

श्री दयाल दास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें 9.58 लाख Metric ton चावल जमा हो चुका है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। मुझे जो उत्तर मिला है, यह 3.52 का है।

श्री दयाल दास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं।

अध्यक्ष महोदय :- इसमें संशोधित उत्तर है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्। लेकिन इसमें सवाल यह उठता है जब पिछले साल 140 लाख Metric ton धान खरीदा गया था आपको 74.21 लाख Metric ton का लक्ष्य मिला था और जिसमें अभी तक 5 लाख Metric ton जमा नहीं कर पाये, लेकिन आपने इस साल 149 लाख Metric ton धान खरीदा है और आपका लक्ष्य 69 लाख Metric ton का है तो यह जो बचत धान है, आप उसका क्या करेंगे ?

श्री दयाल दास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने वही तो बताया है। शासन द्वारा शेष चावल के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। शासन द्वारा शेष चावल के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

श्री अजय चन्द्राकर : - आप बचत धान का जो उपयोग करते थे, वही उपयोग वह करेंगे।

समर्थन मूल्य में धान खरीदी हेतु बारदानों का क्रय

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

5. (*क्र. 1770)श्रीमती भावना बोहरा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि : **(क)** वित्तीय वर्ष 2023-24 तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 10.02.2025 तक समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु राज्य शासन द्वारा कहां-कहां से कितने नग बारदाने किस-किस दर पर खरीदे गए ? **(ख)** शासन को समर्थन मूल्य में धान खरीदी हेतु इस वर्ष कितने बारदाने की आवश्यकता थी तथा आवश्यकता के विरुद्ध कितने बारदानों की खरीदी की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) प्रश्नांश अवधि तक समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु मॉर्कफेड द्वारा जूट कमिश्नर कोलकाता के माध्यम से क्रय किये गये नयें जूट बारदाने तथा पीडीएस दुकानों एवं किसानो से क्रय किये गये पुराने बारदानों तथा दर की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र	वित्तीय वर्ष	नयें जूट बारदाने (मात्रा नग में)	पुराने बारदानें	
			पीडीएस बारदानें (मात्रा नग में)	किसान बारदानें (मात्रा नग में)
1	2023-24	183586000	32906000	0
2	2024-25	221897000	34459000	13069000

पुराने बारदानें 25 रू. प्रति नग की दर से क्रय किया गया एवं नयें जूट बारदानें की दर **संलग्न प्रपत्र**[4] अनुसार है। **(ख)** शासन को समर्थन मूल्य में 149.24 लाख मे.टन धान खरीदी हेतु खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में 37,31,18,000 नग बारदानों की आवश्यकता थी तथा आवश्यकता के विरूद्ध 21,60,00,000 नग नयें जूट बारदानें एवं 4,75,28,000 नग पुरानें जूट बारदानों की खरीदी की गई है।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद्। मैंने माननीय मंत्री जी से बारदाने से संबंधित प्रश्न पूछा था और इसमें चिंता का विषय यह है कि यहां बारदाने की उपलब्धता लगातार जूट के उत्पादन के कारण कम हो रही है। अगर हम वर्ष 2013-2014 से अभी 2024-2025 तक देखें तो लगभग 1 लाख 74 हजार हेक्टेयर में उत्पादन कम हो चुका है और जिस तरीके से धान का रकबा बढ़ रहा है, यह चिंता का विषय है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि क्या भविष्य में बारदाने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था या उसकी पैकिंग के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं ?

श्री दयाल दास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नया बारदाना है उसे जूट कमिश्नर कोलकाता के माध्यम से खरीदते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं। कोई वैकल्पिक व्यवस्था है, जो जूट के अतिरिक्त भी कोई ऐसी व्यवस्था है क्या ?

श्री दयाल दास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नये बारदाने खरीदने बात है और जो अन्य बारदाने हैं यह अपने राईस मिलरों से लेते हैं और हम पी.डी.एस. से भी बारदाना लेते हैं।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ। जिस तरीके से जूट का उत्पादन कम हो रहा है। पिछले 10 सालों में लगभग 1 लाख 74 हजार उत्पादन क्षमता जूट की कम हुई है क्योंकि बारदाना जूट से ही बनता है तो भविष्य में इस तरीके से उत्पादन कम होगा तो क्या हमने जूट के बारदाने के अलावा, उसमें पैकिंग के लिए और कोई प्रोविजन रखा है क्या ?

[4] परिशिष्ट "चार"

श्री दयाल दास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी ऐसा कुछ नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। अपना प्रश्न पूछ लीजिए।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे कुछ और छोटे-छोटे प्रश्न हैं। क्या सरकार बारदाने की खरीदी ओपन मार्केट से कर रही है ?

श्री दयाल दास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बताया कि नये बारदाने जूट कमिश्नर से खरीदी करना है।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें यह पूछना चाहूंगी कि अगर हम जूट कमिशन के माध्यम से बारदाने की खरीदी कर रहे हैं अगर आप जिसके रेट की तुलना करेंगे तो यह ओपन मार्केट की दरों से कहीं ज्यादा है। तो क्या इसका कारण यह है कि ओपन मार्केट से खरीदी नहीं करके, हम जूट कमिशन के माध्यम से बारदाने की खरीदी कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों के रेट में अंतर है। ओपन मार्केट में इसका रेट कम है और जूट कमिशन के माध्यम से बारदाने खरीदी का रेट ज्यादा है तो इसका क्या कारण है कि हम ज्यादा रेट में बारदानों की खरीदी कर रहे हैं ?

श्री दयाल दास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार का निर्णय है कि जूट कमिश्नर के माध्यम से ही बारदाने की खरीदी की जाए।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। यह निर्देश है।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अंतिम प्रश्न पूछूंगी। मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं। उन्होंने जवाब सही दिया है। माननीय मंत्री जी ने यह जवाब दिया कि इस पर केन्द्र सरकार के निर्देश हैं उसी आधार पर उनसे बारदाना खरीदने की Mandatory है।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, माननीय मंत्री जी से एक और अंतिम प्रश्न पूछूंगी। जो हमको हमको जितनी जरूरत बारदाने की रहती है क्योंकि हमारे पास यह विषय आ रहा था कि एक ही कंपनी से या एक ही इसके माध्यम से 50 प्रतिशत से अधिक खरीदी हो रही है और बचे हुए 50 प्रतिशत की खरीदी 3-4 लोगों से अलग-अलग जूट कमिशन के माध्यम से हो रही है तो अगर एक ही कंपनी को 50 प्रतिशत एक मुश्त ऑर्डर जा रहा है तो उसके पीछे कुछ कारण है क्या ? दूसरी बात है कि अगर इसमें ऐसा कोई कारण है तो अगर वह संस्था है तो एक बार उसकी जानकारी उपलब्ध करवा दें कि किस-किस माध्यम से या जूट कमिशन के माध्यम से कितना-कितना प्रतिशत, कहां से बारदाने की खरीदी हुई है ?

श्री दयाल दास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नया बारदाना है, उसे जूट कमिश्नर के माध्यम से खरीदना है।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको जूट कमिशन के माध्यम से बारदाना खरीदना है, लेकिन यह किस-किस संस्था से की गई है ?

श्री दयाल दास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नया बारदाना है, उसे जूट कमिश्नर के माध्यम से खरीदना है। अभी ऐसा कुछ नहीं है।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप संस्था और उसकी जानकारी दे दीजिए। जूट कमिशन के किन-किन संस्थाओं से माध्यम से बारदाने की खरीदी की गई है ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्या को आप जानकारी उपलब्ध करवा दीजिएगा।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर अधिकारीगण उपस्थित हैं। यहां एकाध उदाहरण बताना चाहें कि यह संस्था का नाम है उसमें आप जानकारी दे दें।

श्री दयाल दास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नया बारदाना है, उसे जूट कमिश्नर के माध्यम से बारदाना खरीदना है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्या को आप जानकारी उपलब्ध करवा दीजिएगा।

संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

6. (*क्र. 1594) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत उपार्जन केन्द्रों में लक्ष्य के विरूद्ध समर्थन मूल्य पर कितनी मात्रा में धान की खरीदी की गई है एवं दिनांक 12 फरवरी, 2025 तक कितना उठाव हुआ है? उपार्जन केन्द्रवार जानकारी देवें. **(ख)** वर्ष 2024 में संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र में पंजीकृत किसानों की संख्या कितनी है एवं उनके द्वारा कितने रकबे पर धान की फसल लगायी गई थी ? जानकारी देवें. **(ग)** कितनी-कितनी मात्रा में कस्टम मिलिंग हेतु किन-किन राईस मिलर्स से अनुबंध किया गया है? क्या- इन्हें पिछले कार्यों का कोई राशि भुगतान किया जाना लंबित है? यदि हॉ तो कितना? भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 40 धान उपार्जन केन्द्रों द्वारा समर्थन मूल्य पर कुल 2,22,500.48 मे.टन धान की खरीदी की गई है एवं दिनांक 12 फरवरी, 2025 तक 1,93,539.46 मे. टन उठाव हुआ है, जिसकी उपार्जन केन्द्रवार जानकारी **"संलग्न प्रपत्र-अ"**[5] अनुसार है। **(ख)** खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र में कुल 48,308 किसानों का 46008.09 हेक्टेयर रकबा पंजीकृत

[5] परिशिष्ट "पांच"

है। **(ग)** बालोद जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में कस्टम मिलिंग हेतु कुल 129 राईस मिलर्स से अनुबंध किया गया है। बालोद जिले के अनुबंधित कस्टम मिलर्स की जानकारी **"संलग्न प्रपत्र-ब"** अनुसार है। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 का कस्टम मिलरों को कस्टम मिलिंग कार्यों का भुगतान हेतु लंबित राशि 4.32 करोड़ है, जिसके भुगतान की प्रक्रिया सतत रूप से जारी है। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में मिलर द्वारा देयक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 40 धान उपार्जन केन्द्रों द्वारा समर्थन मूल्य पर कुल 2,22,500.48 मे.टन धान की खरीदी की गई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि वर्ष 2024-25 में धान खरीदी का निर्धारित लक्ष्य क्या था?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 करोड़ 22 लाख 500 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है और यही लक्ष्य है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- कृपया एक बार जवाब रिपीट करेंगे।

श्री दयालदास बघेल :- आप बताईये न कि क्या जानना चाहती हैं ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संजारी-बालोद विधान सभा में धान खरीदी का कितना लक्ष्य निर्धारित था ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धान खरीदी में लक्ष्य नहीं होता, अनुमान होता है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है। माननीय मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजीकृत रकबे के आधार पर कितनी धान खरीदी की जानी थी और किन कारणों से धान खरीदी कम हुई है ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका प्रश्न सिर्फ संजारी-बालोद विधान सभा का है।

अध्यक्ष महोदय :- हॉ, संजारी-बालोद विधान सभा का ही प्रश्न वह पूछ रही हैं और इनका प्रश्न सीमित भी है। आज जवाब भी संजारी-बालोद का ही दें। वह उतना ही पूछ रहीं हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं pointed प्रश्न पूछ रही हैं। सिर्फ संजारी-बालोद विधान सभा का प्रश्न पूछ रही हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न ठीक है। आप बताईये।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संजारी-बालोद विधान सभा में जितनी धान खरीदी हुई है, मैं उसकी जानकारी दे दिया हूं। 2 करोड 22 लाख 200 मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। उसमें कुछ भी है तो आप बताईए, मैं उसकी जानकारी दूंगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें लक्ष्य कितना निर्धारित था ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले बताया है कि लक्ष्य निर्धारित नहीं होता।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अनुमानित था। जो पंजीकृत रकबा है, उसमें कितनी धान खरीदी की जानी थी ? माननीय अध्यक्ष महोदय, रकबे से कम धान खरीदी हुई है। मैं इसलिए यह प्रश्न पूछ रही हूं।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी है, प्रश्न के उत्तर की जानकारी में दिया गया है। जितनी धान खरीदी की गई है, जितना उठाव के संबंध में है, वह तो उत्तर में ही जानकारी दी गई है।

अध्यक्ष महोदय :- क्या आप पूरा उत्तर नहीं पढ़ी हैं ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उत्तर पढ़ा है, उसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र में धान खरीदी कम हुई है, मैं उसका कारण पूछ रही हूं कि रकबे के अनुसार कम खरीदी क्यों हुई है ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो किसान लोग धान बेचे हैं, उसको खरीदी किये हैं।

अध्यक्ष महोदय :- हां जितना धान आया है, उतना ही खरीदे हैं। आप उसमें बार-बार क्यों प्रश्न कर रही हैं। जो आया है, वही खरीदेंगे न। (हंसी) वैसे जवाब बिल्कुल सही है। अब आप आगे बढ़िये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है, मैं आगे बढ़ जाती हूं। मेरा तीसरा प्रश्न है कि क्या मिलर को देयक प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है या उनके द्वारा अनुबंधित मात्रा में चावल जमा कर दिये जाने के बाद उन्हें राशि भुगतान की जाती है क्या ? क्या मिलर द्वारा देयक प्रस्तुत किया जाता है ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मिलर की अभी राशि भुगतान शेष है, 4 करोड़ 32 लाख रुपये राशि अभी लंबित है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न किया है कि क्या मिलर को देयक, बिल प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मिलर द्वारा देयक प्रस्तुत किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा में वर्ष 2022-23 में 4 करोड़ 32 लाख रुपये का भुगतान किया जाना लंबित है, आप बतायेंगे कि यह भुगतान क्यों लंबित है ?

अध्यक्ष महोदय :- इनका मूल प्रश्न यह है कि जो भुगतान लंबित है, उसको कब तक करा देंगे ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत जल्दी इसका भुगतान करा देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- बस, शीघ्र-शीघ्र ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- आपका जवाब मिल गया ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2022-23 की बात नहीं कर रही हूं, मैं वर्ष 2023-24 की ही बात कर रही हूं कि एक रूपये का भुगतान नहीं हुआ है । यह बहुत ही गंभीर विषय है ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मिलरों को वर्ष 2022-23 का एक भी यानी कृपा करके क्या आप समय-सीमा निर्धारण कर देंगे कि आप मिलरों को कब तक पैसा देंगे ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बता दिया कि बहुत जल्दी उसका भुगतान कर देंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- जल्दी से जल्दी । आपके कहने के बाद बहुत जल्दी हो गया ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मतलब अगले सदन तक हो जायेगा?

श्री दयालदास बघेल :- बहुत जल्दी ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- जी-जी, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, प्रश्न क्रमांक-7 ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप यह भी बता दीजिये कि किश्त जमा होगी उसके बाद होगा ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी, आप यह भी बता दीजिये कि किश्त जमा होगी, तब भुगतान होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप बैठिए । चलिये, अजय जी एकदम हल्का प्रश्न करिये । (हंसी) आप करोड़ों क्विंटल की बात मत करियेगा ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, रहने दीजिये । आगे बढ़ गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, श्री कुंवर सिंह निषाद जी ।

प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पेंशन योजना अंतर्गत भुगतान

[समाज कल्याण]

7. (*क्र. 1716) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पेंशन योजना किन-किन योजनाओं के तहत प्रदान की जा रही है, जानकारी देवें तथा वर्ष 2024 से10/02/2025 तक पेंशन के तहत कितनी राशि भुगतान किया जाना था, कितना भुगतान किया गया, योजनावार जानकारी देवें ? क्या विभाग द्वारा पेंशन का समय पर भुगतान किया गया है ? यदि नहीं तो समय पर भुगतान न होने का क्या कारण है, तथा नियमित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? जानकारी देवें? (ख) क्या विभाग द्वारा संचालित पेंशन योजना का क्रियान्वययन सर्वे सूची वर्ष 2002 एवं 2011 के आधार पर किया जा रहा है ?यदि हाँ तो क्याप पेंशन हेतु नये लोगों को जोड़ने के लिए शासन द्वारा कोई योजना बनाई गई है ? यदि हाँ तो इस कब तक लागू कर लिया जायेगा ? जानकारी देवें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाएँ एवं वर्ष 2024 से 10/02/2025 तक पेंशन के तहत किये जाने वाले भुगतान की राशि व की गयी भुगतान राशि की योजनावार जानकारी निम्नानुसार है- (राशि रुपये लाख में)

क्रमांक	योजना का नाम	भुगतान किये जाने वाली राशि	भुगतान की गई राशि
1.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	16699.37	16699.37
2.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	6775.29	6775.29
3.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना	1037.17	1037.17
4.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	45633.27	45633.27
5.	सुखद सहारा योजना	11256.02	11256.02
6.	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	37816.67	37816.67
योग		**119217.79**	**119217.79**

जी हाँ । प्रश्न उपस्थित नहीं होता । पेंशन राशि का समय पर नियमित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा सीधे लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer (DBT)) के माध्यम से पेंशन राशि को सीधे हितग्राहियों के खाते में जमा करायी जा रही है। (ख) जी हाँ। वर्तमान में कोई योजना नहीं है । प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय बाल विकास मंत्री जी से था कि प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पेंशन योजना किन-किन योजनाओं के तहत् प्रदान की जा रही है ? वर्ष 2024 से 2025 तक पेंशन के तहत् कितनी राशि का भुगतान किया जाना था, कितनी राशि का भुगतान किया गया ? क्या विभाग द्वारा पेंशन का समय पर भुगतान किया जा रहा है, यदि नहीं तो समय पर भुगतान होने के क्या कारण हैं तथा नियमित भुगतान सुनिश्चित करने के लिये विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है, कृपया इसकी जानकारी प्रदान करें ।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उसकी जानकारी उत्तर में दी गयी है । यदि चाहें तो मैं पढ़ देती हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- हां, आप पढ़ दीजिये ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लिखित में...।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट उनको पहले जवाब पढने दीजिये फिर प्रश्न करियेगा ।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाएँ एवं वर्ष 2024 से 10/02/2025 तक पेंशन के तहत किये जाने वाले भुगतान की राशि व की गयी भुगतान राशि की योजनावार जानकारी निम्नानुसार है । योजना का नाम और भुगतान की गयी राशि उनके उत्तर में दी गयी है । भैया, क्या इसे भी पढ़ना है ?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर लिखित में आया है । मैं माननीय मंत्री जी से अनुपूरक के रूप में एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि जो पेंशन की राशि हितग्राहियों को मासिक 500 रूपये प्रदाय की जाती है, क्या पेंशन की राशि को बढ़ाने के लिये शासन की ओर से कोई योजना अलग से और संचालित है कि इस राशि को बढाया जाये? क्या इस संबंध में कोई निर्देश शासन स्तर पर है या प्रशासनिक स्तर पर इसमें कोई कार्य किया जा रहा है ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो 6 योजनायें हैं । इन 6 योजनाओं में 3 केंद्र सरकार की है और 2 राज्य सरकार की है और पेंशन बढ़ाने के लिये अभी तक कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि हम पेंशन बढ़ायें ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रावधान नहीं है ।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- जो ऊपर से गाईडलाईन में है, वही हम दे रहे हैं ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह 6 योजनाएं संचालित हुई हैं उसकी सूची मेरे पास भी है और आपने भी जवाब दिया है । मेरा कहना यह है कि जो पेंशन की राशि जिनके खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से आ रही है । केवल उनको वर्ष 2003 की सर्वे सूची की पात्रता है और कहीं-कहीं पर वर्ष 2011 की तो यह विसंगति लगभग अमूमन हर पंचायतों में हो रही है । मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि वर्ष 2002-03 और वर्ष 2010-11 इसको अनिवार्य कर देंगे ताकि जो पात्र हितग्राही, जो छूट चुके हैं जिनकी उम्र हो गयी है लेकिन उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो क्या उनको जोड़कर इस पेंशन की राशि को दिलाने का प्रावधान आपके माध्यम से किया जायेगा ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पेंशन है वह चाहे दिव्यांगजन के लिये हो या विधवा एवं परित्यक्ता के लिये हो, चाहे नि:शक्तजन एवं बौने व्यक्ति के लिये हों। इसमें निर्धारित है और पात्रता के आधार पर वृद्धाजनों के लिये बी.पी.एल. एवं एस.ई.सी.सी. वर्ष 2011 का लेते हैं । विधवा के लिये बी.पी.एल. एवं एस.ई.सी.सी. वर्ष 2011 और नि:शक्तजन के लिये बी.पी.एल. से ही इनको निर्धारित किया गया है ।

अध्यक्ष महोद :- ठीक है, बैठ जाईये ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- नहीं, दोनों अनिवार्य हैं? वर्ष 2002-03, वर्ष 2011 या एक ही अनिवार्य है? यह मेरा आपसे स्पेसिफिक प्रश्न है। वर्ष 2003 की सूची मान्य कर रहे हैं या वर्ष 2011 की सूची मान्य कर रहे हैं या आप दोनों की सूची मान्य कर रहे हैं?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसमें जो मेरी जानकारी में है, हालांकि इसमें वर्ष 2011 की है। इसमें बी.पी.एल. और एस.ई.सी.सी. मतलब 2002 और 2011.

अध्यक्ष महोदय :- वर्ष 2011 का है। वर्ष 2011 के आधार पर है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे दिव्यांग हितग्राही, जो मानसिक रूप से बीमार हैं, शारीरिक रूप से भी बीमार हैं, जिनको पेंशन दिया जाना चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे हितग्राही हैं। मैं केवल अपने स्पेसिफिक गुंडरदेही विधान सभा की बात नहीं कर रहा हूं, लगभग प्रदेश में ऐसे बहुत से हितग्राही हैं, जिनको लाभ मिलना चाहिए, लेकिन लाभ से वंचित हैं। यदि मैं अपनी विधान सभा की बात करूं तो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि अनिकेत देवांगन 80 प्रतिशत दिव्यांग है, उसके मन में कुछ करने की चाहत है। आपको कुछ कहना चाहूंगा कि वह ऐसा व्यक्ति है, 24 से 25 साल की उम्र का ऐसा लड़का है, जब मैंने 2-3 साल पहले देखा तो वह झोला लेकर पैदल जा रहा था, ठीक से नहीं चल पा रहा था, लेकिन अपने थैले में झोला ब्रश सब रखा था और लगभग 200 से 400-500 रूपये में बेचता है और लगभग 200 रूपये कमाता है और उससे अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता है। मैंने फिर उन्हें ट्राइसाइकिल दिलाया, ट्राइसाइकिल मिलने के बाद अभी वह कुछ-कुछ जगह जाकर साबुन या क्रीम के धंधे करता है, उनके मन में चाहता है कि मैं काम करूं, आत्मनिर्भर बनूं, अपने परिवार को

संचालित करूं। उनका बाप उन्हें छोड़कर चला गया है। मां और बेटा दोनों हैं। लेकिन कुछ योजनाएं जिनसे हम उनको लोन दिलाना चाहते हैं या आर्थिक लाभ मिले अंत:व्यवसाय या अन्य माध्यम से उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। तो ऐसे दिव्यांगजनों को पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग से कुछ ऐसी योजनाएं मिलें ताकि अगर वह कोई धंधा करना चाहे या कोई काम करना चाहे, उसके लिए उन्हें उनका लाभ मिल सके, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो पीड़ा है, उसको समझ सकती हूं, लेकिन इसमें जो अभी पात्र हैं, शासन के द्वारा मान्य हैं, उसमें अभी सिर्फ बी.पी.एल. सूची के ही मान्य हैं। तो इनके लिए हम बातचीत कर रहे हैं कि ऐसे लोग हैं, जो छूटे हुए हैं, अगर वित्त और माननीय वरिष्ठों से अगर बात हो जाये..।

अध्यक्ष महोदय :- आप भिजवा दीजिए, परीक्षण करा लेंगे। आपने इतना डिटेल बताया है, वह भिजवा दीजिए तो मंत्री जी विभाग से बोलकर करा लेंगी और उसमें देखिए, यदि विधायक जी चिंता कर रहे हैं तो इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर तत्काल स्वीकृत करा दें।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 80 प्रतिशत दिव्यांग है।

अध्यक्ष महोदय :- आपके प्रश्न का मूल विषय यही है। तो मंत्री जी तैयार हो गई हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जी, अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न क्रमांक 8, श्रीमती अनिला भेंडिया जी।

डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाएं

[महिला एवं बाल विकास]

8. (*क्र. 57)श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? **(ख)** क्या संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में मूलभूत सुविधा जैसे- भवन, शौचालय, पेयजल, अहाता की सुविधा उपलब्ध है ?यदि नहीं तो मूलभूत सुविधा से वंचित केन्द्रों की जानकारी देवें ? **(ग)** क्या डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र में बच्चों की दर्ज संख्या के अनुरूप/अनुपात में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं ?यदि नहीं तो कितने नए केन्द्र कब तक खोले जाने हेतु प्रस्तावित हैं ? बतावें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) जानकारी संलग्न†[6] प्रपत्र अनुसारहै। (ख)जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसारहै। (ग) बालोद जिले अन्तर्गत डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र के लगभग सभी ग्रामों में जनसंख्या मापदण्ड के अनुरूप आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत व संचालित है। जिन ग्रामों/बसाहटों में जनसंख्या मापदण्ड एवं योजना के लाभ से वंचित हितग्राही हैं उनका परीक्षण करते हुए डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र में दो नये स्थानों में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आंगनबाड़ियों की जानकारी ली थी, मंत्री जी ने जानकारी दी है, पर इसमें मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की जानकारी नहीं है तो माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि क्या सभी मिनी आंगनबाड़ी मेन आंगनबाड़ी केंद्र में समाहित कर दिए गए हैं? यदि नहीं तो मेरी विधान सभा में कितनी मिनी आंगनबाड़ी केंद्र हैं?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य जो मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र की बात कर रहे हैं, मेरे इस विभाग को संभालने के बाद पूरी मिनी आंगनबाड़ी केंद्र को अपग्रेड कर दिया गया है। अब मिनी आंगनबाड़ी कहीं भी नहीं खुलेगी, अब मेन आंगनबाड़ी ही खुलेगी।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां स्वीकृत आंगनबाड़ियों की संख्या बतायी गयी है कि डौण्डीलोहारा में 235 और डौण्डी में 374 और स्वयं के भवन में संचालित डौण्डीलोहारा में 194 और डौण्डी में 269 है। बाकी जो डौण्डीलोहारा में 41 कम है और डौण्डी में भी तो इन आंगनबाडियों की स्वीकृति कब तक देंगे? मेरी जानकारी के अनुसार वर्ष 2023-24 में कुछ आंगनबाड़ी केंड्र स्वीकृत भी हुई हैं, परंतु अभी सवा साल होने जा रहा है। वहां राशि क्यों जारी नहीं कर रहे हैं? इनकी जानकारी दीजिए।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जो बचे हुए आंगनबाड़ी केंद्र हैं, वह विभाग के द्वारा उनके अंडर में जितनी भी राशि है, वह स्वीकृत कर दी गई है । रही बात मनरेगा से भी कुछ आंगनबाड़ी के काम हो रहे हैं, उनको भी कुछ देना रहता है । जैसे ही स्वीकृति मिलेगी विभागीय सचिव के माध्यम से बात करके जल्दी आंगनबाड़ी बनवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अध्यक्ष महोदय, भवन 6 महीने से स्वीकृत हैं, उनकी राशि जारी नहीं करने का कारण क्या है ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- अध्यक्ष महोदय, राशि जारी हो चुकी है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, राशि जारी हो चुकी । प्रश्न क्रमांक 9, श्री सुशांत शुक्ला ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी में है कि राशि जारी नहीं हुई इसीलिए भवन का काम अभी शुरू नहीं किया गया है । इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मैं चाहूंगी मेरे क्षेत्र में

[6] † परिशिष्ट "छ:"

जितने आंगनबाड़ी के अहाता हैं पेयजल और शौचालय और आपने जो कमी बताई है, उनको पूरा करेंगे और भवनों की स्वीकृति भी जल्दी देंगे क्या ? जो राशि जारी नहीं हुई है, उसे तत्काल जारी करवाएंगे क्या ताकि स्वीकृत भवन जल्दी बन जाएं ।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य पूर्व मंत्री रही हैं । मैं उनको विश्वास दिलाती हूं कि उनके क्षेत्र में जितने आंगनबाड़ी भवन पेंडिंग दिख रहे हैं, उनको मैं पूरा करवाऊंगी ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत अच्छा । प्रश्न क्रमांक 9 ।

श्री अजय चन्द्राकर :- तैं आधा अधूरा काम करे रहेस तोर विधान सभा क्षेत्र मा । आधा अधूरा काम करे रहेस अउ ओखर प्राणा खा थस ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- पहले वाले जो काम छोड़ते हैं, उसे वर्तमान वाले ही तो आगे बढ़ाएंगे ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- महिला एवं बाल विकास मंत्री से निवेदन है कि सभी जगह अहाता निर्माण करवा देंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- यानी ते पांच साल अपने विधान सभा मा कोई काम नइ करेस ।

श्री उमेश पटेल :- सवाल पूछने नहीं दे रहे हो यार, आप क्या कर रहे हो ?

अध्यक्ष महोदय :- अनिला जी को धन्यवाद देना चाहिए, मंत्री जी ने इतना शानदार जवाब दिया है ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- मैंने धन्यवाद दिया है अध्यक्ष महोदय ।

जिला बिलासपुर में राईस मिलों द्वारा धान के बदले कस्टम मिलिंग हेतु अप्राप्त चावल

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

9. (*क्र. 1579)श्री धरमलाल कौशिक : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) नवम्बर, 2024 से फरवरी, 2025 तक जिला बिलासपुर अंतर्गत 5-10 एकड़ तक एवं 10 एकड़ से अधिक के कितने कृषकों द्वारा कितना-कितना धान खरीदी केन्द्रों में बेचा गया? (ख) वर्ष 2023-24 के लिये किन-किन राईस मिलों में कस्टम मिलिंग के लिये दिये गए धान के एवज में किन-किन राईस मिलों से कितना-कितना चावल अप्राप्त है व क्यों? राईस मिलवार जानकारी देवें ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) :(क) बिलासपुर जिले मे नवम्बर, 2024 से फरवरी, 2025 तक 5-10 एकड़ तक एवं 10 एकड़ से अधिक के कृषकों से धान खरीदी का विवरण निम्नानुसार है :-

जिला	विवरण	कृषक संख्या	मात्रा मेट्रिक टन मे
बिलासपुर	5-10 एकड़ तक	12311	167120.52

	10 एकड़ से अधिक	3567	107140
योग		**15878**	**274260.52**

(ख) जिला बिलासपुर अंतर्गत खरीफ वर्ष 2023-24 में कस्टम मिलरों हेतु प्रदाय धान के एवज मे चावल जमा हेतु शेष मात्रा तथा कारण की मिलरवार जानकारी [7]संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

श्री सुशांत शुक्ला :- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न जिला बिलासपुर में राईस मिलों द्वारा धान के बदले कस्टम मिलिंग हेतु अप्राप्त चावल के संबंध में है । माननीय मंत्री जी का लिखित जवाब सदन में आ गया है । परंतु बिलासपुर जिले में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कस्टम मिलिंग के तहत कुल कितना धान प्रदान किया गया और उससे कितना चावल मिलिंग के तहत प्राप्त हुआ, इसकी जानकारी नहीं है। कृपया बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री दयालदास बघेल :- अध्यक्ष महोदय, अप्राप्त की जानकारी पूछी गई है । किन-किन राईस मिलर्स से कितना-कितना चावल अप्राप्त है यह जवाब में बताया गया है कि कितने राईस मिलर्स से अप्राप्त है ।

श्री सुशांत शुक्ला :- अप्राप्त नहीं, मैंने यह पूछा है कि कितना धान प्रदान किया गया और कितने चावल की मिलिंग की गई ?

श्री दयालदास बघेल :- आपने बेचने के बारे में पूछा है, प्रश्न पढ़ लीजिए ।

श्री सुशांत शुक्ला :- मैं आपसे पूरक प्रश्न के रूप में जानना चाहता हूं कि बिलासपुर जिले में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कस्टम मिलिंग के तहत मिलरों को कितना धान प्रदाय किया गया और उससे कितने चावल की मिलिंग की गई ?

श्री दयालदास बघेल :- अध्यक्ष महोदय, प्रश्न धान खरीदी केन्द्रों में बेचने के संबंध में है और यह प्रश्न उद्भूत भी नहीं होता ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, अगला प्रश्न कीजिए ।

श्री सुशांत शुक्ला :- चलिए, कोई बात नहीं । बिलासपुर जिले में आपके बताए अनुसार कुल मिलिंग चावल में 66 मिलर्स द्वारा 33,947 मेट्रिक टन चावल जमा नहीं किया गया है, उक्त चावल को जमा नहीं किया गया है, इसमें कितनी अवधि हो गई ? क्या यह चावल राज्य सरकार के गोदामों में जमा है या मिलर्स के पास ही रखा है और किस स्थिति में है ? इसका विवरण बता दें ?

श्री दयालदास बघेल :- अध्यक्ष महोदय, कुल 66 राईस मिलर्स हैं, जिनका पूर्ण चावल जमा नहीं किया गया है । उसकी मात्रा 35,947 मेट्रिक टन है ।

[7] परिशिष्ट "सात"

श्री सुशांत शुक्ला :- अध्यक्ष महोदय, यह चावल कब तक जमा हो जाएगा, इसकी समय सीमा बता दें ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन मिलरों द्वारा जमा हेतु शेष चावल के निराकरण के संबंध में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय :- राज्य शासन का निर्णय है। अगला प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री सुशांत शुक्ला :- अध्यक्ष महोदय, यही प्रश्न उठता है कि ट्रांसपोर्टरों की विसंगति और कस्टम मिलिंग के तहत मिलरों को जो छूट मिली हुई है, इसमें चावल की हेराफेरी का षडयंत्र रचा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं कि ये चावल मिलरों को कब तक समय सीमा के अधीन जमा करना है, इस पर जवाब बता दें।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 66 में से 6 राईस मिलों का भौतिक सत्यापन में कम पाया गया है। मात्रा की वसूली के लिए वर्ष 2024-25 में मिलर कार्य से पृथक कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री सुशांत शुक्ला :- अध्यक्ष महोदय, मैं यही प्रश्न बार-बार पूछ रहा हूं, क्योंकि मेरे पास जानकारी है, जिन मिलरों के पास जितनी मात्रा की चावल रखने की व्यवस्था बताई गई है, उन मिलरों के पास उतना चावल रखने के लिए स्थान ही नहीं है। मैं आपके माध्यम से यही जानना चाह रहा हूं कि वह चावल कहां है ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 6 राईस मिलरों का भौतिक सत्यापन में कम पाया गया है। वर्ष 2024-25 में मात्रा की वसूली के लिए मिलर को कार्य से पृथक कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए ठीक है। प्रश्न संख्या 10. गोमती साय जी।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तो प्रश्नोत्तरी राऊंड होगी लग रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, रफ्तार ठीक है।

जिला जशपुर अंतर्गत संचालित सखी वन स्टाप सेंटर

[महिला एवं बाल विकास]

10. (*क्र. 1668) श्रीमती गोमती साय : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला जशपुर अंतर्गत अनाथ, निराश्रित बच्चों के लिए विभाग द्वारा अनुदान प्राप्त आवासीय परिसर एवं सखी वन स्टाप सेंटर कहाँ-कहाँ पर संचालित हैं? उनमें कितने-कितने बच्चे दर्ज प्रवेशित हैं? इसके संचालन हेतु क्या दिशा-निर्देश हैं? विगत 03 वर्षो में कितनी-कितनी राशि, किन-किन सामग्रियों पर खर्च की गई? **(ख)** वर्ष 2022-23 से 10/2/2025 तक जिला जशपुर में कहाँ-कहाँ

सामूहिक विवाह आयोजित किए गए? विकासखंडवार जानकारी देवें? आयोजित किये गए सामूहिक विवाह में प्रत्येक हितग्राही के लिए कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? **(ग)** क्या सामूहिक विवाह में हितग्राहियों को सामग्रियों के अलावा नकद राशि भी देने का प्रावधान है? यदि हॉ तो वितरित राशि का विवरण विकासखंडवार दें? सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए हितग्राहियों के चयन के लिए क्या-क्या प्रक्रिया अपनाई गई? विवरण देवें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) जशपुर जिलें में संचालित अनाथ, निराश्रित बच्चों के लिए विभाग द्वारा अनुदान प्राप्त आवासीय परिसर एवं इसमें दर्ज प्रवेशित बच्चों की जानकारी तथा इन आवासीय परिसरों के संचालन के दिशा निर्देश **संलग्न प्रपत्र-अ[8] अनुसार है।** जिला जशपुर में सखी वन स्टॉप सेंटर शांति भवन चर्च के पास, रायगढ़ रोड में संचालित हैं। भारत शासन महिला एवं बाल विकास द्वारा मिशन शक्ति योजना का क्रियान्वयन अंतर्गत जारी निर्देश दिनांक 14.07.2022 के अनुसार संचालित है। जिलें में संचालित अनाथ, निराश्रित बच्चों के लिए विभाग द्वारा अनुदान प्राप्त आवासीय परिसर के विगत 03 वर्षो में विभिन्न सामग्रियों पर खर्च राशि का विवरण **संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है**। जिले में संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर के विगत 03 वर्षो में विभिन्न सामग्रियों पर खर्च राशि का विवरण **संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न "प्रपत्र-स" अनुसार है**। **(ग)** सामूहिक विवाह में हितग्राहियों को सामग्रियों के अलावा नगद राशि दिये जाने का प्रावधान नहीं है अपितु मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनान्तर्गत कन्या को विवाह उपरान्त प्रदाय की जाने वाली सहायता राशि ड्राफ्ट/बैंक खाते के माध्यम से दिया जाता है। वितरित राशि की विकासखण्डवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-'द' अनुसार है**। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता के द्वारा हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर्यवेक्षक द्वारा परीक्षण किया जाकर पात्र सूची को विकासखण्ड स्तर पर गठित समिति के द्वारा अनुमोदन किया जाता है।

श्रीमती गोमती साय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न अनाथ और निराश्रित बच्चों के लिए था, मंत्री महोदय ने मुझे जवाब दिया है। मैं मंत्री महोदया से एक प्रश्न और पूछना चाहती हूं, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। अनाथ निराश्रित बच्चों की देखभाल सही ढंग से हो, इनके निरीक्षण का दायित्व किन-किन अधिकारियों को दिया गया है ? मैं यह जानना चाहती हूं।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जानकारी पूछ रही हैं कि निराश्रित बच्चों के लिए दायित्व किनको दी गई है, जिला बाल संरक्षण अधिकारी जिला स्तर में रहते हैं, वे मिशन वात्सल्य के तहत् जिम्मेदारी निर्वहन करते हैं।

श्रीमती गोमती साय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निराश्रित बच्चों का विषय है, इसलिए वहां की जिम्मेदारी जिम्मेदार अधिकारी को दी जाए ताकि वे उसका मॉनिटरिंग करें। जशपुर के बच्चों के साथ

[8] परिशिष्ट "आठ"

कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, मैं उसके लिए चिंतित हूं, इसलिए मैं पूछ रही हूं, वहां किसी जिम्मेदार अधिकारी को जिम्मेदारी दें, धन्यवाद।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- जी।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न संख्या 11. चातुरी नंद जी।

समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन में मंडी लेबर चार्ज की अधिसूचित दर

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

11. (*क्र. 1352) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 तथा 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन में मंडी लेबर चार्ज की अधिसूचित दरें क्या-क्या रही हैं? अधिसूचनाएं कब जारी की गई? उसकी प्रभावशीलता की अवधि क्या-क्या रही है? **(ख)** क्या मंडी लेबर चार्ज की अधिसूचित दरों के अनुसार सहकारी सोसाइटियों को राशि दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों और किन दरों से दी गई? उसका निर्धारण किसके द्वारा किया गया? **(ग)** भारत सरकार के निर्देशानुसार मंडी लेबर चार्ज की, किसके द्वारा निर्धारित दरों को मान्य किया जाता है?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) छत्तीसगढ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में मंडी लेबर चार्ज 1.12.2022 तक रू. 19.80 प्रति क्विं. तथा 02.12.2022 से आगामी आदेश तक मंडी लेबर चार्ज रू. 34.10 प्रति क्विंटल रहा है । छत्तीसगढ़ शासन कृषि विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 30.11.2021 के द्वारा मंडी लेबर चार्ज रू. 19.80 प्रति क्विं. आगामी आदेश तक के लिए प्रभावशील किया गया तत्पश्चात छत्तीसगढ़ शासन कृषि विभाग ने अपनी अधिसूचना दिनांक 02.12.2022 से मंडी लेबर चार्ज रू. 34.10 क्विं. आगामी आदेश तक के लिए प्रभावशील किया है । खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 तथा 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन में मंडी लेबर चार्ज के लिए भारत सरकार द्वारा जारी प्रावधिक सीएमआर लागत पत्रक दरों में निर्धारित मंडीलेबर चार्ज की दरें निम्नांकित हैः-

क्रमांक	**खरीफ विपणन वर्ष**	**मंडीलेबर चार्ज की दरें (रूपये प्रति क्विं.)**	**प्रभावशील अवधि**
1	2022-23	9.13	खरीफ विपणन वर्ष 2022-23
2	2023-24	17.17	खरीफ विपणन वर्ष 2023-24

3	2024-25	22.05	खरीफ विपणन वर्ष 2024-25

(ख) भारत सरकार द्वारा निर्धारित मंडी लेबर चार्ज की दरों के आधार पर सहकारी सोसाईटियों को राशि दी गई है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।**(ग)** भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जारी सीएमआर लागत पत्रक के माध्यम से निर्धारित मंडी लेबर चार्ज की दरे समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के संबंध में मान्य है।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मोर सवाल के जवाब मा माननीय मंत्री महोदय हा जवाब दे हे, ऐमा मे दो ठन छोटे-छोटे सवाल पूछना चाहत हौं। माननीय मंत्री महोदय, ऐ बताए के कष्ट करही कि भारत सरकार के नीति निर्देश के अनुसार मंडी लेबर चार्ज के दर के निर्धारण करे बर कौन विभाग सक्षम हावए और एखर प्रावधान कहां हावए ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धान खरीदी कार्य निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। इसका स्वरूप वृहद स्तर पर होता है। भारत सरकार द्वारा धान खरीदी हेतु जारी लागत पत्रक में लेबर चार्ज निर्धारित किया जाता है, उसके बाद राशि का भुगतान किया जाता है। इसकी अनुशंसा...।

अध्यक्ष महोदय :- आपका उत्तर ठीक है कि भारत सरकार ही जारी करती है। आपका जवाब ठीक है। चलिये, अगला प्रश्न।

श्री दयालदास बघेल :- जी। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के द्वारा ही राशि जारी की जाती है। यदि आप अनुशंसा के बारे में कहेंगे तो मैं आपको बता देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- हां, आप बता दीजिये और बता दीजिये।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र क्रमांक-191(1), 2019, एफ.सी.ए.सी.एस., पार्ट-5-1, दिनांक-24.02.2020 के अनुसार राज्य में गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा मण्डी लेबर चार्ज की अनुशंसा उपरांत भारत सरकार द्वारा मण्डी लेबर चार्ज का निर्धारण किया जाता है। धान उपार्जन में प्रत्येक मद में व्यय की दर भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाह हूं कि कृषि विभाग द्वारा निर्धारित दर मा मण्डी लेबर चार्ज के भुगतान सोसायटी मन ला काबर नहीं करे जावत हे ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ सरकार का कृषि विभाग उपरोक्त 5 मदों के अलावा जैसे 3 मद हैं-अनलोडिंग, ढेरी लगाना और स्टेटिंग, इसके लिए भी अधिसूचना जारी करती है। उपार्जन नीति, अनलोडिंग एवं ढेरी लगाने का काम किसानों का होता है। इस प्रकार से समिति को कोई नुकसान भी नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय मंत्री महोदय, आप अपन उत्तर में यह बताए हो कि मण्डी लेबर चार्ज के दर के आधार पर सहकारी सोसायटी मन ला पेमेंट करे गेहे अउ राशि दे गे हे तो मैं बस आपसे अतना जानना चाहत हो कि कृषि विभाग द्वारा जो निर्धारित दर है, ऐमा मण्डी लेबर चार्ज के भुगतान सोसायटी मन ला काबर नहीं करे जात हे ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं,
जैसे कि धान खरीदी हेतु खरीफ विपणन वर्ष के लिए भारत सरकार द्वारा लेबर चार्ज की सब राशि अलग-अलग हैं। कृषि विभाग से छत्तीसगढ़ सरकार ज्यादा रेट देती है। भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2022-2023 में 9 रूपये 13 पैसे, वर्ष 2023-2024 में 17 रूपये 17 पैसे एवं वर्ष 2024-2025 में 22 रूपये 5 पैसे की दर से राशि दी गई है।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक सवाल और पूछना चाह हूं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह स्पष्ट किया है कि भारत सरकार ने वर्ष 2024-2025 में जो 22 रूपये का रेट तय किया है और छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि विभाग ने मण्डी लेबर चार्ज की राशि को 34 रूपये 10 पैसे तय किया है। माननीय सदस्य का प्रश्न यही है कि जब राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा 34 रूपये दिया जा रहा है तो यह सोसायटी में जो खरीदी हो रही है, उन मजदूरों को भी आप 34 रूपये क्यों नहीं दे रहे हैं ? क्या राज्य सरकार यह अंतर की राशि देगी ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अंतर की राशि नहीं दी जाएगी। धान खरीदी के समय ही जो लेबर चार्ज दिया जाता है, वह केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित है और हम उसी राशि को देते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक सवाल और पूछना चाह हूं कि मण्डी लेबर चार्ज मा राज्य के ओर से भारत सरकार ला जो दावा पत्रक प्रस्तुत करे जाथे, ओमा ए 3 साल बर कौन से दर से मांग करे गे रीहिस हे, ऐला आप बताये के कष्ट करिहो ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। आपका प्रश्न ही नहीं है।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल उद्भूत होथे। मंत्री महोदय, मैं आपसे मोर सवाल के जवाब चाहत हो, काबर कि भारत सरकार के द्वारा जो राशि आथे, वह राशि कहां जाथे ? वह राशि सोसायटी मन में नहीं जात हे, न हमर हमाल मन ला लेबर चार्ज के रूप में दे जाथे

अउ किसान मन से 3 रूपये अतिरिक्त पइसा लिये जात हे। जब शासन से पइसा आत हे तो फेर किसान मन से काबर पइसा लिये जाते है, ऐला आप बताये के कष्ट करिहो ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त समितियों को धान खरीदी कार्य के लिए समिति कमीशन की राशि 32 रूपये प्रति क्विंटल, सुरक्षा एवं भण्डारण व्यय की राशि 5 रूपये प्रति क्विंटल के मान से प्रदाय की जाती है। इस प्रकार समितियों को धान खरीदी कार्य के लिये पर्याप्त राशि प्रदाय की जाती है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष जी, पहले प्रश्न उद्भुत नहीं हो रहा था। फिर वह उद्भुत हो गया। चिट आया तो प्रश्नउ दभुत हो गया।

प्रश्न संख्या : 12 XX XX

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न संख्या-13 श्री फूलसिंह राठिया जी। प्रश्न संख्या-14. (प्रश्न संख्या 13 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री फूलसिंह राठिया द्वारा प्रश्न पूछने हेतु विलंब से खड़े होने पर) खड़े होने में क्यों विलंब करते हो ? (हंसी) गाड़ी छूट जाती है।

रामपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकानों से चना आपूर्ति

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

13. (*क्र. 1710) श्री फूलसिंह राठिया : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- रामपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत पिछले 4 माह से हितग्राहियों को उचित मूल्य की दुकानों से चना का वितरण किया जा रहा है ? यदि नहीं तो क्यों ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) :रामपुर विधानसभा क्षेत्र में अक्टूबर 2024 तक चना का वितरण किया गया है। चना क्रय करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने तथा नागरिक आपूर्ति निगम के प्रदाय केन्द्रों में माह नवंबर, दिसंबर 2024 तथा जनवरी 2025 के आबंटन अनुसार चना उपलब्ध नहीं होने के कारण उचित मूल्य दुकानों में भण्डारण एवं वितरण नहीं किया जा सका। माह नवंबर एवं दिसंबर 2024 के बैकलॉग चना का भण्डारण एवं वितरण माह फरवरी एवं मार्च 2025 में किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के हितग्राहियों को वितरण हेतु शेष माहों का बैकलॉक चना वितरित किये जाने का निर्णय लिया गया है एवं तद्नुसार इन माहों का पात्रतानुसार चना अन्त्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारियों को वितरित किया जावेगा।

श्री फूल सिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, मेरे रामपुर विधान सभा क्षेत्र में विगत 4 महीने से उचित मूल्य की दुकानों से चना नहीं मिल रहा है। यह कब मिलेगा ? मंत्री महोदय बताने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत छोटा सा प्रश्न है, छोटा जवाब दीजिये।

श्री दयालदास बघेल :- मानीय अध्यक्ष महोदय, नवम्बर-दिसम्बर का चना बंट चुका है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अब आप प्रश्न करिये। सदस्यगण कुछ पूरक प्रश्न पूछता तो नहीं है ? (प्रश्नकर्ता सदस्य ने सिर हिलाकर पूरक प्रश्न नहीं पूछने का भाव अभिव्यक्त किया) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, प्रश्न संख्या-14.

श्री अजय चन्द्राकर :- राघवेन्द्र कुमार सिंह जी, यहां तक मेरा प्रश्न आ जायेगा, ऐसा सोचे नहीं थे और उनकी प्रश्न पूछने की तैयारी नहीं है। (हंसी) वह मानसिक रूप से प्रश्न पूछने के लिए तैयार नहीं है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- मैं तैयारी करके आया हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, राघवेन्द्र जी, प्रश्न पूछिये।

जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत धर्मकांटों की संख्या

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

14. (*क्र. 1586) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला-जांजगीर-चांपा में शासकीय व निजी संस्थानों द्वारा उपयोग किए जा रहे धर्मकांटों की संख्या कितनी है? विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** संचालित धर्मकांटों का केलिब्रेशन (सटीकता जाँच) किसके द्वारा किया जाता है? कौन-कौन से निजी फर्मों/एजेंसियों को केलिब्रशन हेतु छ.ग. शासन द्वारा अनुबंधित किया गया हैं? एजेंसियों के नाम सहित जानकारी प्रदान करें? **(ग)** जिला-जांजगीर-चांपा में स्थापित शासकीय व निजी धर्मकांटों का 01 जनवरी, 2023 से 10.2.2025 तक किए गए निरीक्षण में कौन-कौन सी कमियां पाई गई एवं विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? विकासखण्डवार, संस्थावार सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) :(क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र-"अ"**अनुसार है। **(ख)** संचालित धर्मकांटों का केलिब्रेशन (सटीकता जॉच) विभागीय अनुज्ञप्तिधारी निर्माताओं/सुधारकों द्वारा किया जाता है। अनुज्ञप्तिधारी संस्थाओं से भिन्न अन्य निजी फर्मों/एजेंसियों को केलिब्रेशन हेतु छ.ग. शासन द्वारा अनुबंधित नहीं किया गया है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र -"ब" अनुसार है।**

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा था कि निजी फर्म या एजेंसियों के साथ केलिब्रेशन किया जाता है या नहीं ? तो जवाब में जानकारी आया है कि नहीं किया गया है। तो मंत्री जी से मेरा 2 पाईण्टेड सवाल है। पहला जो यहां पर जो सूची आई है, जिसमें धर्मकांटों और बाकी पर फाइन लगाया गया है। कई ऐसे धर्मकांटें हैं, जो नियम विपरीत मेन रोड पर संचालित हो रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रकों की लाईनें लग रही हैं और लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो क्या इसकी जांच कराकर उन पर कार्रवाई की जायेगी ?

श्री दयाल दास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप नाम दे देंगे, जांच करा लेंगे।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि केलिब्रेशन के लिए निजी फर्मों से अनुबंध तो नहीं हुआ है। लेकिन पूरे जांजगीर जिले में निजी फर्मों द्वारा केलिब्रेशन का काम कराया जा रहा है और वहीं जाकर सील-मोहर लगा दे रहे हैं। मैंने इस बाबत पहले भी लिखित शिकायत दी है, उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। क्या आप आने वाले समय में इस पर कार्रवाई करवायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- जो भी शिकायत मिली है, उस पर कार्रवाई कराईये।

श्री दयाल दास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हां। आप दे देंगे। वैसे भी जितनी सूची है, हम देख रहे हैं।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, मैंने दो महीने पहले भी शिकायत किया था, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या आप उस पर घोषणा कर दें कि उस पर कार्रवाई करवाई जायेगी ? आप जांच करवा लें।

अध्यक्ष महोदय :- आप जांच करा लीजिये।

श्री दयाल दास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी।

महतारी वंदन योजना के तहत पात्र हितग्राही

[महिला एवं बाल विकास]

15. (*क्र. 1793)श्री विक्रम मंडावी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** "महतारी वंदन योजना" हेतु वर्ष 2023-24 के मुख्य बजट, प्रथम अनुपूरक अनुदान मांग एवं द्वितीय अनुपूरक अनुदान मांग में कितनी-कितनी राशि का प्रावधान किया गया था? आवंटित बजट में से अब तक कितनी राशि प्रचार-प्रसार के किन-किन माध्यमों में कितनी-कितनी व्यय हुई? **(ख)** योजना प्रारंभ तिथि से 10 फरवरी 2025 तक पात्र हितग्राहियों को कुल कितनी किश्तों में, कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है? बजट मे स्वीकृति प्रावधानित राशि के अनुसार योजना मद

में कितनी राशि शेष बची हैं? **(ग)** योजना प्रारंभ तिथि से अब तक ऐसे पात्र हितग्राहियों की संख्या कितनी है, जिन्हे एक भी किश्त का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ हैं? कारण सहित बतावें? **(घ)** उक्त योजना में पात्र हितग्राहियों को मासिक किश्तों के भुगतान हेतु उन्य विभागों, अनुसूचित जाति, जनजाति उपयोजना, महिला एवं बाल कल्याण, कैम्पा मद, डी.एम.एफ. मद सहित अन्य समस्त मदों से अब तक कितनी-कितनी राशि निकासी कर महतारी वंदन योजना मद में व्यय की गई है? माहवार, मदवार विस्तृत जानकारी देवें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) :- (क) महतारी वंदन योजना हेतु वर्ष 2023-24 के मुख्य बजट एवं प्रथम अनुपूरक अनुदान मांग में राशि का प्रावधान नहीं किया गया था। द्वितीय अनुपूरक अनुदान मांग में कुल राशि रू. 1200.00 करोड़ का प्रावधान किया गया था तथा विभागीय बजट के बचत से रू. 120.34 करोड़ पुनर्विनियोजन से प्रावधान किया गया है। आवंटित बजट में से वर्ष 2023-24 में रू. 1,98,45,614/- प्रचार-प्रसार के माध्यम से होर्डिंग्स, ब्रांडिंग, कटआउट, एल.ई.डी. स्क्रीन एवं प्रिंट मीडिया, वीडियो स्पॉट, आदि पर व्यय की गई है। विवरण प्रपत्र-अ पर संलग्न है। **(ख)**महतारी वंदन योजना अंतर्गत प्रांरभ से 10 फरवरी 2025 तक पात्र हितग्राहियों को कुल 12 किश्तों में भुगतान राशि रूपये 7838.71 करोड़ का भुगतान अनुमोदित किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में महतारी वंदन योजना अंतर्गत हितग्राहियों को सहायता राशि दिए जाने हेतु अनुदान मद में कुल रू. 7876.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है तथा अद्यतन दिनांक 01.03.2025 की स्थिति में रू. 694.00 करोड़ का बजट शेष है। **(ग)** कुल 3971 हितग्राहियों को अब तक एक भी किश्त का भुगतान नहीं हो सका है। इन हितग्राहियों को आधार का बैंक खाते से सीडिंग न होने, आधार असक्रिय होने, खाते पर रोक होने, खाता बंद होने, खाताधारक की मृत्यु दर्ज़ होने तथा दावा रहित खाता एवं अन्य तकनीकी कारणों से भुगतान नहीं हो सका है। (घ) योजना में पात्र हितग्राहियों को मासिक किश्तों के भुगतान हेतु अन्य विभागों, कैम्पा मद, डी.एम.एफ. मद की राशि का उपयोग नहीं किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग को मांग संख्या-55 महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय, 41 अनुसूचित जनजाति उपयोजना, 64 अनुसूचित जाति उपयोजना में किए गए बजट प्रावधान हेतु आहरित की गई राशि का माहवार, मदवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्रं	वित्त वर्ष	आहरित माह	बजट शीर्ष	आहरित राशि
1	2023-24	फरवरी 2024	55-2235-02-103-0101-7048-#14-012	337.00
			41-2235-02-103-0102-7048-#14-012	266.00
			64-2235-02-103-0103-7048-	84.00

			#14-012	
2.		मार्च 2024	55-2235-02-103-0101-7048-#14-012	313.44
			41-2235-02-103-0102-7048-#14-012	243.42
			64-2235-02-103-0103-7048-#14-012	67.06
3.	2024-25	अप्रैल 2024	55-2235-02-103-0101-7048-#14-012	335.00
			41-2235-02-103-0102-7048-#14-012	254.60
			64-2235-02-103-0103-7048-#14-012	80.40
4		मई 2024	55-2235-02-103-0101-7048-#14-012	330.00
			41-2235-02-103-0102-7048-#14-012	250.60
			64-2235-02-103-0103-7048-#14-012	79.40
5		जून 2024	55-2235-02-103-0101-7048-#14-012	325.00

			41-2235-02-103-0102-7048-#14-012	247.00
			64-2235-02-103-0103-7048-#14-012	78.00
6		जुलाई 2024	55-2235-02-103-0101-7048-#14-012	325.00
			41-2235-02-103-0102-7048-#14-012	247.00
			64-2235-02-103-0103-7048-#14-012	78.00
7		अगस्त 2024	55-2235-02-103-0101-7048-#14-012	325.00
			41-2235-02-103-0102-7048-#14-012	247.00
			64-2235-02-103-0103-7048-#14-012	78.00
8		सितंबर 2024	55-2235-02-103-0101-7048-#14-012	325.00
			41-2235-02-103-0102-7048-#14-012 64-2235-02-103-0103-7048-#14-012	247.00 78.00
9		अक्टूबर 2024	55-2235-02-103-0101-7048-	325.00

			#14-012	
			41-2235-02-103-0102-7048-#14-012	247.00
			64-2235-02-103-0103-7048-#14-012	78.00
10		नवंबर 2024	55-2235-02-103-0101-7048-#14-012	325.00
			41-2235-02-103-0102-7048-#14-012	247.00
			64-2235-02-103-0103-7048-#14-012	78.00
11		दिसंबर 2024	55-2235-02-103-0101-7048-#14-012	325.00
			41-2235-02-103-0102-7048-#14-012	247.00
			64-2235-02-103-0103-7048-#14-012	78.00
12		जनवरी 2025	55-2235-02-103-0101-7048-#14-012	325.50
			41-2235-02-103-0102-7048-	247.38

			#14-012	
			64-2235-02-103-0103-7048-#14-012	78.12
13		फरवरी 2025	55-2235-02-103-0101-7048-#14-012	325.50
			41-2235-02-103-0102-7048-#14-012	247.38
			64-2235-02-103-0103-7048-#14-012	78.12
			कुल निकास की गयी राशि	7182.00

अध्यक्ष महोदय :- आप ही का प्रश्न है। इधर-उधर क्यों देख रहे हो ? (हंसी)

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से अपने प्रश्न के माध्यम से जवाब जानना चाह रहा था कि महतारी वंदन योजना में कितने ऐसे हितग्राही हैं, जिनको एक भी किश्त का भुगतान नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, पात्रता के अनुसार महतारी वंदन योजना के अनुसार फार्म भरवाया गया है। पात्रता के अनुसार 69 लाख से अधिक महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। अभी तक ऐसा एक भी हितग्राही नहीं है, जो पात्र है और जिसका आवेदन आया हुआ हो और उसको महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। मतलब अधिकतर लोगों को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में बताया हे कि 3,971 महिलाओं को एक भी किश्त का भुगतान नहीं हुआ है। आप खुद ही उत्तर में बता रहे हैं कि 3,971 हितग्राहियों को एक भी किश्त का भुगतान नहीं हुआ है। दोनों में कौन सा उत्तर सही है ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, क्षमा चाहूंगी। उत्तर में बताया गया है कि 3,971 हितग्राहियों को अब तक एक भी किश्त का भुगतान नहीं हुआ है, मैं इसके बारे में जानकारी

देना चाहूंगा। इन हितग्राहियों को आधार का बैंक खाते में सेडिंग नहीं होना, आधार प्रक्रिया होने एवं खाते पर रोक, खाते बंद होने या खाताधारक की मृत्यु दर्ज होने तथा दावा रहित खाता एवं अन्य तकनीकी कारणों से भुगतान नहीं हो पाया है।

अध्यक्ष महोदय :- बिलकुल ठीक।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि 3,971 हितग्राहियों को एक भी किश्त का भुगतान नहीं हुआ है। इनको राशि देने के लिए सरकार क्या काम कर रही है, क्या योजना बना रही है ? भविष्य में किश्त की राशि देगी या नहीं देगी ?

अध्यक्ष महोदय :- जिनका किस्त शेष है, उनको देने के लिए आप क्या उपाय करेंगी? यह बता दीजिये।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो आवेदन भरे हुए हैं, उनकी बात कर रहे हैं या जो नया खाता खोले हैं, उनकी बात कर रहे हैं?

श्री विक्रम मंडावी :- आपने बताया कि उनको राशि नहीं मिली है।

अध्यक्ष महोदय :- जो 3970 लोगों का पेमेंट पेंडिंग हैं, जिसके लिए आपने कारण भी बताया है और सही कारण बताया है कि इन-इन कारणों से उनको राशि नहीं दी जा रही है। यह उनका प्रश्न है कि आप उन कारणों का निराकरण करके उनको कब तक पेंमेंट हो जाएगा?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, भुगतान करते हैं, लेकिन असफल हो जाने की वजह से भुगतान नहीं हो पाता है। सतत् सूचना कर सुधार करा कर राशि उनके खाते में चले जायेंगी।

अध्यक्ष महोदय :- सुधार करके उनको समय में राशि भेज देंगे।

श्री विक्रम मंडावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और यह उत्तर भी एक-दूसरे से नहीं मिल पा रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- यह प्रश्न अलग हो गया।

श्री विक्रम मंडावी :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जिस तरह से महतारी वंदन योजना में बता रही हैं।

अध्यक्ष महोदय :- कोई लिखित में शिकायत है तो आप मंत्री जी को दे दीजिये। वह जबानी में कुछ कैसे करेंगे। आपके पास कोई एक-दो लिखित शिकायत है?

श्री विक्रम मंडावी :- अध्यक्ष महोदय, इसमें दोनों में अंतर आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- आप उसका मंत्री जी को दे दीजिये। वह देख लेंगी। उमेश जी, आप प्रश्न कर लीजिये।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि अभी तक 3971 लोगों को एक बार भी भुगतान नहीं हुआ है। यह योजना चलते हुए एक साल हो गया है। आप इस त्रुटि को एक साल में भी सुधार नहीं कर पायेंगे तो आप कितना जल्दी सुधार करेंगे? आप एक साल तक सुधार क्यों नहीं कर पाये हैं?

अध्यक्ष महोदय :- आप कब तक जल्द से जल्द सुधार कर लेंगे, यह बता दीजिये।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, अभी तक क्यों सुधार नहीं हुआ है?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज फिर वही बात को बोलेंगे तो आप लोग फिर कहेंगे कि आप लोग पूर्ववर्ती सरकार में क्यों चले जाते हैं?

श्री उमेश पटेल :- यह तो आपकी सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। यह आपकी सरकार की योजना है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- यह योजना आपकी सरकार की है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, उनको सिर्फ समय बताना है।

अध्यक्ष महोदय :- देखिये, वह पूरे धैर्य से जवाब दे रही हैं। आप लोग भी धैर्य रखिये। जो जवाब आया है, वह लगभग पूरा आ गया है। आप लोगों को कुछ अतिरिक्त प्रश्न पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी सिर्फ समय बता दें कि एक महीने में हल कर देंगे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है।

श्री उमेश पटेल :- माननीया मंत्री जी, आपने एक साल के अंदर 12 किस्ती नहीं दी हैं। उसमें त्रुटि को कब तक सुधार करेंगे?

अध्यक्ष महोदय :- जवाब आ जाएगा। आप समय-सीमा बता दीजिये। पूर्व की बात को छोड़िये। आप कब तक निराकण करेंगे, यह बता दीजिये?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो भी कमियां आ रही होंगी, किस कारण से उनको पेमेंट नहीं हो पा रहा है, उसको तत्काल दिखवा कार्रवाई करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, हो गया।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, एक साल हो गया। सरकार की मंशा ही नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी ने साफ कह दिया है। इससे अच्छा और क्या जवाब आएगा?

श्री उमेश पटेल :- माननीय मंत्री जी, सिर्फ इतना बता दीजिये कि उनको 12 किस्ती नहीं मिला है तो क्या आप उनको एक साथ 12 किस्ती देंगे? कया आप बोनस के साथ किस्ती देंगे?

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, कम से कम वह समय-सीमा का निर्धारण कर दें।

अध्यक्ष महोदय :- उसमें पुराने पैसे को नहीं दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 16। श्री संपत अग्रवाल जी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, कुछ हितग्राहियों को पैसा नहीं दिया गया है।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, उनको 12 किस्ती मिलना था।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अध्यक्ष महोदय, उनके साथ अन्याय हो गया। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, कुछ हितग्राहियों के अकांउट में पैसा नहीं आ रहा है। उसकी जांच करवाईये। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, उनको 12 किस्ती मिलना था।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, कुछ हितग्राहियों को तीन महीने से पैसे नहीं मिला है। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- आपकी सरकार ने पांच साल में 500 रूपये नहीं दिया था।

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

समय :
11:59 बजे

बहिर्गमन

शासन के उत्तर के विरोध में

(श्री उमेश पटेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन का उत्तर नहीं आने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।)

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. सम्पत अग्रवाल जी, आप अपना प्रश्न कर लीजिये।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमश:)

महासमुन्द जिले में दिव्यांगजनों हेतु क्रय सामग्री

[समाज कल्याण]

16. (*क्र. 1271) डॉ. सम्पत अग्रवाल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) महासमुन्द जिले में दिसंबर, 2021 से दिसंबर, 2024 के मध्य दिव्यांगजनों हेतु क्या-क्या सामग्री, किन-किन योजनाओं के अंतर्गत क्रय की गई है? वर्षवार/सामग्रीवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रशांक 'क' अनुसार क्रय की गयी सामग्री में से कितनी सामग्री का दिव्यांगजनों को वितरण किया गया है व कितनी सामग्री वितरण किया जाना शेष है एवं कितनी सामग्री किन कारणों से ख़राब/अनुपयोगी हो गयी? सामग्री ख़राब/अनुपयोगी होने हेतु जिम्मेदार कौन है एवं क्या कार्यवाही की

गयी? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) क्या नियम विरुद्ध खरीदी किये जाने की शिकायतें प्राप्त हैं? यदि हाँ, तो दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) महासमुंद जिले में दिसम्बर, 2021 से दिसम्बर, 2024 के मध्यष दिव्यांगजनों हेतु क्रय सामग्रियों की वर्षवार व सामग्रीवार जानकारी निम्नामनुसार है :-

क्र.	योजना का नाम	दिव्यांगजनों के लिए क्रय सामग्री			
		दिसम्बंर 2021	2022	2023	दिसम्बंर 2024
1	सामर्थ्य विकास योजना	कोई भी सामग्री क्रय नहीं की गई ।	ट्रायसायकल, बैशाखी, जींक एयर बैटरी	बैशाखी, श्रवण यंत्र	ट्रायसायकल, श्रवण यंत्र
2	कृत्रिम अंग /सहायक उपकरण प्रदाय योजना	कोई भी सामग्री क्रय नहीं की गई ।	बैशाखी, श्रवण यंत्र, जींक एयर बैटरी	ट्रायसायकल, श्रवण यंत्र, वाकर	श्रवण यंत्र, व्ही लचेयर

(ख) महासमुंद जिले में दिसम्ब र, 2021 से दिसम्बर, 2024 के मध्यग दिव्यांगजनों हेतु क्रय सामग्री में से वर्ष 2022 में 177 सामग्री, वर्ष 2023 में 132 सामग्री तथा वर्ष 2024 में दिसम्बयर, 2024 की स्थिति में 71 सामग्री कुल 380 सामग्री वितरित की गई है एवं 59 सामग्री वितरण हेतु शेष है। कोई भी सामग्री खराब/अनुपयोगी नहीं है । प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जी नहीं । प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

डॉ. सम्पत अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब से संतुष्ट हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आपका प्रश्न हो गया?

डॉ. सम्पत अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, जवाब मिल गया।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, जवाब मिल गया। आप सम्पत जी का प्रश्न नहीं समझ पायी हैं?

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, वह जवाब से संतुष्ट हो गये हैं।

अध्यक्ष महोदय :- वह संतुष्ट हैं। श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी जी।

प्रश्न संख्या : 17 XX XX

प्रश्न संख्या : 18 XX XX

प्रश्न संख्या : 19 XX XX

प्रदेश में धान का उठाव

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

20. (*क्र. 1046) श्री उमेश पटेल : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- प्रदेश में वर्ष 2024-25 में धान खरीदी की नियत तिथि की समाप्ति के पश्चात् कितने दिनों में धान का उठाव कर लिया गया? जिलावार जानकारी बताएँ? यह भी बताएँ कि नियत समय पर उठाव नहीं होने से कौन-कौन सी समितियों को कितना-कितना नुकसान हुआ? जिलावार जानकारी देवें? धान का उठाव नहीं होने से मंडियों में जगह नहीं होने के कारण किसानों को लंबा लाईन लगाने एवं धान नहीं बेच पाने के कितने मामले आये हैं?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में उपार्जित धान की उपार्जन केन्द्रों से धान उठाव की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दिनांक 23.02.2025 की स्थिति में 126.12 लाख मे. टन धान का उठाव किया जा चुका है तथा 23.12 लाख मे. टन धान उठाव हेतु शेष है। जिलेवार जानकारी **संलग्न[9] प्रपत्र** अनुसार है। उपार्जन केन्द्रों से संपूर्ण धान का उठाव होने के पश्चात् विपणन संघ के संग्रहण केन्द्रों के साथ संयुक्त लेखा मिलान के उपरांत ही समिति को हुई क्षति ज्ञात हो पाएगी। धान उपार्जन केन्द्रों में जगह के अभाव में किसानों को लंबा लाईन लगाने या धान नही बेच पाने के मामले नहीं आए हैं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

[9] परिशिष्ट "बारह"

पृच्छा

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, आज आपको बहुत-बहुत बधाई । प्रश्नकाल 20 नंबर तक गये हैं ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे बोले हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- मुझे धन्यवाद मत दीजिए, मंत्रीगणों को धन्यवाद दीजिए कि बहुत जल्दी-जल्दी अच्छे से जवाब दिये हैं, उनके लिये ताली बजाईये । (मेजों की थपथपाहट)

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- भोजन की व्यवस्था माननीय लखनलाल देवांगन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिये लॉबी स्थिति कक्ष में और पत्रकारों के लिये प्रथम तल में की गई है, कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें ।

पृच्छा

नेता प्रतिपक्ष (डॉ.चरणदास महंत) :- अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन दिया है कि भारत सरकार के समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन योजना में प्रदेश की सरकार ने 149 लाख 24 हजार 710 मिट्रिक टन धान उपार्जित किया है । अध्यक्ष महोदय, यह खेद का विषय है कि सरकार द्वारा उसमें से 40 लाख मीट्रिक टन धान को बाजार में नीलाम करने का निर्णय लिया गया है । अध्यक्ष महोदय, हम आपके जमाने की बात करें या उसके बाद की बात करें या पिछले समय की बात करें जब 145 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जित हुआ था, हमें धान को नीलाम करने की जरूरत नहीं पड़ी थी । यह पूरा का पूरा चावल बनकर सेंट्रल पूल में गया था । अध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में 13 लाख 34 हजार मीट्रिक टन चावल स्टेट पूल में खपत हो जायेगा और 19 लाख 91 हजार मीट्रिक टन धान इसमें काम आयेगा । अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार 70 लाख मीट्रिक टन चावल सेंट्रल पूल में भारतीय खाद्य निगम लेगा, जिसतें 89 लाख मीट्रिक टन धान पूरा हो जायेगा । अध्यक्ष महोदय, पंजाब में 172 लाख मीट्रिक टन धान हुआ है, वहां पर डबल इंजिन की सरकार नहीं है, उसके बाद भी जितने भी चावल बने हैं, उनकी सरकार वहां ले रही है, आपकी केन्द्र सरकार ले रही है, हमारे यहां डबल इंजिन की सरकार होते हुये भी आप अपने सरकार को या आप अपने इंजिन को यह बता नहीं पा रहे हैं कि हमारे यहां धान की खपत नहीं है तो हमारा बेचने का नुकसान होगा, मैंने उसमें अनुमान लगाया है कि 40 लाख मीट्रिक टन

धान बेचने के लिये हमारी सरकार जो मजबूर हो गई है, उसको लगभग 8 हजार करोड़ का घाटा होगा । अध्यक्ष महोदय, यह घाटा जो सरकार को हो रहा है, मैं ऐसा मानता हूँ कि यह उचित नहीं है । इससे हमारे किसान भाईयों को भी दु:ख पहुंचा है, हमारे प्रदेश को राजस्व की हानि होगी, इस तरह से आपने 40 लाख मीट्रिक टन धान को अलग-अलग जगहों पर निविदा करने का जो निर्णय लिया है, हम उसका विरोध करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि जब आपकी डबल इंजिन की सरकार है, आप अपने केन्द्र सरकार को मजबूर न करें, Request कर लीजिए, निवेदन कर लीजिए कि आपकी धान भी पंजाब की तरह पूरा का पूरा खरीदा जाये, आपका चावल खरीदा जाये और हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों को इसमें राहत मिले । मैं यह निवेदन करने के लिये आपके यहां स्थगन दिया हूँ, आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं इसमें और विस्तृत रूप से चर्चा करूँगा । आपसे निवेदन है कि इसे स्वीकार करें और चर्चा करायें।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलना है ।

अध्यक्ष महोदय :- इसी में बोलना है ?

श्री उमेश पटेल :- जी, इसी में बोलना है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, एक मिनट बोल दीजिए ?

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में डबल इंजिन की सरकार है और इसके बाद अतिशेष चावल केन्द्रीय पूल में नहीं लिया जा रहा है तो इसका क्या मतलब है ? अध्यक्ष महोदय, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, यदि वहां यह व्यवस्था है तो छत्तीसगढ़ में भी होना चाहिये । अध्यक्ष महोदय, यह सरकार मोदी जी की गारंटी और डबल इंजिन के आधार पर बनी है, यह तो होना ही चाहिये । अध्यक्ष महोदय, आप कृपया इसे ग्राह्य कर लीजिए ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस पर बोलना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिय, आप बोलिये । दो मिनट में अपनी बात रखें । विषय आ गया है, लेकिन आप भी बोल दीजिए ।

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को धान में नुकसान होने जा रहा है और राज्य की आर्थिक स्थिति काफी खराब है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि केन्द्र की सरकार, डबल इंजन की सरकार केन्द्रीय पुल में चॉवल को ले, ताकि छत्तीसगढ़ के हित की रक्षा हो सके ।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा लाया है क्योंकि धान की खेती सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ राज्य में होती है और जो 40 लाख मेट्रिक टन अतिशेष हो रहा है, विष्णु देव साय जी की सरकार ने धान का दाना-दाना खरीदने की बात की थी तो निवेदन है कि इस स्थगन को ग्राह्य करके चर्चा कराई जाये ।

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने आज स्थगन दिया है, वह बहुत महत्वपूर्ण है । राज्य के किसानों और राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति में यह प्रभावित करने वाला स्थगन है। अभी मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस साल केन्द्रीय पुल में केवल 72 लाख मीट्रिक टन चांवल लिया जाएगा, जबकि पिछले साल 74 लाख मीट्रिक टन चांवल लिया गया था, 5 लाख मेट्रिक टन चांवल फिर भी बचा और अभी जिस प्रकार से सदन में अन्य सदस्यों के प्रश्नों के जो उत्तर आये हैं, उसमें कहा गया कि 40 लाख मीट्रिक टन धान खुले में बेचने का निर्णय लिया गया है । यह बेहद दुर्भाग्यजनक है। एक तरफ डबल इंजन की सरकार कहते हैं, उसके बाद भी केन्द्रीय पुल में हमारा चांवल जमा नहीं हो रहा है तो इससे दुर्भाग्यजनक स्थिति क्या होगी ? जैसा कि नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि राज्य सरकार को 8 हजार करोड़ का नुकसान होगा । निश्चित रूप से उभरते हुए राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा धक्का लगेगा । मैं चाहता हूं कि पवित्र सदन में आप इसे स्थगन को ग्राह्य करके चर्चा कराएं, शासन से उत्तर आये, यह मैं आपसे अपेक्षा करता हूं ।

समय :
12:07 बजे

स्थगन प्रस्ताव

प्रदेश में उपार्जित धान का उचित निराकरण नहीं होना.

अध्यक्ष महोदय :- मेरे पास प्रदेश में उपार्जित धान का उचित निराकरण नहीं होने के कारण आर्थिक क्षति होने के संबंध में 31 सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । चूंकि डॉ. चरणदास महंत, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त हुई है, अत: उसे मैं पढ़कर सुनाता हूं :-

भारत सरकार की समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन योजना के अन्तर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में प्रदेश सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर 149 लाख, 24 हजार, 710 मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया है । धान उपार्जन का कार्य राज्य सरकार केन्द्र सरकार के एजेंट बतौर करती है । सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़े के अनुसार उपार्जित धान में से 40 लाख मीट्रिक टन धान अतिशेष हो रहा है, जिसको टेंडर बुलाकर खुले बाजार में बेचने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है । इस धान का निराकरण करना आज की स्थिति में सरकार की सबसे बड़ी समस्या हो गई है । 13 लाख, 34 हजार मीट्रिक टन चांवल स्टेट पुल में खपेगा, जो 19 लाख 91 हजार मीट्रिक टन धान की मीलिंग से पूरा हो जाएगा । 70 लाख मीट्रिक टन चावल सेन्ट्रल पूल में भारतीय खाद्य निगम लेगा, जो लगभग 89 लाख मीट्रिक टन धान से पूरा हो जाएगा । पंजाब में इसी समय समर्थन मूल्य पर 172 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन हुआ है और उसका पूरा चावल केन्द्रीय पूल में लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पूरा अतिशेष चांवल केन्द्रीय पुल में नहीं लिया जा रहा है । पिछले सीजन का पूरा चावल भी आजतक नहीं

लिया गया है । छत्तीसगढ़ में तो एफ.सी.आई. के पास चांवल भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान तक नहीं है। सरकार चांवल को राज्य से बाहर ले जाने के लिए रेल्वे रेक भी उपलब्ध नहीं करा पा रही है। 40 लाख टन धान बेचने के लिए सरकार मजबूर हो गई है। धान बेचने से होने वाले नुकसान का अनुमान लगाने में वित्त मंत्री जी की तथा कथित GATI असमर्थ रही है। भारत सरकार की इस योजनांतर्गत 40 लाख टन धान बेचने से कम से कम 8000 करोड़ रूपए का घाटा राज्य के कोष को होगा, जिसके लिए बजट में प्रावधान नहीं किया गया है । हमारे धान की लागत 3100/- प्लस 500/- संग्रहण व्यय ब्याज आदि को मिलाकर 3600/- होती है, यह धान अधिकतम औसत मूल्य 1600 रूपए प्रति क्विंटल की दर से बिकेगा । इस प्रकार प्रति क्विंटल 2000 रूपए का नुकसान होगा और 40 लाख मीट्रिक टन अर्थात् 4 करोड़ क्विंटल पर कम से कम 8000 करोड़ रूपए की बड़ी आर्थिक क्षति होगी, जो कुल बजट का पॉच प्रतिशत है। धान का उत्पादन प्रदेश के श्रमवीर किसानों की अथक परिश्रम की कमाई है और सरकार द्वारा किसानों के श्रम की उपेक्षा का शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने की सरकार की इस योजना के विरूद्ध पूरे प्रदेश के किसानों में सरकार के प्रति असंतोष व्याप्त है ।

अत: इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाये ।

इस संबंध में शासन का क्या कहना है ?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री दयालदास बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2024- 25में किसानों से भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रिकार्ड 149लाख 24हजार 710टन धान की खरीदी की गई है। खाद्य विभाग भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2024- 25में केन्द्रीय पूल में 70लाख टन चावल उपार्जन किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है। इसमें से 54लाख मेट्रिक टन चावल भारतीय खाद्य निगम में एवं 16लाख मेट्रिक टन चावल नागरिक आपूर्ति निगम में उपार्जित किया जाना है। इसके अतिरिक्त राज्य पूल अंतर्गत नागरिक आपूर्ति निगम में 13. 34लाख मेट्रिक टन चावल उपार्जित किया जाना है। इस प्रकार खरीफ विपणन वर्ष 2024- 25में कुल 83. 34लाख मेट्रिक टन चावल का उपार्जन किया जाना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, खरीफ विपणन वर्ष 2024- 25में दिनांक 11.03. 2025की स्थिति में 14. 79लाख मेट्रिक टन चावल का उपार्जन किया गया है, जिसमें से भारतीय खाद्य निगम में 4. 46 लाख मेट्रिक टन चावल एवं नागरिक आपूर्ति निगम में 10. 33लाख मेट्रिक टन चावल का उपार्जन किया जा चुका है। भारतीय खाद्य निगम में उपार्जित चावल को निरंतर रेलवे रेक के माध्यम से अन्य राज्यों को भेजा जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के द्वारा मोदी जी की गारंटी को पूरा करते हुये खरीफ विपणन वर्ष -202425 में प्रदेश के किसानों को धान की 3100/-रूपये प्रति क्विटंल के मान से राशि का भुगतान करते हुये कुल 46हजार 277करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है। राज्य शासन के

द्वारा समर्थन मूल्य एवं कृषक उन्नति योजना के तहत कृषकों को आदान सहायता राशि प्रदाय की जा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार भण्डारण क्षमता का विस्तार कर रही है, उक्त हेतु 300करोड़ रूपये राशि का भी बजट में प्रावधान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य शासन द्वारा धान के निराकरण को दृष्टिगत रखते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2024- 25में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान में से 40लाख मेट्रिक टन की सीमा तक अतिशेष धान की नीलामी के माध्यम से विक्रय किये जाने का निर्णय लिया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2020- 21में भी समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान में से 8. 96लाख टन धान की नीलामी के माध्यम से निराकरण किया गया था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, खरीफ विपणन वर्ष 2023- 24में केन्द्रीय पूल अंतर्गत 77. 63लाख मेट्रिक टन चावल उपार्जित किया गया, जो अब तक राज्य गठन के बाद उपार्जित चावल में से सर्वाधिक है। खरीफ विपणन वर्ष 2023- 24में चावल जमा हेतु शेष मात्रा लगभग 5. 30लाख मेट्रिक टन है, जो राज्य शासन के संज्ञान में है, जिसके निराकरण हेतु समुचित व्यवस्था की जा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना सही नही है कि सरकार द्वारा किसानों के श्रम की उपेक्षा कर शासन को आर्थिक क्षति पहुचाई जा रही है। अपितु, राज्य सरकार के द्वारा राज्य के किसानों के श्रम का सम्मान करते हुये उनके धान फसल की समर्थन मूल्य पर खरीदी और कृषि आदान सहायता भी प्रदाय की गयी, जिसमें 25. 49लाख किसानों को रूपये 3100/- प्रति क्विटंल प्रदाय किया गया। यह राज्य सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अतः प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की सुचारू व्यवस्था किये जाने एवं उपार्जित धान के निराकरण की समुचित व्यवस्था किये जाने के कारण किसानों में सरकार के प्रति किसी प्रकार का असंतोष व्याप्त नहीं है, बल्कि किसानों में हर्ष व्याप्त है और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है।

अध्यक्ष महोदय :- शासन का वक्तव्य तथा माननीय सदस्यों के।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कोई व्यवस्था दे, उसके पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि हम 40 लाख मीट्रिक टन धान खुले में बेचेंगे। दूसरा, आपने यह भी स्वीकार कर लिया कि पिछले वित्तीय वर्ष का 5.03 लाख मीट्रिक टन चावल शेष है। वह भी राज्य सरकार के संज्ञान में है। यदि 5.03 लाख मीट्रिक टन चावल का धान बनायेंगे तो वह 7-8 लाख मीट्रिक टन जायेगा। कुल मिलाकर 47-48 लाख मीट्रिक टन धान निराकृत नहीं हो रहा है। इसका सीधा भार राज्य सरकार पर पड़ेगा। हम यही कहना चाहते हैं कि जब सरकार ने

स्वयं स्वीकार कर लिया है तो इसमें चर्चा करायी जाये क्योंकि यह घाटा राज्य के कोष में ही होना है और छत्तीसगढ़ का घाटा मतलब छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता का नुकसान होगा। इस 8 हजार करोड़ में आप बहुत सारी योजनाएं संचालित कर सकते हैं। यह मामला पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष से आग्रह करना चाहता हूं कि इसे ग्राह्य करके चर्चा करायी जाये ताकि छत्तीसगढ़ सरकार को नुकसान न हो। यह छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता का सवाल है। मैं इसलिए ट्रेजरी बेंच से आग्रह करूंगा। यहां मुख्यमंत्री भी हैं और दोनों उपमुख्यमंत्री भी हैं। इसमें चर्चा करें और भारत सरकार से अनुरोध करें कि वह पूरा चावल खरीदे ताकि छत्तीसगढ़ जैसे उभरते हुए राज्य को नुकसान न हो। हम आपके माध्यम से ट्रेजरी बेंच से आग्रह करते हैं कि इस पर सदन में चर्चा हो।

अध्यक्ष महोदय :- शासन का वक्तव्य तथा माननीय सदस्यों के विचार सुनने के पश्चात मैं इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 8 हजार करोड़ रूपये का नुकसान हो रहा है। आप कह रहे हैं कि स्वीकार नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा ? महाराज, यह कैसे होगा ? (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा शासन विरोधी नारे लगाये गए)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, डबल इंजन फेल है। (व्यवधान)

समय:

12.17 बजे (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य शासन विरोधी नारे लगाते हुए गर्भगृह में आए)

श्री प्रबोध मिंज :- अध्यक्ष महोदय, दो से चार इंजन हो गये हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- भाइयों, डबल इंजन नहीं है। चार इंजन हैं।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में शासन विरोधी नारे लगाये गए)

समय:

12.19 बजे

गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की प्रक्रिया और कार्यसंचालन संबंधी नियमावली के नियम-250 के उप नियम (1) के तहत निम्न सदस्यों को अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं -

1. डॉ. चरणदास महंत
2. श्री भूपेश बघेल

3. श्रीमती अनिला भेंडिया
4. श्री उमेश पटेल
5. श्री लखेश्वर बघेल
6. श्री भोलाराम साहू
7. श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े
8. श्री रामकुमार यादव
9. श्री द्वारिकाधीश यादव
10. श्रीमती संगीता सिन्हा
11. श्री कुंवर सिंह निषाद
12. श्री देवेन्द्र यादव
13. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा
14. श्री इंद्रशाह मंडावी
15. श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी
16. श्री विक्रम मण्डावी
17. श्रीमती विद्यावती सिदार
18. श्री फूलसिंह राठिया
19. श्री अटल श्रीवास्तव
20. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
21. श्री व्यास कश्यप
22. श्री बालेश्वर साहू
23. श्रीमती शेषराज हरवंश
24. श्रीमती चातुरी नंद
25. श्री संदीप साहू
26. श्री इंद्र साव
27. श्री जनक ध्रुव
28. श्री ओंकार साहू
29. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल
30. श्रीमती कविता प्राण लहरे

अध्यक्ष महोदय :- कृपया निलंबित सदस्य सदन से बाहर जाएं। मैं निलंबन की अवधि का बाद में निर्धारण करूंगा।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य नारे लगाते हुए सदन से बाहर चले गए)

श्री अजय चन्द्राकर :- हमारा 4 इंजन है।

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कितने दिनों के लिए है? क्या आप लोग पूरे सत्र के लिए जा रहे हैं ?

समय
12.22 बजे

निलंबन समाप्ति की घोषणा

अध्यक्ष महोदय :- प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उप नियम (1) के तहत जो माननीय सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये थे, मैं उनका निलंबन समाप्त करता हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने तत्काल उनका निलंबन समाप्त कर दिया, लेकिन वह लोग तो आपसे जो Commitment करते हैं उसी में कायम नहीं रहते हैं। कभी छत्तीसगढ़ के इतिहास में तो इतना अविश्वशनीय विपक्ष नहीं हुआ है, पैदा नहीं लिया।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे ज्यादा दयालु, विनम्र अध्यक्ष उनको कहां मिलेगा ? अभी वह सदन के गेट से ठीक से बाहर नहीं गये।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित।

(12.23 से 12.38 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय
12.38 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

पृच्छा

अध्यक्ष महोदय :- ध्यानाकर्षण क्रमांक 1 श्री पुन्नूलाल मोहले।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पांईट ऑफ ऑर्डर है। जो विधान सभा में कार्यवाही होती है, यह विधान सभा की प्रापर्टी होती है और बिना विधान सभा की अनुमति के हम उसको कहीं पर भी शेयर नहीं कर सकते। लेकिन देखा यह गया है कि कई लोग जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, वह बजट भाषण को भी recording कर रहे हैं और recording करने के बाद अपने ऑफिशियल आई.डी. से उसको शेयर कर रहे हैं और जहां तक मुझे लगता है कि विधान सभा से इसकी अनुमति नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि इसमें आप व्यवस्था दें ताकि सभी सदस्य उसका पालन कर सकें।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसी में आपकी व्यवस्था देने के पहले व्यवस्था के प्रश्न पर बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप भी इसी में बोल लीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, अभी तक इसमें नियम क्या हैं, निर्देश क्या हैं, यह तो आप व्यवस्था में बतायेंगे। पर यह प्रश्नकाल का प्रसारण हमारे समय में ही शुरू हुआ था। हम देश में इतना खुलापन आ गया है, व्यवस्थाओं में इतना खुलापन आ गया है, राज्यसभा, लोकसभा की टी.व्ही. दिन भर चलती है। अब वह समय आ गया है, चूंकि व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। आपसे आग्रह है कि एक कदम आगे बढ़कर विधान सभा से दिन भर का प्रसारण हो तो लोग अपने जनप्रतिनिधियों के बारे में जानें, सुनें। मेरा यह आग्रह है कि आप ऐसी व्यवस्था दे दीजिए। आपके कार्यकाल में एक बहुत अच्छा कदम हो जायेगा।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से आज के समय में जनता की भी रूचि रहती है कि सदन के अंदर क्या हो रहा है, सभी घटनाओं को वह जान सके, देख सकें । जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा की बात आयी कि दिनभर का प्रसारण होता है । अभी यदि यहां विधानसभा सत्र को भी पूर्ण प्रसारण किया जायेगा तो निश्चित रूप से जनता को भी खुशी होगी और हम लोग भी और मजबूती से जनता की बातों को रख पायेंगे ।

समय

12:40 बजे

अध्यक्षीय व्यवस्था

विधान सभा के प्रश्नकाल के अतिरिक्त दूसरे प्रकार के जितने भी बिजनेस चलते हैं उसकी वीडियोग्राफी नहीं हो सकती, उसका सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जा सकता ।

अध्यक्ष महोदय :- इसमें स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था है और उसका पालन हम सबको करना चाहिए और करना कानून के तहत् भी है कि विधानसभा की प्रक्रिया और नियम के अनुसार केवल प्रश्नकाल को हम सार्वजनिक करते हैं और यह पब्लिक डोमेन में जाता है । प्रश्नकाल के अतिरिक्त जिस विषय पर यहां पर यह परम्परा और प्रक्रिया शुरू हुई है कि उसके समाचार बनाकर अलग-अलग क्षेत्रों में व्हाट्सएप्प ग्रुप में बाकी जारी करते हैं यह सर्वथा अनुचित है । मैं सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा कि इस प्रकार के जो छत्तीसगढ़ विधानसभा में जिस चीज की छूट नहीं है उसका पालन सबको करना चाहिए और विधानसभा में प्रश्नकाल में जो आ रहा है उसको आप अपने सोशल मीडिया में डाल सकते हैं उसके अतिरिक्त डालना उचित नहीं है और इसके लिये सभी सदस्य आगे के लिये इसकी जानकारी रखें । (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी वह तो स्वीकार है लेकिन मैं यह सोच रहा था कि मैंने जो आग्रह किया, एक और सदस्य ने आग्रह किया उस पर भी आपसे विचार करने का आग्रह है कि हम एक कदम आगे बढ़ें । चूंकि यह विषय चल रहा है तो आप इसमें भी कुछ अपनी व्यवस्था दे देते तो अच्छा रहता ।

अध्यक्ष महोदय :- आप बड़े सीनियर सदस्य हैं, वीडियो के माध्यम से प्रसारण कितना और कब किया जाये, कैसे किया जाये । यह एक मान्य परम्परा है और इसका पालन हम सब कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी मध्यप्रदेश के साथ और हिंदुस्तान की अधिकांश विधानसभाओं में यह प्रक्रिया है और इसलिये मैं कहता हूं कि जब तक विधान सभा के प्रश्नकाल के अतिरिक्त दूसरे प्रकार के जितने भी हमारे यहां पर बिजनेस चलते हैं उसकी वीडियोग्राफी नहीं हो सकती, उसको सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जा सकता । इसकी सभी सदस्यों को एक-बार फिर से लिखित में इसकी सूचना मैं एक व्यवस्था के तहत् ही और भिजवा दूंगा ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे दिनभर के प्रसारण के लिये आग्रह किया था कि कार्यवाही को दिनभर ओपन कर दिया जाये करके ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आदेश सिर आंखों पर है । बिल्कुल अगर कोई होता है तो उसको रोका जाना चाहिए, आपका आदेश सर्वोपरि है । हम सब अपनी तरफ से आपके समक्ष विचार के लिये एक आग्रह रख रहे हैं कि जैसे पार्लियामेंट में दिनभर लाईव होता है तो उसको लोग देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं, कुछ सीखते भी हैं, कुछ समझते भी हैं । यहां का भी थोड़ा करिए न तो इन लोगों को भी थोड़ा ठीक-ठीक से ये लोग कंट्रोल में रहेंगे ।

श्री उमेश पटेल :- यह क्या है ?

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लाईव रहेगा न तो ये लोग भी थोड़ा सा अतिमर्यादित रहेंगे ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपत्तिजनक है कि यह ईशारा करके केवल हम लोगों को ही क्यों दिखा रहे हैं ? आप अपने मंत्रियों को देखिये कि क्या जवाब दे रहे हैं ? लिखते कुछ और जवाब हैं, बोलते कुछ और जवाब हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपने मेरी बात को पूरा नहीं सुना है । (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ईशारा करके बताना ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोद, ये मर्यादित रहेंगे और इधर भी जो मंत्री जी कृपा करके जवाब नहीं दे पा रहे थे या नहीं दे पायेंगे वे भी ठीक से जवाब देंगे । (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- नहीं-नहीं, अजय जी आप यह जो ईशारा करके बता रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- अरे भई, उधर कोई पक्की जगह थोड़ी न है ।

श्री उमेश पटेल :- क्या पक्की जगह ? आप सीधा-सीधा, साफ-साफ ईशारा कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- अरे भई, मैं इधर भी तो मंत्री जी की तरफ भी कर रहा हूं । मैं मंत्री की तरफ भी कर रहा हूं, पूरी बात तो हुई नहीं थी ।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ण प्रसारण कर दीजिये ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

श्री धर्मजीत सिंह :- उसमें रामकुमार जी रोज बढ़िया दिखेंगे ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ठीक कहत हओ । हमूं मन मांग करत हन कि प्रसारण हा दिखना चाहिए लेकिन एक बात याद रखिहा कि अगर प्रसारण कर दिही न ता तुंहर पोल के ढ़ोल खुल जही । (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रियों की उपस्थिति नहीं रहती है कम से कम सब लोग...।

श्री रामकुमार यादव :- काबर कि अभी एक घंटा में तो तुंहर हाथ-पांव फूल जात हे ता तुमन दिनभर में कईसे करिहा ?

अध्यक्ष महोदय :- वर्तमान में व्यवस्था नियम और प्रक्रिया के तहत् ही, प्रावधानों के तहत् ही करेंगे । भविष्य में क्या करना है, कभी चर्चा होगी तो उस चर्चा को आगे बढ़ायेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रसंग आया इसलिये मैंने कहा । मैंने आपसे आग्रह करने की हिमाकत की कि आप विचार कर लीजिये ।

अध्यक्ष महोदय :- लेकिन क्या होगा कि जब आप यहां इशारा करते हैं, वह पब्लिक के बीच ईशारा पहुंच जायेगा । वह बड़ा खतरनाक होगा । (हंसी)

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है । उसे पूरा सदन स्वीकार कर रहा है । हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि अब नयी विधान सभा जा रहे हैं, नये कलेवर में जाएंगे, पूरे नये परिवेश में जाएंगे। तब तक लिए हम सबको सदन के तमाम सभी सदस्यों को एकाध वर्ग चला कर बढ़िया सभी चीज को अपडेट कर दिया जाए, जिससे कि हम जब नयी विधान सभा के भवन में हम प्रवेश करेंगे तो यहां आप जो भी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि समय के अनुसार, हम सबको भी अपडेट होना चाहिए और उसकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। यह निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, ठीक है। मेरा माननीय मंत्रिगण, माननीय सभी सदस्य सहित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों से पुनश्च अनुरोध है कि सभा के नियम, परंपरा और समय-

समय पर पत्रक के माध्यम से जारी दिशा-निर्देश का पालन सुनिश्चित करते हुए सभा में मोबाइल अथवा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के उपयोग के निषेध सहित सभा भवन के परिसर में विभिन्न कक्षों में स्थापित सी.सी.टी.वी. के माध्यम से टी.वी. में प्रसारित कार्यवाही को गोपनीय बनाए रखने का अपना दायित्व तद्नुसार सुनिश्चित करें। मैं अपेक्षा करता हूं कि भविष्य में इस बात की पुनरावृत्ति नहीं होगी। (मेजों की थपथपाहट) ध्यानाकर्षण सूचना, श्री पुन्नूलाल मोहले जी। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 2, इंद्र साव जी।

समय :
12.46 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

(ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 1 के प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्य श्री पुन्नूलाल मोहले की अनुपस्थित के कारण सूचना प्रस्तुत नहीं हुई)

(2) विकासखण्ड दुलदुला अंतर्गत ग्राम छेरडांड़ से कस्तुरा जामपानी तक प्रधानमंत्री सड़क अत्यंत जर्जर होना।

श्री इंद्र साव (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है : -

यह बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि यह माननीय मुख्यमंत्री जी की विधान सभा क्षेत्र कुनकुरी, विकासखण्ड दुलदुला अंतर्गत ग्राम छेरडांड़ से कस्तुरा जामपानी तक प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत लगभग 18 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है। इस सड़क पर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग विकासखण्ड मुख्यालय, तहसील कार्यालय. अस्पताल शिक्षण संस्थाओं, दैनिक बाजार एवं जिला मुख्यालय आने-जाने हेतु उपयोग करते हैं। वर्तमान स्थिति में यह सड़क जर्जर हो गयी है, जगह- जगह गड्ढे हो गये हैं, जिससे आये दिन लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। इस रास्ते पर चलना दुभर हो गया है। सड़क की मरम्मत के लिये ग्रामीणों द्वारा शासन-प्रशासन से बार-बार निवेदन किया गया, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विभाग के अधिकारियों की उदासीनता के कारण आमजनों में शासन-प्रशासन के प्रति भारी रोष एवं आकोश व्याप्त है।

गृह मंत्री (श्री विजय शर्मा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना सत्य है कि विधानसभा क्षेत्र कुनकुरी, विकासखण्ड दुलदुला अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जामपानी से दुलदुला लम्बाई 17.22 कि.मी. सड़क का निर्माण वर्ष 2010 को पूर्ण किया गया था जिसके अंतर्गत ग्राम छेरडांड एवं कस्तुरा आता है। इस सड़क पर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग विकासखण्ड मुख्यालय, तहसील कार्यालय अस्पताल शिक्षण संस्थाओं, दैनिक बाजार एवं जिला मुख्यालय आने-जाने हेतु उपयोग करते हैं एवं

वर्तमान में सड़क में आवागमन हो रहा है, किन्तु सड़क मरम्मत की आवश्यकता है। जामपानी से दुलदुला सड़क के पूर्णता पश्चात् सड़क की प्रथम नवीनीकरण वर्ष 2016-17 में स्वीकृत थी, जिसकी पूर्णता तिथि 27.04.2017 थी। 5 वर्ष संधारण अवधि पूर्णता तिथि 27.04.2022 तक थी। प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत जामपानी से दुलदुला मार्ग लम्बाई 17.22 कि.मी. की द्वितीय सुदृढ़ीकरण/नवीनीकरण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति विभागीय आदेश दिनांक 04.12.2024 द्वारा प्रदान की गई है, जिसकी निविदा प्रक्रियाधीन है।

जामपानी से दुलदुला मार्ग लम्बाई 17.22 कि.मी. की निविदा कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् स्वीकृति उपरान्त मार्ग का सुदृढ़ीकरण/नवीनीकरण कार्य शीघ्र प्रारंभ कर पूर्ण कराया जायेगा।

अतः यह कहना सत्य नहीं है कि सड़क मरम्मत के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की उदासीनता बरती गई है एवं आम जनता में सरकार के प्रति भारी रोष व्याप्त है।

अध्यक्ष महोदय :- इंद्र साव जी, प्रश्न करिए।

श्री इंद्र साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है कि मेरी विधान सभा में तो कार्य नहीं होगा, इसलिए कि मैं कांग्रेस का विधायक हूं। कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी की विधान सभा का तो विशेष ख्याल रखा जाए, क्योंकि यह जो मार्ग है, 15 वर्ष पूर्व बनाया गया था और बड़े-बड़े गड्ढे हैं तथा चलने लायक स्थिति में नहीं है। ऐसा विलंब होना और माननीय मंत्री जी के द्वारा जो जवाब दिया गया है, सिर्फ जवाब ही पर्याप्त नहीं है, मैं चाहता हूं कि उस पर अविलंब कार्रवाई करके समस्या का निदान करेंगे।

श्री विजय शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत स्पष्ट है । माननीय सदस्य किसी भी राजनीतिक दल से हों, उनका काम नहीं होगा यह बिल्कुल अनुचित है । वे अपने क्षेत्र के विकास की कार्ययोजना बनाएं, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में कहीं यह भेदभाव नहीं होने वाला है, पालनहारी सरकार है । इस विशेष रोड के संदर्भ में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के विधान सभा क्षेत्र का है, जिसके संदर्भ में माननीय सदस्य ने कहा है इसका निर्माण कार्य 5 करोड़ की लागत से 2010 में हुआ था । प्रथम नवीनीकरण का कार्य 1 करोड़, 37 लाख की लागत से 2016-17 में हुआ था, द्वितीय नवीनीकरण का कार्य 4 करोड़, 19 लाख की लागत से 4 दिसम्बर, 2024 को हुआ है और इसकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास अभिकरण की कार्यकारिणी की 143 वीं बैठक मार्च महीने में हुई है, इसमें इसकी अनुमति भी हुई है । इसका काम अब शुरू हो जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, काम शुरू हो जाएगा, मंत्री जी ने कह दिया ।

श्री इंद्र साव :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, आप लोगों के अधिकारियों की इसी उदासीनता के कारण पूरे प्रदेश में नगरीय निकाय का चुनाव आप लोग जैसे भी जीत गए लेकिन कुनकुरी इसीलिए हारे हो । मैं चाहता हूं कि कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी का तो ख्याल रखा करें ।

अध्यक्ष महोदय :- मुख्यमंत्री जी इनका ख्याल रखेंगे ।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सदस्य, माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत चिंता कर रहे हैं, यह बड़ी प्रसन्नता का विषय है । मैं आपसे वही कह रहा हूं कि इसका प्रथम नवीनीकरण हो चुका, पांच साल का संधारण हो चुका । द्वितीय नवीनीकरण का भी टेंडर हो चुका, काम शुरू करना बाकी है ।

समय
12.02 बजे

नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जाएंगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जाएगा :-

1. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
2. श्री पुन्नूलाल मोहले
3. श्रीमती अंबिका मरकाम
4. श्रीमती चातुरी नंद
5. श्री रामकुमार यादव

समय
12.03 बजे

वित्तीय वर्ष 2025-2026 की अनुदान मांगों पर चर्चा

(1) मांग संख्या 11 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या 18 श्रम

उद्योग मंत्री (श्री लखनलाल देवांगन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या - 11 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय के लिए - सात सौ नौ करोड़, सत्तासी लाख रूपए तथा

मांग संख्या - 18 श्रम के लिए - दो सौ पचपन करोड़, इकतीस लाख, नौ हजार तक की राशि दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे । कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है । प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ

उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जाएंगे ।

मांग संख्या - 11

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय

श्री लखेश्वर बघेल 3

मांग संख्या - 18

श्रम

श्री लखेश्वर बघेल 4

अध्यक्ष महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए, अब मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ चर्चा होगी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आपने कटौती प्रस्ताव पर नाम पुकारा तो इनमें से किसी ने हाथ नहीं उठाया है । ये लोग चर्चा में भाग लेंगे या नहीं ? एक ने भी हाथ नहीं उठाया और न ही उपस्थित हैं, बहिष्कार में हैं या अंदर में हैं, इनका अता-पता नहीं, इनको खुद नहीं मालूम ये क्यों अंदर हैं या वे लोग क्यों बाहर हैं ? ये व्यवस्था आप दे दीजिए कि बगैर हाथ उठाए ये लोग चर्चा में भाग लेंगे या नहीं ।

अध्यक्ष महोदय :- मौन सहमति है । चलिए दलेश्वर जी ।

श्री अजय चंद्राकर :- दलेश्वर जी, आपका तो कटौती प्रस्ताव ही नहीं था। आप क्यों बोल रहे हैं ? आप समर्थन में बोलिए, आपने इसमें कटौती प्रस्ताव नहीं दी है।

श्री दलेश्वर साहू :- आपने इतनी जल्दी सुन जी।

श्री अजय चंद्राकर :- सवाल ही पैदा नहीं होता, व्यवस्था में आया है।

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- आपको सुनने में थोड़ी सी समस्या है। मैं वित्तीय वर्ष 2025-26 की अनुदान मांगों पर मांग संख्या 11, 18 के विरोध में अपनी बात रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में वाणिज्य एवं उद्योग सार्वजनिक उपक्रम विभाग की मध्य, वृहद और लघु उद्योग द्वारा एक रोजगार मुहैया कराने की विशेष जिम्मेदारी है। इसमें स्टैंड-अप इंडिया योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना, उन्नयन योजना, छत्तीसगढ़ स्टार्ट-अप योजना, ऐसी बहुत सारी

योजनाएं हैं जिसमें माननीय मंत्री के द्वारा बजट का प्रावधान है। मेरा कहना है कि छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न उद्योगों, कंपनियों के द्वारा कुल 218 MOU निष्पादन किया गया है जिसमें कुल प्रस्तावित पूंजी निवेश 1 लाख 27 हजार 922 करोड़ 54 लाख है। जब हम लोग कंपनी उद्योग के साथ MOU कराते हैं, इसमें श्रम विभाग और उद्योग नीति की नियम कानून रहती है। हम लोग नियमावली से बंधे हुए रहते हैं लेकिन दुर्भाग्य है कि उद्योग वाले उस नियम कानून को दरकिनार करते हैं। हमारा विभागीय दायित्व बनता है कि हम समय-समय में जाकर उनका निरीक्षण करें। अगर कहीं शिकायत हो तो नियमित रूप से निरीक्षण करें, चाहे वह किसी भी प्रदूषण का मामला हो, विभाग उसका निरीक्षण करें। विभाग वाले जाकर उसको क्लीनचिट देकर वापस आ जाते हैं।

समय :

12.58 बजे

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, उद्योग विभाग ने MOU के आधार पर अपना अनुदान दे दिया। कंपनियों द्वारा उद्योग निर्माणाधीन है, कुछ कंपनी पेंडिंग है, कुछ उद्योग बंद पड़े हुए हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, हम लोगों की उद्योग के साथ नियम शर्त रहती हैं लेकिन जिस ढंग से मजदूरों को विधिवत पेमेंट मिलना चाहिए, उनकी सुरक्षा के लिए जो दिशा निर्देश है, शायद हम उस पर असफल होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में 1 जनवरी, 2024 से 31 जनवरी 2024 तक 171 औद्योगिक दुर्घटनाएं हुई हैं जिसमें 124 श्रमिकों की मृत्यु और 86 श्रमिक घायल हुए हैं। औद्योगिक इकाई की श्रमिक की सुरक्षा हेतु ऑडिट एवं निरीक्षण करने का प्रावधान है।

श्री राजेश मूणत :- दलेश्वर भाई, ये श्रम विभाग में आता है, हम उद्योग विभाग में चर्चा कर रहे हैं। सेफ्टी का जो मामला आता है, वह श्रम विभाग में आता है।

श्री दलेश्वर साहू :- मैंने दुर्घटना के बारे में बताया।

श्री राजेश मूणत :- सेफ्टी का मामला जो आता है, वह श्रम विभाग में आता है। अगर उद्योग के विषय पर चर्चा करना है तो उद्योग पर चर्चा, निवेश पर चर्चा तथा आपके क्षेत्र में औद्योगिक नीति के ऊपर चर्चा होती है। जब श्रम विभाग की चर्चा होगी।

समय :

1.00 बजे

सभापति महोदय :- मूणत जी, आप रहने दीजिए। दलेश्वर जी, आप बोलिये।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, जब भी उद्योग लगता है तो हमें श्रम विभाग के नियम-कानून का पालन करना पड़ता है।

सभापति महोदय :- दलेश्वर जी, आप केवल अपना भाषण दीजिए। देखिये, आज 4 विभागों पर चर्चा होनी है, इसलिए आप जल्दी-जल्दी बोलिये।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, आद्योगिक इकाई में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा के लिए समय-समय पर ऑडिट निरीक्षण का प्रावधान है। वर्तमान में सेफ्टी ऑडिट, खतरनाक श्रेणी-एम.ए.एच. के कारखानों के लिए निरीक्षण पर जाने का प्रावधान है। कारखानों का निरीक्षण, वर्ष 2017 से इज ऑफ इस्ट बिजनेस नीति के अनुसार रेण्डम प्राप्त होने पर निरीक्षण और जांच किया जाता है। कारखाना अधिनियम, जिस पर हमारे पूर्व मंत्री जी बात कर रहे थे। कारखाना अधिनियम-1948 के प्रावधान के अनुसार कारखाना के अधिभोगी एवं कारखाना प्रबंधक उत्तरदायी होते हैं। यदि हम लोगों ने समय में सेफ्टी ऑडिट इंसपेक्शन जांच की होती, कारखाना अधिनियम-1948 का पालन किये होते, नियमावली-1962, विस्फोटक नियम-208, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986, इंडियन बायलर एक्ट-1923 तथा संविदा श्रमिक अधिनियम-1970 के अंतर्गत अगर हम सजग प्रहरी की तरह इस नियम का पालन करते तो शायद किसी के परिवार का एक हिस्सा खोने की नौबत नहीं आती। 128 लोगों की मृत्यु हुई। यदि अब हम नियम-कानून के तहत उसकी टीप देखे तो उसकी टीप में कोई सही पाया गया, उसकी नियमावली के तहत जो भी प्रावधान हैं, वह लिखकर आ जाता है। ठीक है, हमने इतने लोगों को खो दिया, परंतु जो कारखाना मालिक हैं, उनके खिलाफ हम अभी तक जांच नहीं कर पाये हैं और उनके खिलाफ केवल धारा लगा दी गई है। एक कारखाने के विरूद्ध पुलिस चौकी-करण्डा, थाना-बेरला, कारखाना-स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड के पदाधिकारी श्री अवध जैन एवं अन्य के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज होती है, परंतु आज भी उसकी विवेचना जारी है। मैं ऐसा मानता हूं कि सिर्फ विभाग की लापरवाही की वजह से ही यह घटनाक्रम घटित हुआ है। यदि ये लोग नियम-कानून के तहत समय-समय काम करते, परंतु जो कानून व नियमावली है। चाहे किसी भी नियम के तहत यदि हम थोड़ा सा भी स्ट्रीक्ट हो जाये तो उद्योग चलाने वाले ये जो उद्योगपति हैं, उनको कम से कम समय-समय पर अपनी मशीनों और मजदूरों के लिए कार्य करना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं। प्रदेश की औद्योगिक सुरक्षा हेतु कारखाना अधिनियम के अतिक्रमण के 191 कारखानों को दोषी पाया गया। आपने उनको दोषी भी पा लिया, परंतु आपने क्या किया ? यदि आप कहीं न कहीं उन पर कार्रवाई करते तो आगे भविष्य के जो घटनाक्रम हैं, उन दुर्घटना होने की संभावनाओं को रोक देते तो यह इतनी बड़ी घटना बढ़ती भी नहीं। जहां तक आप उद्योग चला रहे हैं तो चलाने वाले उद्योग चला भी रहे हैं। हम समय पर अपनी ऑडिट करके आ जाते हैं और सारे नियमों का पालन कर लेते हैं, परंतु यदि किसी के घर में घटना घटी है और किसी ने अपना परिवार खोया है तो उस पर हमारा क्या प्रयास है ? माननीय सभापति महोदय, अब श्रम विभाग का रोल आता है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम-1923 तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम-1998।

सभापति महोदय :- सुनिये न, आप श्रम विभाग को इसमें मत डालिये। मंत्री जी का वाणिज्य एवं उद्योग विभाग है।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, ये दोनों विभाग हैं।

सभापति महोदय :- क्या श्रम विभाग इनके में है ?

श्री दलेश्वर साहू :- जी, सभापति महोदय, इनके पास श्रम विभाग भी है।

सभाति महोदय :- ठीक है।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, यह मूणत जी ने जो कन्फ्यूज पैदा किया है, उसके चलते आप भी कन्फ्यूज हो गये।

सभाति महोदय :- नहीं-नहीं, ठीक है। उसमें लिखा नहीं है।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, श्रम और उद्योग का एक स्पेशल नाता है। यदि आप सारी गाइड लाइन व नियमों को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक भी उद्योगपति अपने उद्योग को नहीं चला सकता, परंतु कहीं न कहीं हम व्यावहारिक दृष्टिकोण से चलाते हैं। मेरे यहां लगभग-लगभग हर विधान सभा में एबीस कंपनी का बहुत बड़ा उद्योग है। उसने कुछ नियम-प्रक्रियाओं से हटकर काम कर लिया था तो पूरी लाइनें कट गई थीं।

श्री राजेश मूणत :- आपके तो उनके साथ सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, वहां हमारे यहां के लोग मजदूर के रूप में काम करते हैं। गांव वाले बोले कि भईया इतने दिनों से कम्पनी बंद है। यदि कम्पनी बंद हो जायेगा तो हम लोग कैसे जीयेंगे ? हमारे जीवकोपार्जन का साधन ही यह कम्पनी है। फिर व्यवहारिक दृष्टिकोण से उसको lineup किया, रास्ता बनाया। निश्चित रूप से उद्योग खुलना हमारे लिए कितना जरूरी है, वह समझ में आता है। उसमे रेशियो रहता है कि जब आप उद्योग लगायेंगे तो कितने प्रतिशत प्रभावित क्षेत्र के लोगों को काम के लिए रखेंगे। अभी मेरे इलाके में 5 सौ करोड़ रूपये का एक माडल बना हुआ है। जब उर्जा विभाग का प्रस्ताव आया था तो मुझे लगा कि मेरे इलाके के लोग, कुछ गरीब तबके के लोगों के जीवकोपार्जन का साधन बनेगा। एक विधायक होने के नाते साढ़े 6 हजार एकड़ जमीन उपलब्ध कराना कितनी टेढ़ी खीर होगा, आप समझ सकते हैं। परन्तु प्रस्ताव में लिखा था कि यह पूरे प्रदेश का एक माडल होगा। तो हमने lineup किया, कोशिश की कि कहां-कहां पहाड़ी एरिया है, लोग बहुत इंतजार कर रहे थे कि जब यह माडल चालू होगा तो हमारे क्षेत्र के गरीब तबके के लोग अपना जीवको पार्जन करेंगे और सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। वह बनकर तैयार हो गया है और उत्पादन चालू हो गया है।

माननीय सभापति महोदय, प्लेसमेंट के माध्यम से अलग-अलग दिशा में काम करने के लिए भर्ती करते हैं। परन्तु वित्त विभाग की अनुमति के बिना प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से किसी को नौकरी देते हैं, सुरक्षा और संचालन के लिए नौकरी देते हैं तो न तो विभाग का उस पर नियंत्रण रहता है, न ही

उस पर वित्त विभाग का नियंत्रण रहता है और न ही श्रम विभाग का नियंत्रण रहता है। वहां पर केन्द्र सरकार का 5 सौ करोड़ रूपये का इनवेस्टमेंट हुआ है। जब हम किसी को कहते हैं कि एकाध लोग को सुरक्षाकर्मी के रूप में या मजदूर के रूप में नौकरी में लगा लो,तो नौकरी पर नहीं रखते हैं। चूंकि मैं अभी निरीक्षण नहीं किया हूं। यह नियम है कि जहां उद्योग लगता है वहां के लोगो की जमीन उस उद्योग के लिए जाता है, उसमें उन लोगों को नौकरी के रूप में प्राथमिकता देने का प्रावधान है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जाऊंगा फिर वहां से आकर आपसे लड़ाई लड़ूंगा। मैं तो अभी गया नहीं हूं, देखा नहीं हूं। मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में साढ़े छः हजार एकड़ जमीन में एक माडल बना हुआ है। आदमी नौकरी की अपेक्षा लेकर अपनी जमीन देता है। सभापति महोदय, मुझसे भी चूंक हुई है। क्या होता है कि गांव के इलाके में गौठान के आधिपत्य के कारण उस जमीन को गौठान के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं कराये रहते हैं, न ही किसी खेल मैदान को गौठान के नाम से दर्ज कराया होता है। हमने देखा कि इतना जमीन तो खाली पड़ा हुआ है और जिनको आपत्ति करने के लिए तहसील कार्यालय जाना था, वे नहीं गए। लगभग-लगभग ढाई सौ एकड़ जमीन मूल उपयोगी का था, जो जीवकोपार्जन का साधन था, गांव के बच्चों का खेल मैदान, गौठान, श्मशान घाट था, पूरी जमीन उनका कब्जे में हो गया है। चूंकि मैं उद्योग लगाने हेतु जमीन दिलाने में प्रतिनिधित्व किया था इसलिए मुझे उनका आक्रोश भी झेलना पड़ा। उनका कहा था कि जब आपने इतना बड़ा उद्योग खुलवाने में आगे रहे हैं तो आप एक भी आदमी को नौकरी में नहीं लगवा पा रहे हो ? तो कभी-कभी हम लोगों की चूंक हो जाती है। मैं तो सारे विधायकों से कहना चाहूंगा कि आज भी जहां-जहां गांव में जमीन है, जिसको हम लोग विगत वर्षों से, अपने पूर्वजों के माध्यम से अपनी जमीन जैसे श्मशान घाट है, खेल मैदान है, कम से कम उस जमीन को ग्राम पंचायत के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लें, यह मेरा निजी अनुभव है। अगर मैं धोखा नहीं खाता तो शायद मैं इस अनुभव को कहने में सक्षम नहीं होता। परन्तु दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा उद्योग लगने के बाद भी बाहर के लोग नौकरी कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र के कुछ लोग वहां नौकरी पर हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि 100 प्रतिशत लोग वहां के गरीब तबके के लोग, हमारे विधान सभा क्षेत्र के लोग, जिसका जमीन गया है, जहां का गौठान गया है, जहां का खेल मैदान गया है, जहां का चारागाह गया है, वहां के लोगों को नौकरी मिलना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 अथवा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत मुआवजा देने का प्रावधान है, लेकिन आज भी ऐसे कई लोगों का मुआवजा पेंडिंग है। इसकी समीक्षा करने की जरूरत है। हम उनको मुआवजा नहीं दे पा रहे हैं। उनको लाभ होने के लिए हमारे पास प्रावधानित राशि है, लेकिन हम उनको यह राशि नहीं दे पा रहे हैं, यह हमारे लिए दुर्भाग्यजनक है।

सभापति महोदय :- अब समाप्त करिये।

श्री दलेश्वर साहू :- एक मिनट। सभापति महोदय, प्रदेश में सामूहिक रूप से रोजगार प्राप्त असंगठित कृषि कार्य श्रमिकों का पलायन रोकने हेतु शासन द्वारा पूर्वकालिक रोजगार प्रदान करने हेतु हम लोग उद्योग से अपेक्षा करते हैं, लेकिन मनरेगा ही एक ऐसी योजना है, जिसके तहत 100 दिवस, 50 दिवस का रोजगार मुहैया कराने के ही बलौदत आज हमारा सिस्टम चल रहा है। मैं आपको छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि की अद्यतन स्थिति बताना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि इतना शानदार निधि है। सभापति महोदय, मेरे पास एक निर्दलीय विधायक मेरे बाजू में बैठा था। मैं दो निर्दलीय विधायकों के बीच में बैठा था तो मैं उनसे पूछता था कि आप चुनाव कैसे जीत गये? वह बोलते थे कि मैंने श्रम योजना को पकड़ लिया है। उन्होंने बताया और अब शायद वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ और जैसे ही वह शामिल हुआ तो उनकी दुगिर्त भी हो गयी। उन्होंने कहा कि मैंने श्रम विभाग के ही माध्यम से चुनाव लड़ा है और जीता है। मुझे न कांग्रेस से नाता रहा, न मुझे बी.जे.पी. से नाता रहा। एक श्रम विभाग ऐसा विभाग है, जो सायकल, सिलाई मशीन से लेकर सारे लोग, जिन्होंने श्रम विभाग को बनाया होगा। पिछले समय डॉ. रमन सिंह हमारे इलाके का अध्यक्ष रहे हैं।

सभापति महोदय :- दलेश्वर जी, आप 15 मिनट से ऊपर बोल चुके हैं। प्लीज, खत्म करिये।

श्री दलेश्वर साहू :- मैंने विधान सभा में प्रश्न लगाया कि श्रम विभाग के पैसे का कहां-कहां पर कितना प्रतिशत उपयोग हुआ है? हम लोग ले-देकर चुनाव जीत गये और जब हमने प्रश्न लगाया तो पता चला कि श्रम विभाग 85 प्रतिशत पैसा पूरे राजनांदगांव विधान सभा क्षेत्र में खर्चा करता है। हमने अच्छे मतों से चुनाव जीता। श्रम विभाग को महत्व देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए।

सभापति महोदय :- ठीक है। अब समाप्त कर दीजिये।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, एक मिनट। मैं थोड़ा सा फिगर बता देता हूं।

सभापति महोदय :- जी-जी। बहुत जल्दी बताईये।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, हितग्राहियों की संख्या 9 लाख हैं। पहले मैं बजट बता देता हूं। हमारे पास 28 करोड़ 43 लाख 3 हजार रूपये रखा हुआ है, जिसको हम आज भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं। 4,73,375 खर्च किया है। 14 करोड़ 25 लाख 68 हजार 682 रूपये हमारा पेंडिंग है, इसको बोलने दीजिये। जब आपके पास पैसा है और इस पैसा को श्रमिक लोगों के लिए खर्चा करना है, जिसमें खेल-कूद, सामुदायिक आवश्यकताएं, मनोरंजन एवं स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं आदि शामिल है। हमारे पास 9 लाख हितग्राहियों की लक्ष्य संख्या है, लेकिन आपने 4 लाख 26 हजार हितग्राहियों को ही पैसा दे पाया है। अभी मार्च महीना चल रहा है। आप खर्चा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपने बजट में इतना पैसा जोड़ दिया है, यह जोड़ दिया, वह जोड़ दिया करके यहां से वीडियो रिकॉडिंग करके प्रसारित करते हैं। शायद हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने इसे आपत्ति में लिया था। आप पैसे को खर्च नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास

28 करोड़ 43 लाख रूपये बचा हुआ है। श्रमिकों एवं कर्मचारियों की भविष्य निधि, पी.एफ., आई.एस., आई.एस. की सुविधा ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, दलेश्वर साहू जी को पर्याप्त समय दिया जाये । वह अकेले वक्ता हैं, इधर तो वक्ता ही नहीं है । महिलायें उधर बैठकर चारी-चुगली कर रही हैं । अकेले वक्ता हैं, जितने देर तक बोलना है, उनको बोलने दिया जाये । 5 महिलायें हैं, पांचों चारी-चुगली में व्यस्त हैं ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय सभापति महोदय, महिलाओं की चारी-चुगली को यह क्यों सुनते हैं, बताईये ?

श्री दलेश्वर साहू :- इनका पूरा ध्यान महिलाओं की तरफ ही रहता है ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- उधर ही रहता है ।

डॉ.चरणदास महंत :- यह उन वर्ग से हैं, जिसमें अर्द्धनारीश्वर लोग आते हैं, प्रणाम । (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या है, इस सत्र को माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, पिकनिक टाईप ले रहे हैं । कल भी नहीं थे । इन लोगों को पूरी निष्ठा बदल गई है। यहां से सीधा भिलाई चल दिये । कल दिखा कि आपके प्रति एक सदस्य की निष्ठा नहीं थी ।

डॉ.चरणदास महंत :- जी, मैं कल मेरे गांव में था, वहां बड़ी मुश्किल से तो नगर पंचायत में जीते हैं । हुजूरेआला, मैं शपथ दिलाने गया था । मैंने कहा कि आप सब लोग इधर जाओ । मेरे निष्ठा का सवाल नहीं है...।

श्री अजय चन्द्राकर :- इन लोगों ने आपके प्रति निष्ठा नहीं दिखाई । मेरे निर्देश पर ही गये थे । आपको चिन्ता करने की जरूरत नहीं है ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- हम लोग आदेश का पालन करते हुये गये ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :-हमको आदेश मिला था, हम उसका पालन करते हुये गये । इनका संरक्षण था ।

श्री अजय चन्द्राकर :- कुछ नहीं था, हम लोगों ने भी देखा है । आप लोगों की निष्ठा नेता प्रतिपक्ष के प्रति नहीं है ।

सभापति महोदय :- श्री दलेश्वर साहू जी । समापन करिये ।

श्री दलेश्वर साहू :- यह आखिरी है, बस लास्ट है । सभापति महोदय, मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर मंथली सीजन टिकट कार्ययोजना एक अच्छी योजना है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपको बोला, आप बढ़िया योजना बोले हैं ना ? चूँकि कटौती प्रस्ताव आप दिये नहीं हो, आप इसलिये प्रशंसा करो । आपने बोला है ना कि बढ़िया योजना है, उसको विस्तारित करो ।

सभापति महोदय :- आप बहुत लंबा बोल लिये ? समाप्त करिये ।

श्री दलेश्वर साहू :-लॉस्ट है सभापति महोदय । आप लोग करोड़ों रूपये होर्डिंग्स में खर्च करते हैं, आप लोग होर्डिंग्स के माध्यम से योजना का प्रचार-प्रसार करते हैं तथा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया में भी बहुत खर्च करते हैं । सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर मंथली सीजन टिकट कार्ययोजना के तहत प्रश्नावधि तक एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है । सभापति महोदय, वर्ष 2023-2024 में प्रदाय किये गये योजनान्तर्गत व्यय की राशि निरंक है...।

सभापति महोदय :- श्री राजेश मूणत । मूणत जी ।

श्री दलेश्वर साहू :- आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ । धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- आपको पर्याप्त टाईम दिया । राजेश मूणत जी । देखिये, मैं एक मिनट बता दूँ । चूँकि आज चार-चार विभागों की मांग पर चर्चा है, इसलिये दोनों तरफ से तीन-तीन लोग ही बोलेंगे । आप लोग कृपया करके सहयोग करिये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मुझको भी एक मिनट बोलने के लिये अनुमति दे दीजिएगा ।

डॉ.चरणदास महंत :- सभापति जी, चूँकि महिला एवं बाल विकास का है, उसमें चार-पांच को दे दीजिए, समय कम करा देंगे । सभी महिलायें बोलेंगी, पुरूष कोई नहीं बोलेगा ।

सभापति महोदय :- मैं अभी तो वाणिज्य उद्योग इसके बारे में बताया है..।

डॉ.चरणदास महंत :- आपने अपनी ओर से अभी तीन कर दिया है ।

सभापति महोदय :- आपकी आज्ञा से महिला में बढ़ा देंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, सभी महिलायें बोलेंगी तो उद्योग विभाग में बोले ना भई, वह गृह उद्योग में तो चर्चा ही नहीं हो रही है । उद्योग विभाग में चर्चा हो रही है, गृह उद्योग में चर्चा नहीं हो रही है ।

डॉ.चरणदास महंत :- नहीं, महिला एवं बाल विकास ।

सभापति महोदय :- आपकी सुझाव का ख्याल रखेंगे । अभी तो तीन लोग बोलिये । चार-चार विभाग है और लंबा-लंबा कहीं होगा तो मुश्किल हो जायेगा ।

श्री राजेश मूणत (रायपुर पश्चिम) :- सम्मानीय सभापति महोदय, मैं उद्योग विभाग और श्रम विभाग के अनुदान मांगों पर बजट के समर्थन में अपनी बात रखने के लिये आपने समय दिया, उसके लिये आभार व्यक्त करता हूँ । सम्माननीय सभापति महोदय, उद्योग विभाग एक ऐसा विभाग है, यह प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दुरूस्त करता है और इसके साथ ही रोजगार के संसाधनों को भी उपलब्ध कराता है । यह आम जन से जुड़ा हुआ विभाग है, मैं इस बात को बड़ी प्रसन्नता के साथ कहना चाहूँगा

कि वर्तमान विष्णु देव साय जी की सरकार ने और हमारे उद्योग मंत्री सम्माननीय देवांगन जी ने जिस ऊँचाई और उर्जा के साथ में इस विभाग की प्राथमिकता को समझा है । माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात को इसलिये कह रहा हूँ कि अगर हम पुराने बजट को उठाकर देखें और चर्चा कर लें तो उद्योग विभाग एक निगलेक्ट विभाग के रूप में चला है । सभापति महोदय, आज मैं इस अनुदान मांगों की चर्चा का शुभारंभ करते हुये इतना ही कहना चाहता हूँ कि बजट के अंदर जो वृद्धि की गई है ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, आपने उद्योग विभाग की बड़ी प्रशंसा किये हैं, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ऊपर में बैठते थे, हमारा भाषण सुने हैं । जितने एम.ओ.यू. हुये हैं, वह स्थानीय लोगों के साथ एम.ओ.यू. हुए और एम.ओ.यू. में प्रति टन रेट तय थे, उस पर जरूर प्रकाश डालिए कि एम.ओ.यू. होगा तो प्रति टन कितना दिया जाएगा ? उद्योग विभाग एटीएम था । एम.ओ.यू. करो और प्रति टन के हिसाब से लो ।

श्री राजेश मूणत :- आपका एक सेकेण्ड तो हो गया ।

श्री रामकुमार यादव :- ये ह पहिली के झोंका के बइठे हे ।

श्री राजेश मूणत :- यादव महाराज, मेहरबानी रखना भाई ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने आपको बता दिया है न । आईवीएफ तक लेना है।

सभापति महोदय :- मूणत साहब, आप बोलिए न ।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, बजट में लगभग 1420 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, जस्ट डबल । उद्योग के क्षेत्र में सरकार की सोच और दूर दृष्टि इस बात को इंगित करती है कि जब छत्तीसगढ़ में औद्योगिक वातावरण बनेगा, फैक्ट्रियां लगेंगी, लघु उद्योग हों, कुटीर उद्योग हों या अगर बड़े उद्योग आएंगे तो कहीं न कहीं रोजगार के संसाधन भी उपलब्ध होंगे । सरकार ने इसी प्राथमिकता लेकर इस क्षेत्र की गति बढ़ाने के लिए इस उद्योग के बजट में गति के साथ में जिस प्रकार के डेव्हपलमेंट विजन के साथ में अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने की योजना के लिए सरकार ने इस बजट में प्रावधान किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

सभापति महोदय, लोग कई सालों से घूम रहे हैं । उन्होंने पूंजी निवेश तो कर दिया था, लेकिन उनको पैसा नहीं मिलता था क्योंकि विभाग के पास पैसा ही नहीं था। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि स्थानीय पूंजी निवेश में 249.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । यह अपने आप में एक इतिहास है । मैं भी 3 साल इस विभाग का मंत्री रह चुका हूं । मुझे कहने में बहुत गर्व होता है कि बहुत अच्छी सोच के साथ में इस विभाग के कार्य हो रहे हैं । ब्याज अनुदान में 300 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लोग फैक्ट्री लगा लेते थे और घूमते थे । उनको ब्याज अनुदान नहीं मिलता था, ब्याज अनुदान में 300 प्रतिशत की वृद्धि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अंश पूंजी सहायता अनुदान में 400 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है । अभी पॉलिसी के बजट में 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई । जब हम

उद्योगों को बुलाते हैं तो हम उन्हें बड़ी-बड़ी बात करते हैं, सब्ज़बाग दिखाते हैं कि आईए, हमारे राज्य में पॉलिसी के आधार पर आईए, यहां पर उद्योग लगाईए । जब वह उद्योग लगा लेता है और जब उसको अनुदान के लिए घूमना पड़ता है । अपनी आय भी लगा लेता है तो पता चलता है कि बजट में इसका प्रावधान ही नहीं है । देना 500 रूपए और 100 रूपए का प्रावधान है । किसको दें ? [xx] की स्थिति थी । आज मैं इस बात को कह रहा हूं कि भविष्य की योजना को साकार करने के लिए एक दूर-दृष्टि और दूर-दृष्टि के साथ में सोच और कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए संसाधन की व्यवस्था करना माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हुआ, मैं इसका समर्थन, अभिनंदन करता हूं । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि व्यापार को आकर्षित करने के लिए पूरे देश में छत्तीसगढ़ अपने आप में औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ता हुआ स्थान है । मैं इस बात को कह सकता हूं कि पूरे देश के अंदर हम स्टील के सेक्टर में 27 प्रतिशत का उत्पादन करते हैं । पूरे देश के स्टील के उत्पादन में 27 प्रतिशत का उत्पादन छत्तीसगढ़ करता है । आप यह सोचिए कि हमारे प्रदेश में स्टील का कितना बड़ा सेक्टर होगा । छत्तीसगढ़ पूरे देश में लगभग 20 से 21 प्रतिशत सीमेंट सप्लाई करता है । छत्तीसगढ़ अपने आप में उपजाऊ धरती है और उद्योगों का वातावरण बना, उसे आगे सुरक्षित रखने की दृष्टि से हमने अपनी पॉलिसी में भी वृद्धि की है और पॉलिसी के अंदर लोगों को निवेश करने के लिए लिया है ।

सभापति महोदय, मैं वैल्यू एडीशन पर बातचीत करूं तो यहां आयरन ओर की बहुत बड़ी खदानें हैं । अगर हम बातचीत करते हैं तो मैंने कई बार सदन में यह सुना है कि अगर आज बैलाडीला का प्लांट चालू होगा तो गर्व के साथ में कहना चाहता हूं कि बस्तर का चमन होगा, बस्तर का आदमी वहां सुरक्षित रहेगा, वहां आवागमन बढ़ेगा, वहां आर्थिक व्यवस्था ठीक होगी । बस्तर की जो बातचीत थी, सालों पुरानी जो कल्पना थी, अगर वह कल्पना साकार होगी तो बस्तर में बैलाडीला का प्लांट चालू होने के बाद होगी । दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में औद्योगिक क्रांति आई है, अजय चन्द्राकर जी कह रहे थे कि आपने कहा है कि क्रांति आई है । आपने एक पॉलिसी लाई थी । अब आपने कैसे पॉलिसी लाई ? आपने बुला-बुलाकर एमओयू किया । आपने कहा कि जिसने एमओयू किया, अगर वह वनांचल क्षेत्र में बस्तर, सरगुजा क्षेत्र में कोई प्लांट लगाता है तो उसको 80 प्रतिशत जीएसटी वापस मिलेगी । पहले तो लैण्ड एक्वायर करेगा । उसे लैंड मिलेगा? आदिवासी भाईयों की लैंड हैं, उसे मिलेगी कहॉ? वहां सामान्य वर्ग की लैंड ही नहीं है। पहले वह लैंड लेगा, उसके बाद प्लांट की परमीशन लेगा, फिर जनसुनवाई होगी, फिर जनसुनवाई के बाद वह अपना प्रोजेक्ट बैंक में सबमिट करेगा और उसके बाद बैंक वाले उसे फाईनेंस करते हैं या नहीं करते हैं, जिसके कारण तीन साल बीत गए। जो अजय जी ने कहा ना कि रेट तो फिक्स था, मैं भी इस बात को कहूंगा। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करुंगा कि 2 साल पहले जितने भी एम.ओ.यू. किए गए हैं, उनकी समीक्षा होनी चाहिए। मैं भी इस विभाग में रहा, हमने समीक्षा की है। एम.ओ.यू. की शर्त थी कि दो साल के अंतर्गत आपको प्लांट कम्प्लीट करना है, प्रोडक्शन लेकर आना है,

दो की जगह तीन साल हो गए लेकिन लैंड एक्वीजीशन नहीं हुई। जब लैंड एक्वीजीशन हुई नहीं, तो प्लांट कहां लगेगा? जन सुनवाई हुई नहीं, तो प्लांट कहां लगेगा? मशीनरी का ऑर्डर दिया नहीं, तो प्लांट कहां लगेगा? बैंक फाईनेंस हुआ नहीं, तो प्लांट कहां लगेगा और जब प्लांट लगेगा नहीं, तो एम.ओ.यू. किस काम का? इसलिए इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि जो समय सीमा में हैं, वे प्लांट्स लगें, यह सुनिश्चित करने के लिए इसकी समीक्षा करनी चाहिए।

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- माननीय सभापति महोदय, आज भी नगरनार में जिन्होंने भी जमीन दी है, उस इलाके के मजदूर को आप उसमें लगा नहीं पा रहे हैं, वहां काम नहीं दे पा रहे हैं। चर्चा में फूड-पार्क के बारे में भी बता देना।

सभापति महोदय :- मंत्री जी सुन रहे हैं।

श्री राजेश मूणत :- दलेश्वर भाई, आपकी हर चीज का उत्तर मंत्री जी देंगे, चिन्ता मत करना, लेकिन भागना मत।

सभापति महोदय :- मूणत साहब, आप अपनी बात करिए ना। उनकी बात छोड़िए।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि जिस राजनांदगांव से आप आते हैं, जिस क्षेत्र से आप आते हैं, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि वहां सोलर प्लांट्स की लाईन लग गई है। आप 5 साल में कितना लगा लिए? राजनांदगांव में मुझे कोई एक प्रोजेक्ट बता दें कि राजनांदगांव जिले की तरक्की, उन्नति, प्रगति के लिए, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिए प्लांट लेकर आ गए हों? कहीं किए क्या? जो आप लोगों ने लोगों से कहा कि एम.ओ.यू. की आड़ में कितना पैसा लिया है, यह एक चर्चा का विषय है। अजय चन्द्राकर जी ने जो कहा है ना, हाऊस के अंदर कई बार विषय उठाया, मैं उस पर कहना नहीं चाहता, मैं तो कहता हूं कि यह अपने आप में इतिहास का एक पन्ना है और इसीलिए जो कर्म किए हैं, उसे भुगतना तो पड़ेगा।

कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर ये नादान।

जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान।।

सभापति महोदय, बाद में फिर चिल्लाओगे कि ई.डी. आ गई, ई.डी. आ गई, ई.डी. आ गई। क्यो ऐसा कर्म करना कि अपने घर में कोई मेहमान आए। इसीलिए जब छत्तीसगढ़ महतारी की कसम खाते हैं, तो छत्तीसगढ़ की उन्नति, प्रगति और तरक्की की बात करें। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि एक सोच, कल्पना को मूर्त रूप देने का काम किया गया है। अगर यहां पर नई राजधानी में फैशन डिजाईनिंग का संस्थान 'निफ्ट' आता है, तो यह किसके लिए आया है? कभी कोई कल्पना किया है, कभी कोई सोचा है कि बुनकर सोसायटियों में काम करने वाले फैशन डिजाईन के अंतर्गत काम करें?

नेता प्रतिपक्ष (डॉ.चरण दास महंत) :- मूणत जी, गीता में से "कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन् "का क्या हिसाब करेंगे?

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, चरावेती-चरावेती। चलते रहो-चलते रहो। गुरुदेव, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई कल्पना करके काम करता है, तो उसका स्वागत करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। आप जानते हैं कि आपके क्षेत्र में बुनकर कितने हैं। अगर 'निफ्ट' जैसी संस्था आने के बाद अगर उनकी नई टेक्नॉलॉजी का उपयोग करके उनकी ड्राइंग, डिजाइन, फैशन डिजाइन में वह काम्पीटीशन में खड़े होते हैं, अगर मेरे बस्तर के वनांचल क्षेत्र के लोग मिट्टी के टेराकोटा की चीजें बनाते हैं, तो उन्हें उसमें नई डिजाईन और टेक्नॉलॉज का सहयोग मिलता है और उसके लिए यदि 50 करोड़ रुपए का प्रावधान करके यदि नया रायपुर में 'निफ्ट' जैसी संस्था आ सकती है, तो छत्तीसगढ़ के बेरोजगार नौजवानों, छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को उभारने का एक अवसर मिलेगा। मैं इसका स्वागत और अभिनंदन करता हूं।

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि नया रायपुर में आपने एक इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की है। वह इंडस्ट्रियल पार्क non polluting industries के लिए है, वहां IT sector भी है। वहां पर लोगों ने आकर धीरे-धीरे काम की गति को बढ़ाया है। वहां लोग आना चालू हो गए हैं, इसलिए क्योंकि सबसे पहले जिन चीजों के ऊपर हमने काम करना प्रारंभ किया है, हमारी प्राथमिकता है कि उन चीजों पर गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए। सम्मानीय सभापति महोदय, अभी मेरे पास अजय चन्द्राकर जी बैठे थे। वह भी कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ के कुरूद में पहली बार फूड प्रोसेसिंग प्लांट बना। इसके अतिरिक्त 7 नये फूड पार्क की स्थापना करने की योजना बनाई गयी है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- राजेश जी, मैंने उस दिन भाषण दिया था। आपने सुना या नहीं सुना मुझे नहीं पता। पूर्ववर्ती सरकार के बजट में आया था कि 200 फूड पार्क बनायेंगे। मैंने कहा था कि 200 को तो छोड़िये यदि पांच साल मे कहीं पर एक-दो भी शुरू हुए होंगे तो दिखा दीजिये। एक फूड पार्क शुरू नहीं हुआ। पूरा गोल-गोल चला है। उद्योग विभाग भी पूरा गोल-गोल चला है। किसी से एम.ओ.यू. कर लिया और प्रति टन के हिसाब से पैसा वसूल लिये। उद्योग विभाग का इतना ही काम था।

श्री सुनील सोनी :- सभापति महोदय, राहुल गांधी जी ने मेरठ में एक भाषण दिया था। आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा। उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ के हर जिले के अंदर फूड प्रोसेसिंग प्लांट लग चुका है। यह पूर्ववर्ती सरकार में अपने नेताओं को गुमराह करके बोलवाया जाता था, उसका एक प्रमाण है।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, आपने साल भर में क्या किया है ? आप एक-दो प्रोग्रेस बता दीजिये।

सभापति महोदय :- आप बैठ जाईये। मूणत जी, बोलिये।

श्री राजेश मूणत :- मैं बता तो रहा हूं कि इस सरकार ने साल भर में NIFT जैसी संस्था लायी है। वहां आपके और मेरे बच्चे भी जायेंगे।

सभापित महोदय :- मूणत जी, आप उनकी तरफ डायरेक्ट बहस मत कीजिये। आप भाषण दीजिये।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, अब वह इतने सीनियर विधायक हैं। उनको यह नहीं दिख रहा है कि क्या हुआ है।

सभापति महोदय :- आप भी सीनियर हैं। आप सीधे बोलिये।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, मैं उसी विषय में एक बात और कहना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ के अंदर जिस प्रकार से सीमेंट और स्टील के क्षेत्र का व्यापार है। उस दृष्टि से इंडस्ट्रिज आ रही है। उन इंडस्ट्री के साथ नये सेक्टर को चिंहित करके फूड प्रोसेसिंग पार्क को बढ़ावा देने की दृष्टि से फूड पार्क की स्थापना करना तथा नये नये सेक्टर को चिंहित करके औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करना, औद्योगिक क्षेत्र में नये उद्योग लगे, उसके लिये प्रयत्नशील होकर देशभर में लोगों को आमंत्रित करना, उसके लिये छत्तीसगढ़ में निवेश के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ा है। मैं गर्व के साथ इस बात को कह सकता हूं कि पिछले दिनों हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि यदि छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा निवेश आ रहा है तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के अंदर बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और इसके साथ ही इकोनॉमी भी ठीक होगी। इसलिए मैं इस बात को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं उन बातों में कुछ चीजों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और कुछ प्रोत्साहन के लिये आपने जो काम किया, मैं उसके लिये आपको साधूवाद भी देता हूं। आपके विभाग की जो टीम है, उसमें अच्छी बात यह है कि सब टीमें एक ऊर्जा के साथ मिलकर काम करती है। सायकल के दोनों चक्के जब एक साथ चलते हैं तो काम करने का और चलाने का मजा भी आता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से खासकर दो-तीन चीजों के विषय में बात करना चाहूंगा। आपने बजट में विभागीय अनुदानों में जो वर्षों पूर्व की राशि थी, उसे ढाई गुना बढ़ा दिया है। आपने इसके अंदर अनुदान के लिये जो 700 करोड़ रूपये रखे हैं, इससे वाकई में जिन इंडस्ट्री वालों को अपनी इंडस्ट्री लगाने के बाद भी पैसे नहीं मिल पा रहे थे, वह मिलेंगे। आपने उस क्षेत्र में काम किया है। मैं आपकी तरफ से दो-तीन चीजों पर बोलना चाहूंगा। मैं खासतौर पर सी.एस.आई.डी.सी. और GEM पोर्टल पर बोलना चाहूंगा। इसमें GEM पोर्टल के माध्यम से जो खरीदी शुरू की गयी है, आप उसमें आर.सी. बंद कर दीजिये। यह आर.सी. का जो गोरखधंधा है, इसके ऊपर जरूर रोक लगानी चाहिए। जब GEM पोर्टल से खरीदी हो रही है तो आर.सी. की जरूरत नहीं है। इंडस्ट्री सेक्टर में एक सर्वे होना चाहिए कि आप किसी को लैण्ड दे रहे हैं तो उनके उद्योग की कैपेसिटी कितनी है, उनको कितनी बड़ी लैण्ड चाहिए,

यह हमारा स्वयं का आकलन होना चाहिए। लोगों ने इतनी ज्यादा जमीनें लेकर रख ली हैं परंतु उनका उद्योग बहुत छोटा-सा है। वह बची हुई जमीन का क्या उपयोग कर रहे हैं ? वह उसमें गोदाम चला रहे हैं। वह एक तरफ कहते हैं कि हमारे पास जमीन नहीं है। इस रायपुर शहर का सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र भनपुरी है, जहां 75 प्रतिशत जमीनें खाली पड़ी है या वह बैंक से कोलैप्स हो गयी है। अब यदि आप उसका सर्वे करेंगे तो आपको एक छोटा-सा उद्योग मिलेगा और बची हुई 7 एकड़ जमीन खाली पड़ी है। जबकि हमें यह पता है कि शहर के बीच में जमीन नहीं है। यदि कोई उद्योग लगाना चाहता है या कोई घूमना चाहता है। आपने सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से जो योजना लायी है, उसके लिये मैं आपसे एक और आग्रह करना चाहता हूं। ये यह चीजें हैं, जिसके कारण सिंगल विंडो प्रणाली समय पर उसका निर्णय कर दें, यह भी अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों के लिए आग्रह करूंगा । उच्च शिक्षा विभाग और आप दोनों मिलकर कार्य करें। जो आई.टी.आई. का संचालन होता है वह छत्तीसगढ़ के उद्योगों को देखते हुए, ट्रेड चालू करना चाहिए। आई.टी.आई. के ऐसे बहुत से ट्रेड हैं जैसे हमारा जो स्टील का सेक्टर है, हमें स्टील के सेक्टर में जो चीजें चाहिए, जिस प्रकार के मैकेनिक चाहिए, जिस प्रकार के काम करने वाले लोग चाहिए, उनको ट्रेनिंग देकर, अगर वह आई.टी.आई. पास करके निकलेगा तो उसको रोजगार भी सुलभ होगा। आपको इस बात की भी प्राथमिकता देना चाहिए। तीसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि आपको राजस्व विभाग के साथ बैठकर, पूरे प्रदेश में एक लैण्ड बैंक बनाना चाहिए। मैंने यह गुजरात में देखा है। अगर आप कोई भी प्रस्ताव लेकर जाएंगे तो वह प्रस्ताव को देखते हैं और बातचीत करते हैं कि उसमें आपको कितनी लैंड लगेगी। उनकी लैण्ड बैंक से यह पता लग जाता है कि फलाने-फलाने जिले के अंदर हम आपको इतनी लैण्ड उपलब्ध करा सकते हैं। आप जाईये, वहां देखकर आ जाईये। अगर हम लोग भी यह बैठकर तय कर लेंगे कि प्रदेश में हमारे पास कुल कितनी पड़त भूमि की लैण्ड हैं अगर हम इसको सुनिश्चित कर लेंगे तो उद्योंगों को भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह हम उद्योगों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से कर सकते हैं। इससे जन सुनवाई की समस्या नहीं होगी, आप इसमें एन.ओ.सी. लेकर आईये। इसके बीच में दुनिया की जितनी चीजें हैं, वह एजेंसियां खत्म हो जाएंगी। माननीय सभापति महोदय, यहां उद्योगों को अपने आप बढ़ावा मिलेगा।

सभापति महोदय :- माननीय मूणत जी, अब आप समाप्त करें। आपको 17 मिनट हो गये हैं।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, मैं 2-4 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ।

सभापति महोदय :- आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, इसके कारण केन्द्र सरकार लघु और सूक्ष्म उद्योगों के ऊपर पॉलिसी लेकर आयी है। यहां छत्तीसगढ़ के बेरोजगार नवजवानों को रोजगार मिले। हम उन्हें उद्योगों के क्षेत्र में नया उद्योग खोलने के लिए प्रोत्साहन दे सकें। उनको किस ट्रेड में जाने की

इच्छा है और वह अपना स्वयं का सेटअप चलाना चाहते हैं और प्रदेश में साल में एक बार रोजगार मेला लगना चाहिए। उस रोजगार मेले में सेक्टर के अंदर बैंक वाला भी रहना चाहिए। हम लोगों को क्या रहता है कि प्रधान मंत्री योजना में मिल जाता है, यह मिल जाता है और बैंक वाले घूमाते हैं, वह देते नहीं है। उनको टारगेट पूरा करना होता है । जब आप उनको प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो आप इसके माध्यम से एक रोजगार मेले में एक पूरी टीम के साथ बैठें ताकि प्रदेश के लोगों को रोजगार भी मिले। हम उनको कहां जगह उपलब्ध करवायेंगे, उस व्यक्ति को भटकना न पड़े, उनको वहां जगह मिल जाये। मैं उसके लिए भी आग्रह करना चाहता हूँ ताकि भविष्य में इस योजना के ऊपर क्रियान्वयन कर सकें। यह मेरा आग्रह है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आखिर में श्रम विभाग के ऊपर इतना ही कहना चाहूंगा। श्रम विभाग की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं में असंगठित श्रमिक जितने थे, जिन्हें पहले साइकिल मिल जाती थी, सिलाई मशीन मिल जाती थी, राजमिस्त्री का औजार मिल जाता था, विगत कई दिनों से नहीं मिल रहा है। यहां तक ऐसा था कि अगर वह कहीं पर चावड़ी में खड़े होते थे तो वहां पर उनको गर्म भोजन कम लागत में मिलता था। यह योजना डॉ. रमन सिंह जी की सरकार में चलती थी, लेकिन पूर्व की सरकार में 5 सालों में पूरा Collapse हो गया। इसमें एक बात और कहना चाहूंगा । माननीय महंत जी, मैं आपका भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि रायपुर में श्रम विभाग के द्वारा एक कार्यक्रम हुआ था और उस कार्यक्रम की आड़ में 15 करोड़ रूपये खर्च हो गया। माननीय मंत्री जी, जरा उसको एक बार दिखवा लीजिएगा। श्रम कल्याण मण्डल के अध्यक्ष कोई सन्नी भईया थे। उन्होंने कितना पैसा खर्च किया, जिसमें कितने लोगों को लाभ मिला ? "अंधा बांटे रेवड़ी चिन्ह-चिन्ह के दे" मतलब ऐसा था। कभी मैं व्यक्तिगत नहीं बोलता हूँ। लेकिन पूर्व में विभाग की मिलीभगत के कारण जिस प्रकार से पैसे का [xx] हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उसको ध्यान दें। आपने मुझे यहां पर बात रखने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

सभापति महोदय :- श्री कुंवर सिंह निषाद। आप 5-7 मिनट में अपनी बात खत्म करेंगे।

श्री कुंवर सिंह निषाद :-माननीय सभापति महोदय, में तो अभी बोले बर चालू नइ करे हंव।

सभापति महोदय :- मैं आपको बता रहा हूँ।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुन्डरदेही) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय श्रम मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत मांग संख्या 11 एवं 18 के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हूँ।

माननीय सभापति महोदय, उद्योग देश के साथ-साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करता है। यह रोजगार के भी अवसर प्रदान करता है, राजस्व को बढ़ाता है और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। सभापति महोदय, यदि हम वर्तमान बजट में देखें तो उद्योगों को बढ़ावा देने की तो बड़ी-बड़ी बातें की गई हैं परंतु उद्योगों को किसी प्रकार से कोई रियायत नहीं दी गई है। उद्योग नीति

की बात करते हैं, नवीन उद्योग नीति बनाये जाने का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। यह पिछले 15 महीने के कार्यकाल में सरकार के उदासीन रवैये को दर्शाता है। इन 15 महीनों के कार्यकाल में लगभग 300 से अधिक राईस मिलर्स के पास एक बड़ी समस्या आ जाने के कारण वह राईस मिल बंद हो गई हैं और लगभग 400 से ज्यादा स्पंज आयरन की फैक्ट्री बंद हो गई हैं। गन्ना के किसान एक उम्मीद के साथ बाट जोहते हैं कि गन्ना उत्पादन के बाद उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। लेकिन आज सबसे बड़ी बात है कि दोनों शक्कर के कारखाने संकट की स्थिति से गुजर रहे हैं, वह बंद होने की कगार पर हैं। सरकार के द्वारा बड़ी-बड़ी उद्योग नीति की बातें होती हैं, अभी हमारे माननीय विद्वान सदस्य राजेश मूणत जी ने एम.ओ.यू. की बातें कहीं। ऐसे उद्योग धंधे लग रहे हैं, सरकार की तरफ से उनको उद्योग लगाने के लिए निमंत्रण दिया गया है, वह निमंत्रण तो हर सरकार के कार्यकाल में मिलता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि यहां पर कितने उद्योग आकर स्थापित कर पाते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि धरातल पर कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये बातें जरूर दिख रही हैं कि हम उद्योग के नाम पर वन संपदा को बरबाद कर रहे हैं, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यहां तक की जो हमारे जलाशय हैं, केवल उद्योगपतियों को लाभ दिलाने के लिए उनको भी हम तहस-नहस कर रहे हैं। क्या इनके लिए कोई अलग से वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो सकती कि हमको वन उजाड़ना मत पड़े ? यह हसदेव के जंगल की जो कटाई हो रही है, केवल एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए यह किया जा रहा है। ऐसी नीति बने कि जिससे सर्वजन हिताय की बात सुनिश्चित की जा सके। जो बंद बड़े उद्योग हैं, उन्हें पुन: स्थापित किया जा सके। ऐसी नीति बने कि फैक्ट्रीरियों को वित्तीय संकट से न गुजरना पड़े। सभापति महोदय, हम छोटे थे तब से बी.एन.सी. मिल राजनांदगांव को देख रहे हैं। सभापति महोदय, आपके भी ध्यान में होगा। यह industry आज अपना मूल स्वरूप खो चुकी है और बंद हो चुकी है। ऐसे हजारों परिवारों के ऊपर जब वित्तीय संकट आया, उसमें कुछ हमारे भी परिवार थे इसलिए मैं बोल रहा हूं, वह आज मजदूरी करने पर मजबूर हो गये हैं। किसी के घर काम करने पर मजबूर हो गये हैं। उनको भविष्य का कोई ठिकाना नहीं है। क्या हमारी यह चिंता नहीं होनी चाहिए कि वह बी.एन.सी. मिल पुन: स्थापित हो सके, हजारों लोगों को पुन: रोजगार मिल सके? छत्तीसगढ अविभाजित मध्यप्रदेश के समय जिस समय नागपुर डिवीजन हुआ करता था, उस समय उनका एक अलग नाम था। ऐसे जो बंद पड़े उद्योग हैं जिनको अगर पुन: स्थापित करें तो हजारों लोगों को एक काम मिल सकता है। ऐसी बंद पड़ी मिल को चालू करने के संबंध में विचार होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि बी.एन.सी. मिल के बारे में एक कमेटी, दल बनायें और उसे कैसे पुन: स्थापित कर सकें ताकि हजारों परिवार वित्तीय संकट के बोझ से लदे हुए हैं, आज मजदूरी करने पर मजबूर हैं, उन परिवारों को या उनके आश्रित परिवारों को रोजी-रोटी दे सकें, ऐसी नीति बननी चाहिए। सभापति महोदय, श्रम विभाग के ऊपर भी बातें आईं । श्रम विभाग की योजनाएं

और कार्यक्रम चूंकि हम लोगों का एक फोकस होता है, हम लोगों का एक विजन होता है कि वह गरीबों और मजदूरों के हित में होना चाहिए ताकि श्रम विभाग में जो काम कर रहे हैं उनके जीवन में सुधार आ सके लेकिन वर्तमान में श्रम विभाग की जो नीति है उसमें कहीं पर भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है ।

माननीय सभापति महोदय, हम चाहे श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की बात कहें या रोज़गार के अवसर प्रदान करने के विषय में कहें या श्रमिकों के कल्याण के कार्यक्रम चलाने के विषय में कहें या श्रम कानून के पालन को सुनिश्चित करने के विषय में कहें या श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के विषय में कहें । इस सरकार में जन कल्याणकारी योजना का कोई विशेष प्रावधान नहीं दिख रहा है । कई जिलों में श्रम निरीक्षकों की कमी, मैं स्वयं अगर अपने बालोद जिले की बात करूं तो मेरा बालोद जिला जब से यह सरकार बनी है, जो श्रम के लेबर अफसर थे, आज उनका स्थानांतरण कर दिया गया और वह दूसरे के उधारी में चल रहे हैं । कभी धमतरी का प्रभार होता है, कभी राजनांदगांव जिले का प्रभार होता है तो पर्याप्त रूप से संचालन नहीं हो पता है और न ही पर्याप्त रूप से हमारे पास श्रम निरीक्षक हैं और न ही पर्याप्त स्टॉफ है । हम लोग बड़ी-बड़ी योजनाएं लेकर चल रहे हैं । श्रमिक पंजीयन योजना, श्रमिक कॉर्ड योजना, आवास योजना, शिक्षा प्रोत्साहन योजना, स्वास्थ्य योजना, रोजगार योजना तो इसे धरातल पर कौन इम्प्लीमेंट करेगा ? जब उनके कर्मचारी होंगे, उनके अधिकारी होंगे, पर्याप्त स्टाफ होगा तब कहीं पर कैम्प लगेगा, कहीं पर योजनाओं के संबंध में एक मेला लगेगा, लोगों को जानकारी होगी तब उनके कॉर्ड का पंजीयन होगा । जिसके कॉर्ड की समाप्ति हो गई, वे फिर नवीनीकरण कराएंगे, ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह जो जिलों में 2-2, 3-3 जिलों का प्रभार एक-एक अधिकारी को हुआ है उससे उसे विमुक्त करके यह सुनिश्चित करें कि उस जिले में एक फुल फ्रेश आपके श्रम अधिकारी रहें और उनके मार्गदर्शन में सारी योजनाओं का संचालन हो, समुचित व्यवस्था का प्रचार-प्रसार हो । माननीय सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि हम असंगठित और संगठित कामगार मज़दूरों की बात करते हैं । अभी मेरे यहां श्रम विभाग द्वारा एक योजना संचालित हुई, बालोद में विश्वकर्मा कल्याण योजना का प्रशिक्षण दिया गया । माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि विश्वकर्मा योजना के नाम से एक सप्ताह तक प्रशिक्षण चला । सब प्रकार से उसमें कुली भी आये, राजमिस्त्री रहे, सैलून वाले भी रहे, विश्वकर्मा लोग रहे, यह सब काम चूंकि उन्होंने एक सप्ताह तक प्रशिक्षण लिया । मैंने पूछा कि कैसे प्रशिक्षण होता है तो बोले हमन नौ बजे जाथन, एकाध घंटा कोनो आथे तहां दिन भर बइठारथे, 5 बजे तक तुमन ला जाना ही नइ हे। एक सप्ताह तक यह प्रशिक्षण चला ।

माननीय सभापति महोदय, उसे प्रशिक्षण के रूप में 5000 रूपये पारिश्रमिक दिए जाने की बात की गई और प्रशिक्षण लिये 4 महीने हो गये हैं लेकिन अभी तक जिन्होंने सैलून के संबंध में काम का प्रशिक्षण लिया । माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उन्हें अभी तक पैसा नहीं मिला है और उसे जो 15 हजार रुपए तक का किट मिलना था, सामग्री मिलनी थी । सैलून वालों को पिम्पल से लेकर, बाल कटिंग से लेकर, मेकअप से लेकर और अन्य चीज़ों को लेकर बड़े-बड़े टिप्स दिए गए हैं लेकिन अभी तक उनको सामग्री प्रदाय नहीं हो रही है और शादी का सीजन भी निकल गया । उन्होंने अपने स्वयं के पैसे से समान लिया और अभी पूरा शादी का सीजन चला । दिसम्बर, जनवरी, फरवरी और नवम्बर से लेकर फरवरी तक, अभी मार्च तक भी शादी चल रहा है तो उन्होंने अपना पैसा लगाकर किट लिया तब वह मेकअप कर पाए तब दुल्हा और दुल्हन स्मार्ट दिखे । जब आप योजनाएं संचालित कर रहे हैं, आपने प्रशिक्षण भी दे दिया लेकिन उनका पारितोषिक भी नहीं मिला, उनको किट भी नहीं मिला तो ऐसे प्रशिक्षण चलाने का कोई अर्थ नहीं है ? यदि क्रियान्वयन अच्छा हो, धरातल पर दिखे, लोगों को उसका लाभ मिले तब ऐसी योजनाएं संचालित हों लेकिन यदि योजनाएं संचालित भी हो रही हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण...।

सभापति महोदय :- अब आप समाप्त करिए ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जी । माननीय सभापति महोदय, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि क्रियान्वयन अच्छे से होना चाहिए । मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि समय पर हो, पर्याप्त स्टाफ हो । माननी सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्वाद ।

श्री प्रबोध मिंज (लुण्ड्रा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 11 और 18 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, वह औद्योगिक विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। हमारे उद्योग को बढ़ाने के लिए और छत्तीसगढ़ राज्य में निवेश की ओर आकर्षित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बजट प्रस्तुत हुआ है। इस सरकार की हमारी औद्योगिक विकास का जो बजट है, इसमें ऐतिहासिक वृद्धि करते हुए, पहले जो बजट 642 करोड़ रूपये का था, उसको बढ़ाकर 1420 करोड़ रूपये कर दिया गया है। (मेजों की थपथपाहट) यह प्रदर्शित करता है कि हमारी जो सरकार है और हमारे जो मंत्री, उद्योग मंत्री और मुख्यमंत्री जी की जो पहल है, यह आने वाले समय में छत्तीसगढ़ राज्य को औद्योगिक दिशा में बहुत आगे ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जिस प्रकार से पिछली सरकार, कांग्रेस की सरकार ने अपनी कार्यवाही के 5 साल का जो समय व्यतीत किया, उस 5 सालों में औद्योगिक क्षेत्र के जिन लोगों का काम था, जो लोग आए थे, वे जितने परेशान हुए, वे कभी इतने परेशान नहीं हुए थे। आज उनके समय की 700 करोड़ रूपये की देनदारियां हैं। उन उद्योगपतियों के पास उनका जो निवेश था, उनका अनुदान

बचा हुआ है और उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए ही हमारी सरकार ने अलग से 700 करोड़ रूपये का उसके ब्याज को और उसकी प्रतिभूति और उनके अनुदान हैं, उसको देने के लिए प्रावधान किया है। इसलिए भी यह बजट काफी बड़ा हुआ है। हमारी सरकार ने जो वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया है, इसमें विशेष रूप से औद्योगिक नीति जो वर्ष 2024 से 2030 के लिए बनी है, उस नीति का इसमें बहुत बड़ा प्रावधान है। इस उद्योग नीति के चलते हम सब का जो इन्वेस्टर मीट हुआ था दिल्ली में हुआ, मुंबई में हुआ और इसमें तमाम चीजों को व्यवसायियों, बड़े उद्योगपतियों के बीच में जिस उद्योग नीति के बारे में रखा, उस नीति को देखते हुए वहां इन्वेस्टर्स लोगों ने अपना निवेश करने के लिए यहां अपनी जो मंशा जाहिर की है, उसमें इस मीट के आयोजन से बहुत सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और इसमें 53 निवेशकों ने अब तक निवेश में अपनी अभिरूचि प्रदर्शित की है और इससे 53 निवेशकों के द्वारा राज्य में लगभग 58.225 करोड़ रूपये की पूंजी का निवेश करने की अपनी संभावना को जाहिर किया है और इससे 31,613 रोजगार हमारे छत्तीसगढ़ में इनके माध्यम से सृजन होगा जो श्रम के क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। हमारी इस सरकार की जो औद्योगिक नीति है, इसके तहत निवेश करने वाली इकाइयों को जो निर्धारित निवेश करने पर विशेष प्रोत्साहन प्रदान होगा, उसमें ये इकाइयां 500 करोड़ रूपये से अधिक की स्थाई पूंजी निवेश करेंगे और इन्हें हमारी जो मंत्रिमंडलीय उप समिति है, उसके द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त निवेश प्रोत्साहन भी उनको प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार पर्यटन के क्षेत्र को उद्योग के साथ जोड़ते हुए हमारा बस्तर है, सरगुजा जिला है, ट्राइबल अंचल है, वहां जो पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, उस क्षेत्र में भी औद्योगिक क्षेत्रों में इन्वेस्ट करने के लिए लोगों की रूचि बढ़ेगी। इसको एक साथ जोड़कर पर्यटन के क्षेत्र में भी औद्योगीकरण करके उसको हम आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार का प्रयास चल रहा है। इसी कड़ी में हमारे उद्योग विभाग का जो बजट प्रस्तुत हुआ है, इसमें यहां छत्तीसगढ़ निफ्ट के माध्यम से रायपुर में 500 करोड़ रूपये के investment से कला के प्रति और हमारे लोकल क्षेत्र में टेक्सटाइल के माध्यम से और चीजों के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षित करने का प्रावधान भी है, उससे हमारी जो लोकल कलाकृतियां हैं, लोकल संभावना है, छोटे उद्योग हैं, इनको बढ़ाने का भी अवसर मिलेगा। हैंडलूम उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, डिज़ाइनिंग है, परिधान वगैरह हैं, इन सारी चीजों से लोगों को सीखने और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा । हमारे श्रम मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट है, पिछली सरकार के समय औद्योगिक क्षेत्रों में जो इन्वेस्टर्स आए थे, जो भी कमीबेशी रही है उन सारी चीजों को देखते हुए, हमारी जो नीति और जो बजट में प्रस्तुत हुआ था उसके आधार पर, मंत्री जी अभी बाहर हैं, मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता था । हमारे उद्योग और श्रम, एक सिक्के के दो पहलू हैं ।

सभापति महोदय :- आ गए हैं ।

श्री प्रबोध मिंज :- इसमें हमारे क्षेत्रों में उद्योगों को जितना बढ़ावा मिलेगा । उससे उतने ही

रोजगार का भी सृजन होगा । हमारी इस औद्योगिक नीति और श्रम के साथ हमारी 2047 की जो कल्पना है, इसमें जो विज़न है, उसको गति देने का अवसर मिलेगा । जो प्रशिक्षित व्यक्ति हैं उनको उद्योगों को प्रति व्यक्ति 15 हजार रूपए प्रशिक्षणवृत्ति का भी इस बजट में प्रावधान किया गया है । नवीन औद्योगिक नीति 1 नवम्बर 2024 से 31 मार्च, 2030 तक लागू हुई है । औद्योगिक नीति में निवेश प्रोत्साहन में ब्याज अनुदान लागत पूंजी अनुदान और स्टाम्प शुल्क, विद्युत शुल्क छूट, इससे संवर्धित कर की प्रतिपूर्ति का भी इसमें प्रावधान है । नई नीति में मंडी शुल्क छूट भी हुआ है, दिव्यांग लोगों के लिए रोजगार अनुदान, प्रोजेक्ट अनुदान, परिवहन अनुदान और राज्य वस्तु एवं सेवा कर की प्रतिपूर्ति का भी इसमें प्रावधान किया गया है । औद्योगिक नीति में राज्य के युवाओं के लिए रोजगार सृजन के लक्ष्य रखकर 1 हजार से ज्यादा स्थानीय रोजगार सृजन का बी-स्पोक पैकेज विशिष्ट क्षेत्र के उद्योगों के लिए प्रावधानित है । राज्य के निवासियों, विशेषकर एसटी, एससी, महिला उद्यमियों, सेवा निवृत्त अग्निवीर सैनिक, भूतपूर्व सैनिकों, पैरामिलिट्री भी इसमें शामिल हैं । नई औद्योगिक नीति के तहत अधिक प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान किया गया है । नक्सल प्रभावित लोग हैं, कमजोर और तृतीय लिंग के जो लोग हैं उनकी नई औद्योगिक पॉलिसी के तहत विशेष प्रोत्साहन दिया गया है । इस सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है इंजीनियरिंग सर्विस सेवा में रिसर्च एवं डेवलपमेंट सेक्टर में भी, पर्यटन एवं मनोरंजन से संबंधित गतिविधियों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है । इस नीति में बड़ी संख्या में सेवा श्रेणी के उद्यमों को भी औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के लिए पात्र उद्यम माना गया है । इसमें पर्यटन है, मनोरंजन है, अन्य सामाजिक सेवाओं के सेक्टर हैं । सरगुजा एवं बस्तर संभाग में होम स्टे सेवाओं को भी इसमें शामिल किया गया है । इस नीति में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की परिभाषा को भारत सरकार द्वारा परिभाषित किया गया है, एमएसएमई के अनुरूप किया गया है । उद्यमों को प्राप्त होने वाले प्रोत्साहनों को उन राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धी भी बनाया गया है । नई औद्योगिक नीति में फार्मास्युटिकल, टेक्सटाइल, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, गैर-काष्ठ वनोत्पाद प्रसंस्करण, हाईड्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक एंड कम्यूनिटिंग, आईटी, आईटीएस, डाटा सेंटर, जल परियोजना, जल परियोजना, सौर ऊर्जा, इन सब परियोजनाओं को भी आकर्षक बनाकर निवेश प्रोत्साहन करने का प्रावधान है।

सभापति महोदय :- मिंज साहब, समाप्त करिये ।

समय :

2.00 बजे

श्री प्रबोध मिंज :- सभापति महोदय, इन सारे औद्योगिक सेक्टर्स के लिए बजट में प्रावधान किया गया है । मैं उसके लिए माननीय मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देता हूं । इसी के साथ श्रम विभाग में, हमारे श्रमिकगण के लिए जो योजनाएं चलती हैं, उनमें छोटे-छोटे ट्रायबल

सेक्टर्स में कई योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना है, मेधावी शिक्षा सहायता योजना है, इन सारी योजनाओं में भी बहुत सारे प्रावधान रखे गए हैं। हमारे श्रमिकों के लिए पूर्व में संचालित छोटे-छोटे सिलाई मशीन व अन्य प्रकार की चीजों की सहायता अनुदान दी जाती थी, जो बंद हो गए थे, उनको भी चालू करने का प्रावधान है। मैं माननीय मंत्री जी से एक छोटा सा आग्रह और करना चाहूंगा। हमारे लुण्ड्रा विधान सभा क्षेत्र में लाइम स्टोन के बड़े क्रेशर का क्षेत्र है, चार गांवों चंगोरी, चंदेश्वरपुर, अमड़ी, कर्रा में लगभग 130-140 स्टोन क्रेशर संचालित होते हैं। उन क्षेत्रों में उसकी देखभाल और बाकी चीजों का औद्योगिक रूप से जो विकास होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। मैं मंत्री जी से आग्रह भी करना चाहूंगा कि यदि बजट में उसको औद्योगिक क्षेत्र के रूप में शामिल करें तो वह पूरा क्षेत्र जो आज क्रेशर के चलते डस्ट है, वहां श्रमिकों के लिए, गांव वालों के लिए जो दिक्कतें हैं, वहां सड़कों का जो अभाव है, वहां औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकास होगा तो निश्चित रूप से वहां के लोगों और श्रमिकों को उसका लाभ मिलेगा। मैं मांग संख्या 11 और 18 का समर्थन करने हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री देवेन्द्र यादव।

श्री देवेन्द्र यादव (भिलाई नगर) :- आदरणीय सभापति महोदय, मैं उद्योग और वाणिज्य विभाग के प्रस्तुत बजट के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम पिछले एक साल से जिस उद्योग नीति को देख पा रहे हैं, उसमें बहुत विरोधाभास दिखता है। एक तरफ हम प्रदेश में यह कहने की कोशिश करते हैं कि पावर प्लांट और हैवी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम उन इंडस्ट्रीज को जो देने वाली सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, उस पर कहीं न कहीं करनी कांटते हैं। अगर हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश को देखें, यह प्रदेश मूलत: नॉन पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बेहतर है, यहां पर पिछले समय एक बहुत बेहतर तरीके से आपके ही क्षेत्र से जुड़ा हुआ शक्कर कारखाना है, आज आप उसको देख लीजिए, चाहे वह कवर्धा का शक्कर कारखाना हो, चाहे वह बालोद का शक्कर कारखाना हो या हम सूरजपुर के शक्कर कारखाने की बात करें, ये कारखानें लगभग बंद हो चुके हैं। इसका कारण क्या है ? क्योंकि प्रदेश की सरकार इस तरह के इंडस्ट्रीज को प्रमोट नहीं करना चाह रही है। इंडस्ट्री बंद होने के कारण क्या हैं ? 45 करोड़ रूपए का भुगतान है तो उनको 5 करोड़ रूपए ही भुगतान हुआ है, बाकी पैसे नहीं मिले। किसान गन्ना नहीं दे रहे हैं, इंडस्ट्री में ताला लगा हुआ है, ये स्थतियां बनी हुई हैं। हमारे प्रदेश में स्वीटकार्न की बड़ी अच्छी फसल हो सकती है। इससे हमारे प्रदेश का पर्यावरण जुड़ा हुआ है। हमने एक मक्का फैक्ट्री कोण्डागांव में लगाई थी लेकिन आज उसका हाल देख लीजिए, पूर्ववर्ती सरकार की फूड इंडस्ट्री है, आज ये सरकार उस पर रूचि नहीं ले रही है, ध्यान नहीं दे रही है, उसमें कोई भी काम नहीं हो रहा है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ? यह कहीं न कहीं सोचने की बात है। इस प्रदेश में छत्तीसगढ़ महतारी के अंदर एक विशेष चीज है, वह हमारी वनोपज है। हमारे वनोपज को प्रोसेस करने

का कोई अच्छा यूनिट प्लान नहीं डाल पा रहे हैं, न उसको लेकर हमारी कोई आगामी योजना है। वनोपज में एक लाख वनोपज है, उससे 13 बॉय प्रोडक्ट और बनते हैं लेकिन हम लाख को संग्रहण करने के लिए कोई ऐसी प्रोसेसिंग प्लांट नहीं डाल पा रहे हैं जिससे हम लाख को प्रोसेस कर सकें। लाख की कीमत बहुत ज्यादा होती है, आप सब लोग जानते हैं कि उसके बॉय प्रोडक्ट कितने महंगे बिकते हैं। लिपिस्टिक लाख का बॉय प्रोडक्ट है, जो हम सेंट लगाते हैं वह भी लाख का बॉय प्रोडक्ट है लेकिन उसके यूटिलाईजेशन का हमारे पास कोई भी फार्मूला नहीं है। हम हमारे वनोपज को केरल भेज रहे हैं और अन्य जगह भेज रहे हैं, वहां से वह प्रोसेस होकर एक्सपोर्ट भी हो रहा है लेकिन हम छत्तीसगढ़ में इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसका उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारे प्रदेश के यहां के जो लोग हैं, जो कहीं न कहीं पलायन कर या दूसरी जगहों में श्रमिक बनकर काम कर रहे हैं, उनको हमारे यहां की फूड इंडस्ट्रीज व हमारे यहां के नेचुरल रिसोर्सेस बेहतर अवसर दे सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम उसकी उपयोगिकता सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। हम दुर्ग को देख लें, राजनांदगांव को देखें, बेमेतरा को देखें तो बेसिकली ये horticulture व agriculture के लिए बेहतर जगह हैं। जहां पर टमाटर-सब्जियां पैदा होती हैं, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत बार सड़कों पर ऐसे आंदोलन होते हैं, जिसमें किसान सड़कों पर टमाटर फेंक रहे हैं तो उसका कारण क्या है? हम उनको उनके लिए प्रोसेसिंग प्लांट्स नहीं दे पा रहे हैं और हम उनको मार्केट भी नहीं दे पा रहे हैं। इसके कारण हमारा यह नुकसान हो रहा है। हम इस बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? दूसरी तरफ हम हैवी इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो हैवी इंडस्ट्रीज में भी वही हाल है। हम हैवी इंडस्ट्रीज की बात करते हैं और हम चाहते हैं कि यहां पर बड़े-बड़े उद्योग लगें, लेकिन यदि हम देखेंगे तो चाहे स्पंज आयरन की बात हो या पॉवर प्लांट की बात हो, उद्योग संघ ने पिछले समय प्रेस-कान्फ्रेन्स ली थी और उसने यह कहा था कि हमारे 5 दर्जन से अधिक प्लांट्स बंद हो चुके हैं। हम उनको प्रोत्साहित करने के लिए और उनको बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। यिद हम स्पंज आयरन एसोसिएशन की बात सुनें तो वह कहता है कि उसको प्रदेश की सरकार को 400 करोड़ रूपये की बिजली बिल का भुगतान करना है, जो शेष है। लेकिन वह उसको देने में असमर्थ है। उसमें 300 से अधिक पॉवर प्लांट्स जुड़े हुए हैं। लेकिन वह असमर्थ हैं, क्योंकि हम स्पंज आयरन प्लांट्स और हैवी इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए हमको उनको जो संरक्षण देना चाहिए, वह हम नहीं दे पा रहे हैं। सरप्लस बिजली होने के बाद भी हम अन्य प्रदेशों से बात कर रहे हैं। यदि हम मध्य प्रदेश या किसी भी अन्य प्रदेश को देख लें तो उसके मुकाबले में हम ज्यादा महंगी बिजली दे रहे हैं। यहां पर हम 7.80 की दर पर बिजली दे रहे हैं। हमने बिजली में 28 प्रतिशत की वृद्धि की है तो कैसे उद्योग लगेगा? एक तरफ आप हमारे नेचुरल रिसोर्सेस व हमारे यहां जो साधन-संसाधन उपयुक्त हैं, उसके लिए इंडस्ट्रीज नहीं लगा रहे हैं और नॉन पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज को विकसित करने की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप हैवी इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं तो उसको आपको जो शक्ति प्रदान करनी चाहिए और जो मौका देना

चाहिए, वह भी देने में आप असफल हैं। हम कब तक एम.ओ.यू.-एम.ओ.यू. और एम.ओ.यू. कहकर अपनी पीठ थपथपाएंगे? कब तक हम यह बात कहेंगे कि हम इस प्रदेश को एक बेहतर विकल्प और एक बेहतर रोजगार के अवसर देना चाहते हैं, लेकिन हम उसको देने में कहीं न कहीं पूरी तरह से फेल नजर आते हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज हम श्रम की बात कर लें तो इस पूरे प्रदेश में उनका क्या हाल होकर रखा है, वह आप सबके सामने है। यदि हम industrialization में देखें तो industrialization में हम उनको minimum wages देते हैं। अभी तक इस प्रदेश में minimum wages कानून होने के बाद भी हम लोगों को minimum wages नहीं दे पा रहे हैं। आप बी.एस.पी. प्लांट को देख लीजिए तो वहां पर अभी भी reverse bidding में tender होते हैं तो एक श्रमिक को minimum wages कैसे मिलेगा? हमारे जो श्रमिक हैं, वह मजबूर होकर पलायन करके दूसरी जगह काम करने के लिए जाते हैं। जहां पर उनके साथ बहुत सारे हादसें होते हैं, उनके पैसे ले लिये जाते हैं, उनको बंधक बनाया जाता है और ऐसे प्रकरणों में बहुत लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। लेकिन उस पर हम कोई भी विचार नहीं कर पा रहे हैं। यदि हम accidents की बात करें तो हमारे इंडस्ट्रीज में लगातार श्रमिकों की मौतें हो रही हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों की इंडस्ट्रीज में मृत्यु हो जाती है। उसको लेकर हमारी जो नियमावली व वर्क प्रोसेस हैं तो माननीय मंत्री जी, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हम उसमें कहीं न कहीं कमी कर रहे हैं। हमारे अधिकारी व कर्मचारी कानून का पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे हैं और यदि आप वहां पर देखेंगे तो इंडस्ट्रीज में जो safety equipments हैं, उस safety की वहां पर लोग चेक करने के लिए नहीं जाते हैं और केवल कागजों में कार्रवाई होती है। इसका हमको यह रिजल्ट मिलता है कि हमारे श्रमिक मरते हैं। आप बी.एस.पी. प्लांट व आसपास के प्लांट्स को देख लीजिए। मैं आपके सामने यह विषय रखना चाहूंगा कि यदि हम बेमेतरा के विस्फोट वाले हादसे की बात करें तो कुछ महीने पहले की बात है कि बेमेतरा में एक विस्फोट हुआ और उसमें इतने लोग मर गये तो उसका क्या हुआ? हम उनको कुछ पैसे दे देते हैं, लेकिन उससे हम उनकी भावनाएं जीतकर नहीं ला पाते हैं। जिस परिवार का बाप जाता है, जिस परिवार का बेटा जाता है, उसकी मां की आंख के आंसू के दर्द को आप 25 हजार, 50 हजार या 1 लाख रूपये के चेकर देकर उनको वापस नहीं ला सकते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- उद्योग विभाग में आपके कहां के आंसू बहेंगे ? आप जबर्दस्ती आंख से आंसू बहा रहे हो।

सभापति महोदय :- आप बोलिये।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि आप इस प्रदेश के मंत्री हैं। आपको जनता बहुत ही उम्मीदों से देख रही है। हम आप चुनाव लड़कर आते हैं, सरकार में आते हैं, बातें करते हैं, वादे करते हैं और जब हमारी बारी आती है तो कहीं न कहीं हमें

यह लगता है कि यह तो ऐसी ही चलेगा। माननीय मंत्री जी, आपको उस भाव से निकलना पड़ेगा। इस सरकार को इससे बाहर निकलना पड़ेगा। दुनिया तो ऐसी ही चलती है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लोग मर जाते हैं, प्रदूषण से क्या करना है, प्रदूषण तो होता ही है, आप इस भाव से बाहर निकलिये। माननीय मंत्री जी, आप एक ऐसी जगह से आते हैं जो श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र है। आपको जनता देख रही है और सालों से उम्मीद कर रही हैं। आपसे, पूरे प्रदेश के उद्योगों में काम करनेवाले श्रमिक भी उम्मीद कर रहे हैं। उद्योग भी उम्मीद कर रहा है और जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, उससे जुड़े हुए लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप कुछ करके दिखायेंगे। माननीय मत्री जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि समय बड़ी जल्दी निकल जाता है। आपके सवा साल निकल गये, हमने भी सरकार के 5 साल देखा है, ऐसा लगता था कि अब हम आ गए हैं, अब हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन देखते ही देखते दिन कट जाते हैं और दिन नहीं बचते हैं। जो बचे हुए दिन हैं, उसमें कुछ महान कार्य कीजिये। इस प्रदेश की जनता आपसे उम्मीद कर रही है।

सभापति महोदय :- ठीक है।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं एक अंतिम बात आपको यह कहना चाहता हूं कि हमने एक तरफ फूड इण्डस्ट्रीज की बात कर ली, हमारे यहां के वनोपज की बात कर ली, दूसरी तरफ भारी उद्योग में जो दिक्कतें हो रही हैं, उसको लेकर बात कर ली। एम.ई. के उद्योग लगातार टूट रहे हैं, उनको शक्ति देने की, उनको मदद करने की बात कर ली। एक अंतिम विषय है, इसको आपको बहुत गंभीरता से ध्यान देना है और वह फाइनल सेटलमेंट का है।

माननीय सभापति महोदय, जब कोई उद्योग बंद हो जाता है, तो पहले हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि वह उद्योग बंद न हो। लेकिन अगर वह बंद हो रहा है तो उसमें काम करने वाले श्रमिको का जीवन बर्बाद हो जाता है। उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। आज ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं, आपके भी नजर में होंगे, मेरे यहां भिलाई का एक मामला है। वहां एक उद्योग 7 महीने पहले बंद हो गया, आपके अधिकारियों के समक्ष, आपके श्रम विभाग के अधिकारियों के समक्ष, कलेक्टर और अन्य सभी लोगों के समक्ष एक समझौता हुआ था और यह कहा जाता था कि इनका भुगतान हर महीने के दर पर किया जायेगा। 7 महीने हो जाते हैं, 1 महीने का भुगतान किया जाता है, 6 महीने का पेमेन्ट नहीं आता है। अब आप बताईये कि उस परिवार की क्या गलती है ? वह परिवार कैसे चलेगा ? उनके बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी ? अगर उनके घर में दवाई की आवश्यकता होगी तो दवाई कैसे मिलेगी तो माननीय मंत्री जी, यह आपको देखना है।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करिये।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, कितने हजार परिवार, बच्चें आपकी तरफ उम्मीद लगाकर देख रहे हैं। जिस उद्योग में ताला लग गया, उनका फाइनल सेटलमेंट

रूका हुआ है। लेकिन उसे देखकर आपको बिलकुल भी [xx][10] नहीं आ रही है। मेरा पूर्ण विरोध है, सरकार को जो उसकी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, मंत्री के जो कर्तव्य हैं, वह उस पर कहीं न कहीं पालन कराने में अक्षम हैं। मैं अनुदान मांग का विरोध करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।

उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) :- माननीय सभापति महोदय, उन्होंने [xx] की बात कही है।

सभापति महोदय :- उसको विलोपित कर देंगे। असंसदीय शब्द विलोपित कर दिए जायेंगे।

श्री देवेन्द्र यादव :- मैं अपनी बात में [xx] की जगह यह कहता हूं कि मेरा आपसे अनुरोध है, वहां पर अनुरोध शब्द रख दीजिये।

सभापति महोदय :- आप थोड़ा अति उत्साह में असंसदीय बोले हैं, उसको विलोपित कर दिया है। आप उसके बारे में दूसरा शब्द रखने का मत बोलिये।

सभापति महोदय :- श्री सुशांत शुक्ला।

श्री सुशांत शुक्ला (बेलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं वित्तीय वर्ष 2025-26 की अनुदान मांगों पर माननीय मंत्री लखन लाल देवांगन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के विभागों की मांग संख्या 11 और 18 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस सम्मानित सदन में छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक अधोसरंचना के विकास पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारी सरकार नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, फूड पार्क, स्मार्ट औद्योगिक पार्क, फार्मास्यूटिकल पार्क जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित कर आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में रोजगार के नये अवसर और औद्योगिक क्षेत्र में एक नया स्थान प्रदान करने की व्यवस्था के साथ इस प्रदेश को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के संकल्प की प्रतिपूर्ति करेगी। नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के विभागीय बजट में 23 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। यह राशि थोड़ी कम है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि यह राशि बढ़ाई जाये ताकि और औद्योगिक केन्द्र उन्नत तरीके से विकसित किये जा सकें। तहसील सरायपाली जिला महासमुन्द के ग्राम जंगलबेड़ा, पंडरापाटा, कोहिरापाली में शासकीय भूमि का आधिपत्य उद्योग विभाग को प्राप्त हो चुका है और जो जमीन प्राप्त हुए हैं, वहां पर और राशि की आवश्यकता पड़ेगी, ताकि वह औद्योगिक केंद्र स्थापित करने की व्यवस्था बने। नवीन फूड पार्क की स्थापना हेतु 17 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, जो 59 विकासखण्डों में चयनित शासकीय भूमि का हस्तानांतरण उद्योग विभाग को किया जा चुका है, जिसमें से 55 विकासखण्डों में कुल रकबा 640 हेक्टेयर शासकीय भूमि उद्योग विभाग को प्राप्त हो चुकी है। ऐसे समय में 9 फूड पार्कों में सुकमा, छत्तीसगढ़ का दूरस्थ नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं और यहां पर फूड पार्क खोलना

[10] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

अपने आप में अद्भूत विषय है। जिला-जशपुर के फरसाबहार, नारायणबहली, बसवशपुर, जिला-सरगुजा के ग्राम रिकी, उलकिया, जिला-राजनांदगांव के ग्राम पांगरीखुर्द, रायपुर के ग्राम खपरीखुर्द और जिला-मुंगेली की हथकेरा बिदबिदा में जो अधोसंरचना विकास पूर्ण हो चुके हैं, वह भी स्वागत योग्य हैं। माननीय सभापति महोदय, श्रम विभाग में गठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के माध्यम से इस बजट में सामान्य मृत्यु की दशा में एक लाख रूपये, कार्यस्थल में दुर्घटना में मृत्यु होने पर पांच लाख रूपये और कार्यस्थल में स्थायी अपंगता पर ढाई लाख रूपये की अनुदान प्रावधान किया गया है, वह अपने आप में स्वागत योग्य है। असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल का गठन किया जा रहा है। उन्हें अंतर्गत प्रदेश के 55 प्रकार के असंगठित कर्मकारों के प्रवर्ग को चिन्हांकित करके लगभग 14 लाख 48 हजार असंगठित कर्मकारों का पंजीयन किया जा रहा है। यह अपने आप में इस बजट में अद्भूत विषय है। वर्ष 2024 में मण्डल द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से 46 हजार 575 असंगठित श्रमिकों को इसका लाभ मिला है, जिस पर 80 करोड़ रूपये के आसपास व्यय हुआ है, यह भी अपने आप में स्वागत योग्य कदम है। परंतु मैं कुछ विषयों पर मांग के आधार पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। एम.एस.एम.ई. के तहत हम उद्योगों में बेरोजगारों को उद्योग खोलने के लिए आकर्षित कर रहे हैं, उनको प्रभावित कर रहे हैं या उनसे आग्रह कर रहे हैं, परंतु देखने में यह मिलता है कि जो युवा एम.एस.एम.ई. के तहत उद्योग डालना चाहता है, लोन प्राप्त करता है, उनको एक प्रतिशत का स्टाम्प ड्यूटी पटानी पड़ती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी पूछना चाहता हूं या बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति ऑलरेडी कर्ज ले रहा है, उसको कर्ज के लिए बैंक के चक्कर काटना और नियमों के तहत फंसना पड़ता है, इसके लिए कोई एक नीति बने, जिसमें जो युवा बेरोजगार एम.एस.एम.ई. के माध्यम से लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग डालना चाह रहे हैं, वह एक प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी की जगह कोई ऐसी पॉलिसी आए, जिसमें उनको यह छूट मिले ताकि वह और भी लाभान्वित हो सकें और रोजगार के तहत उद्योगों को स्थापति करने की व्यवस्था के साथ उद्योग जगत में वह जुड़कर छत्तीसगढ़ को लाभ दिलायें। मैं एक नीति का उल्लेख करना चाहूंगा जो पिछले कई वर्षों से प्रस्तावित है। उद्योगों से निकले हुए अपशिष्टों के लिए कोई आज दिनांक तक नीति नहीं बनी है। मैं आपको एन.टी.पी.सी. का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सभापति महोदय, आप स्वयं बिलासपुर जिले के निवासी हैं। सीपत एन.टी.पी.सी. पर राखड़ का जो ऐशडेक है, वह एक्स्युबडी समरी के आधार पर प्रति मेगावाट 80 डिसमिल के आसपास जमीन होनी चाहिए, परंतु सीपत एन.टी.पी.सी. के पास उतनी जमीन ऐशडेक के लिए नहीं है। वह राखड़ खुले में उड़ रहे हैं, फेंके जा रहे हैं। ऐसी व्यवस्था के लिए एक्स्युबडी समरी का स्थापना समय का जो उपयोग हुआ, जिसमें 80 डिसमिल प्रावधान दिए गए, ऐसी सभी उद्योगों को जहां पर राखड़ की व्यवस्था के लिए आवश्यकता है, उस पर अपशिष्ट नियंत्रण के लिए कम से कम 80 डिसमिल जमीन होनी चाहिए। यदि 80 डिसमिल नहीं है तो उसके लिए कोई कारगर नीति

बने और इस बजट में उसका उल्लेख आए, यह मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा। छत्तीसगढ़ में उद्योग का केन्द्र स्थापित है, परंतु सी.एस.आर. के लिए भी आज दिनांक तक कोई नीति नहीं आई है। पूर्ववर्ती व्यवस्था में भी सी.एस.आर. की व्यवस्था की दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो व्यावहारिक दृष्टिकोण से सी.एस.आर. का उपयोग उस संस्था के बड़े अधिकारियों के सह पर ही वहीं पर दुरूपयोग कर दिया जाता है। मैं आग्रह करूंगा कि राज्य सरकार सी.एस.आर. के लिए भी एक स्थाई नीति बनाये। सामाजिक आद्योगिक उत्तरदायित्व के प्रति जो उद्योगों का जिम्मेदारी है, उस पर भी कोई व्यवस्था बने ताकि उस राशि का उपयोग सरकार जनहितैषी कार्यों में कर सकें। मैं अग्निशमन यंत्रों की बात करूं तो आपको बेमेतरा की घटना याद दिलाना चाहूंगा। हमको उधारी में फायर ब्रिगेड मांगना पड़ा। बिलासपुर के औद्योगिक क्षेत्र में हमारे पास फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नहीं है। हमको हर समय एस.ई.सी.एल. या एन.टी.पी.सी. से उधारी में फायर ब्रिगेड मांगना पड़ता है, जबकि छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा औद्योगिक केन्द्र है। वहीं पर अगर आप देखें कि अस्पतालों में जब श्रमिक दुर्घटनाग्रस्त हो जाये या वे स्वास्थ्य सेवा चाहते हैं तो पूरे सिरगिट्टी इलाके में या जो बिलासपुर का आद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर एक अस्पताल नहीं है। वहीं पर जब श्रमिकों के लिए आवास की बात तो वहां पर आवास की भी व्यवस्था नहीं है, वहां बहुत बड़ा औद्योगिक केन्द्र है । सभापति महोदय, मैं जब श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा की बात करूँ तो बिलासपुर और कोरबा से लगे पूरे औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों के बच्चों के लिये शिक्षा संस्थान उपलब्ध नहीं है, ऐसी योजनायें भी बनें, ताकि इन बजटों के माध्यम से श्रमिकों के हित में उद्योग विभाग काम कर सके, श्रम विभाग काम कर सके । सभापति महोदय, यह लगातार देखने में आ रहा है कि उद्योगों द्वारा वृक्षारोपण के नाम पर एक बड़ी धाँधली हो रही है । वृक्षारोपण के लिये एक मियाबाकी प्रोजेक्ट है, यह देखने में आ रहा है कि मियाबाकी पद्धति के तहत जो वृक्षारोपण होते हैं, छत्तीसगढ़ में जो बड़े औद्योगिक केन्द्र हैं, उसमें 100-100 करोड़ रूपये, चाहे वह एन.एम.डी.सी. हो या एन.टी.पी.सी. हो, उसकी राशि वार्षिक तौर पर लैप्स होती है । सभापति महोदय, ऐसे समय में उद्योग विभाग की एक नीति बनें कि वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो सके । जब उद्योगों की बात करें, एन.टी.पी.सी. या किसी और उद्योंगों की बात करें तो सुरक्षा श्रमिकों के उपकरणों की अव्यवस्था या उनकी उपलब्धता नहीं होने के कारण विषय भी बार-बार संज्ञान में आता है । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि सुरक्षा उपकरणों की स्थायी व्यवस्था, पी.एस.यू. खासकर जो राज्य सरकार की है, केन्द्र सरकार की है, ऐसे जगहों पर सुरक्षा उपकरण भी श्रमिकों को उपलब्ध कराये जाये, ताकि असामयिक दुर्घटना या मृत्यु का शिकार न हो । सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक विषय और है कि जो छत्तीसगढ़ के श्रमिक जगत है, उसके इंश्योरेंस के प्रावधान के लिये प्रायवेट बैंक के साथ एक अनुबंध होना चाहिये । मैं चाहूँगा कि इस बजट में उसका भी प्रावधान रेखांकित हो, ताकि श्रमिकों में आर्थिक सुरक्षा की स्थिति निर्मित हो । सभापति

महोदय, छत्तीसगढ़ सरकार उद्योग विभाग में बहुत उल्लेखनीय कार्य करने जा रही है, मैं आपसे मांग करता हूँ कि बजट के अनुमोदन के लिये सदन के सभी सदस्यों से मांग करूंगा कि स्वमेव एकमत होकर इस बजट को पास करने की कृपा करेंगे । आपने बोलने के लिये अवसर दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी । चन्द्राकर जी, आप बोल रहे हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, मैं पहली बार अपने क्षेत्र की बात कहने के लिये खड़ा हुआ हूँ ।

श्री उमेश पटेल :- नया रूप कब से देखने को मिल गया ? आज तक तो क्षेत्र के लिये बोलते सुना नहीं था ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मैं कभी बोलता हीं नहीं हूँ, लेकिन मंत्री जी बोलने के लिये मजबूर कर रहे हैं कि इनका विभाग मजबूर कर रहे हैं, मैं यह नहीं जानता । सभापति महोदय, मेरे यहां ग्राम बंजारीबगौद है, वहां 68 हेक्टेअर में मेगा फुड पार्क है, वह वर्षों से स्थापित है तथा विकसित होने के प्रोसेस में है, उसमें सीएसआईडीसी इन्टेक वेल की स्थापना करनी है । माननीय मंत्री जी, मुझे एक लाईन में जरूर बतायेंगे कि यह 5 साल में बनता है, 10 साल में बनता है, 25 साल में बनता है, कितने साल में बनता है, आपके पास इस चीज के लिये क्या समस्या है और नहीं तो मेगा फुड पार्क को बंद करिये ? सभापति महोदय, दूसरी बात आपने पॉवर स्टेशन हेतु जमीन आवंटन मेरे कहने पर सरकार आने के बाद पिछले सत्र में दी थी, जब प्रश्न उठाया तो ? अब उसके लिये पहल करने वाला अधिकारी नहीं है, उसका जमा कौन करेगा, कब बनेगा, क्या बनेगा ? सभापति महोदय, यदि इतने छोटे-छोटे मामलों की मॉनिटरिंग नहीं है तो बड़ी-बड़ी बात हमको करना नहीं चाहिये, ईमानदारी की बात तो यह है । उसको 10 साल से ऊपर हो गया है, किसी प्रोजेक्ट को उदाहरण बनाने के लिये वह उदाहरण है, यह दिखाने के लिये गवर्नमेंट कि प्रेक्टिसेस कैसे होती है ? सभापति महोदय, मेरे ही क्षेत्र में जीजामगांव है, अभी नवजवान पूछ रहे थे, वहां 5 साल तो काम बंद था, अब वह कब पूरा होगा, कितने दिनों में पूरा होगा, वह 10 हेक्टेअर का है । सभापति महोदय, मैं उत्तर में जरूर सुनना चाहूँगा कि पूरा विकसित करने के लिये कितना समय लगता है ? अगर पैसा नहीं है तो बोल दीजिए कि 10 साल में पूरा होगा तो 10 साल बोल दीजिएगा, 20 साल लगेगा तो 20 साल बोल दीजिएगा । मैं संतुष्ट रहूँगा, लेकिन आज के बाद दोबारा इस विषय में बोलूंगा नहीं, क्योंकि यह मेरे स्वभाव के विपरीत है । मैं अपने क्षेत्र के बारे में कभी बात नहीं करता हूँ । सभापति महोदय, तीसरा एक गांव हैं भेंड्रा और इर्रा, ये महोदय लोग थे । कलेक्टर, पंचायत, सचिव, एस.डी.एम. जो है, मैं उस आदमी को खोज रहा हूँ और ऐसे विभाग को पता लगा रहा हूँ कि नरवा-गरवा-घुरवा-बारी के नंबर बढ़ाने के लिये यह जमीन उद्योग विभाग को हस्तान्तरित कर दी गई थी । सभापति महोदय, उद्योग विभाग की जमीन पर अन्य निर्माण कार्य कर

दिये गये । मैं लगातार इस बात को बोलता हूँ कि आप अपनी जमीन को कब्जे में लीजिए । नहीं तो कब्जा छोड़िए और इसके लिए दोषी कौन हैं, वह मुझे बताईए । मैं साल भर से खोज रहा हूं। इन्होंने पॉच साल तो नरवा, गुरूआ, घूरवा, बारी में काम किया । आप कृपा करके मुझे इसमें यह बता दीजिएगा कि इस जमीन को आप मुक्त कराएंगे या नहीं कराएंगे या सरेंडर करेंगे, फिर मैं दूसरी चीज सोचूंगा । उद्योग विभाग से यह काम नहीं हो सकता तो सरेंडर कर दीजिए । काम के लिए भी सरेंडर कर दीजिए, जमीन को भी सरेंडर कर दीजिए ।

सभापति महोदय, मैंने दरबा गांव में व्यक्तिगत रूचि लेकर जमीन दिलवाई और इसलिए दिलवाई कि वहां औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना होगी, सरकारी नौकरी सीमित हैं । वहां 4-5 आई.टी.आई. है, वहां से पढ़कर बच्चे निकलेंगे तो यहीं काम करेंगे या खुद के काम करेंगे । मैं आपको 2 छोटे-छोटे बच्चों से मिलवाऊंगा, जो औद्योगिक क्षेत्र में जगह लिए हैं और काम कर रहे हैं, वे छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं (हाथ के इशारे से बताते हुए) इतने साइज के बच्चे हैं । मैं उन्हें बुलाता हूं तो वे आते हैं । मैं उन दोनों को देखकर प्रसन्न हो जाता हूं । उस जमीन को अधिग्रहण करने का क्या कारण बताया गया है, उसे सुनिए । सीमांकन में ग्रामवासियों द्वारा विरोध किया गया । वह 2017 की जमीन है और अभी 2025 चल रहा है, लेकिन उसका सीमांकन नहीं हो सका । आप मुझे इसका अभी उत्तर दे दीजिए कि इस जमीन को सरेंडर करेंगे ? आप वहां उद्योग नहीं खोल सकते या अधिग्रहित नहीं कर सकते । शासकीय काम में हस्तक्षेप करने के लिए जो मना करे, उन दो लोगों को जेल भेजिए न। आपको किसने मना किया है ? मैंने तो कभी विरोध नहीं किया क्योंकि मैंने उस जमीन को दिलवाई थी । आप 8 साल में आधिपत्य नहीं ले सके । मेरे क्षेत्र में (विपक्ष की ओर इशारा करते हुए) इन लोगों से कोई अपेक्षा नहीं थी । अब इसके बाद मुझे बता दें कि आपको बड़े करेली में जमीन मिल गई है । डांडेसरा और भालूझोलन में आपको जमीन मिल गई है । आप विकसित करेंगे या इसी कछुआ चाल में करेंगे या नहीं करेंगे या मैं जमीन को वापस मांगूं, यह मुझे स्पष्ट जवाब चाहिए क्योंकि मैं इस कार्य प्रणाली का आदि नहीं हूं कि आप 8 साल में जमीन का आधिपत्य नहीं ले सके और कारण बताते हैं कि लोग विरोध कर रहे हैं । औद्योगिक क्षेत्र खोलने पर दुनिया में कहां पर लोग समर्थन करते हैं, यह आप मुझे बताईए । मैं इतने दिन के राजनीतिक जीवन में पहली बार कुरूद के बारे में बोल रहा हूं, यह मैं आपको बता दूं।

सभापति जी, मुझे एक चीज और जाननी है । सीएसआर पॉलिसी आप बनाते हैं क्या, सीएसआर पॉलिसी में उसका क्रियान्वयन कौन करता है ? वे लोग खुद ट्रस्ट बनाकर रखे हैं, वे लोग खुद पैसा लेकर किसमें खर्च करते हैं ? कलेक्टर को देते हैं या मुख्य सचिव को पैसा देते हैं ? आजतक कितना प्रतिशत वे सीएसआर का कार्य करते हैं या छत्तीसगढ़ में सीएसआर पॉलिसी नहीं है या उद्योग विभाग उसको नहीं देखता, मैंने आपका प्रतिवेदन नहीं देखा है । दूसरी बात, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण बड़ा करेंट टॉपिक है । कृपा करके आप मुझे यह बताएंगे कि उद्योगों को जितनी जमीन दी गई है, उनके

एवज में उन्होंने कितनी जमीन में वृक्षारोपण किया है । उद्योग विभाग ने जमीन दी है या उद्योग लगाने की अनुमति दी है तो पर्यावरण के लिए उन्होंने कितनी जमीन लगाई है और आज की तारीख तक जब हम इस विषय में बहस कर रहे हैं तो कितने एकड़ जमीन या कितने हेक्टेयर जमीन में वृक्ष हैं, उसके सत्यापन की प्रक्रिया क्या है, उसकी उत्तरजीविता कितनी है । 100 पेड़ लगाए गए हैं तो 80 पेड़ जीवित हैं या 70 पेड़ जीवित हैं । उसकी देखरेख, उसके आगे के सिस्टम क्या हैं ? मेरे ये दो-तीन विषय हैं । एक तो कुरूद का प्रश्न है, मैंने आपको सीएसआर पॉलिसी और वृक्षारोपण के बारे में पूछा । सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद ।

श्री उमेश पटेल :- इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि इन्हें मंत्री बना दीजिए, नहीं तो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे ।

सभापति□☐ महोदय :- ब्यास जी, दो मिनट आप बोल लीजिए। बिना भूमिका के आप अपनी बात करें।

श्री ब्यास कश्यप (जांजगीर-चांपा) :- माननीय सभापति□☐ महोदय, आज लखनलाल देवांगन जी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जी के विषय में मैं तैयारी किया था। मैं अपने मन की बात कहने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति□ महोदय, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ये उद्योग नीति□☐ में बड़े-बड़े उद्योगपति मनबर बड़े बड़े समिट कराए बर अडाणी, अंबानी मन कस इहां आवथे। छत्तीसगढ़ के हमर भोलेभाले जनता मन के जमीन जाहि, काम धंधा आहि, हम ओखर विरोध नई करथन। पर ये बात के मन में पीड़ा हे कि उद्योग खुलय अउ स्थानीय व्यक्ति□☐ मन ला ओखर लाभ मिलय। चिन्ता ये बात के हे कि छत्तीसगढ़ में लंबा समय ले महूं राजनीति□क क्षेत्र में काम करत हौं, जब बड़े बड़े उद्योगपति□☐ मन उद्योग लगाए बर आथे, जनसुनवाई होथे, त जन सुनवाई ला कईसने मैनेजे करथे, नेतामन ला कईसने मैनेज करथे, येखर जानकारी हे कि डर अऊ भय ये बात के लिए हे। कि हमर जल, जंगल, जमीन, पानी, कोयला सबके उपयोग होवय, परंतु स्थानीय आदमीमन ला ओखर भी लाभ होना चाहिए। ये अनुभव के हिसाब से मैं अपन बात ला बोलत हौं। प्रदूषण के विशय आथे। हमन किसान हन, धान बोआए रथे, जब धान के फसल पकके तैयार हो जाथे, त प्रदूषण के नाम से हमर धान करिया हो जाथे। तेला सोसायटीवाला मन बिसाय नहीं। त कम से कम सरकार ये विषय ला गंभीरता से ले। हजारों एकड़ में कई प्रकार के प्रदेश में जतका उद्योग हे, वहू मन में ये चिन्ता के विषय हे कि ओ धान ला कम से कम लेके व्यवस्था सरकार के तरफ से हो जाना चाहिए। खुला मॉ जो राखड़ जाथे, जईसना नई तईसना जगह में पाट देथे, तालाब में पाट देथे, खुला जगह में देख के पाट देथे और पाटे ले जो हवा गर्रा मॉ राखड़ अऊ कोइला मन के राखड़ मन जब उड़ियाथे येखर ले भारी नुकसान नागरिकमन ला भी होथे, हमर फसलमन ला भी होथे। तो कम से कम बेहतर व्यवस्था होना चाहिए। उद्योग खुलथे, पर सड़क

जतका कस बड़े-बड़े गाड़ी, घोड़ा, ओ क्षेत्र में गुजरथे, ओ अनुपात में सड़क नई बने रहय, परंतु ओ सड़क के व्यवस्था भी बेहतर ढंग से नहीं हो सकय। नौकरीपेशा के बात आथे, बार बार हमर क्षेत्र में डिमांड आथे कि भैईया हमन ला नौकरी मिलय। हमन कोई सरकारी नौकरी के बात नई करन, पर ओ उद्योग में जो बाहर-बाहर प्रदेश के ठेकदार मन आके जो ठेका ले रथे, उहूमन ला हमर स्थानीय नौकरी से तकलीफ होथे और बाहिर से आथे तेमन ज्यादा पइसा पाथे अऊ हमर इहां के मजदूरमन कम पइसा में काम करे बर मजबूर हो जाथे। ओमन ला उचित मूल्य नई मिल पाय।

शासन ककरो रहय, श्रम विभाग ह अपन नियम और नीति□ बनाथे। ओखर पालन भी ठीक से नई हो पाए। हमर सबो संगवारीमन कहत रहिन कि ग्रीन बेल्ट हरियाली होना चाहिए। हरियाली के विशय में खाली ये मन कागज में शो करथे। परंतु कहीं पर वो बात कहीं दिखय नहीं। शासन चुस्त-दुरुस्त होके ये सब नियम के पालन होना चाहिए। वृक्षारोपण ला विशेष महत्व देना चाहिए।

सभापति□ महोदय :- कश्यप जी, आप अपने क्षेत्र की बात करके खत्म करिए।

श्री ब्यास कश्यप:- माननीय सभापति□ महोदय,सीएसआर के बात आगे भैइया। सीएसआर मद के उपयोग क्षेत्र में होवय नहीं। पता लगथे कि रायपुर में खरचा होगे, आने-आने जिला मा खर्चा होगे, बड़े बड़े आदमीमन सीएसआर के पइसा अपन ढ़ंग से ले जाथे। ये वास्तव में बड़ा तकलीफ के बात हे। मोर जिला जांजगीर-चांपा के बता थौं कि जिला मुख्यालय जांजगीर अऊ चांपा के बीच में हसदेव नदी बहथे। एक कती पीआईएल के प्रदूषण ला झेलथन अऊ दूसरा कती जतका क्रेसर हे, नदी के तीर में जाके सड़क ला खा दिन, सबला काट दिन। उहॉ लगातार जो क्रेशरिंग होवथे, ओ क्रेशर होएले उहां ला बड़ा तकलीफ इहां हो जात हे। ये बात के अच्छा बात लगिस कि जांजगीर-चांपा मा स्मार्ट इंडस्ट्रीज़ बर छत्तीसगढ़ में 195 करोड़ के राशि जारी करे हे, ओमे हमर जांजगीर-चांपा जिला भी शामिल हे। पूर्व में डॉ. रमन सिंह जी की सरकार रहिस, अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के कापन ला भी कोई योजना में शामिल करे गे रहिसे। पर अभी तक कहीं पर कुछू उहॉ निर्माणे नई हो पाहे, त अइसने झन हो जाए कि जांजगीर चांपा जिला के जो बिर्रा कती के क्षेत्र ला लेहे गे हे, तो कापन कस झन हो जाए। कम से कम समय में ऐखर लाभ क्षेत्र के जनता ला मिलना चाहिए।

सभापति□ँ महोदय, मैं श्रम विभाग के विषय में एक मिनट बोलथंव कि मिनीमाता कन्या विवाह योजना ला कृपा करके पुन: चालू करके ओमन ला पर्याप्त राशि दे जाए। गंभीर बीमारी अऊ चिकित्सा बर जो हमर श्रमिक भाई हे, ओमन ला पुन: ज्यादा योजना के तहत यानि की अधिक राशि ओमन ला दिया जाए अऊ योजना के ऑनलाईन आवेदन नई हो पात हे, जे ला पोर्टल में ऑनलाइन कराना सुनिश्चित किया जाये। उदाहरणत: फलस्वरूप सुरक्षा उपकरण, सायकिल, सिलाई मशीन और औजार तत्काल ऑनलाइन पोर्टल में दिखावय जाये ताकि ऑनलाइन किया जा सके और हमर श्रमिक भाई ला योजना के लाभ मिल सके।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त किरये।

श्री व्यास कश्यप :- सभापति महोदय, मैं अंतिम कुछ बातें कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। श्रमिक वीर नारायण सिंह श्रम योजना चलत हे। यह सरकार के अच्छी योजना हे अउ स्वागत योग्य हे। उस योजना में 54, 55 रूपये के राशि शासन कति ले निर्धारित हे। 5 रूपये मा मजदूर भाई मन ला भोजन उपलब्ध करावत हे। यह बहुत अच्छी बात हे। परंतु ओ हर जो योजना चलात हे, वह झूठा बर्तन ला धोवावत हे, यह उचित बात नहीं हे।

सभापति महोदय :- चलिये, आप समाप्त करिये। आप ज्यादा आक्रमक हो रहे हैं। आप शांति से बोलिये। मंत्री जी।

श्री व्यास कश्यप :- सभापति महोदय, कड़ाई से शासन हर ओकर व्यवस्था के पालन करे। आप ला मोला कहे बर अवसर प्रदान करे हे, तेकर बर धन्यवाद।

सभापति महोदय :- हो गया। माननीय मंत्री जी।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात रखूंगा।

सभापति महोदय :- चलिये, आप एक मिनट बोल लीजिये।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, यहां बहुत से सदस्य सी.एस.आर. की बात कर रहे थे। मैं सिर्फ आधे मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कुछ स्पष्ट निर्देश दे क्योंकि सी.एस.आर. मद का नीचे दुरूपयोग हो रहा है। मैं एक बहुत छोटा-सा उदाहरण दे रहा हूं कि अकलतरा का पैसा जांजगीर भेजा जाता है और नगर में हमारे ग्रामीण का ब्लॉक काम कराता है। यह स्पष्ट रूप से मेरे प्रश्न के उत्तर में आया है। इस तहर की धांधली बंद हो और मंत्री जी इस पर स्पष्ट निर्देश देने का कष्ट करें।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, अब आप बोलिये। (मेजों की थपथपाहट)

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, यह अजय चन्द्राकर जी खुश होकर मेज थपथपाते हैं या गुस्से में मेज थपथपा रहे हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, गुस्से का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आज उन्होंने विद्युत विभाग का 3 लाख करोड़ रूपये का एम.ओ.यू. किया है। आप इसे समझ रहे हैं ? परिदृश्य बदल देंगे। उसके लिये कैसा गुस्सा ?

वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम मंत्री (श्री लखनलाल देवांगन) :- माननीय सभापति महोदय, मैं अपने उद्योग विभाग और श्रम विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

समय:
2.37 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

सबसे पहले मैं हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा उद्योग लगाने का काम किया है। (मेजों की थपथपाहट) पांच साल तक कांग्रेस की भी सरकार थी और इन पांच सालों में कांग्रेस की सरकार ने एम.ओ.यू. तो बहुत ज्यादा किये परंतु उन्होंने कितने उद्योग स्थापित किये, यह तो उन्हीं को बताना चाहिए। अभी वह बड़ी-बड़ी बात कह रहे थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, अभी आप कह रहे थे कि आपको मंत्री बनने के बाद पता चला कि रमन सिंह जी ने सबसे ज्यादा उद्योग खोले हैं और इन्होंने सबसे ज्यादा एम.ओ.यू. किये हैं। आपको यह भी पता लग गया होगा कि एम.ओ.यू. का पर टन चार्ज कितना था। आप यह पता करिये।

श्री लखनलाल देवांगन :- अध्यक्ष महोदय, उसके बारे में आपने बता दिया है। मैं अब उस विषय में ज्यादा नहीं जाना चाहता। अभी हमारी सरकार बनने के बाद हमने 1 नवंबर, 2024 को नई उद्योग नीति लागू की है और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की राह पर चलकर, जिस तरह से उन्होंने 2047 तक विकसित भारत की योजना बनाई है, उसी को लेकर हम लोग भी माननीय विष्णु देव साय जी के निर्देशन पर 1 नवंबर, 2024 को एक उद्योग नीति लागू की है और वह 2030 तक लागू रहेगी। निश्चित तौर पर अभी जिस तरह से हमारी उद्योग नीति में हमारे देश और हमारे प्रदेश के उद्योगपतियों ने रूचि दिखाई है और अल्प समय में ही हम लोगों को 01 लाख करोड़ रूपये से ज्यादा का प्रस्ताव मिल चुका है। हम जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ में उद्योग स्थापित करेंगे। मेरे पास श्रम विभाग और उद्योग विभाग है। यदि मैं एक तरह से बात करूं तो यह दोनों विभाग जुड़वा भाई हैं। यहां जितने ज्यादा उद्योग लगेंगे, उतना ही हमारे छत्तीसगढ़ के नौजवान साथियों को रोजगार मिलेगा और हमारा छत्तीसगढ़ विकास की ऊंचाई को छुएगा। इसमें हमारे माननीय सदस्यगणों ने बहुत सारे सुझाव दिये हैं, इस पर उनके बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव आये हैं, हम लोग उसको अमल करने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसे सम्माननीय श्री दलेश्वर साहू जी, सम्माननीय श्री राजेश मूणत जी, सम्माननीय श्री कुंवर सिंह निषाद जी, सम्माननीय श्री प्रमोद मिंज जी, सम्माननीय श्री देवेन्द्र यादव जी, सम्माननीय श्री सुशान्त शुक्ला जी, हमारे वरिष्ठ सदस्य सम्माननीय श्री अजय चन्द्राकर जी, सम्माननीय श्री ब्यास कश्यप जी और सम्माननीय श्री राघवेन्द्र सिंह जी, इन सभी के द्वारा हमें महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं। निश्चित तौर पर जो अच्छे सुझाव हैं, हमारे विभाग द्वारा उनको अमल करने का पूरा प्रयास किया जायेगा। यहां पर जो-जो माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे थे। अभी यहां बड़ी-बड़ी बातें कह रहे थे कि यहां यह नहीं हुआ और वहां वह नहीं हुआ। जब मेरा जवाब देने का समय आया तो वह बाहर चले गये हैं। चूंकि तब भी मैं बता देता हूँ कि हमारे माननीय सदस्य श्री देवेन्द्र यादव जी कह रहे थे कि हमारे न्यूनतम वेतन भुगतान अधिनियम अंतर्गत शिकायतों के लिए कोई काम नहीं किया जाता। इसमें

मैं बताना चाहूंगा । उन शिकायतों पर हमारे 1 हजार 757 श्रमिकों को 2 करोड़ 46 लाख 70 हजार 795 रूपये का भुगतान न्यायालय के बाहर करवाया गया तथा अधिनियम अंतर्गत न्यूनतम वेतन भुगतान न करने वाले नियोजकों के विरूद्ध 26 दावा प्रकरण, 4 करोड़ 53 लाख 2389 रूपये का सक्षम न्यायालय में दायर किया गया। इस तरह से विभाग के द्वारा हर क्षेत्र में काम करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे कुंवर सिंह निषाद जी यह बोल रहे थे कि श्रम विभाग में श्रम निरीक्षकों की कमी है तो मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारे श्रम निरीक्षकों के स्वीकृत पद 103 हैं, जिसमें 85 पद भरे हुए हैं, श्रम निरीक्षक के 47 पद हैं जिसमें हमारे 43 पद भरे हुए हैं जिसमें कुल 150 और 128 हैं । उसी तरह से जिला बालोद के सभी जिला श्रम कार्यालयों में श्रम अधिकारी, सहायक श्रम अधिकारी पदस्थ हैं। बालोद जिले में शीघ्र ही श्रम अधिकारी पदस्थ कर दिये जाएंगे। हमारे सम्माननीय राजेश मूणत जी ने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया। आपके कार्यकाल में शहीद वीर नारायण अन्न योजना जो चलती थी, अभी श्रम विभाग का कार्यक्रम था, उस समय माननीय राजेश जी आप भी उपस्थित थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की कि फिर से सभी जिलों में यह योजना प्रारंभ हो। पूर्व में कांग्रेस के कार्यकाल में यह योजना केवल कागजों में सिमट कर रह गयी थी हम लोगों ने श्रम योजना में 13 जिलों में 31 भोजन केन्द्र संचालित कर दिये हैं और पूरे जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार हम लोगों ने इसे टेण्डर की प्रक्रिया में ले आएं हैं और जल्द से जल्द हम लोग इस टेण्डर की प्रक्रिया को पूरा करके, फिर से सभी जिलों में शहीद वीर नारायण अन्न योजना प्रारंभ करेंगे ताकि हमारे श्रमिकों को उसका पूरा-पूरा लाभ मिले। माननीय महोदय जी का काफी अच्छा सुझाव था, मैं उनको धन्यवाद् देता हूँ। इसी तरह से हमारे कुंवर सिंह निषाद जी कह रहे थे कि उद्योगों में रियायतों का उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें सही तथ्य यह है कि 1420 करोड़ रूपये में 1 हजार करोड़ रूपये विभिन्न प्रकार के उद्योगों के अनुदान के लिए दी जायेगी और हम लोगों के द्वारा औद्योगिक विकास नीति 2023 बंद उद्योगों की सहायता के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) इसी तरह से हमारे माननीय राजेश मूणत जी कह रहे थे कि रोजगार के द्वारा आई.टी. और उद्योगों के बीच एम.ओ.यू. किये जा रहे हैं जिससे युवा प्रशिक्षण की गतिविधियों को उद्योग में अनुभव कर सकेंगे। इसके लिए भी विभाग के द्वारा काम करना प्रारंभ कर दिया गया है। इसी तरह से हमारे माननीय राजेश मूणत जी कह रहे थे कि विभाग की अधिसूचना 11 जुलाई 2024 के द्वारा पुराने आर.सी.सी. रेट कॉन्ट्रेक्ट को 31 जुलाई 2024 से बंद किये जा चुके हैं। पूर्ण रूप से जेम पोर्टल लागू कर दिया है। इस तरह से लगातार हमारी सरकार आने के बाद विभाग के द्वारा काम किया जा रहा है। इसी तरह से सम्माननीय देवेन्द्र यादव जी कह रहे थे कि हमारे छत्तीसगढ़ में जंगल से पैदावार होती है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैं उसको बताना चाहूंगा कि औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत 1 नंवबर 2024 के पश्चात स्थापित होने वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्योग थ्रस्ट सेक्टर के अंतर्गत शामिल किया गया है। थ्रस्ट सेक्टर

के उद्योग को सामान्य उद्योग की तुलना में अधिक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा। बृहद श्रेणी के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के अंतर्गत अध्याय 3 औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज निर्मित किया गया है। बजट 2025-26 में औद्योगिक इकाई की लागत पूंजी अनुदान हेतु 700 करोड़ रुपये एवं ब्याज अनुदान हेतु 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से जिसके संबंध में हमारे माननीय सदस्य जी कह रहे थे, हमारे उद्योग विभाग के द्वारा करेलीबड़ी और भालूझुनझुन में जमीन मिली है, उसका शुक्रवार को सीमांकन किया गया है। आज ही राजस्व अभिलेख में उद्योग विभाग का नाम आया है। आज ही मौके पर अधिपत्य लिया गया है और जल्दी से जल्दी इस काम को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अब वह 8-10 साल का बोल रहे थे, अभी सरकार बनने के बाद नई उद्योग नीति आई है। अजय चन्द्राकर जी ने जो-जो बात सुझाव दिये हैं, हमारे अधिकरीगण बैठे हैं, हम उसको तत्काल आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी तरह से भेन्डरा की जमीन उद्योग विभाग को प्राप्त हो गई है। ग्रामीणों द्वारा विरोध करने के लिए कारण अभिव्यक्त लेने में समय लग रहा है। कलेक्टर से चर्चा कर निराकरण किया जाकर हम लोग जल्दी से जल्दी उसके विकास के काम को आगे बढ़ायेंगे और जो भी वहां की जनता विरोध कर रही है, उसके लिए आप भी सहयोग करेंगे, क्योंकि आप उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं और आपके समझाने से वह मान जायें। क्योंकि उद्योग लगेगा तो उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा और उस क्षेत्र का विकास भी आगे बढ़ेगा। इसी तरह से सी.एस.आर. केन्द्र सरकार के कंपनी अधिनियम 2013 धारा 135 के अंतर्गत प्रावधानित है। अनुसूची 7 में उल्लेखित कार्यों में व्यय कंपनी द्वारा किये जाने का प्रावधान है। राज्य के नियंत्रण के लिए हम लोग केन्द्र सरकार को पत्राचार भी कर रहे हैं और किये भी हैं और आगे भी अनुरोध करते रहेंगे ताकि राज्य सरकार को उसका अधिकार मिले और वह हमारे नियंत्रण में आ सके, इसके लिए भी हमारा प्रयास हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सदस्य ने जो-जो सुझाव दिया था, मैंने उसकी जानकारी रखा। हमारी सरकार द्वारा राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु 1 नवंबर 2024 को औद्योगिक विकास नीति 2024-30 लागू की गई है। इस नीति का मूल विषय अमृत काल छत्तीसगढ़ विजन 2047 रखा गया है। राज्य के सभी जिलों में, विकासखंडो में औद्योगिक एवं सेवा गतिविधियों के विकास के लिए जाना है। अध्यक्ष महोदय, प्रथम बार किसी राज्य ने अपनी नीति को विकास का आधार बनाकर रोजगार प्रदान करने के लिए जोर दिया है। (मेजों की थपथपाहट) इसके लिए श्रम प्रधान उद्योग को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। जो अधिकतम रोजगार प्रदान करने में सक्षम हैं, विशेषकर जो इकाई 1000 से अधिक रोजगार सृजित करेगी, उन्हें मंत्रिमंडल उप-समिति द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा। इकाई के द्वारा दिव्यांगजन, सेवानिवृत्त, अग्निवीर, आत्म समर्पित नक्सली को रोजगार दिये जाने पर भी इस विषय पर विशेष अनुदान का प्रावधान किया जायेगा। (मेजों की थपथपाहट) स्थानीय श्रमिकों को औपचारिक रोजगार में परिवर्तित करने के लिए प्रशिक्षण प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया

है। उद्योग में नियोजित राज्य के निवासियों के प्रशिक्षण के प्रति 15 हजार प्रशिक्षणवृत्ति प्रतिपूर्ति एवं कर्मचारियों पर होने वाले ई.पी.एफ. व्यय के प्रतिपूर्ति का भी प्रावधान किया गया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु औद्योगिक नीति 2024-30 के अंतर्गत स्थापित होने वाले औद्योगिक इकाई को विभिन्न अनुदान छूट प्रावधान किया गया है । जैसे कि ब्याज अनुदान, समाधि ऋण पर भुगतान, किए गये ब्याज की 40 से 55 परसेंट तक का जो 5 से 8 वर्ष तक देय होगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थायी पूंजी निवेश अनुदान जो इकाई द्वारा किए गए पूंजी निवेश का 30 से 45 प्रतिशत की अनुदान राशि है । मॉर्जिंग मनी अनुदान जो परियोजना लागत 25 प्रतिशत अधिकतम सीमा 100 लाख तक की है, परियोजना प्रतिवेदन जो पूंजी निवेश का भी 1 प्रतिशत अधिकतम सीमा 10 लाख तक का है । माननीय अध्यक्ष महोदय, गुणवत्ता प्रमाणीकरण, अनुदान जो भुगतान की गई है राशि का 50 प्रतिशत अधिकतम सीमा 10 लाख तक का है, प्रौद्योगिक क्रय अनुदान जो कि भुगतान की गयी राशि का अधिकतम 10 लाख तक का है । स्टाम्प शुल्क जो भूमि-भवन, बैंक ऋण भुगतान में पूर्ण रूप से छूट 6 वर्ष से 10 वर्ष तक विद्युत शुल्क में पूर्ण रूप से छूट का प्रावधान किया गया है । हमारी सरकार पिछली सरकार की तरह अनुदान सिर्फ कागजों में नहीं बांटना चाहती इसलिए उद्योग विभाग के बजट का आकार बढ़ाया है । इसमें पिछली सरकार से असंतुलित चल रहे अतिरिक्त मांग की भी पूर्ति का प्रावधान किया गया है, सरकार में जो लोग अपना अनुदान नहीं दे पाए उसको भी हम लोग इस बार के माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में प्रावधान करके उसके अनुदान का भी वितरण हम लोग इसी वित्तीय वर्ष में कर रहे हैं । (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से हमारी सरकार औद्योगिक विकास नीति 2030 अंतर्गत कई सेवाओं में प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता को भी समाप्त करते हुए स्वघोषणा मान्य किया जा रहा है जिससे प्रक्रिया भी सरल हो गई है जैसे पहले प्राथमिकता के क्षेत्र में उद्योग के लिए भूमि आवंटन में छूट पाने के लिए संचालक द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होती थी । अब इस प्रमाण-पत्र को स्वघोषणा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नवीन औद्योगिक विकास नीति 2024-30 Artificial intelligence, AI Robotics IT और Startup के लिए पृथक पैकेज का प्रावधान किया गया है यह निर्णय न केवल छत्तीसगढ़ को तकनीकी औद्योगिक रूप से सशक्त बनाएगा बल्कि इसे एक प्रमुख Technology हब के रूप में स्थापित करने में भी सहायक होगा इससे प्रदेश के युवा उद्यमी, Startup और निवेशकों को एक नयी दिशा मिलेगी । तकनीकी नवाचार क्षेत्र के उत्कृष्ट कार्य कर सकेंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के सभी विकासखंडों में औद्योगिक क्षेत्र एवं पार्कों की स्थापना किया जाना है । औद्योगिक क्षेत्र पार्कों की स्थापना हेतु भूमि का चयन किया गया है

तथा वर्तमान में 34 औद्योगिक क्षेत्रों पार्कों की स्थापना की जा चुकी है । आने वाले समय में 4 नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है । (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के विभिन्न जिलों में...।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी, एक मिनट । आप 4 नये उद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने जा रहे हैं उसके लिए हमारी बधाई स्वीकार कीजिए लेकिन धमतरी जिला में, धमतरी विधानसभा कह लें, जिला कह लें, वहां औद्योगिक क्षेत्र नहीं है तो धमतरी प्रॉपर विधानसभा कह लें या जिला मुख्यालय कह लें क्या उसमें औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना इन चारों में से किसी की करेंगे ? या उसकी प्रक्रिया शुरू करेंगे क्या ? मुझे यह जानना था ।

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो-जो सुझाव आ रहे हैं, उस पर निश्चित तौर पर विचार किया जाएगा और हम लोग तो चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा काम हो और हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य ने कहा है, निश्चित तौर पर उसको हमारे अधिकारीगण नोट कर रहे हैं, उसमें हम लोग जरूर प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। राज्य के विभिन्न जिलों में नवीन फूड पार्क, रायपुर जिले में जैम एवं ज्वेलरी पार्क, रायपुर जिले के ग्राम सरोरा में प्लास्टिक पार्क तथा नया रायपुर में फार्मास्युटिकल पार्क, जांजगीर-चांपा में स्मार्ट इण्डस्ट्रियल पार्क की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया योजना एवं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। औद्योगिक नीति 2024-30 के अंतर्गत राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए एक नई योजना छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना का प्रावधान किया गया है, जिसमें ब्याज मुक्त निधि दी जायेगी। राज्य में युवाओं के कौशल उन्नयन हेतु रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव में अपेरल ट्रेनिंग एवं डिजाइनिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जिला दुर्ग में भारत सरकार के एम.एस.एम.ई. मंत्रालय के सहयोग से टूल रूम की स्थापना की गयी है। उक्त सेंटर के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के औद्योगिक इकाइयों के अनुदान, छूट एवं संबंधित प्रकरणों के निराकरण हेतु सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की गई है, जिसमें इकाइयों की प्रकरणों का समय अवधि में निराकरण किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वाणिज्य उद्योग विभाग के छत्तीसगढ़ द्वारा नई दिल्ली-23 दिसंबर, 2024 और मुंबई-23 जनवरी में आयोजित इन्वेस्टर कान्वेन्ट सम्मेलन, जिसमें हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी गए हुए थे, इसमें हम लोगों की सफलता पर मैं गर्व व्यक्त करता हूं। यह आयोजन औद्योगिक विकास यात्रा में ऐतिहासिक कदम है, जिसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ के निवेश संभावनाओं को प्रमुख उद्योगपतियों एवं वैश्विक निवेशकों के समक्ष प्रस्तुत करना था। पिछली सरकार में बिना ठोस तैयारी के उद्योगों के साथ एम.ओ.यू. कर दिए जाते थे, जिससे राज्य को अपेक्षित लाभ नहीं

मिल पाता था। हमारी सरकार द्वारा एम.ओ.यू. के स्थान पर इन्वीटेशन टू इन्वेस्ट जारी कर रही है। यह उन निवेशकों को दिया जाता है जो निवेशक हमारी औद्योगिक नीति एवं अनुदान प्रोत्साहन से प्रभावित होकर राज्य में निवेश करने की अभिरूचि लिखित में प्रस्तुत करते हैं। इन्हीं इन्वीटेशन टू इन्वेस्ट केवल एम.ओ.यू. का विकल्प पत्र नहीं है, बल्कि विस्तृत चर्चा उपरांत निवेशकों को दिये जाने वाला विश्वास पत्र है। माननीय अध्यक्ष महोदय औद्योगिक विकास नीति लागू होने के मात्र 125 दिन कुल 31 प्रस्ताव राशि 1 लाख करोड़ रूपये से अधिक निवेश के प्रस्ताव हो चुके हैं। यह हमारे राज्य के लिए कीर्तिमान है। पॉलीमेटेड इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने 1143 करोड़ रूपये के निवेश का प्रस्ताव दिया है। इसी तरह कंपनी का देश का दूसरा प्लांट नवा रायपुर में बनने जा रहा है। इसी तरह एसफेन एंड एम्प्लायीसेंस और रैंक बैंक डेटा सेंटर ने भी नया रायपुर में उद्योग लगाने के लिए जमीन का चयन कर लिया है। अपेरल ग्रीन एनर्जी में मुंगेली में सोलर पावर के लिए भूमि का चयन किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम बार औद्योगिक विकास नीति 2024 पर्यटन उद्योग दर्जा देते हुए अनुदान में विभिन्न छूटों का प्रावधान किया गया है। राज्य के बजट में पहली बार छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स को नया रायपुर अटल नगर में कार्यालय निर्माण हेतु 5 करोड़ रूपये के बजट के प्रावधान के साथ रियायती दर पर भूमि आवंटन किये जाने का निर्णय प्रदेश के व्यापार उद्योग जगत के लिए एक स्वागत योग्य पहल है। (मेजो की थपथपाहट)

समय
3.00 बजे

माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे व्यापारिक संगठनों को मजबूत मंच मिलेगा, जिससे राज्य में औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियों में बेहतर भूमिका निभा सकेंगे । अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त 6 जिले राजनांदगांव, जगदलपुर, कोंडागांव, बालोद, महासमुंद, बिलासपुर में नया जिला व्यापार औद्योगिक केन्द्र कार्यालय के भवन निर्माण के लिए 15 करोड़, 60 लाख रूपए का बजट प्रावधान किया गया है । जिला उद्योग कार्यालय के निर्माण से प्रशासनिक कार्यों की क्षमता बढ़ेगी और उद्यमियों को सरकार की नीति का त्वरित लाभ मिलेगा । अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी की पिछली सरकार ने 15 वर्षों में प्रदेश की तीव्र गति से विकास की बुनियाद रखी थी, आपने जिसकी बुनियाद रखी थी । हमने उसको आगे बढ़ाकर राज्य को विकसित राज्य बनाएंगे । मैं इस सदन को विश्वास दिलाता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति में छत्तीसगढ़ राज्य का महत्वपूर्ण योगदान होगा । मैं वित्तीय वर्ष 2025-26 की मांग संख्या 11 में 710 करोड़ रूपए बजट प्रावधान के लिए हमारे मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा । उसी के साथ कुल मिलाकर बजट में प्रावधानिक अलग-अलग विभाग से 1420 करोड़ रूपए के बजट का

प्रावधान किया गया है । मैं सदन से अनुरोध करता हूं इसे सर्वसम्मति से पास करने का कष्ट करें । अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मेरे पास श्रम विभाग का भी दायित्व है । आपकी अनुमति होगी तो श्रम विभाग के बजट के बारे में भी बताना चाहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मोटे-मोटे बिंदुओं को बता दीजिए । आपके सारे प्रस्ताव से सदन सहमत है, मोटे-मोटे बिंदु बता दीजिए ।

श्री लखनलाल देवांगन :- अध्यक्ष महोदय, श्रम विभाग के द्वारा हम संगठित, असंगठित एवं निर्माण क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के परिवार के सदस्यों एवं उनके आर्थिक विकास का दायित्व सम्पादित किया जाता है । उनके हित में अनेक कार्य किये जाते हैं, हमारे श्रमिक कैसे आगे बढ़ सकें, कैसे उन्नति कर सकें, इसके लिए हमारे वित्त मंत्री जी ने, हमारे वित्त मंत्री जी ने लगातार प्रयास किया है । मैं सारांश में बता देता हूं श्रम संगठन के लिए 29 करोड़, 40 लाख, 94 हजार, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार समाजिक सुरक्षा मंडल के लिए 125 करोड़, 10 लाख, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के लिए 6 करोड़, संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए 6 करोड़, 24 लाख 25 हजार, औद्योगिक हाईजीन प्रयोगशाला स्थापना के लिए 1 करोड़, 51 लाख, 40 हजार, संचालक कर्मचारी बीमा सेवाओं के लिए 64 करोड़, 18 लाख, 65 हजार, औद्योगिक न्यायालय के लिए 22 करोड़, 85 लाख, 95 हजार रूपए का प्रावधान किया गया है । चूंकि आज दो तीन विभागों के का बजट प्रस्ताव भी आना है । इसलिए मैं सदन से निवेदन करूंगा कि मेरे दोनों विभागों की मांग, वाणिज्य विभाग की मांग संख्या 11 एवं श्रम विभाग की मांग संख्या 18 के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करें । आप सब लोगों ने सुझाव दिया और अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया इसके लिए धन्यवाद् ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं, पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 11 एवं 18 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जाएं ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं मांगों पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या - 11 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय के लिये - सात सौ नौ करोड़, सत्तासी लाख रूपये तथा

मांग संख्या - 18 श्रम के लिये - दो सौ पचपन करोड़, इकतीस लाख, नौ हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

(2) मांग संख्या 34 समाज कल्याण

मांग संख्या 55 महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय

अध्यक्ष महोदय :- वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में स्वीकृत राशि की मांगों के बारे में प्रस्ताव। श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, महिला एवं बाल विकास मंत्री।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) :- अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करती हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या - 34 समाज कल्याण के लिये - एक सौ तैंतीस करोड़, पंचानबे लाख,पचपन हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 55 महिला एवं बाल विकास के लिये - चार हजार एक सौ ग्यारह करोड़, तीस लाख, अट्ठाईस हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

मांग संख्या - 34

समाज कल्याण

1. श्रीमती अनिला भेंडिया	3
2. श्रीमती शेषराज हरवंश	2

मांग संख्या - 55

महिला एवं बाल विकास

1.	श्रीमती अनिला भेंडिया	1
2.	श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल	1
3.	श्री ब्यास कश्यप	1
4.	श्रीमती शेषराज हरवंश	2

अध्यक्ष महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

अध्यक्ष महोदय :- अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी। श्रीमती अनिला भेंडिया जी प्रारंभ करेंगी।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अजय चंद्राकर :- एक मिनट भर सुन ले।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- पहली ले ही एक मिनट ले लेबे ताहन ओ तरफ कटौती हो जही।

श्री अजय चंद्राकर :- पिछले बार जे-जे काम नई कर सके हस तेखर बर सदन से क्षमा मांग लेबे, मैं भूपेश बघेल जी के दबाव में नई कर पांव, करना चाहत रेहेव। छत्तीसगढ़ के ही तो बात ए, क्षमा मांग लेबे ओमे का हे।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- निरंतर प्रक्रिया ए, कोई भी सरकार आथे अउ जाथे।

श्री अजय चंद्राकर :- में काम करना चाहत रेहेंव, ओखर दबाव में नई कर सकेंव स्वीकार कर ले।

अध्यक्ष महोदय :- अजय जी, अनिला जी, आपकी पड़ोसी है न, आप परेशान क्यों करते हो ? (हंसी)

श्रीमती अनिला भेंडिया (डौंडीलोहारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या, 34 समाज कल्याण विभाग एवं मांग संख्या 55 महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय के विरोध में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं सबसे पहले आंगनबाड़ी भवन से ही शुरू करना चाहूंगी। आंगनबाड़ी भवन, पूरे प्रदेश के लिए है, मेरी विधान सभा या बालोद जिले की बात नहीं है। हमारी विधान सभा में सभी सदस्यों ने आंगनबाड़ी भवन की मरम्मत और जहां पर आंगनबाड़ी भवन बने नहीं हैं। खासकर नगरीय क्षेत्रों में इनकी मांग अधिक होती है। अभी एक सदस्य के जवाब में दिया गया था कि जमीन की उपलब्धता न होने के कारण ये परिस्थितियां बनती हैं। यदि शासन के अधिकारियों के द्वारा इसके लिए प्रयास किया जाये तो ये भवनें वहां पर जरूर निर्मित हो सकती हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सी भवनें हैं तथा सामाजिक भवनों व अन्य भवनों में वह लगाये जा रहे हैं। जिसके कारण आज सरकार को उसमें किराया देने से बहुत सारा नुकसान हो रहा है। यदि हमारे शासन की ही बिल्डिंग उपलब्ध हो जाये तो इससे सरकार का बजट भी बचेगा और किराये के पैसे को भी रोका जा सकता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि ऐसी जगहों में जहां पर भवन नहीं हैं, वहां पर इसके लिए तत्काल भवन बनाये जायें। कहीं पर अहाता नहीं है, कहीं पर पानी की सुविधा नहीं है तो कहीं पर शौचालय की सुविधा नहीं है। वहां पर छोटे-छोटे बच्चे रहते हैं तो ये सब व्यवस्थाएं तुरंत होनी चाहिए। इसी तरह पोषण अभियान है। यह तो पूरी केन्द्र सरकार की योजना है, परंतु उसमें हमारे राज्य का भी कुछ अंशदान रहता है। लेकिन पोषण अभियान के बावजूद भी आज भी हमारे क्षेत्र में कुपोषित बच्चों की संख्या बहुत अधिक है। 2 लाख, 54 हजार, 252 कुपोषित बच्चे हैं।

कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यह बताइये कि आपने 5 सालों में ये सब क्यों नहीं किया ? यदि आपने ये सब किया होता और 1 साल में ये सब किया होता तो आज आप लोगों को हम लोगों से इतने प्रश्न ही नहीं करने पड़ते। आप यह बताइये ?

समय :

3.11 बजे

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)

श्रीमती अनिला भेंडिया :- भैया, आप 5 साल में देखिये। यदि आप लोगों ने 15 सालों में इसको किया होता तो हम लोगों को इधर नहीं बढ़ाया होता। यह इसलिए है।

श्री रामविचार नेताम :- देखिये, आपको महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अभी मैं उसमें बोल रही हूं। मेरे को नहीं मिल रहा है।

श्री रामविचार नेताम :- आपको उसका लाभ मिल रहा है या नहीं ? आप अपना आवेदन दीजिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, हम लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं। महोदया को इसका लाभ नहीं मिल रहा है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- सभापति महोदय, मैं इसमें बोलूंगी। मैं आगे इसमें भी बोलती हूं। आप सुनिये न। इसी तरह पोषण अभियान में 5 साल तक जब हमारी सरकार थी तो उस समय इसमें बहुत कमी आयी थी। 15 साल तक आपकी सरकार थी और उस समय कुपोषण की संख्या 47 प्रतिशत कुछ थी। उसको हम लोग 37 प्रतिशत तक ले आये थे और आज आप अभी भी देखिये। मैं आपके रिकॉर्ड के अनुसार बोल रही हूं कि अभी भी 2 लाख, 54 हजार, 252 कुपोषित बच्चे हैं।

श्री रामविचार नेताम :- देखिये, प्रदेश के बहुत सारे रिब्यूट एरिया के नवजात शिशु व बाकी ट्राइबल्स, वह सब आपके कार्यकाल में कुपोषित होते रहें और यहां पर एक ही पोषित दिखाई देते थे।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- तो आप सुनिये न, आपके मंत्री जी कुपोषित हैं, इसीलिए तो मैं बोल रही हूं कि इनको आप सुपोषित कीजिये। मैं सुपोषित थी, इसलिए मैं प्रदेश के बच्चों को सुपोषित की थी। आपका जवाब मिल गया ? (हंसी)

श्री रामविचार नेताम :- नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आपने कहा, इसलिए मैंने उत्तर दिया। इस विषय को उठाया तो आपने ही है, मैंने तो इसको नहीं उठाया था। जवाब देना भी तो जरूरी है। यिद आप लोग सरकार मैं हैं तो क्या केवल आप लोग ही बोलते रहेंगे ? आप हमको भी बोलने का मौका दीजिए। (हंसी)

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, यह महिलाओं का विषय है, इसलिए आप महिलाओं को बोलने दें। (हंसी)

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, आप देख लीजिए कि यह किधर आ रही हैं। (हंसी)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मैं इनको चुप कराने के लिए आ रही हूं। (हंसी)

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय सभापति महोदय, कुपोषण अभियान के तहत हमारी सरकार में बहुत सी संस्थाओं के द्वारा कुपोषित बच्चों व गर्भवती महिलाओं को गर्म भोजन भी दिया जा रहा था तथा बहुत से पौष्टिक आहार भी दिये जा रहे थे। वह सब चीजें इस सरकार में बंद हो गई हैं क्योंकि आप सारा बजट तो महतारी वंदन योजना में दे रहे हैं तो अन्य योजनाओं में आप कहां और कैसे बजट को कव्हर करेंगे ? उसी तरह आपकी सखी वन स्टाप सेंटर भी बहुत अच्छी योजना है। हम तो यह चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी तक तो नये जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों में सखी वन स्टाप सेंटर हैं और रायपुर, बिलासपुर व दुर्ग जैसी जगहों में एक नहीं और भी सखी वन स्टाप सेंटर होनी चाहिए। माननीय मंत्री जी, हम आपके विभाग से यह निवेदन करना चाह रहे हैं। इसमें भी एक व्यवस्था है कि हमारी जो इस तरह की जरूरतमंद महिलाएं हैं तथा कानून की सहायता लेने के लिए उनके पास आते हैं या अन्य कई कारणों से आते हैं तो उनको 5 दिन ही रखने की व्यवस्था है, परंतु न उनको जेल वापस ले जाते हैं और न कोर्ट उनको घर भेजती है। कई ऐसी महिलाएं हैं, जो घर नहीं जा पाती है, इसलिए वह वहीं रहती हैं। तो ऐसी महिलाओं के लिए भी एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपके असली योजना पर आ रही हूं। महतारी वंदन योजना की बात हमारे आदरणीय मंत्री जी कर रहे हैं। यह अच्छी बात है कि महतारी वंदन योजना में आप लोग हमारी महिलाओं को सहयोग कर रहे हैं, परन्तु इधर आपके आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी महंगाई बढ़ाये जा रहे हैं। लेकिन इसमें कितना अधिक भ्रष्टाचार है कि यहां भी उसका मुद्दा उठा था। आप लोग उस भष्ट्राचार में कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। सन्नी लियोन के नाम से कोई पैसा निकाल रहा है। यह बस्तर जिले की बात है। उसके बाद भी विभाग का कोई ध्यान नहीं है, उसके बाद भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उसके बाद भी कोई रिपोर्ट नहीं हुई है। तो आप इसके माध्यम से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह महतारी वंदन योजना में नये लोगों का जोड़ने के लिए अभी तक पोर्टल नहीं खोला है। क्यों नहीं खोला ? आज के प्रश्न में भी जवाब आया था कि 3,971 लोगों को एक साल से इसका लाभ नहीं दे रहे हैं। आप उनको लाभ क्यों नहीं दे रहे हैं ? चाहे हितग्राही के खाते में गड़बड़ी हो, चाहे कोई भी कारण हो, परन्तु साल भर हो गया, साल भर से इसकी कोई जानकारी नहीं है। विभाग उसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन महिलाओं को साल भर से इस महतारी वंदन योजना का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है ? आप लोग बोलते हैं कि महतारी वंदन योजना से ऐसा कर रहे

हैं, वैसा कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हर महिला को इस योजना का लाभ मिले। आप लोगों ने घोषणा ही किया था कि प्रदेश की हर महिला को राशि देंगे। फिर चाहे कलेक्टर हो, मंत्री हो, कोई भी हो, सभी महिलाओं को देंगे, घर की प्रत्येक महिलाओं को देंगे, कहा था। हम तो चाहते ही हैं कि आप प्रदेश की हर महिलाओं को लाभ दो, प्रत्येक महिलाओं को लाभ दो। परन्तु आप अपनी बात से मुकर गये हैं। इसमें आपकी नीयत बता रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह मैं पिछले साल भर से देख रही हूं कि पहले महिला जागृति शिविर लगता था, वह भी किसी जिले में नहीं लग रहा है। सुचिता योजना है, जिसमें आप लोगों ने 13 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा है। यह हमारी बेटियों के लिए एक अच्छी योजना है। परन्तु कई बार विभाग की लापरवाही के कारण हम बच्चियों तक इस योजना का लाभ नहीं पहुंचा पाते हैं। आज कितने कालेज बढ़ गये हैं, कितने स्कूल बढ़ गये हैं, आप लोगों ने कई जगह इसकी मशीन नहीं लगाई है, कोई व्यवस्था नहीं की है। जहां मशीन लगा है, वहां यह मशीन भी कंडम हो गया है, खराब हो गया है। इसमें हमारे बच्चियों को कहां व्यवस्था लाभ मिल रही है। ? सुचिता योजना पेपर में ही चल रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं महिला कोष की बात करती हूं। महिला कोष में हम 2 लाख रूपये दे रहे थे। इस योजना में पहले 1 लाख रूपया देते थे, बाद में हमारी सरकार ने इसे 2 लाख रूपए किया था और 2 लाख रूपये के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जी ने तीजा के समय अच्छा काम करने वाली समूह ने लोन पटा दिया है, तो ऐसी महिलाओं के लिए राशि बढ़ाकर 6 लाख रूपये किया गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद 6 लाख रूपये भी महिला समूहों के लिए कम है। क्योंकि आज महंगाई काफी बढ़ रही है। इसलिए ऐसी महिलाएं, जो अच्छा काम कर रही हैं, लोन को सही समय में पटा रही हैं, तो उनको और अधिक राशि देनी चाहिए। आप 3 प्रतिशत ब्याज में राशि देते हैं मेरा सुझाव है कि जैसे किसानों को के.सी.सी. देते हैं वैसे ही इन महिला समूहों को भी देना चाहिए, ताकि वह भी और आगे बढ़े, आगे अच्छा काम करें। वैसे भी विभाग हमेशा जनसेवा का काम करती है। इसमें भी आप लोगों को महिलाओं के लिए इस तरह की पहल करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, एक बात और है। हम एक तरफ महिला समूहों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे क्षेत्र में ऐसी परिस्थिति आ गई है कि कुछ दलाल लोग, फर्जी व्यक्ति लोग इन समूहों को लोन दिलाकर, इन समूहों को कर्ज में डुबा दे रहे हैं। आज कई ऐसी महिला समूह हैं, जो आज लोन लेने के नाम से से डर रही हैं और ऐसे फर्जी लोगों के ऊपर कार्रवाई भी नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि विभाग बैंकों से सम्पर्क करे और इस तरह से जो फर्जी लोन दिलवा रहे हैं, उन लोगों को रोका जाये ताकि हमारी महिलाओं के साथ इस तरह का अन्याय न हो। उसी तरह सक्षम योजना में हमारी महिला बहनें, जो अकेले सक्षम है, उन लोग अच्छा काम करते हैं तो उन्हें भी सहयोग करना चाहिए और उन्हें भी बिना ब्याज का लोन देना चाहिए। अभी महिला बाल विकास विभाग में बहुत-सी

योजनाएं हैं, परंतु आपका जो बजट है, वह मुझे लगता है कि बहुत कम बजट है। कई योजनाओं में आपका बजट प्रावधान ही नहीं है। मुझे पता नहीं कि आप उस योजना को प्रदेश में कैसे चलायेंगे? इसी तरह से जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको आप बहुत-सी जगहों में लोकल व्यवस्था में गरम भोजन दे रहे थे, उसको भी चालू करना चाहिए ताकि उन महिलाओं में जो एन.एम.ई. का शिकार थी, वे बहुत कमजोर थी, वे कुपोषित बच्चों को जन्म देते थे, ऐसे में भी इन महिलाओं के लिए आपकी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। इसी तरह हमारी किशोरी बालिकाओं के लिए एक योजना है। मैं साल भर से देख रही हूं कि अभी तक उस योजना में किशोरी बालिकाओं को कहीं पर भी सहयोग नहीं मिल रहा है। मेरे ख्याल से यह योजना बंद है। मैं इस ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। इसी तरह मैं समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत दिव्यांगजनों की बात करूं, इनकी जो शैक्षणिक कार्यक्रम हैं, आपके स्कूलों में जो दिव्यांगजन रहते हैं, उनको आप छात्रवृत्ति दे रहे हैं। एक से पांचवीं कक्षा के तक 150 रूपये, छठवीं से आठवीं 170, नवमीं से बारहवीं तक 190 रूपये छात्रवृत्ति दे रहे हैं, वह अभी के समय में बहुत कम राशि है। इस राशि को आपको बढ़ानी चाहिए। आप दिव्यांगजनों को जैसे प्रशिक्षण भी दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से उनको प्रशिक्षण के बाद हम लोगों ने 7 प्रितशत व्यक्तियों को नौकरी में रखा था, इसको बढ़ाना चाहिए। क्योंकि दिव्यांगों की संख्या बढ़ गई होगी। अभी जनगणना नहीं हुई है। जब पूरे प्रदेश में जनगणना होगी तब इन लोगों की जनगणना होगी इसलिए वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार इनका जो जनसंख्या चलते आ रहा है, उसी जनसंख्या को हम लोग आज भी आधार मानकर आगे काम करते हैं। प्रशिक्षण में उस जनसंख्या के अनुसार से उन लोगों को हर विभाग में, जहां-जहां उनकी कार्यकुशलता है, उसके अनुसार उनको प्रशिक्षण देते हैं तो शासकीय नौकरी में भी उनका प्रावधान होना चाहिए। दिव्यांगजनों को हमारी सरकार की ओर से कृत्रिम अंग भी दिया जाता है। उसमें सरकार 50 प्रतिशत कृत्रिम अंग का पैस जमा कराते हैं। चूंकि वह दिव्यांग हैं, गरीब हैं, वे कुछ काम नहीं कर सकते हैं इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि दिव्यांगजनों को 100 प्रतिशत फ्री में कृत्रिम अंग देना चाहिए। अभी मेरी जानकारी के अनुसार अभी भी हाऊसिंग बोर्ड में बाधारहित भवनों के निर्माण पेंडिंग हैं। बहुत से भवनों में बन गये हैं, लेकिन अभी भी बहुत से भवनों में बाधा रहित भवन बनना है। वहां इन का लोग आने-जाने, उठने-बैठने की व्यवस्था होती है। इन भवनों में बाधा रहित व्यवस्थाएं होनी चाहिए और यह जल्दी व्यवस्था करनी चाहिए।

सभापति महोदय :- अनिला जी, समाप्त करिये। काफी लोग हैं।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- सभापति महोदय, पुनर्वास केन्द्र भी बढ़ाना चाहिए। आपके दिव्यांगजनों का समूह छात्र गृह का भी योजना है। मेरे ख्याल से यह योजना अभी एकाध जगह चल रहा होगा, लेकिन यह हर जिले में होना चाहिए, जिससे हमारे दिव्यांग साथी समूह ग्रुप में वहां पर पढ़ सकें या नौकरी कर सके। वैसे सामाजिक सहायता कार्यक्रम सुरक्षा पेंशन में आप लोगों ने क्या किया है।

पेंशनधारियों को अंतर की राशि दी जा रही है। आप लोग पेंशन में एक हजार रूपये दे रहे हैं। वैसे यह पेंशन 1500 रूपये होना चाहिए। अगर आप महतारी वंदन योजना का हिसाब करेंगे तो आप लोग एक हजार दे रहे हैं और 500 काट रहे हैं। यह कहां का न्याय है। हमारे दिव्यांगजन हो, वृद्धजन हो या जो भी हो ..।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- आप लोग 500 रूपये नहीं दे पाये। हम लोग एक हजार रूपये दे रहे हैं। सुझाव बहुत अच्छा है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- मैं सुझाव दे रही हूं। इसको मानना या नहीं मानना, यह आपकी बात है।

श्री रामविचार नेताम :- आपने उस समय क्यों सुझाव नहीं दिया?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आप लोगों ने महतारी वंदन योजना चालू किया है, हमने चालू नहीं किया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- रामविचार जी, भाभी जी जो पिछली बार नहीं कर पायीं, उसके लिए भी वह आखिरी में सार्वजनिक माफी मांगेंगी। वह दबाव में थीं।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- सभापति महोदय, इन लोग 1-2 मिनट तो मेरा ऐसे ही ले लेते हैं । सरकार के द्वारा पेंशनधारियों को 500 काटकर 1000 दिया जा रहा है । सभापति महोदय, जहां तक भारतवाहिनी की बात है, आप एक तरफ नशामुक्ति की बात करते हैं, मेरे ख्याल से हर गांव में भारत माता वाहिनी बहुत अच्छी है, महिलायें लगी भी थी और इसे करना भी चाहती थी, लेकिन शासन ओर प्रशासन उन महिलाओं को साथ नहीं देता है । सभापति महोदय, अगर वह रिपोर्ट करती है, उसे बताने जाती है तो उनको साथ देना चाहिये, ऐसे में नशामुक्ति कैसे सुधरेगा ? इसमें विभाग के कलापथक लोग भी थे और आज कितने लोग बचे हैं, दो-चार लोग बचे हैं, इसमें भर्ती होना चाहिये, तभी तो इसका प्रचार-प्रसार सही होगा, आप कैसे नशामुक्ति योजना चलायेंगे ? सभापति महोदय, भारत माता प्रचार वाहिनी को डरा-धमका कर भगा देंगे, कला पथक जो प्रचार करते हैं, उसमें भर्ती नहीं होगी, इसमें आपका नशामुक्ति कैसे होगा ? सभापति महोदय, आप लोग इसी प्रकार से दिव्यांगजनों को नि:शक्तजन वित्त विकास निगम से लोन देते हैं, हमारे बहुत से लोन अभी पेंडिंग है, यह जमा भी नहीं हो रहा है, यह ऐसे लोग हैं, जो राशि तो लेते हैं, लेकिन लोन पटा भी नहीं पाते हैं । सभापति महोदय, इन लोगों का कर्ज माफ होना चाहिये । माननीय मंत्री महोदया जी बहुत ध्यान से सुन रही है, कृपया आप इन्हें ध्यान में रखेंगे । सभापति महोदय, उसी तरह से दिव्यांग मित्र हैं, इनकी संख्या कम हैं, अभी इन्हें 500 कुछ रूपये मिल रहे हैं, उनकी राशि भी बढ़ा दें, नौकरी तो लग नहीं सकता है, उनको भी राहत मिल जायेगी, आर्थिक रूप से वह संपन्न हो जायेंगे । सभापति महोदय, आपने इस विभाग के बारे में बोलने का मौका दिया तथा माननीय मंत्री महोदय बहुत संवेदनशील है, मैंने जो अपनी बात रखी है, उसमें शासन के

द्वारा लागये बजट के माध्यम से आगे बढ़ायें । सभापति महोदय, मैं इन भावनाओं के साथ इस मांग संख्या का विरोध करते हुये अपनी बात समाप्त करती हूँ, धन्यवाद ।

श्री धर्मजीत सिंह :- जो अण्डा बांट रही थी, वह स्कीम चल रहा था या बंद हो गया ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- बंद हो गया ना, इसीनिये तो दो बोल रही हूँ ?

श्री धर्मजीत सिंह :-अंडा देने के लिये बोल रही हो ना ? दारू तो बंद नहीं हो पायेगा भाभी जी ? आप लोग दारू का इतना प्रचार कर दिये थे, नाच-गाना से कहीं दारू बंद होता तो प्रदेश भर में नाच-गाना नहीं करा देते ? हो ही नहीं सकता ।

सभापति महोदय :- धर्मजीत सिंह जी प्लीज । माननीय वक्ताओं से आग्रह है कि पांच-पांच मिनट में अपनी बात रखेंगे । श्रीमती भावना बोहरा जी ।

श्रीमती भावना बोहरा (पंडरिया) :- माननीय सभापति महोदय, महिला बाल विकास विभाग पर चर्चा हो रही है और अभी अंतराष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट किये हैं तो सबसे पहले यहां पर उपस्थित जितने भी हमारी महिला सदस्य हैं और जो उपस्थिति हैं, उन सभी को अंतराष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनायें देना चाहूँगी । सभापति महोदय, मैं अपनी बात शुरू करने के पहले एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि इस ओर हमारी वरिष्ठ सदस्या जो महिला बाल विकास मंत्री रह चुकी हैं और मांगों पर जो अपने विचार प्रकट कर रही थी, उनके समर्थन के लिये कोई उपस्थित नहीं था। सभापति महोदय, यह सोचने का विषय है कि महिला एवं बाल विकास इतना संवेदनशील विभाग है और कोई हमारे भाई यहां पर उपस्थित नहीं है, मैं माननीय सदस्या का बहुत सम्मान करती हूँ कि वह हमारी मंत्री रह चुकी हैं । उनसे सदन के बाहर बात करने का जब भी अवसर मिलता है तो बहुत से विषयों पर चर्चा होती है तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगी कि उनके द्वारा जो विषय लाये गये हैं, उस पर एक बार जरूर गंभीरता से विचार करेंगी । सभापति महोदय, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि महिला एवं बाल विकास विभाग बहुत ही संवेदनशील विभाग है, महिलायें हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है । यह उनसे संबंधित विभाग है और विभाग में 8245 करोड़ का जिस तरह से महिला बाल विकास विभाग को बजट दिया गया है, यह बहुत सराहनीय है । सभापति महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे वित्त मंत्री जी की दूरदर्शिता है कि एक बड़ी राशि महिला एवं बाल विकास विभाग को प्राप्त हुई है । मैं अगर बच्चों की बात करूँ तो सब जानते हैं कि आने वाले भविष्य की दिशा और दशा दोनों यह पीढ़ी तय करने वाली है । मुझे पूरा विश्वास है कि इस विभाग में जो बजट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वह ऑनेस्टी के साथ आने वाले वर्षों में जरूर होंगे, मैं इस बात का बिल्कुल विश्वास करती हूं । मैं अपने बात की शुरूआत में कहना चाहूंगी कि जब नारी एक कदम आगे बढ़ाती है तो निश्चित ही समाज का 100 कदम आगे बढ़ता है। इसलिए यह विभाग बहुत महत्वपूर्ण है । इस पवित्र सदन में मुझे इस विषय पर बोलने का मौका मिला है, उससे मुझे बहुत खुशी है । मैं साथ में यह जरूर कहूंगी कि महिला बाल विकास विभाग

के लिए जो बजट का प्रावधान किया गया है, यह बजट का लेखा-जोखा नहीं है, बल्कि हर मां की गोद में खिलखिलाते बच्चों के मुस्कान, हर बहिन के कदमों के आत्मविश्वास की गुंज और हर सपने को हकीकत में बदलने के लिए यह संकल्प है, जो इस विभाग के द्वारा, हमारे मंत्री महोदया के द्वारा लिया गया है । निश्चित ही आने वाले भविष्य में एक उज्ज्वल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना में यह विभाग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ।

सभापति महोदय, जब हर बार महिला एवं बाल विकास विभाग का विषय आता है तो एक विषय पर चर्चा चाहे पक्ष के सदस्य हों या विपक्ष के सदस्य हों, उसकी चर्चा बहुत मजबूती के साथ जरूर करते हैं । विपक्ष की मजबूरी है कि उसका विरोध करना पड़ता है, लेकिन कहीं न कहीं वे भी इस बात से सहमति व्यक्त करते हैं, जो मुझे लगता है कि महिलाओं को सशक्त बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, वह है-महतारी वंदन योजना । मोदी जी की गारंटी के तहत इस योजना की शुरूआत हुई और इसको आम जनता ने मुहर लगाया और आम जनता की मुहर के बाद आदरणीय विष्णु देव साय जी के सुशासन में जो सबसे बड़ा बजट का हिस्सा था, वह पिछले वर्ष में 3 हजार करोड़ महतारी वंदन योजना में दिया गया और इस इस वर्ष बजट में उससे भी अधिक राशि का प्रावधान करके 55 सौ करोड़ रूपए का बजट महतारी वंदन योजना के लिए सुनिश्चित किया गया है । कहीं न कहीं यह महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बहुत ही मजबूत कड़ी है ।

सभापति महोदय, हम जनप्रतिनिधि हैं, जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, जब हमें अपनी बात रखने का अवसर मिलता है । हम कोशिश करते हैं कि संवाद दोनों तरफ से हो । हम भी बोलें और सामने में जो हमारी जनता बैठी है, वे भी बोलें। जब इस विषय पर चर्चा होती है कि महतारी वंदन योजना का लाभ क्या आप लोगों को मिल रहा है ? महतारी वंदन योजना ऐसा शब्द है, जिसके नाम से ही महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है । इसमें बहुत से विषय आते हैं । अभी कहा जा रहा था कि महतारी वंदन योजना की राशि 1500 रूपए होनी चाहिए, 1000 रूपए में क्या होगा ? 1000 रूपए में क्या होगा, यह गांव की महिला बता सकती हैं, जिसके खाते में हर महीने 1000 रूपए आता है । उसी पैसे से वह अपने बच्चे के ट्यूशन की फीस देती है या बीमारी के ईलाज के लिए 100-200 रूपए देती है या जब अपने खुद का मोबाईल रिचार्ज कराना हो, उसको अपने घर पर, बच्चों पर, पति पर निर्भर नहीं रहकर वह खुद के अपने 1000 रूपए में से काटकर जब वह अपने मोबाईल का रिचार्ज कराती है । सबसे अच्छी बात यह है कि हम छत्तीसगढ़ियों के लिए तीजा का त्यौहार बहुत ही विशेष त्यौहार है । उस त्यौहार के समय महिलाओं के बीच जाने का अवसर मिला । उस समय महतारी वंदन योजना की किश्त भी उनके खाते में आई थी तो हमने उनसे पूछा कि इस बार आपने इस पैसे का क्या किया ? सभी ने एक स्वर में यह बात बताई कि इस बार हमने महतारी वंदन के पैसे में अपनी बेटी के लिए भी साड़ी खरीदी और अपनी बहु के लिए भी साड़ी खरीदी । विषय साड़ी का नहीं है, लेकिन उनकी

भावनाएं इस पैसे से जुड़ी हुई हैं, जो उनके लिए एक सशक्त भूमिका निभा रही हैं तो मुझे लगता है कि महतारी वंदन योजना निश्चित ही आने वाले समय में महिलाओं को सशक्त करने में जरूर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी । मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी । मैं कवर्धा जिले से आती हूं, वहां अर्चना तिवारी नाम की एक महिला है । अर्चना तिवारी सिलाई का काम करती थी, उनके पास सिर्फ एक सिलाई मशीन थी । आज के समय में चूंकि उन्होंने महतारी वंदन योजना का पैसा काफी दिनों तक इकट्ठा जमा करके रखा, इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने सिलाई मशीन की संख्या बढ़ाई । अब स्थिति यह है कि महीने के 1000 रूपए महतारी वंदन की राशि के अलावा उनकी सिलाई मशीन की संख्या बढ़ चुकी है, उन्होंने अपने अधीनस्थ लोगों को भी रखा है और महतारी वंदन योजना के पैसे को इकट्ठे करके सिलाई मशीन खरीदी, उस मशीन से अब वह 35 हजार रूपया महीना कमा रही हैं । (मेजों की थपथपाहट) यह तो सिर्फ एक उदाहरण है । ऐसे बहुत सारे विषय हमारे बीच आते हैं । कई महिलाओं ने महतारी वंदन योजना का पैसा एकत्रित करके किसी ने मंदिर का निर्माण कराया है, किसी ने अपने सपनों को पूरा करने का काम किया है । मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है ।

सभापति महोदय, मैं एक विषय पर जरूर बोलना चाहूंगी । महिलाओं का जो नेचर रहता है, विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं की बात करूं, जो एक लिमिट बजट में अपने घर का खर्च चलाती हैं । जब हमारे गांव क्षेत्र में मेले लगते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि महिलाएं यह सोचती हैं कि आज जब मैं मेले में जाऊंगी तो मैं अपने लिए एक चप्पल खरीद लूंगी या कुछ श्रृंगार का सामान ले लूंगी या अन्य कोई चीज खरीद लूंगी, लेकिन साथ में उसका बच्चा रहता है, वह कहता है कि मुझे यह चीज लेना है तो महिलाएं अपने बजट में से पैसा काटकर उस बच्चे के लिए वह चीज दिलाती हैं । मैं यह चीज इसलिए बता रही हूं कि यह संवेदनशील विषय है, जो महिलाओं से संबंधित है । तो निश्चित ही महतारी वंदन योजना के दूरगामी परिणाम, बहुत ही अच्छे परिणाम हमें देखने को मिलेंगे । मैं इसमें एक निवेदन जरूर करना चाहूंगी, जिसमें मैं हमारी मंत्री महोदया और माननीय मुख्य मंत्री जी का विशेष ध्यान चाहूंगी कि महतारी वंदन योजना को मार्च में एक साल पूरा हो गया है, लेकिन पिछले एक साल में जो नई शादियां हुई हैं, मुझे लगता है कि उन्हें भी संज्ञान में लेना चाहिए। हमसे जो छूटे हैं, एक तो नवविवाहिता हमसे छूटी हैं, दूसरा अभी कुछ समय पहले चर्चा हो रही थी कि कुछ टेक्निकल त्रुटियों के कारण जो फार्म्स छूट गए हैं, जिनकी संख्या शायद हजारों में है, उनको भी एक बार ये मौका मिलना चाहिए क्योकि कभी आधार नंबर गलत डाले जाने या कभी खाता नंबर गलत डाले जाने से महिलाएं उस लाभ से वंचित रह जाती हैं। मुझे लगता है कि इस ओर भी हमारा ध्यान जरूर जाना चाहिए और अगर संभव हो पाए तो फिर से एक बार सर्वे करके जो नवविवाहिताएं हैं, उनके लिए एक बार फिर से महतारी वंदन योजना का फार्म फिलअप होना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। उसके साथ ही बड़ा बजट लगभग 40 करोड़

का आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए दिया गया है। निश्चित ही आंगनबाड़ी केन्द्र हर पंचायत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये बच्चों के लिए पहली सीढ़ी होते हैं। बहुत छोटे स्तर पर अगर मैं कहूं तो शहरों में जो किंडरगार्डन की व्यवस्था है, आंगनबाड़ी उसका एक प्रारूप है। उसके लिए 40 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है, तो निश्चित ही ये वहां पर हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन इसके साथ ही एक निवेदन मैं जरुर करना चाहूंगी कि नए आंगनबाड़ी भवन के निर्माण के साथ-साथ ही दो बातों को हमें जरुर सुनिश्चित करना चाहिए। सब मेरी बात से सहमत होंगे, पहला, हमारे बहुत से क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं, जिनकी स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है कि शायद वे बैठने की स्थिति में नहीं हैं। तो उनकी मरम्मत के लिए बजट में एक बार जरूर प्रावधान करना चाहिए। दूसरा, कई जगह गांवों की संख्या, गांव में रहने वालों की जनसंख्या काफी ज्यादा है और उतनी जनसंख्या के बीच में आंगनबाड़ी केन्द्र सिर्फ एक या दो हैं। मुझे लगता है कि उनकी संख्या बढ़ाई जाए। इस विषय पर भी चिन्ता करनी चाहिए कि आंगनबाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाए, उनकी दूरी कम की जाए और एक सर्वसुविधायुक्त किंडरगार्डन में जो हम बच्चों को सिखाने की, सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात करते हैं, निश्चित ही आंगनबाड़ी केन्द्रों में वह सारी सुविधाएं होनी भी बहुत जरूरी हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा पोषण आहार है, जिसके लिए बहुत बड़ा बजट दिया गया है। इसके लिए 125 करोड़ का बजट दिया गया है। निश्चित ही चाहे आंगनबाड़ी केन्द्र की बात हो या पोषण आहार की बात हो, आज भी गांव में एनीमिया, कुपोषण के कारण बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। थाली में बच्चों को दो समय का भोजन भरपेट मिल जाए, इसकी सुनिश्चितता हमें इस बजट में बिल्कुल दिखाई दे रही है। हमें विश्वास है कि बजट में जो प्रावधान हैं, ये प्रावधान हमारे गांव के अंतिम कुपोषित व्यक्ति, महिला, प्रेगनेंट महिला, बच्चे तक पहुंचे, इस बात को सुनिश्चित किया जाना बहुत जरुरी है।

सभापति महोदय :- भावना जी, संक्षिप्त करिए।

श्रीमती भावना बोहरा:- सभापति □महोदय, बहुत संक्षेप में। मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगी कि आज महिला बाल विकास की चर्चा में दोनों तरफ की महिलाओं को बोलने का अवसर मिल गया क्योंकि पिछली बार भाईयों को अवसर मिला था। मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था कि अगले बजट सत्र में महिलाओं को ही ओपनिंग का अवसर मिले, तो ज्यादा अच्छा होगा। उसके लिए मैं आप सबका बहुत धन्यवाद भी करुंगी। मैं बहुत कम शब्दों में और मुख्य बिन्दुओं पर ही अपनी बातों को रख रही हूं।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा जो वन स्टॉप सेंटर है, जिसे हम सखी सेंटर बोलते हैं, इसके लिए काफी अच्छा बजट 20 करोड़ रुपए मिला है। सखी सेंटर एक ऐसा सेंटर है, जहां पर महिलाएं आकर चाहे काउंसलिंग की बात करुं या परेशानियों की बात करुं, उनको आकर वहां समाधान मिलता है और कुछ समय के लिए उनको वहां पर आश्रय भी मिलता है। लेकिन सखी सेंटर की स्थापना अभी कुछ

जिलों में बची है और जिलों के अलावा कुछ विधान सभा क्षेत्र छूटे हैं। जैसे एक जिले में तीन से चार विधान सभा क्षेत्र आते हैं, तो जिन विधान सभाओं में ये छूटे हुए हैं, उन्हें भी वन स्टॉप सखी सेंटर की प्राथमिकता में रखना चाहिए, ताकि महिलाओं को जो दूरी तय करनी पड़ती है, वह न करनी पड़े, क्योंकि सखी सेंटर में वहीं महिलाएं जाती हैं, जो या तो प्रताड़ित हैं या जिन्हें किसी परेशानी का सामना करना पडा है। तो दूरी तय करने के कारण कई बार वे घर में ही सहम कर रह जाती हैं। तो अगर सखी स्टाप सेंटर थोड़ा पास हो जाए तो मुझे लगता है कि इसका ज्यादा फायदा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना हमारे नरेन्द्र मोदी जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जो कि वर्ष 2015 में शुरु हुई है और इसके लिए काफी अच्छा बजट राज्य सरकार के द्वारा रखा गया है।

माननीय सभापति महोदय, अगर मैं सखी निवास के लिए विशेष रूप से बात करूं, चाहे कहीं भी चर्चा हो रही है, चाहे मैं मीडिया के विषय में बात करूं या आपस में जब हम महिलाएं चर्चा करती हैं, जब हम यहां से बजट के बाद क्षेत्र में जाते है, तो जिस विषय पर चर्चा होती है वह है सखी निवास। मुझे लगता है कि सखी निवास बहुत अच्छी पहल है। चाहे राजधानी की बात करूं या जिलों की बात करूं, जहां वर्किंग वूमन को रूकने के लिए जो हॉस्टल प्रोवाईड किया जा रहा है, उससे दूसरा सेफ्टी को लेकर परिवार वाले ज्यादा परेशान रहते हैं कि यदि हमारी बच्ची बाहर जा रही है, वह पढ़ाई तो कर लेगी लेकिन रहने की क्या व्यवस्था होगी ? तो जो सखी सेंटर की व्यवस्था हुई है, वह हमारे वित्त मंत्री जी एवं हमारे विभाग के द्वारा निश्चित रूप से बहुत सराहनीय पहल है। उसके अलावा यहां पर महिला एवं बाल विकास के डिजिटलाईजेशन के लिए जो बजट दिया गया है, वह विषय आया है । उसमें 5 करोड़ रूपये का बजट है। लेकिन जब किसी चीज को डिजिटल करने की बात करते हैं या फिर ऑनलाइन रिपोर्टिंग की बात करते हैं तो हमें रूरल एरिया में सबसे ज्यादा दिक्कत नेटवर्किंग और सर्वर डाउन होने की आती है। मैं यही निवेदन करना चाहूंगी कि इसका बजट में प्रावधान करना बहुत ही अच्छी बात है। इसके अतिरिक्त हम यह सुनिश्चित करें कि अगर हम कोई कार्य करते हैं। जैसे मुझे अभी जानकारी मिली है कि यदि जो भोजन, रेडी टू ईट या दलिया प्रोवाइड किया जा रहा है तो उसकी फोटो खींचकर आपको विभाग को व्हाट्स एप करना है। उसके लिए एक लिंक आयेगा। उसमें ऐसे कुछ प्रोसेस है। मुझे ज्यादा क्लीयर नहीं है। लेकिन मेरी जानकारी में आया है कि आपको ओ.टी.पी. शेयर करना है। परंतु जब तक सर्वर डाउन रहेगा या नेटवर्क नहीं रहेगा तो मोबाईल पर ओ.टी.पी. आना संभव ही नहीं है। एक साथ एक समय पर चीजों को प्रोवाईड कराना भी संभव नहीं है तो इसके लिये सबसे पहली समस्या सर्वर की है। मुझे लगता है कि उस समस्या को दूर करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।

सभापति महोदय :- भावना जी, समाप्त करिये।

श्रीमती भावना बोहरा :- सभापति महोदय, मैं बहुत जल्दी अपनी बातें समाप्त कर रही हूं। उसके अलावा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के लिए इस बजट में 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें प्रथम संतान होने पर 5 हजार रूपये का प्रावधान किया गया है। इससे कहीं न कहीं भ्रूण हत्या के मामले रूकते हैं और यह एक बहुत ही सराहनीय पहल की गयी है। मैं नोनी सुरक्षा योजना की बात करूं या चाहे मिशन वात्सल्य की बात करूं। यदि मैं मिशन वात्सल्य की बात करूं तो कोविड काल में जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है, उनके लिये इस बजट में 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। यह बहुत ही सराहनीय पहल है। ऐसे और भी बहुत सारे विषय हैं लेकिन समय की अपनी मर्यादा है इसलिए मैं बहुत सारे विषय तो कव्हर नहीं करूंगी लेकिन यह जरूर बोलना चाहूंगी कि मुझे विश्वास है कि बजट में जितने भी प्रावधान आये हैं, सरकार आने वाले समय में उसकी सुनिश्चितता करें कि उस बजट का पैसा अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाये।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसी में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की बात करूंगी। जब आदरणीय डॉ. रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने कन्या विवाह योजना की शुरूआत की थी और आज भी बहुत बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री कन्या विवाह हो रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को ज्यादा लाभ मिलता है। अभी पिछले साल हमारे क्षेत्र में जब कन्या विवाह हुआ तो संख्या बहुत अच्छी थी और लोग उत्सुक थे क्योंकि उनका पैसा बचेगा, चूंकि वह गरीब परिवार से हैं और वे बच्चियों को क्या सामान देंगे और शादी में कितना खर्च करेंगे ? इसको लेकर काफी खुशी देखने को मिलती है। उन्हें जैसे ही पता चलता है कि इस दिनांक को मुख्यमंत्री कन्या विवाह होने वाला है तो लोग उसको उत्सुकता से पता करते हैं और उसमें अपनी बच्चियों की शादी के लिये रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। इसी तरीके से अगर मैं प्रोत्साहन की बात करूं तो बहुत सारी योजनाएं हैं, जो वीर बच्चों के प्रोत्साहन के लिये आगे बढ़ रही है। मैं चाहे उसमें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की बात करूं, चाहे राज्य वीरता पुरस्कार की बात करूं, चाहे नारी शक्ति पुरस्कार की बात करूं, चाहे मिनी माता सम्मान की बात करूं, चाहे रानी अवंती बाई लोधी स्मृति पुरस्कार की बात करूं, चाहे माता बहादुर कलारीन सम्मान की बात करूं, जिस तरीके से यह छोटी छोटी योजनाएं संचालित हैं, यह महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिये, उनको सशक्त बनाने के लिये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैंने यहां पर कुछ विषयों के लिए रिक्वेस्ट की है और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में इन विषयों पर जरूर चर्चा होगी। यदि हमें जो भी थोड़ी कमी लग रही ,जो हमारे माध्यम से विभाग को या मंत्री जी को बतायी जा रही है, उस पर जरूर एक सकारात्मक पहल होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं फिर से आप सब को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये हमारा महिला एवं बाल विकास विभाग एक महत्वपूर्ण भूमिका बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद देते हुए इस विभाग को अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूं। धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी-बालोद) :- माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे महिला एवं बाल विकास विभाग में बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद। मैं मांग संख्या-34 और मांग संख्या-55 में बोलने के लिये खड़ी हुई हूं और मुझे आज बहुत ही खुशी भी महसूस हो रही है क्योंकि हमने कुछ दिन पहले ही 08 मार्च को महिला दिवस मनाया है। मैं इस सदन में उपस्थित सभी महिलाओं को शुभकामनाएं देना चाहती हूं। आप सब को बहुत-बहुत बधाई। यह गर्व का विषय है कि हमारे लिये तो एक दिन आता भी है परंतु पुरूषों के लिये तो वह भी नहीं आता है। सभापति महोदय, यदि हिन्दुस्तान में महिलाओं का स्थान देखें तो वह बहुत उच्च है। यदि देवी देवताओं के मंदिर में भी उनका नाम लेते हैं, जाप करते हैं तो सीता राम ही बालते हैं और राधा कृष्ण ही बोलते हैं, जब हम जाप करते हैं तो सीता-राम ही बोलते हैं और राधा-कृष्ण ही बोलते हैं। इससे हमें यह गर्व होता है कि हम कितने उच्च स्थान में हैं। मुझे यह भी गर्व भी होता है कि हमारे देश के उच्च शिखर पर विराजमान, राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर रही है, वह भी एक महिला है। मुझे यह गर्व होता है कि जब हमारे ...।

श्री बघेल लखेश्वर : - आपको भी संगीता प्लस भईया का नाम लेना पड़ेगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय महोदय जी, आपको धन्यवाद्।

माननीय सभापति महोदय, मुझे यह भी गर्व होता है कि जो प्रधान मंत्री, लौह महिला के रूप में जानी गयी थीं वह स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं। हमें इसमें भी गर्व होता है कि हमारे देश में बहुत सारी लड़कियां, महिलाएं हैं जो एवरेस्ट की चोटी में पहुंच रही हैं। उसके बाद सबसे गर्व की बात यह है कि..।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीया संगीता जी, आपने माननीय राष्ट्रपति महोदया की तारीफ की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके नेता तो उनके खिलाफ भी बोलते हैं। कभी वह रंग रूप, क्षमता के बारे में बोलते हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, वह एक महिला हैं, वह सर्वोच्च पर आसीन हैं, हम सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने कभी पद या महिला का अपमान नहीं किया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपके लोग तो माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का नाम लेकर अपमान करते हैं, उसका क्या होगा?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, वह उनका अपमान नहीं करते हैं। वह कुछ योजनाओं को लेकर कहते हैं। मैं माननीय महिला बाल विकास मंत्री जी को भी बधाई देती हूँ कि वह भी एक महिला हैं और वह एक बहुत बड़े विभाग को संभाल रही हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है। अभी माननीय महिला बाल विकास मंत्री जी ने भाषण दिया..।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, आज जब सदन में माननीय महिला बाल विकास मंत्री जी जवाब दे रही थीं तो आप लोगों में थोड़ा अति आत्मविश्वास और उत्साह दिख रहा था।

यह समझकर, शायद वह ठीक से जवाब नहीं दे पाएंगी। लेकिन आज इस सदन में मैं, आपको बता रहा हूँ कि अगले सत्र से इतना जबरदस्त जवाब देंगी कि आपको आपने एक-एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा। क्योंकि वह सक्षम मंत्री हैं। (मेजों की थपथपाहट) आज ही मैं उनके दो डायलॉग से समझ गया कि बिल्कुल आने वाला कल उन्हीं का रहेगा। आप लोगों को जितनी तैयारी से प्रश्न पूछना है, आप लोग प्रश्न पूछिएगा, माननीय मंत्री जी आपके प्रश्नों का जवाब देंगी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मतलब आप यह मानते हैं कि आज उनकी तैयारी नहीं थी।

श्री धर्मजीत सिंह :- यह रिकॉर्ड में है। आप इस बात को छोड़िये। बाकी उनका आत्मविश्वास दिख रहा था।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मतलब सदस्य महोदय जी यह मान रहे हैं कि आज माननीय मंत्री महोदया की ठीक से तैयारी नहीं हुई थी।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया को बता दूं। शायद उस समय सदन में आप रहे नहीं होंगे। हम यहां पर थे। उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा पुरानी बात निकालूंगी तो आपको तकलीफ हो जाएगी। उस दौरान चांव-चांव होने लगा था। यह उनका आगामी तेवर दिखा रहा है कि वह बहुत तेज तरीके से कार्य करेंगी। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- माननीय संगीता जी, आप बजट में आ जाईये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मतलब सदस्य महोदय जी यह मान रहे हैं कि इस बार माननीय मंत्री महोदया की तैयारी अच्छी नहीं थी। आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। बाद में आप मुझे समय नहीं देंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, जब भाभी जी, हमारी मंत्री बनी थीं तो शुरू में वह भी वैसी बोलती थीं। इसका यह मतलब नहीं है कि हमेशा वह वैसा ही बोलेंगी। उनकी तैयारी अच्छी थी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय,हम तो उनकी तारीफ ही कर रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, अभी पहली बार बजट सत्र में उनको ठीक से बोलने का मौका मिला है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, हम तो उनकी तारीफ कर रहे हैं कि वह एक महिला है। हमें गर्व हो रहा है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप पुरानी सदस्या हैं। आप तो भायं-भायं बोलकर...।

सभापति महोदय :- माननीय धर्मजीत सिंह जी...।

श्री बघेल लखेश्वर : - आप महिलाओं के बीच में कहां पड़ गये?

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, हमें बीच में पड़ना पड़ेगा। क्योंकि बिना महिला के पुरूष का कोई अस्तित्व नहीं है और बिना पुरूष के महिला का कोई अस्तित्व नहीं है।

सभापति महोदय :- धर्मजीत सिंह जी, आप बैठिए।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय महोदय, आपको धन्यवाद्।

सभापति महोदय :- संगीता जी, अब समय कम है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मेरी बहुत सारी मांगे हैं। यहां हमारे माननीय सदस्यों ने जिन योजना का जिक्र किया है, मैं उसे नहीं दोहराऊंगी। यहां पर बहुत सारी योजनाओं पर बात हुई है। यहां दिव्यांग और सभी विषयों पर बात हुई है।

माननीय सभापति महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो हमारे राज्य में महिलाओं से संबंधी मुद्दों पर बहुत चर्चा होती है। हमने दिव्यांगों, महिला एवं बाल विकास विभाग में इतना बजट पास किया है। यहां पर महत्वपूर्ण विषय यह है कि क्या इस प्रदेश में हम, बच्चियां और महिलाएं सुरक्षित हैं ? यहां योजनाएं के क्रियान्वयन की बात तो बाद में आती हैं, लेकिन अगर हम प्रदेश में सुरक्षित नहीं हैं तो यहां पर आप कितनी भी योजनाएं ले आईये, यह महत्वपूर्ण नहीं है। आपने यह देखा होगा कि कुछ दिनों पहले 2 साल की बच्ची से लेकर 65 साल की बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। यहां पर माननीय महिला बाल विकास मंत्री जी उपस्थित हैं इसलिए मैं उनसे निवेदन कर रही हूँ कि इस प्रदेश में बच्चे सुरक्षित रहें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज बच्चियां अपने घर से निकलने में दहशत महसूस कर रही हैं क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे मामले सामने ला दूंगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। गुण्डरदेही क्षेत्र में एक 16 साल की बच्ची अपने काम को निपटा कर, अपने घर वापस जा रही थी तो उसके साथ सामूहिक रेप हुआ है। आप डी.पी.एस. का का काण्ड देख लीजिए। यहां रायपुर में 65 साल की बुजुर्ग महिला के साथ रेप की घटना हुई। जब तक बच्चियों और महिलाओं को सुरक्षित नहीं करेंगे, तब तक जितना भी बजट है, मुझे यह नहीं लगता कि वह आवश्यक है। आप बच्चियों की सुरक्षा के लिये क्या कर रही हैं, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस विषय में मैं महिला एवं बाल विकास मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। उनकी सुरक्षा को देखते हुए मेरी यह मांग है कि आप कोई ऐसा नियम, कानून लाने का प्रयास कीजिए कि बलात्कारी अगर बलात्कार करता है तो उसे तुरंत फांसी की सजा दी जाये ताकि कोई दूसरा व्यक्ति इस तरीके से हमारी बच्चियों को नजर उठाकर न देख सके। सभापति महोदय, बहुत सारी बाते हैं। आज जब मैं अपने घर से निकल रही थी तो मुझे आंगनबाडी की महिलायें आवेदन देने आईं और अपनी व्यथा को मेरे सामने रखा। उनका कहना है कि वह काम करती हैं, आंगनबाड़ी की महिलायें बहुत काम करती हैं, वह मानदेय पर रहते हुए भी पूरे शासकीय कार्य निपटाती हैं। उनकी चुनाव में ड्यूटी लगती है, ओ.बी.सी. के सर्वे में ड्यूटी लगती है, स्वास्थ्य विभाग में भी ड्यूटी लगती है, सभी विभाग में

उनका उपयोग किया जाता है। 24 घंटे के समय में उनसे पूरी वसूली कर लेते हैं, लेकिन उनका मानदेय बहुत कम है। मैं अभी देख रही थी कि केन्द्रांश 4500 रुपये है, यह बहुत दिनों से चलता आ रहा है जो मोदी जी दे रहे हैं। मैं निवेदन करती हूं कि केन्द्रांश को बढ़ाया जाये। माननीय भूपेश बघेल जी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 5000 रुपये बढ़ाया था, मैं राज्य सरकार से भी निवेदन कर रही हूं कि इनका भी मानदेय बढ़ाना चाहिए। अगर एक मजदूर भी एक ठेकेदार के पास काम करता है तो उनकी श्रम विभाग में भविष्य निधि तय हो जाती है। अगर एक आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता काम कर रही है तो उसकी कोई भविष्य निधि नहीं रहती है। अगर उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उसमें भी उनको अनुकंपा नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। मैं यह इसलिए कह रही हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहुत काम करती हैं। अगर आप माननीय वित्त मंत्री जी से बात करके उनका मानदेय बढ़ाने का बजट में ला देती हैं तो वह आंगनबाड़ी की महिलायें बहुत खुश हो जायेंगी। अभी उनको सिर्फ 10 हजार रुपये मानदेय दिया जा रहा है, उनको कम से कम 20 हजार रुपये मानदेय मिलना चाहिए। यह 20 हजार रुपये का मानदेय मिल जाने पर वह और बहुत तेजी से काम करेंगी।

माननीय सभापति महोदय, महतारी वंदन की बात हो रही थी। महतारी वंदन की बात सुनकर मेरे चेहरे में भी स्माईल आ गई, क्योंकि अभी महोदय जी ने मंत्री महोदया जी को कहा क्या आपको नहीं मिल रहा है तो मुझे लगा कि मुझे भी इस योजना का लाभ मिलेगा। क्योंकि उप मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि कलेक्टर की पत्नी को भी मिलेगा, यह आप पूरा यू-ट्यूब में वीडियो निकालकर देख लीजिए। यह बात भी हुई थी। आपने मंत्री जी ने ही कहा था।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप मालगुजार परिवार से हैं, क्या आपको महतारी वंदन योजना का लाभ देकर सरकार को मार खाना है? आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- वह बात अलग है कि नहीं मिलेगा। जब आप लोग चुनाव में गये थे कि एला संदूक में रखबे, आप ला पैसा मिलही, अभी भी वह संदूक आपका वेट कर रही है, क्योंकि कई महिलाओं को वह पैसा मिला ही नहीं है। आपने दिया, उसके बाद जो छूट गये थे।

श्री बघेल लखेश्वर :- संगीता जी, यह लोग चुनाव में कर्जमाफी की भी बात किये थे।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, यह 5 साल तक मातृशक्ति को धोखे में रखकर 500 रुपये नहीं दिये, आज प्रश्न पूछ रहे हैं, यह बड़ी लज्जा का विषय है और वह भी मातृशक्ति पूछ रही हैं। आप 500 रुपये का तो जवाब दे दीजिए कि 05 साल तक क्यों नहीं दिये ? आपके घोषणा पत्र में था। एक सरगुजा से निकले हुए बडे नेता ने पूरे प्रदेश में घूम-घूमकर मातृशक्ति को आशान्वित किया था।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- सुन ना तोर कर्जा माफ होय रहिस हे या नई ?

श्री सुशांत शुक्ला :- आप 500 रुपये का जवाब तो दे दीजिए।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आप उसमें भी वृद्ध महिलाओं को 500 रुपये काटकर दे रहे हैं। उनको 1500 रुपये मिलना था, उनको 500 रुपये मिल रहे हैं। पटल पर जवाब आया है कि अंतर की राशि दी रही है, उसके लिए भी कुछ कह दीजिए न।

श्री सुशांत शुक्ला :- यह कर्जा माफी और बिजली हॉफ किये थे, बिजली बंद कर दिये थे। आप 500 रुपये का जवाब दीजिए कि महिलाओं को 500 रुपये की राशि क्यों दी, यह जवाब आप लोगों को देना होगा। (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- मैंने अंतर की राशि की बात की है। आप क्यों [xx] कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अंतर की राशि का उल्लेख नहीं था, आपने 1000 रुपये देने की बात कही थी। क्या आप लोग 500 प्लस 1000 रुपये दिला रहे हैं ? (व्यवधान)

सभापति महोदय :- निषाद जी, बैठिये।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- 500 रुपये का क्या हुआ, अंतर की राशि की बात करें। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- क्या आप लोग 500 प्लस 1000 रूपये दिला रहे हैं? (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- वहीं जहां सिलेण्डर जा रहा है । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- निषाद जी, बैठिए न ।

श्री सुशांत शुक्ला :- 5 साल तक 500 रूपये कहां गया ? आज छत्तीसगढ़ को...। (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- वहीं जहां आपका सिलेण्डर है ।

सभापति महोदय :- सुशांत जी बैठिए । (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- मातृशक्ति का 500 रूपये कहां है ? पिछली सरकार के 500 रूपये। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, यह असत्य बोल रहे हैं । दिलाना है तो 500 प्लस 1000 रूपये दिलायें ।

सभापति महोदय :- निषाद जी बैठिए । मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है, देखिये महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है । आप लोग आपस में अन्यथा एक-दूसरे से इस तरह के आरोप-प्रत्यारोप न करें, उन्हें अपनी बात रखने दीजिये । यह महिलाओं का विषय है, महिलाएं चर्चा करें तो ज्यादा उचित लगेगा । (हंसी)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, देखिये महिलायें इससे असंतुष्ट हैं इसलिये शांत बैठी हुई हैं ।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- माननीय सभापति महोदय, हम लोग संतुष्ट हैं । दीदी, हम लोग हमारी सरकार की योजनाओं से संतुष्ट हैं ।

सभापति महोदय :- शकुंतला जी बैठिए । संगीता जी, जल्दी समाप्त करिये ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, इन सब लोगों ने मेरा समय ले लिया ।

सभापति महोदय :- आप इधर-उधर ध्यान मत करिये न । आप अपनी बात रखिये ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, 70 लाख 27 हजार 154 हितग्राहियों का आवेदन था जिसमें 69 लाख 63 हजार 621 हितग्राहियों को योजना का लाभ मिला । (सत्तापक्ष के द्वारा मेज थपथपाने पर) आप पहले आगे का सुन तो लीजिये, आप लोगों ने मेरे लिये ताली बजायी इसके लिये धन्यवाद।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अभी पूरा सुन तो ले ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि यह जो बची हुई शेष महिलायें हैं । आजकल घर में लड़ाई होनी शुरू हो गयी है । देवरानी-जेठानी में देवरानी को मिल रहा है, जेठानी को नहीं मिल रहा है । माननीय सभापति महोदय, मैं यह सच्चाई बयां कर रही हूं । आपको इस सदन में कोई नहीं बतायेगा । देवरानी-जेठानी की लड़ाई होनी शुरू हो गयी है । (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- आपको 500 रूपये की सच्चाई भी बतानी चाहिए, जब पिछली सरकार में ईंटा-पथरा चल रहा था, उसको भी बताईये न ।

सभापति महोदय :- सुशांत जी, आप बैठिए न । संगीता जी आप इधर बात करिये न । आप एक-दूसरे से आमने-सामने क्यों बात करते हैं ?

श्रीमती अंबिका मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, आपने अभी मना किया कि पुरूषों को नहीं बोलना है लेकिन फिर भी सुशांत जी बोल रहे हैं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, जितने बच्चे हुए हैं क्या विभाग उनके लिये कोई कार्रवाई कर रहा है ? क्या कोई योजना ला रहे हैं ? जिनका पोर्टल छूटा हुआ है क्या उनके लिये कुछ व्यवस्था है ? मैं इसके लिये निवेदन कर रही हूं । (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- गंगाजल की सौगंध खाने वाले पहले माफी मांगें फिर प्रश्न पूछेंगे । यह गलत बात है । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- सुशांत जी बैठिए । (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आप बार-बार वही बात बोलते हैं । (व्यवधान) आप बार-बार एक ही बात बोलते हैं ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- यह महिलाओं का विषय है तो महिलाओं को ही बोलने दें । (व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- असत्य कसम खाते हैं । (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, इसकी आवश्यकता है । उनके नाम से पोर्टल खुलना चाहिए और उनको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए । यह बतायें कि क्या पोर्टल खुलवायेंगे ?

श्री सुशांत शुक्ला :- 5 साल तक क्या किये ? (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, महिलाओं को ठगने का काम किये हैं । (व्यवधान) आपने क्या किया, यह बतायें । (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- आप छत्तीसगढ़ की मातृशक्ति से माफी मांगिए ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आप 1000 रूपये कब से दे रहे हैं यह बताईये ।

श्री सुशांत शुक्ला :- 5 साल तक 500 रूपये नहीं दिये । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपने तो 500 रूपये में सिलेण्डर देने की बात कही थी, उसको अभी तक क्यों नहीं दिये ?

श्री सुशांत शुक्ला :- आप 5 साल पूरा होने दीजिये, वह भी मिलेगा । मोदी जी की गारंटी है । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- सुशांत जी बैठिए ।

श्री सुशांत शुक्ला :- आपने 5 साल तक नहीं दिया, पहले उसको बताईये । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- सुशांत जी, संगीता जी बैठिए । मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि यह सदन की परम्पराएं हैं । आप सब एक-दूसरे के आमने-सामने चर्चा करते हैं । यह परम्परा के अनुकूल नहीं है, इसका सम्मान करिये ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रही हूं ।

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय सभापति महोदय ।

सभापति महोदय :- लखेश्वर जी, आप प्लीज बैठिए । संगीता जी को बोलने दीजिये ।

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय सभापति महोदय, यह शुक्ला जी महिला विरोधी लगते हैं उनके ऊपर कुछ कार्रवाई करें ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- हां, बनता है । बनता है ।

सभापति महोदय :- संगीता जी, इसको समाप्त करिये । अभी 2 विभागों पर और चर्चा होनी है इसलिये मैं वक्ताओं से आग्रह करता हूं कि 5-5 मिनट में अपनी बात को समाप्त करिये ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मैंने निवेदन किया था कि जो छूटे हुए हैं उनके लिये पोर्टल खोल दिया जाये । आप छत्तीसगढ़ राज्य में लडाई-झगड़ा बंद करवाईये । हम जब क्षेत्र में जाते हैं और जो बुजुर्ग महिलाएं बैठी रहती हैं वह सीधे हमको बुलाकर बोलती हैं कि बेटी मोर 500 रूपया ला काबर काटे हो करके । माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रही हूं कि आपने महतारी वंदन योजना में दिया है, आपने यह कभी नहीं कहा कि बुजुर्ग महिलाओं को 500 रूपये दिया

जायेगा । आपने 1000 से ही वोट मांगा है तो उस दिन महिला बाल विकास में जब अंतर की राशि बोलीं तो यह अंतर की राशि कहीं पर नहीं है तो मैं निवेदन करती हूं कि जो सबसे आवश्ययक है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमारी माताएं हैं, उन्हें 1 हजार रूपये दिया जाये। पेंशन की राशि अलग योजना से आती है। एक चीज और मैंने यह महसूस किया है कि हमारे राज्य में महिलाओं को 1 हजार रूपये देते हो, उसमें इतनी गाथा, इतना बयान करते हो, बड़ी-बड़ी बातें करते हो। आप अभी मेट्रो सिटी में 1 हजार रूपये लेकर जाइए। आप मेग्नेटो में जाइए, 1 हजार रूपये का वैल्यू खत्म हो जाता है। आप भीख मांगने वाले को चार आना देंगे न तो वैल्यू नहीं है। आपको 10 रूपये देना पड़ेगा।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, यह शब्द विलोपित किया जाये। छत्तीसगढ़ की मातृ शक्ति का अपमान है। जो 5 साल तक 2 काउंटर चलाकर बोतल खुलवाते थे, वे आज यहां बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- ये महिला बाल विकास विभाग से हटकर बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, ये भटकाने का काम कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- ये गलत बात है। ये गलत बात है। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- ये भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। ये महिलाओं की बात पर कहां से बोतल खोलने वाली बात आ गयी। ये दो काउंटर स्वयं चला रहे हैं। (व्यवधान)

श्री आशाराम नेताम :- इनकी मंशा नहीं है। छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। आज हम 1 हजार रूपये दे रहे हैं, उसकी कीमत नहीं है, बोल रहे हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- बैठिए-बैठिए। सुशांत जी, बैठिए।

श्री सुशांत शुक्ला :- ये आपत्ति का विषय है है। महमारी वंदन योजना मातृशक्ति के सशक्तिकरण का विषय है और मोदी जी की गारंटी का विषय है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैं मोदी जी की गारंटी पर ही बात कर रही हूं। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- ये भटकाने का काम करते हैं। बार-बार खड़े हो जाते हैं। अलग-अलग बात करते हैं। पहले पूरी बात को सुन लें, उसके बाद बात करें। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- भैया, 5 साल से आप मूकबधिर रहे होंगे, हम लोग मूकबधिर नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- एक मिनट। 500 दिये या नहीं दिये, यही बात आप बार-बार बोल रही हैं। आप आगे बढिए। 69 लाख लोगों को अगर कोई भी हिन्दुस्तान में दूसरी सरकार 1 हजार रूपये महीने दे रही होगी तो आप उदाहरण बताइए। (मेजों की थपथपाहट) ऐसे गलती मत निकालिए। आपकी सरकार तेलंगाना में है। आपकी सरकार कर्नाटक में है। वहां आप दे रहे हैं क्या? अगर दे रहे हैं तो बताइए। यहां गलती मत निकालिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मैं इस बात में आ रही हूं।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आदरणीय सभापति महोदय, हम लोग तो बोल रहे हैं, बचे हैं, उनको और दे दीजिए। हम लोग क्या बोल रहे हैं? बचे हैं, उनको दीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपको गलती निकालने की आदत होगी। लेकिन उन गरीबों से पूछिए। जो गांव में रहने वाले हैं, वे 1 हजार में ही अपना सपना साकार करते हैं। उनसे पूछिए। इसलिए उस 1 हजार रूपये का अपमान मत करिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैं वहीं आ रही हूं। अगर आप छत्तीसगढ़ को 1 हजार रूपये दे रहे हैं, मैं इसी बात पर आ रही हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- अगर 69 लाख लोगों को आपकी कोई भी कांग्रेस सरकार दे रही हो तो आप सदन में बताइए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैं इसी बात पर आ रही हूं।

सभापति महोदय :- संगीता जी, समाप्त करिए। 15 मिनट हो गये हैं। आप 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- महतारी वंदन योजना में जो अन्य राज्य हैं, आज मेरे छत्तीसगढ़ राज्य में 1 हजार रूपये दे रहे हैं। आप दूसरे राज्य में पता कीजिए। महतारी वंदन योजना में 2500 रूपये मिल रहे हैं। आप भा.ज.पा. की सरकार में दे रहे हैं। आप बाम्बे में, दिल्ली में 2500 रूपये दे रहे हैं। तो क्या मेरा राज्य गरीब राज्य है क्या? क्या महिलाओं को अधिकार नहीं है? 2500 रूपये का अधिकार है या नहीं है? आप 2500 रूपये मानदेय बढ़ाइए।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- आप लोग 500 रूपये दे नहीं पाये हैं। आप लोगों ने 500 रूपये क्यों नहीं दिया? (व्यवधान)

श्री आशाराम नेताम :- इन्होंने 500 रूपये नहीं दिया है और ये महिलाओं के हित में बात करते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- दीदी, पहले 500 रूपये का हिसाब दीजिए। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ था। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- संगीता जी, आप अपने बजट पर बात रखिए। आप अपनी मांग है तो मंत्री जी से मांग रखिए। आपकी यदि कोई मांग है तो मंत्री जी उसे नोट कर रही हैं। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ था। इनके लोगों ने घर-घर जाकर कहा कि हम लोग 2500 रूपये महतारी वंदन की राशि देंगे। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, क्या है आप मना करें या मत करें, 10 मनिट से वे 2500 में हैं। उनके पास भाषण में कंटेंट विषय खत्म हो चुके हैं। अब आप दो मिनट का समय भी मत दीजिए। समझ रहे हैं न। वे 2500, 2500, 2500..।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- चन्द्राकर जी, आप हमारी आवाज को सुनने की क्षमता रखिए। आप क्षमता रखिए। आप दूसरे राज्य से हमारी कल्पना कीजिए। आप तुलना कीजिए। जब आप दूसरे राज्य में दे रहे हो तो हमारे राज्य में क्यों कमी कर रहे हो?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, इनके राज्य में सुखू सरकार हिमाचल प्रदेश में तनख्वाह नहीं दे पा रही है और यहां ये लंबी-लंबी बात कर रहे हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैं मानती हूं न। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- 2500 से आगे बढिए। आगे बढिए। आगे बढिए। (व्यवधान)

श्री बघेल लखेश्वर :- भैया जी, बोलना बंद मत करवाइएगा। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैं मानती हूं कि हम तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आप तो दे सकते हैं न? आप तो दाता हो न? आप दे सकते हैं, दीजिए। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को 2500 रूपये दीजिए। अभी दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- ले बोलत रह चल, 2500 रूपया, 2500 रूपया। (हंसी)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- ये सुन नहीं पा रहे हैं।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यगण, सीधे बात-चीत करने की, एक-दूसरे पर आरोप लगाने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। कृपया अनवाश्यक टोका-टाकी, हस्तक्षेप न करें। वक्ताओं के भाषण के बीच में बार-बार हस्तक्षेप, टोका-टोकी से उचित नहीं लगता है और यह आवश्यक नहीं है, इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग बात को सुनें। आप जल्दी समाप्त करिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- ठीक है । सभापति महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग में बहुत सारी योजनाएं हैं जिनमें बजट का प्रावधान है । आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण में 12 करोड़ की राशि है लेकिन एक रूपया भी खर्च नहीं हुआ । हमारे आंगनबाड़ी केन्द्र जर्जर हैं । अहाता निर्माण बहुत आवश्यक है । मैं महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी । सभापति जी, राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार छात्रवृत्ति में भी 12 लाख का प्रावधान है, उसका भी कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ है । बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ में, नारी अदालत, चाइल्ड हेल्प लाईन, पूंजीगत सम्पत्ति निर्माण आपके पास पूरी लिस्ट है लेकिन उसमें मैं बता देना चाहती हूं कि कहीं पर भी कुछ भी खर्च नहीं हुआ है । सभापति महोदय, मैं बहुत महत्वपूर्ण चर्चा में आ रही हूं ।

सभापति महोदय :- आप समाप्त कीजिए, 22 मिनट हो गए ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति जी, माइक्रो फायनेन्स कंपनियों द्वारा, बैंकों के द्वारा ठगी हुई है । हमारे यहां की महिलाएं एक-एक महिला के नाम से लोन निकाला गया है, एक महिला के नाम से 14 से 15 बैंकों से लोन निकाल गया है और उसके बाद फरार हो गए, आज तक सरकार ने इस पर संज्ञान नहीं लिया है । महिलाएं जब कष्ट में थीं, परेशान थीं और उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी तो मंत्री जी की गाड़ी को रोका गया तो उन्होंने क्या कहा, मैं बता देती हूं । मंत्री जी ने उन महिलाओं को धमकाते हुए कहा था - ज्यादा हेकड़ी मत दिखाओ नहीं तो फेंकवा दूंगा। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग थे । मंत्री ने कहा है, आप कहें तो मैं पटल पर रख दूंगी और सब लोग भी जानते हैं । सभापति जी, यह गलत बात है, आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और ये हेकड़ी निकालने की बात करते हैं। सभापति महोदय, कोरबा जिले में, मेरे संजारी-बालोद जिले में और साथ में डौंडीलोहारा, धमतरी में ज्यादा हुआ है । वे लोग आत्महत्या करने जा रही हैं । बैंक के कार्यकर्ता वसूली के लिए उनके घरों में बैठ जाते हैं ।

सभापति महोदय :- संगीता जी समाप्त करिये ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- एक महिला तो कुएं में भी कूदी है ।

सभापति महोदय :- बहुत समय हो गया, 25 मिनट हो गए हैं अब समाप्त कीजिए ।

श्री संगीता सिन्हा :- महिला एवं बाल विकास विभाग में मैं निवेदन कर रही हूं कि इसको संज्ञान में लें । यह 1 करोड़ की राशि है, जिन महिलाओं ने लोन लिया है उनके पास तो पांच डिसमिल जमीन नहीं है । उन महिलाओं ने ढाई लाख तक का लोन लिया है, उनके पास पांच डिसमिल जगह नहीं है वे बेच नहीं पा रही हैं । वे कुछ नहीं कर पा रही हैं । जिन्होंने लोन निकलवाया है, उनकी सम्पत्ति की जप्ती बनवाएं और वसूली करवाइए ।

सभापति महोदय :- आप मंत्री जी से सीधे बात कर लीजिएगा, व्यक्तिगत कोई चीज है तो आप मंत्री जी से बात कर लीजिएगा ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति जी, मुख्यमंत्री कन्या विवाह में मेरे विधान सभा में एक केस हुआ है । यहां से आदेश गया कि 10 जोड़े तैयार करो, जब 10 जोड़े तैयार हुए तो कहा कि 17 जोड़े तैयार करो, अब 17 जोड़ों को तैयार किया गया, जिनके घरों में शादियां हो रही थी उन्हें मुख्यमंत्री कन्या विवाह में शादी करवाने के लिए लाए, फिर 22 जोड़े तैयार करने को कहा तो 22 जोड़ा भी तैयार हुआ, उसके बाद लास्ट में बोल दिया गया कि बजट नहीं है । इस सरकार की यह स्थिति है कि जोड़ा तैयार करने के बाद बोलते हैं बजट नहीं है, कई परिवार के लोगों को शादी कराने के लिए तैयार किया गया था, उनमें लड़ाई-झगड़े होकर शादियां टूट गईं । मैं निवेदन करती हूं कि महिला एवं बाल विकास विभाग, वित्त मंत्री जी से बात करे और इस विभाग में हमेशा पैसा रखे ।

सभापति महोदय :- अब आप समाप्त करिये ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- शादी के मामले में आप पैसा रखिए । महिला एवं बाल विकास विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें महिलाएं सुरक्षित रहती हैं, बेटियां सुरक्षित रहती हैं । मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं आपने बोलने का मौका दिया और मैं इन मांगों का विरोध करती हूं ।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा (सामरी) :- सभापति महोदय, आज आपने मुझे महिला एवं बाल विकास विभाग की अनुदान मांगों पर बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए आपको धन्यवाद। जब घर में बेटा या बेटी पैदा होती है तो सबसे पहले बच्चों की पहली पाठशाला परिवार होता है। जैसे ही बच्चे तीन साल के हो जाते हैं, तीन साल में वह आंगनबाड़ी केन्द्र में जाते हैं, आंगनबाड़ी केन्द्र से ही उनकी शिक्षा दीक्षा की शुरूआत होती है। हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री ने जो बजट में प्रावधान रखा है, मैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए खड़ी हुई हूं। महिला एवं बाल विकास विभाग में मोदी की गारंटी के तहत् महतारी वंदन योजना में हमारी बहनों को हर महीने 1 हजार रूपए देने का प्रावधान रखा है, मैं उसके लिए भी बहुत -बहुत धन्यवाद दूंगी। जिस तरह से हमारी बहनों के खाते में हर महीने एक-एक हजार रूपए जमा हो रहे हैं, साल में 12 महीने होते हैं, साल में 12 हजार रूपए उनके खाते में जमा होते हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री और मंत्री महोदया जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि वे हमारी बहनों के खातों में हर महीने एक हजार रूपए डाल रहे हैं। सभापति महोदय, पिछले वित्तीय वर्ष में मोदी की गारंटी के तहत् महतारी वंदन योजना में 3 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान रखा था, इस वर्ष 2025-26 का जो बजट पेश हुआ है, उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सुशासन में और मंत्री महोदया के प्रयास से इस वर्ष 5500 करोड़ रूपए का बजटीय प्रावधान रखा गया है। महतारी वंदन योजना ने हमारे छत्तीसगढ़ की माताओं-बहनों को आत्मसम्मान दिया है। हमारी लाखों बहनें आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं। उन्होंने सामाजिक आर्थिक दृष्टि से आज अपने रास्ते को खोला है। हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और महिला एवं बाल विकास मंत्री के प्रयास से 70 लाख महिलाओं को हर महीने एक हजार रूपये देने का काम किया जा रहा है। यह हमारे अनुदान मांगों की बजट में शामिल है। हमारे प्रदेश के सारंगढ़ में जो दानसारा गांव है, वहां की बहनों को जो महतारी वंदन योजना की राशि मिलती है, उस राशि से वे राम मंदिर निर्माण करने का काम कर रही हैं, वे बहुत ही सराहनीय काम कर रही हैं। आदरणीय सभापति महोदय, यहां पर हमारी बहनें कह रही थीं कि कुछ लोगों को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है और कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी जिन बहनों ने 8 हजार रूपये प्रतिमाह का फॉर्म भरा था, उनको महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और हमारी जिन बहनों ने 1 हजार रूपये प्रतिमाह का फॉर्म भरा था, उनको महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस समय हमारी सरकार थी, उस समय स्व-सहायता समूह से जुड़ी हमारी महिला बहनों को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी पूर्व की सरकार के द्वारा रेडी टू ईट का कार्य दिया गया था। इसके माध्यम से हमारी गर्भवती माताओं-बहनों,

शिशुवती बहनों व छोटे-छोटे बच्चों को पोषण आहार दिया जाता था। लेकिन उसमें भी पिछली सरकार ने हमारी महिला बहनों के साथ में अन्याय किया और उस कार्य को किसी निजी कंपनी को दे दिया था। परंतु विष्णुदेव साय जी के सुशासन में वह अभी हमारे बजट में शामिल है। जो रेडी टू ईट हमारी शिशुवती व गर्भवती माताओं-बहनों को पोषण आहार के रूप में दिया जाता है, उसके कार्य को अभी हमारी स्व सहायता समूह की बहनों को दिया जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदया को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगी। उसी प्रकार से स्व-सहायता समूह से जुड़ी हुई हमारी जो बहनें हैं, उनको बाहर दर्शन व भ्रमण कराने के लिए तथा महिलाओं को जागृत करने के लिए शिविर का आयोजन करने के लिए भी इस बार के बजट में 5 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। मैं प्रदेश की समस्त महिलाओं की ओर से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूं।

आदरणीय सभापति महोदय, दिव्यांगजनों के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। उन व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास के लिए दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना भी संचालित की जा रही है। जिसमें जो दिव्यांग विवाहित जोड़े हैं, उनको 1 लाख रूपये की सहायता राशि भी दी जा रही है। आदरणीय सभापति महोदय, हमारे महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से सामूहिक विवाह भी कराये जा रहे हैं। जब डॉ. रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उसी समय से यह सामूहिक विवाह योजना लागू की गई थी। हमारे बस्तर और सरगुजा संभाग में बहुत ही गरीब परिवार के लोग रहते हैं। जब उनके बेटा-बेटी बड़े हो जाते हैं और शादी-ब्याह करने के लायक हो जाते हैं तो उनको एक चिंता हो जाती है। उनके पास थोड़ी-थोड़ी जमीन हुआ करती थी। लेकिन अपने बेटा-बेटी की शादी करने के लिए उनको या तो किसी महाजन से ऋण लेना पड़ता था या तो अपनी जगह-जमीन को बंधवा करना पड़ता था। इस बजट में सामूहिक विवाह योजना के तहत हमारे निर्धन बेटा-बेटियों का एकसाथ विवाह करके उनको 50 हजार रूपये जोड़ी देने का काम किया गया है। इसी वर्ष से जैसे ही विष्णु देव साय जी की सरकार बनी है, वैसे ही 35 हजार रूपये प्रति जोड़ी उनके खाते में पैसा डाल दिया जाता है। वह अपनी आवश्यकता अनुसार उस पैसे को खर्च कर सकती हैं।

सभापति महोदय :- उद्धेश्वरी जी, कुछ मांग और सुझाव को रखते हुए अपनी बात समाप्त करिये।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :- माननीय सभापति महोदय, उसी प्रकार से महिला बाल विकास विभाग के द्वारा किए जा रहे जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2025-26 की अनुदान मांग संख्याओं का समर्थन करती हूं। मैं मंत्री महोदया से कहना चाहूंगी अभी भी चाहे शहरी क्षेत्र में देखा जाए, या ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए, अभी भी कई जगह आंगनबाड़ी केन्द्र, भवनविहीन है या किराये के घरो में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैं मंत्री महोदया से कहना चाहूंगी कि जो आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं, वहां पर पर जल्द से जल्दी आंगनबाड़ी भवन स्वीकृत करें। सभापति महोदय, आपने मुझे अनुदान मांगों

पर बोलने के लिए अवसर दिया, मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी और महिला बाल विकास मंत्री को बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हुए अपनीवाणी को यहीं पर विराम देती हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्रीमती शेषराज हरवंश।

श्रीमती शेषराज हरवंश (पामगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। महिला एवं बाल विकास विभाग का यह महत्वपूर्ण दायित्व है कि महिलाओं के संवैधानिक हितों की सुरक्षा करें तथा विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उन्हें सक्षम तथा जागरूक बनाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजधानी रायपुर में सैकड़ों महिलाओं के साथ धोखाधड़ी हुआ है और उनको लाभ से वंचित किया गया है। लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर के प्रबंधन द्वारा धोखाधड़ी किया गया है। बैंक में फर्जी ऋणों का एक बहुत बड़ा काण्ड हुआ है। बैंक के अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी और कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से षड़यंत्रपूर्वक सैकड़ों महिलाओं के नाम से करोड़ों रूपये के ऋण स्वीकृत एवं वितरण बताकर उस राशि का गबन कर लिया गया है। उन महिलाओं को बैंक सदस्य भी फर्जीवाड़ा करके बनाया गया है। सहकारिता विभाग के द्वारा जांच के नाम पर लीपापोती कर दिया गया है।

माननीय सभापति महोदय, इस काण्ड भांडाफोड़ तो तब हुआ, जब अनेक महिलाओं के महतारी वंदन योजना की राशि इस लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक के उनके खाते में जमा होने की जानकारी प्राप्त होने पर वे उस राशि का आहरण करने के लिए बैंक गई तो बैंक में उनको बताया गया कि महतारी वंदन योजना की राशि तो शासन से उनके खाते में जमा हुई है, परन्तु वह बैंक की डिफाल्टर हैं। इसलिए उस राशि को समायोजित कर उनके द्वारा बैंक से पूर्व में लिए गए ऋण की वसूली की जा रही है। माननीय सभापति महोदय, 5 मार्च के दिन मेरा एक प्रश्न लगा था, जिसमें विभाग ने जवाब दिया है कि क्रमांक-1 से लेकर 864 हितग्राही सिर्फ रायपुर जिले के हैं। माननीय सभापति महोदय, इसमें से कुछ महिलाओं के नाम पर बकाया फर्जी ऋण एवं ब्याज की पूरी राशि जमा करके उनका ऋण खाता भी शून्य कर दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं मांग करती हूं कि इस षड़यंत्रपूर्वक गलत जांच कर रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत कर दिया गया है। मैं विभाग से इसकी मांग करती हूं कि आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ बातें रखती हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में महिला बाल विकास विभाग की सी.डी.ओ.पी. की घोर लापरवाही के कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की भर्ती में बहुत गड़बड़ी हुई है। पामगढ़ में महिला बाल विकास विभाग के द्वारा फर्जीवाड़ा के तहत सभी नियमों को ताक में रखकर अपात्रों को भर्ती दे दी गई है। माननीय सभापति महोदय, गड़बड़ी इतनी ज्यादा थी कि जिनकी नियुक्ति हुई है, उनमें से कुछ आठवीं के मार्कशीट जिस

स्कूल पर लगाया गया है, वह प्रायवेट स्कूल कक्षा नवमीं से ही शुरू होता है।

श्री रामकुमार यादव :- दीदी, अग्रवाल जी, सुना थ न घोटालाबाज के सरकार हो हे तेला, आठवीं पास ल बारहवी पास के मार्कशीट मा नौकरी लगा दे थवा अउ तुमन दूध के धुले बने हवा। वाह रे ट्रिपल इंजन के सरकार हो, तुहला जोहर हे।

सभापति महोदय :- आप महिलाओं के बीच में मत आईये।

श्री नीलकंठ टेकाम :- ट्रिपल नहीं, 5 इंजन के सरकार हे।

एक माननीय सदस्य :- स्कूल कब से चलत हे रामकुमार जी ? स्कूल कब से चलत हे ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- उधर महंत जी बोल रहे थे, हमारे नेता जी तो अर्द्ध नारीश्वर रूप में है, तो ये भी अर्द्ध नारीश्वर रूप में हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनको बोलने दीजिये।

श्री रामकुमार यादव :- भैया, मैं हर सर्वव्यापी हौं। (हंसी)

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय सभापति महोदय, शादी-शुदा होने के बावजूद भी पिता के गरीबी रेखा के प्रमाण-पत्र को मानकर अंक दिया गया है। तलाकनामा के लिए न्यायालय का ही आदेश मान्य होता है, जिसमें स्वयं के नोटरी शपथ पत्र को मान्य कर अंक दे दिया गया है। इतना ही नहीं, इसकी सूची एवं साक्ष्य मेरे पास है। सूचना के अधिकार के तहत दस्तावेजों को अभ्यर्थियों द्वारा निकाला गया और समाचार पत्रों में प्रमुखता से खबर प्रकाशित हुआ है, जिसमें सी.डी.पी.ओ. की लापरवाही का विस्तार से उल्लेख है। नियुक्ति के नियम में अंकसूची के अंक के अलावा परित्यक्ता, तलाकशुदा, छात्रावास में रहकर पढ़ने का प्रमाण-पत्र, इन सब पर अंक निर्धारित था। इन्हीं में फर्जीवाड़ा कर पात्र अभ्यर्थियों का नंबर काट दिया गया एवं अपात्रों को नंबर दिया गया और नियुक्ति कर दी गई। माननीय सभापति महोदय, मैं पामगढ़ विकासखण्ड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका भर्ती के कुछ शिकायतों को आपके संज्ञान में ला रही हूं। आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक 4, बोरसी में सहायक भर्ती में दो अभ्यर्थियों के प्रावधिक सूची में गरीबी रेखा में अंक दिया गया था, परंतु जब फाईनल सूची जारी हुआ तो उसमें गरीबी रेखा का अंक विलोपित कर उन्हें पात्र कर दिया गया। आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक 4, कोसा में प्रथम स्थान पर अभ्यर्थी को फाईनल सूची से हटाकर दूसरे अभ्यर्थी के में गरीबी रेखा का अंक जोड़ दिया गया और जबकि गरीबी रेखा का प्रमाण-पत्र उसके पिता के नाम से था, जबकि विवाह उपरांत उसकी ..।

सभापति महोदय :- शेषराज जी, एक मिनट।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- सभापति महोदय, दो मिनट। बहुत आवश्यक बात है।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, ये महाज्ञानी आ गे। (अजय चन्द्राकर, सदस्य की ओर इशारा करते हुए)

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आप प्लीज बैठिये।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- सभापति महोदय, दो मिनट। बहुत आवश्यकत बात है।

सभापति महोदय :- शेषराज जी, मैं एक चीज कह रहा था कि आपकी जो शिकायत है, जो चीजें हैं, वह मंत्री जी को सीधे दे सकती हैं। वह जांच का विषय है, कार्रवाई का विषय है। आप मांग और अनुदान में बात कीजिये।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय सभापति महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी को इसी सदन में पिछले सत्र में WhatsApp में भेज दिया था। मैंने उसके बारे में बताया था, लेकिन उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। (व्यवधान) हमारे सर में चढ़ कर बोल रही हैं। इसलिए मेरा सदन में रखना जरूरी हो गया है।

श्री रामकुमार यादव :- मंत्री जी हर ओला झोला मा धर के राखे हे।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- सभापति महोदय, प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम से था, जबकि विवाह उपरांत उसकी स्थिति उसके पति के गरीबी रेखा के प्रमाण-पत्र पर होता है। ग्राम पंचायत चंडीपारा में भी शिकायत किया गया है। सहायिका भर्ती में अभ्यर्थी के द्वारा छात्रावास एवं गरीबी रेखा का प्रमाण-पत्र दिया गया है, जिसे काट कर तलाकशुदा को जो अमान्य प्रमाण-पत्र था, उसकी नियुक्ति कर दी गई। मैं दिव्यांगजनों के लिए सदन में दो बातें रखना चाहूंगी। हमारे छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों की संख्या लगभग 7 लाख 14 हजार 372 हैं, जिसमें पांच प्रकार के दिव्यांगजन शामिल हैं। मैं उनके लिए कुछ मांग रखना चाहूंगी क्योंकि इसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र के दिव्यांगजन के तरफ से भी मांग आई है। दिव्यांगजन भाई-बहनों के बेहतर जीवन के लिए आवास योजना का उनको लाभ मिल कसें, मैं उनके लिए मांग करती हूं। मैं पेंशन योजना में वर्ष 2002 एवं वर्ष 2011 की सर्वे सूची को अनिवार्यता को समाप्त किये जाने की मांग करती हूं एवं उनके लिए जो ब्रेकर सा लगा है, जिसके कारण बहुत से दिव्यांगजन पेंशन योजना से वंचित हैं। हमारे दिव्यांग भाई-बहन मुफ्त में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें और बिना किसी शर्त के ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास का प्रशिक्षण के साथ लोन की व्यवस्था ले सकें और इनकी पेंशन में वृद्धि किया जाये, इसकी मांग करती हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 55 एवं 34 के विरोध में खड़ी हुई थी। आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

सभापति महोदय :- श्री चैतराम अटामी जी।

श्री रामकुमार यादव :- भैया, नोनी मन के बीच में तैं हर कहां ले आ गए? (हंसी) महिला-महिला के बीच में आथे ते हर पहिली मुठिया खाथे।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, जब तक आप बाहर थे तब तक सदन में शांति था। (हंसी)

श्री चैतराम अटामी (दन्तेवाड़ा) :- जब रामकुमार जी आ सकते हैं तो चैतराम अटामी आने में क्या दिक्कत है?

सभापति महोदय :- आप बोलने दीजिये, सदन को चलने दीजिये।

श्री चैतराम अटामी :- माननीय सभापति महोदय, आज मैं महिला बाल विकास विभाग के अनुदान मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, हमारी सरकार महिला एवं बाल कल्याण के लिए कृतसंकल्पित है। हमारी सरकार के घोषणा-पत्र के अनुरूप प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने, उनके साथ लिंग विभेद, असमानता को दूर करने, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाने तथा समाज में सम्मानजनक स्थान प्रदान करने, आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने हेतु 'महतारी वन्दर योजना' लागू की गई है।

सभापति महोदय :- अटामी जी, आप पढ़िये मत। कुछ विषय होंगे, कुछ बातें होंगी, कुछ मांगें होंगी, वह रख लीजिये।

श्री चैतराम अटामी :- जी।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, क्षमा चाहथंव । एक मिनट । एक मिनट सभापति जी । एक मिनट-एक मिनट ।

सभापति महोदय :-नहीं, रामकुमार जी । आप दूसरी बार के सदस्य हैं । हर बात पर, हर विषय पर उठकर बोलना, देखिये जो हमारी सामान्य संसदीय परम्परा है, उसके लिये उचित नहीं है । आप हर बार, हर बात पर उठकर मत बोला करें । आप डायरेक्टली बात करते हैं, यह प्रक्रिया नहीं है । नहीं, आप बैठिये । माननीय सदस्य, आप अपनी बात रखें ।

श्री चैतराम अटामी :- सभापति महोदय, मोदी जी की गारंटी को पूरा करने वाले हमारे विष्णु देव जी की सरकार के द्वारा महतारी वंदन की योजना के माध्यम से हमारे महिलाओं को 1000 रूपया दिया जा रहा है, हमारे विशेष तीज-त्यौहारों जैसे दीपावली और राखी के त्यौहारों में महिलाओं को पैसे की आवश्यकता होती है, यह राशि 3-4 महीने खाते में जमा होने के बाद एक साथ निकालकर इसका सदुपयोग करते हैं, मैं माननीय मंत्री महोदया को इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ । सभापति महोदय, इसमें प्रदेश की 69 लाख 63 हजार से अधिक महिलाओं को प्रतिमाह 1 हजार रूपया दिया जाता है, इस योजना से प्रदेश की महतारियों को एक नई उर्जा मिल रही है, इससे उनका सरकार के प्रति विश्वास और सम्मान बढ़ा है । माननीय सभापति महोदय, हमारे समाज के लिये महिलायें और बेटियॉ आधार स्तंभ है, हमारी सरकार उनके महत्व को अच्छी तरह से समझती है, अत: महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और सभी प्रकार के सशक्तीकरण के साथ-साथ अधिकारों के संरक्षण के लिये कटिबद्ध है । सभापति महोदय, राज्य शासन द्वारा प्रदेश में महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 के बजट में योजना शीर्ष 7048 अंतर्गत 5500 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है । मैं इसके लिये माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय महिला बाल विकास मंत्री जी को आभार प्रकट करता हूँ । माननीय सभापति महोदय, समाज कल्याण विभाग द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों के लिये पेंशन योजना संचालित किया जा रहा है, इसके अंतर्गत 22

लाख 64 हजार से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है । माननीय सभापति महोदय, शासन के वंचित समूहों की प्रतिबद्धता इस बात से प्रदर्शित होती है कि इतने बड़े जनसमूह को प्रतिमाह नियमित रूप से पेंशन योजना से लाभान्वित किया जाता है । सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी तथा उसके विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पेंशन की राशि के वितरण में पारदर्शिता लाने के उद्येश्य से 98 प्रतिशत हितग्राहियों को डी.बी.टी. के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है । सभापति महोदय, हमारी संवेदनशील सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिये तथा विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांग व्यक्तियों के लिये पेंशन योजना का संचालन किया जा रहा है, ताकि इन्हें प्रतिमाह अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिल सके ।

सभापति महोदय :- कुछ मांग या सुझाव हो तो वह रख लीजिए ?

श्री चैतराम अटामी :- सभापति महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि जब से हमारी सरकार आई है, महिला और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को प्राथमिकता में रखा है । हमारे स्व-सहायता समूहों के द्वारा पोषण के लिये रेडी-टू-ईट जो बहुत पहले से बना रहे थे, उनको वंचित किया गया था, अभी हमारी सरकार के द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्री ने यह कार्य स्वसहायता समूह को दिया है । निश्चित रूप से उस समूह को वहां पर लाभ मिलेगा । इसके लिए मैं हमारे विभागीय मंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं । हमारे प्रदेश में कुपोषण मुक्ति के लिए विशेष रूप से राज्य के बजट में 42.80 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । योजना में कुपोषित बच्चों की देखभाल, कुपोषण, स्वास्थ्य, जांच एवं अन्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए गेप फीलिंग का प्रावधान है । कुपोषण की रोकथाम में पारिवारिक, सामाजिक सहभागिता सुनिश्चित करते हुए पालकों की क्षमतावर्धन की जाएगी, जिससे कुपोषित बच्चों का घर पर ही उचित पोषण एवं देखभाल तथा प्रबंधन की जानकारी मिल सके । सभापति महोदय, पोषण ट्रैकर जनवरी, 2025 के अनुसार छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय औसत का तुलनात्मक विवरण अनुसार बौनापन हमारे छत्तीसगढ़ में 26.2 प्रतिशत है, जबकि भारत में 39 प्रतिशत है ।

सभापति महोदय :- अटामी जी, समाप्त करिए ।

श्री चैतराम अटामी :- सभापति महोदय, मैं महिला एवं बाल विकास मंत्री जी से मांग करता हूं कि हमारे जितने भी आंगनबाड़ी भवन अधूरे हैं, उसको पूरा करें और रेडी टू इट का कार्य कुछ ही जिलों में स्व सहायता समूह को दिया गया है । मेरी मांग है कि सभी जिलों में इसको लागू किया जाये, ताकि स्व सहायता समूह के माता एवं बहिनों को इसका लाभ मिले । सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल (डोंगरगढ़) :- धन्यवाद सभापति जी। मैं मांग संख्या-55 एवं मांग संख्या-34 में प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर बोलना चाहूंगी । मंत्री जी ने महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए सिर्फ 7,55,947 रूपए का बजट प्रावधान किया है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ राज्य

में महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास, महिला सशक्तिकरण एवं बाल संरक्षण का महत्वपूर्ण दायित्व महिला एवं बाल विकास विभाग को दिया गया है । संबंधित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन का दायित्व विभाग द्वारा निवर्हन किया जाना है । प्रश्न यह है कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों के सुचारू संचालन एवं हितग्राहियों को दी जाने वाली सेवाओं में गुणवत्ता एवं वृद्धि के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कुल 52156 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं, जिसमें कुल 47300 केन्द्रों के ही भवन हैं । आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन के लिए अभी तक बजट में कोई प्रावधान नहीं है, वह आंगनबाड़ी भवन कैसे संचालित हो रहा होगा, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए । आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आपने अपने बजट में गति की बात की है तो इस तरह गति कैसे आगे बढ़ेगी, यह सोचने वाली बात है । उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि कई आंगनबाड़ी भवन ऐसे जगह हैं, जो मिट्टी के घर में या फिर किसी के घर में बिठाकर आंगनबाड़ी चला रहे हैं । मेरे क्षेत्र में दो ऐसे जगह हैं, जिसके बारे में उल्लेख करना चाहूंगी, जो खैरागढ़ जिला एवं डोंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में आता है । लक्षनाटोला गांव में आंगनबाड़ी का भवन नहीं है, जो एक छोटे से जर्जर भवन में, सामुदायिक भवन में चल रहा है । वैसे की कटेमा जो कि बहुत घनघोर जंगल के अंदर है, जहां एक महिला ने अपने घर को दिया है, जो एकदम टूटा-फूटा है, जहां महिलाएं अपना आंगनबाड़ी चला रही हैं । आपका विभाग इस तरह से संचालित हो रहा है? इसलिए इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए और मेरी मांग को भी ध्यान में रखते हुए आंगनबाड़ी के जितने भी संचालित जगह हैं, वहां पर आप सर्वे कराइए और आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कराइए और आपके बजट प्रावधान को आगे बढाइए।

माननीय सभापति महोदय, पोषण योजना पर आप सभी लोगों ने अपनी बातें कीं, लेकिन अभी तक गर्भवती महिलाओं को गर्म भोजन नहीं दिया जा रहा है और बालिकाओं को पोषणयुक्त कोई भी आहार नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जबकि आपने अभी कहा था कि पोषण योजना चल रही है और किशोरी बालिकाओं को सुविधा मिल रही है। मैंने तो आज तक कहीं पर भी किशोरी बालिकाओं को आहार देते नहीं देखा और न ही उन्हें गर्म खाना मिल रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सरकार किसी की भी हो, लेकिन आपने बजट में प्रावधान रखा है, तो इस पर विशेष ध्यान देते हुए रखना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी बहुत महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना पर आऊंगी, जिसमें आपने कहा कि महतारी वंदन योजना महिलाओं के सम्मान स्वरूप सरकार द्वारा चलाई जा रही है। आपने प्रत्येक महिला को एक हजार रुपए प्रतिमाह देने का वायदा किया था। उस समय आपने किसी भी प्रकार से नहीं कहा और न ही आपकी घोषणा में था कि बुजुर्ग महिलाओं को उसके अंतर की राशि दी जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, जो विधवा पेंशन,

निराश्रित पेंशन और वृद्धा पेंशन पर आधारित हैं। इसी प्रकार बहुत सी महिलाओं का नाम सूची में नहीं है। आपकी जनगणना सूची वर्ष 2002 एवं वर्ष 2004 में उनका नाम नहीं है, यह कहकर उनको इस योजना का लाभ ही नहीं मिलता। उनको लाभ नहीं मिलता और उनको महतारी वंदन का पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। ऐसी महिलाओं पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। उनको अंतर की राशि के लिए मंत्री जी ने ही कहा था। मंत्री जी ने अभी प्रश्न के जवाब में भी कहा है कि अंतर की राशि 500 रुपए काटी जाती है। जिन महिलाओं का नाम सूची में नहीं है, उनको तो कुछ भी राशि नहीं मिल रही है। ये सोचने वाली बात है। मंत्री जी, इस पर मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी। मंत्री जी, सुन रही हैं ना? इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। नोट कर रही हैं ना? जिनको निराश्रित पेंशन नहीं मिल रहा है, उनका भी सर्वे में नाम हो और साथ ही उन्हें अंतर की राशि नहीं बल्कि उन्हें महतारी वंदन योजना का पूरा लाभ मिलना चाहिए। आपकी सरकार में महिलाओं, बुजुर्गों और असहाय महिलाओं के साथ सरासर अन्याय हो रहा है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिए।

माननीय सभापति महोदय, अभी सभी लोगों ने पोर्टल की बात की। यदि देखें तो नवविवाहित महिलाओं के लिए पोर्टल नहीं खुले एक साल हो गए। अभी तो मैं आपसे सीधे-सीधे यह मांग करना चाहूंगी कि जितनी भी नवविवाहित महिलाएं हैं, उनका सर्वे हो। मंत्री जी, आपने ही बताया था कि आंगनबाड़ी से सर्वे होता है और जैसे ही किसी की मृत्यु होती है, तो हमें तत्काल जानकारी हो जाती है, तो आप इस चीज का भी सर्वे करवाइए कि किसका विवाह हो रहा है और किस गांव में कितनी विवाहित महिलाएं हैं। तत्काल उनकी सर्वे रिपोर्ट आपको मिले और एक महीने के अंदर उनका पोर्टल खुले, ताकि आप अपनी योजना को व्यवस्थित चला सकें। ये तो कहीं पर हो ही नहीं रहा है। इस तरह से बहुत सी महिलाएं एक साल से वंचित हैं। यह आपकी महतारी वंदन योजना है? मैं अभी हाल ही का उदाहरण देना चाहूंगी कि अभी डोंगरगढ़ में नगर पालिका का चुनाव हुआ। उसमें महिलाओं को डराया गया कि यदि आप वोट नहीं देंगी, तो महतारी वंदन का पैसा नहीं मिलेगा। यदि बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा, तो महतारी वंदन का पैसा नहीं मिलेगा और ऐसा हुआ भी। कुछ ऐसे वार्ड हैं, जहां कॉग्रेसी जीतकर आए, वहां पर कुछ लोगों को पैसा ही नहीं मिला और कुछ लोगों के अंतर की राशि बाद में मिली। ये हुआ है। अभी हाल ही में मेरी काम वाली बताई।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, इसमें कुछ बोल सकता हूं, आपसे निवेदन है? इसमें एक मिनट बोल सकता हूं?

सभापति महोदय :- नहीं, वह बोल रही हैं, आप उनको सुन लीजिए।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- मेरी काम वाली ने मुझे बोला कि दीदी मुझे इस महीने का पैसा ही नहीं मिला। मैंने उससे पूछा की क्यों नहीं मिला ? उसने कहा कि अभी हाल ही में चुनाव हुआ था और हमारे वार्ड में आपके कांग्रेस के पार्षद जीतकर आये हैं। वहां यह शिकायत आयी कि कुछ लोगों को

पैसे मिले हैं और कुछ लोगों को नहीं मिले हैं। मैंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता लेकिन उसने बोला कि ऐसा हो रहा है। यह आपके भ्रष्टाचार का सबूत है। जहां ऐसा मामला हुआ है, मैं आपको उसकी जानकारी दे रही हूं।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- हर्षिता जी, आपकी पार्टी ऐसी अफवाह फैलाने और कंटेंट बनाने में माहिर है। क्या ऐसा कभी होगा कि जहां पार्षद हार गये वहां पर मातृवंदन योजना की राशि नहीं आयेगी ? मैं आपको चुनौती देता हूं। आप सबूत लाईये।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- यह अफवाह नहीं है। विपक्ष जब बात रखती है, तभी सरकार अपनी योजना को व्यवस्थित कर सकेगी।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, यदि आपके आदेश होही तो में हर बोलहू।

सभापति महोदय :- ठीक है, आप बोलिये। हर्षिता जी, रूकिये।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, ओ हर अभी कतका सुंदर बोलत हे कि ए मन नगर पंचायत में डरा, चमकाकर त्रिपल इंजन ला जोड़त हे। मतलब तुमन ला डराकर वोट ले हवव। मंत्री जी, माननीय सदस्या हा ये कहना चाहत हे।

सभापति महोदय :- चलिये हो गया। आपने कह दिया।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति जी, ई.व्ही.एम. खराब, बैलेट पेपर खराब, अब हार गये तो धमकी खराब। आप यह सोच समझकर बताईये कि आखिर चुनाव कैसे कराये ?

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- आप चुनाव जैसे भी कराये परंतु महिलाओं को लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए ? आज उस वार्ड नं. 3 की महिलाएं मेरे पास शिकायत करने आयी थी। उसमें से कुछ को राशि मिली और कुछ को नहीं मिली।

सभापति महोदय :- हर्षिता जी, आप विषय पर आईये।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- सभापति महोदय, यह बहुत संगीन मामला है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार का एक और मामला, जिसमें आप सभी ने सदन में चर्चा की थी कि सनी लियोनी के नाम पर यहां महतारी वंदन की राशि।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप ज्यादा बात करेंगे तो अगले चुनाव में हम लोग आपको नामजद कर देंगे। सब में नामजद नहीं करेंगे। क्या मतलब है जब आप लोगों को चुनाव से मतलब ही नहीं है ?

श्री रामकुमार यादव :- यदि आप ज्यादा करेंगे तो हम लोग भी अंग्रेजों को ला देंगे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, माननीय सदस्या बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आयी हैं। आप लोग ध्यान से सुनिये।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- सभापति महोदय, यहां पर सनी लियोनी के नाम पर महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है तो ऐसे कई बॉलीवुड की अभिनेत्रियों के नाम से लोगों को इसका

लाभ मिला होगा। मुझे पता नहीं कि इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है ? यह भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है, जिस पर आपको विशेष ध्यान देकर जांच करानी चाहिए। आज तक उसकी जांच नहीं हुई है। यह महतारी वंदन योजना, आपकी विशेष योजना है, जिसमें इस तरह से काम हो रहा है। मैं आपको और बताना चाहूंगी।

सभापति महोदय :- हर्षिता जी, समाप्त करिये। आपको बोलते 10 मिनट हो गये।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- सभापति महोदय, मैं अपनी बात चंद शब्दों में खत्म कर रही हूं। अभी हमारी संगीता दीदी ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर बहुत सारी बातें की, इसलिए मैं उस पर ज्यादा नहीं कहूंगी। हम अनाचार के मामलों से बचने के लिए बच्चियों के लिए स्कूल में ऐसी कोई योजना लाये, जिसमें पढ़ाई के समय 10 मिनट का समय लेकर उनको अत्याधुनिक योजना का क्रियान्वयन करके गुड टच और बैड टच के मामलों में शिक्षा दे सके। इसके साथ ही साथ आंगनबाड़ी हो या कोई भी ऐसी संस्था हो या शिविर हो, जिसके माध्यम से हम जागरूकता फैलाये और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इसका प्रशिक्षण दे ताकि वह स्वयं से आत्मरक्षा कर सके, जिससे हमारे समाज कल्याण विभाग की महत्वपूर्ण योजना का लाभ लोगों तक पहुंचेगा। मैं आपको बताना चाहूंगी कि समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्धाश्रमों के लिये संचालित की जा रही योजनाओं में प्रति व्यक्ति खाने का व्यय अत्यधिक कम है और नशामुक्ति केंद्रों में ज्यादा है। ऐसा क्यों हो रहा है ? उनको भी व्यय देना चाहिए और नशामुक्ति में भी देना चाहिए। दोनों को बराबर देना चाहिए। बहुत सारे समाज के बहुत सारे लोग हैं, जिनको खाना खाने के लिये सिर्फ 20 रूपये की राशि रखी गयी है। जबकि आज महंगाई का दौर है। उनके खाने का व्यय कम से कम 250 रूपये होना चाहिए। उसकी राशि बहुत कम है। इनके इलाज के लिये 1,000 रूपये रहना चाहिए। आप उक्त योजना का क्रियान्वयन करवाईये।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करिये।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- सभापति महोदय, मैं एक और विषय पर अपनी बात रखना चाह रही थी। जहां एक ओर वृद्धाश्रम में कार्यरत् कर्मचारी, जैसे भृत्य, स्वीपर, रसोइयां सहायक को प्रतिमाह 3,000 रूपये और रसोइयों को 3500 रूपये, नर्स और काउंसलर को 4,000 रूपये तथा प्रबंधक को 5,000 रूपये दिये जा रहे हैं परंतु अन्य योजनाओं के भृत्य, स्वीपर, रसोइयों सहायक को क्रमश: प्रित माह 6,000 रूपये, 10,000 रूपये और 10,870 रूपये दिये जाते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि वेतन विसंगति को दूर करने हेतु वेतन सेटअप तैयार कर योजनाओं में कार्यरत् कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिये उनका वेतनमान बढ़ाया जाये। पूर्व में बहुसेवा केंद्र को बंद कर दिया गया है, मैं आपसे उसे पुन: शुरू करने की मांग करती हूँ।

माननीय सभापति महोदय, महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित किये जा रहे मुख्यमंत्री विवाह योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को प्रदान की जा रही राशि केवल और केवल 50 हजार रूपये है।

आज इस महंगाई के दौर में 50 हजार रूपये से क्या होता है? उनको सामग्री के साथ केवल 50 हजार रूपये का लाभ मिलता है जो हमारी सरकार के समय यह राशि थोड़ा बढ़ी थी। आपकी सरकार में केन्द्रांश और राज्यांश मिलाकर, इस राशि को बढ़ायें। उनको कम से कम 2 लाख रूपये मिलना चाहिए ताकि इस प्रदेश में कोई गरीब व्यक्ति अपना विवाह व्यवस्थित तौर पर कर सके। मुझे बहुत सारी बातें कहनी हैं जैसे अभी नवीन नारी निकेतन केन्द्र के बारे में यह कहना चाहूंगी। यहां पर केवल तीन ही जिलों में नारी निकेतन केन्द्र संचालित हैं, उनको बढ़ा दें। अगर हर जिले में नारी निकेतन केन्द्र हो तो उनको सुविधा होगी और जब महिलाएं ज्यादा से ज्यादा सक्षम होंगी तब प्रदेश की उन्नति में उनका योगदान रहेगा। मैं, आपसे यह निवेदन करती हूँ कि मेरी सभी मांगों को ध्यान में रखते हुए, आप इस बजट को व्यवस्थित करें। आपके पास मेरा कटौती प्रस्ताव है। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्रीमती रायमुनी भगत (जशपुर) :- माननीय सभापति महोदय, यहां पर मैं मांग संख्या 34 एवं मांग संख्या 55 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ।

माननीय सभापति महोदय, सशक्त नारी के बिना सशक्त समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। इस बजट में महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए जो प्रावधान किया गया है, यह बहुत ही सराहनीय है। मैं यशस्वी मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया को बहुत-बहुत धन्यवाद् देती हूँ कि आपने बजट में बहुत ही अच्छे प्रावधान रखे हैं। हमारी राज्य सरकार बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए कृत संकल्पित है। जब-जब इस प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तब-तब नारियों का सशक्तिकरण, बालिकाओं की सुरक्षा और संरक्षण की बात को लेकर गंभीर होती है। मैं, आपसे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की बात करूं, चाहे किशोरी बालिकाओं के विषय में बात करूं। इन सभी क्षेत्रों में वित्त का एक अच्छा पोषण है। मैं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की बात कहना चाहूंगी कि पिछले बजट में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए 300 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था और अभी इस बजट में 5500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। आने वाले समय में मुख्यमंत्री विवाह योजना के लिए 40 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, इसके लिए मैं माननीया महिला बाल विकास मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद् देती हूँ।

माननीय सभापति महोदय, अगर किसी ने हमारी किशोरी बालिकाओं के लिए सोचा है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोचा है। हमारी प्रदेश की बेटियां स्कूल जाती हैं तो उनकी देखभाल हो एवं उनको जागृत करने के लिए हमारी सरकार ने सुचिता योजना लागू की है। जब हमारी किशोरी बालिकाएं स्कूल जाती हैं तो तब वह संकोचवश ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाती हैं इसलिए इस योजना की तहत अब स्कूलों में Sanitary napkin का ए.टी.एम. शुरू किया गया है। वहां पर Sanitary napkin का प्रावधान करने के बाद, अभी बेटियों में जागरूकता आयी है। पहले क्या है जब वह रजस्वला, मासिक धर्म

होती थीं तब बेटियां स्कूल नहीं जाया करती थीं, अब बहुत फ्रेंकली स्कूल जा रही हैं और अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। उनके लिए भी बजट में प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1 हजार कन्या शालाओं तथा महाविद्यालयों में सैनिटरी नैपकीन की ए.टी.एम. वेंडिंग मशीन एवं भस्मक मशीन की स्थापना कराये जाने का प्रावधान है।

सभापति महोदय, समाज कल्याण विभाग का कुछ विषय है। महिला बाल विकास विभाग ने समाज कल्याण की भी बहुत चिंता की है। समाज कल्याण विभाग की ओर से वृद्धावस्था पेंशन हेतु 200 करोड़ रुपये, सुखद सहारा योजना हेतु 125 करोड़ रुपये, वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना हेतु 4.15 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है। हम दिव्यांगजनों की बात करते हैं। दिव्यांगजन अपनी सक्षमता के अनुसार विद्या अध्ययन करते हैं और आश्रम छात्रावासों में रहते हैं। दिव्यांगजनों के कृत्रिम अंग के निर्माण के लिये 30 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है, इसके लिए भी मैं समाज कल्याण विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग को धन्यवाद देती हूं। जशपुर में दिव्यांगजन के छात्रावास परिसर निर्माण के लिए भी 2.5 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है। मैं पिछले वित्तीय वर्ष और इस वित्तीय वर्ष में बहुत ही अंतर महसूस कर रही हूं। जब भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार आई और डॉ. रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कांग्रेस के भाई लोग कहते हैं कि कांग्रेस का हाथ, गरीबों के साथ। लेकिन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तब हमने गरीबी, भूखमरी देखी है और महिलाओं के साथ क्या स्थिति होती थी, वह भी हमने देखी है। जब बच्चे पैदा होते थे तब अधिकांश बच्चे कुपोषित पैदा हुआ करते थे। महतारियों के लिए भी कोई पूरक पोषण आहार की व्यवस्था कांग्रेस की सरकार में नहीं हुआ करती थी। हमारी मातायें जब बच्चे का जन्म होता था, उसके 3-4 दिन के बाद काम के लिए निकल जाती थीं और सुबह से शाम तक छोटे भाई बहन को लेकर जैसे हम लोग महसूस किये हैं, बडी दीदीयॉ एक साड़ी को पहनती थीं, एक तरफ से बच्चे को पीठ में बांधकर मॉ-बाप का इंतजार करते थे। यह कांग्रेस का राज था। सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और डॉ. रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बनें। उसके पहले 8-8 दिन तक अनाज का दाना देखने को नसीब नहीं होता था। रेडी-टू-ईट और पूरक पोषण आहार की कल्पना यह कर ही नहीं सकते थे। किस विपरीत परिस्थिति में अपने बच्चों का लालन-पालन करके कांग्रेस की सरकार में हमारे मॉ-बाप ने सरई लठा और महुआ लठा से बच्चों का पालन-पोषण किया है। गोंदली के चावल को छोटे बच्चों को खिलाकर बड़े किये हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मैं हृदय से धन्यवाद देनी चाहती हूं कि रेडी-टू-ईट का कार्यक्रम चलाकर आज सभी महतारियों, बेटियों, किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार से जोड़ा है और हाई रिस्क मदर जैसी जो बात है, विशेष पिछड़ी जनजाति, पहाड़ी कोरवा और पिछड़ी जनजातियों में पूरक पोषण आहार की कमी से खून की कमी होना, यह जशपुर-सरगुजा जैसी जगहों में आम बात थी लेकिन आज यह लगभग समाप्त है इसलिये भी मैं

भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बधाई देती हूं, धन्यवाद देती हूं ।

समय :

5.00 बजे

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि जिस प्रकार समाज कल्याण विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग ने पिछले डॉ. रमन सिंह जी की सरकार में योजनाओं को बहुत अच्छी तरह से चलाया है और इस पिछले 5 साल में जिस प्रकार रेडी टू ईट के कार्य को बीज निगम को, ठेकेदार को देकर 5 साल जो स्वसहायता समूह की हमारी बहनें काम करती थीं, जीविकोपार्जन करती थीं, व्यवसाय चलाती थीं ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय ।

श्रीमती रायमुनी भगत :- माननीय सभापति महोदय, मुझे बोलने दिया जाए । भैया आप कृपया दो मिनट बैठ जाईये ।

सभापति महोदय :- आप बैठिए । यह महिलाओं का विषय है उनको बोलने दीजिये ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, केवल एक मिनट । मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा ।

सभापति महोदय :- नहीं, समय की बाध्यता है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, केवल एक मिनट । मैं महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं । इस सदन में बार-बार आपके दल के द्वारा यह लाया जाता है कि 15 साल के आपके हुकूमत में इतने लाख महिलाओं को रोज़गार दिया गया । हकीकत यह है कि माननीय मंत्री जी जब भी आप इस योजना को चालू करेंगे तो यह युवा मोर्चा का शिकार न हों, केवल और केवल कागज में महिला स्वसहायता समूह रहता है और रेडी टू ईट का काम करते हैं । मैं आपके युवा मोर्चा की दूसरी बात बताना चाहूंगा कि अगर आप बच्चों के कुपोषण को राजनीति से हटाकर देखेंगे तो इसका परिणाम गलत आएगा । माननीय मंत्री जी, यह राजनीति का शिकार हो रहे हैं, आप महिला स्वसहायता समूह के माध्यम से जो खाद्यान्न बांटेंगे । उसकी क्वालिटी आएगी ही नहीं और इस प्रदेश में हम सदन में जरूर बोल रहे हैं । आप कुपोषित की बात कर रहे हैं लेकिन धरातल में और आपके आंकड़े में छत्तीसगढ़ में कुपोषित बच्चों का आंकड़ा 33 परसेंट तक पहुंच गया है । यह केवल बोलने की बात नहीं है, बच्चों के भविष्य की बात है ।

सभापति महोदय :- चलिये, हो गया । आपकी बात हो गयी ।

श्री रामकुमार यादव :- सरकार मन मोटावत हओ, गांव के मन सुखावत हे ।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी बैठिए । रायमुनी जी जल्दी समाप्त करिये।

श्रीमती रायमुनी भगत :- माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात को समाप्त करूंगी । मैं इस सदन के माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि 5 साल हमारी स्व-सहायता समूह की महिलाएं बेरोजगार हो गई थीं, जरा उसको भी हमारे साथी भाई लोग याद करें । छत्तीसगढ़ में सरकार आने के बाद अभी पुन:, रामकुमार भैया अभी मैं मांग भी रख रही हूं, आप चिंता न करें ।

श्री लखेश्वर बघेल :- बहन जी, अभी रीपा का काम करने वाले और गौठान में काम करने वाली महिला लोग भी बेरोजगार हो गयी हैं, आप उसके संबंध में भी बोलियेगा ।

श्रीमती रायमुनी भगत :- भैया, हम बोल रहे हैं ।

श्री आशाराम नेताम :- उनको बोलने का मौका देना चाहिए ।

सभापति महोदय :- आशाराम जी, उनको बोलने दीजिये । बैठिए ।

श्री रामकुमार यादव :- आशाराम बापू जी आप बैठिए ।

श्रीमती रायमुनी भगत :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में सरकार आने के बाद पिछले सत्र में ही हमारी यशस्वी बाल विकास मंत्री जी ने इसी सदन में घोषणा की थी कि महिला बाल विकास में रेडी टू ईट, पूरक पोषण आहार को तुरंत स्वसहायता समूह को दिया जायेगा, ऐसा कहा था और यह काम शुरू हुआ है । मैं मांग रखना चाहती हूं कि जिस में डी.एम.एफ. नहीं है, उस जिला में भी रेडी टू ईट के कार्य को चालू करना चाहिए ताकि समान भाव से सभी जिलों में रेडी टू ईट का कार्य चले और सभी जिलों के बच्चों को समान पूरक पोषण आहार मिले और कहीं-कहीं आंगनबाड़ी भवन नहीं हैं । विशेषकर मैं अपने क्षेत्र की बात कहूं तो पहाड़ी कोरवा और विशेष पिछड़ी जनजाति हैं और दूरस्थ जगहों में गांव बसते हैं, वहां आंगनबाड़ी भवन नहीं है वहां त्वरित सर्वे कराकर आंगनबाड़ी भवन निर्माण कराने की कृपा करेंगे । एक बहुत ही छोटा गांव है नगर पंचायत है, बगीचा में वार्ड क्रमांक मालूम नहीं है लोटा वार्ड में आंगनबाड़ी भवन वहां किराये पर चल रहा है। ऐसी कई जगह है। आप विशेषकर जल्दी से जल्दी आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कराने के लिए सर्वे कराएं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी जी।

श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी (भानुप्रतापपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 34 एवं 55 महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित अनुदान मांगों पर अपनी बात रखना चाहूंगी। जिस तरह से महतारी वंदन योजना का ढिंढोरा पीटकर भा.ज.पा. सत्ता में आई है और आने के बाद कटनी और छटनी प्रारंभ हो गई है। आज भी इस योजना से बड़ी संख्या में हमारी माता-बहनें वंचित हैं। उन्हें इस योजना का लाभ दिलाने हेतु इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही जिन महिलाओं को वृद्धा पेंशन मिलता है, उन्हें उसी पेंशन की राशि के साथ मिलाकर 1000 प्रतिमाह दिया जाता है, जबकि जो महतारी वन्दन योजना है, उनकी राशि उन्हें अलग से मिलनी चाहिए। नौनिहालों को खेल के साथ-साथ शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य पूरे प्रदेशभर में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किया जा रहा है,

लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों में वहां के भवन जर्जर हो चुके हैं, तो कहीं भवन विहीन हैं, जिनका अभी निर्माण करना अति आवश्यक है। लेकिन इस वर्ष जो बजट आया, प्रदेशभर में केवल 1200 आंगनबाड़ी भवन निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। माननीय सभापति महोदय, बस्तर के अंदर सुदूर गांव में बहुत से आंगनबाड़ी केंद्र जो बंद थे, उस समय जब हमारी सरकार आई तो उन आंगनबाड़ी केंद्रों को खोला गया और उन बच्चों के लिए पोषण आहार और भोजन की व्यवस्था की गई। उसी प्रकार लोगों ने रेडी टू ईट का बहुत विरोध किया, हम साल भर से सुन भी रहे हैं, पर अभी तक आप लोगों ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, बोले थे कि पहले प्रोजेक्ट में करेंगे, लेकिन अभी तक इस दिशा में कुछ नहीं हो पाया है। हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका नियुक्तिकरण की मांग को लेकर लंबे समय से प्रयासरत हैं, इस दिशा में भी सरकार को आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि वे बहनें बेहतर जिन्दगी जी सकें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की सेवाकाल में ही असमय मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति का भी प्रावधान होना चाहिए ताकि परिवार को भी एक सहारा मिल सके। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका 65 वर्ष तक उस विभाग को सेवा दे सकती हैं और सेवानिवृत्ति पर उन्हें एकमुश्त राशि 25 से 50 हजार की राशि दी जाती है तो उसे बढ़ाए जाने पर भी विचार होना चाहिए। विभागीय भर्तियों में सीधी भर्ती के बजाय वरिष्ठता के आधार पर उन्हें पदोन्नति दी जाए। उसी प्रकार राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार से सम्मानित जो बच्चे है, उन बच्चों को 200 रूपये की प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है, उसे भी कम से कम बढ़ाकर 500 रूपये प्रतिमाह किया जाना चाहिए, जिसका इसमें अभी बजट में कोई प्रावधान नहीं है। आंगनबाड़ी में अध्ययनरत बच्चों को जो गणवेश प्रदान किया जाता है, वह उच्च क्वालिटी का हो ताकि बच्चे उसका कम से कम साल भर उपयोग कर सकें। ऐसा गणवेश होना चाहिए, उसी प्रकार पिछली सरकार में गर्भवती महिलाओं को महतारी जतन योजना के तहत आंगनबाड़ी केन्द्रों में गर्म-गर्म भोजन परोसा जाता था, जिसे बंद कर दिया गया है और जिसे प्रारंभ करने पर भी विचार होना चाहिए, जोकि इस बजट में शामिल नहीं है। अभी हमारी दीदी बोल रही थीं कि रीपा वाकई में हमारी बहनों की आजीविका और घर चलाने का साधन था, उसे बंद कर दिया गया है। मेरे क्षेत्र में दो-तीन जगहें ऐसी हैं जहां पर केन्द्र संचालित था लेकिन वे मशीनें जंक खा रही है । मैं चाहूंगी कि उसको फिर से चालू करके महिलाओं को उसके माध्यम से रोजगार मुहैया कराया जाए ताकि जो काम वहां हो रहे थे वे सुचारू रूप से चले और महिलाओं को आजीविका का साधन मिले । इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए । सभापति महोदय, मैं दिव्यांगों के लिए कहना चाहूंगी जो सामर्थ्य विकास योजना है, जिसमें 380 लाख का मापदंड रखा गया है । उसमें कहा गया है कि 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति को दिया जाएगा । शिविरों में बताया भी जाता है कि 40 प्रतिशत से अधिक है तो उसका लाभ मिलेगा । लेकिन हम देखते हैं कि जितने दिव्यांग बच्चे हैं उनमें केवल 80 प्रतिशत वालों को ही लाभ दिया जाता है । मैं चाहती हूं कि जो 40 प्रतिशत से अधिक हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिले ।

साथ ही मेरे भानुप्रतापपुर क्षेत्र में अनेक आंगनबाड़ी भवन विहीन हैं, जिन केन्द्रों के भवन हैं वे जर्जर हालत में हैं । भानुप्रतापपुर क्षेत्र के विकासखंड चारामा के 9 आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन जर्जर हालत में हैं, गिधाली, गितपहर, टिकरापारा, पंडरीपानी, तासी । उसी प्रकार भानुप्रतापपुर विकासखंड में भी 10 भवन हैं जो मुल्ला, किनारी, उत्तामार, जामपारा, कनेचुर, डुमरकोट, बैजनपुरी, हाटकर्रा, धनेली । इसी प्रकार दुर्गकोंदल विकासखंड में भी भवन विहीन हैं, उसमें कम से कम 25 हैं, जिनमें से मुख्य तराईघोटिया, जाड़खुर्सी, लोहत्तर, सिलपट, छर्रीपारा, आंदेवाड़ा, पड़गाल, कोड़ेगांव और इसी प्रकार कम से कम 34 आंगनबाड़ी केन्द्र अति जर्जर स्थिति में है, जिनका संचालन वर्तमान में दूसरे शासकीय भवनों में किया जा रहा है । जहां नवीन भवन निर्माण की अति आवश्यकता है । मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि मैंने अभी जितनी जगहों के नाम बताए हैं, यहां आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन की जल्द से जल्द स्वीकृति करा दें तो अच्छा होता । सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद् ।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुंडरदेही) :- माननीय सभापति महोदय, मैंने समाज कल्याण विभाग में पेंशन को लेकर बहुत सारी बातें प्रश्न के माध्यम से माननीय मंत्री जी से कर ली हैं । मेरी कुछ महत्वपूर्ण मांगे हैं, जिनके लिए मैंने पत्र के माध्यम से मंत्री जी को अवगत भी कराया है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कचांदूर में संचालित दिव्यांग स्कूल हैं । जब डॉ. रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय संचालित था लेकिन 3-4 बंद रहा और फिर जब हमारी सरकार आई तो उस समय मैंने चालू करवाया था और उसकी समुचित व्यवस्था, समुचित देखरेख स्थानीय प्रशासन के माध्यम से हो रही थी । लेकिन अभी बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि वहां गरीब और अनाथ बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास संसाधन नहीं है, सुविधा नहीं है, हम उन्हें कैसे सुदृढ़ कर सकें, कैसे अच्छी शिक्षा दे सकें, उसके लिए प्रयास है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि कचांदूर में दिव्यांग स्कूल संचालित हैं उसे समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित कर, नियमित रूप से संचालित करने का प्रयास करें ।

समय
5.14 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के समक्ष प्रमुख मांग रखना चाहता हूं । नगर अर्जुंदा, नगर गुंडरदेही भवन विहीन आंगनबाड़ी हैं । नगर अर्जुंदा पंचायत है और गुंडरदेही विधान सभा क्षेत्र में ऐसे बहुत से केन्द्र हैं जो भवन विहीन हैं, जो किराये के भवन में संचालित हो रहे हैं । ग्राम खेरूद में नवीन आंगनबाड़ी तो बन गया है लेकिन वहां आज तक उस भवन में संचालन नहीं हो रहा है । ग्राम कजराबांधा में, कुटेरीभट में, टटेंगा में, कसीकला में, बम्हनी, भरदाखोटे, ग्राम बेलटिकरी में आंगनबाड़ी भवन सहित अहाता निर्माण की मांग करता हूं । एक बड़ी मांग रायमुनी दीदी ने सेनेटरी नैपकिन के

विषय में रखी है, अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं, हम लोग एक टीम के माध्यम से, हमारे कुछ विधायक साथी थे, केन्द्र में राज्य मंत्री श्री ब्रजभूषण चौधरी जी हैं, उनके साथ टीम बनाकर केरल के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट गये थे, वहां पर अमृतपुरी अमृतानंदमयी का एक आश्रम है, वह लगभग 40-45 साल से संचालित है, उस आश्रम में रियूजेबल सेनेटरी नैपकिन एक साल की गारंटी के साथ बनता है। अगर आप वहां जाना चाहें तो जा सकते हैं। क्योंकि उस आश्रम का संचालन अम्मा कर रही हैं और वहां जो रिसर्च कर रही हैं, वह डॉ. भवानी राव हैं जो यू.ए.एस. में करोड़ों का पैकेज छोड़कर रिसर्च सेंटर में अपनी सेवाएं दे रही हैं। मेरी उनसे बात हुई है, उनका छत्तीसगढ़ आने का प्लान है। यदि एक टीम बन जाती है तो समाज कल्याण के उपर एक बड़ा काम माताओं-बहनों के लिए सेनेटरी नैपकिन पैड का बड़ा काम कर सकते हैं। क्योंकि वह केले के रेसे से बन रहा है, वह आधुनिक तरीके से बन रहा है, मैंने उसको स्वयं देखा है। हम लोग वैसी जगह पर जाकर एक बार जरूर काम कर सकते हैं ताकि महिलाओं को भी उनका काम दिला सकें। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- आपका सुझाव बहुत अच्छा है, मंत्री जी सुन ली हैं और वहां जाकर देखेंगी। मंत्री जी जवाब दीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, एक लाईन बस बोलना है। मंत्री जी, आप बजट पारित करवाने के लिए बोलने वाली हैं। मेरी एक छोटी सी मांग है, मांग ऐसी है कि जब अनिला भेंडिया जी मंत्री थी तो उन्होंने मेरी विधान सभा क्षेत्र में एक नशा मुक्ति केन्द्र खोलने की घोषणा की थी। अभी मेन बजट में 4, 5 आया है, सरकार की घोषणा सरकार की ही होती है, उसको शासन नहीं मानता। आप भाषण देंगी तो उसकी घोषणा कर देंगी, ऐसी अपेक्षा है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए मंत्री जी।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। आपने संरक्षण दिया, उसके लिए धन्यवाद। चूंकि महिला एवं बाल विकास विभाग का था तो महिलाओं को ही बोलने का मौका मिला।

अध्यक्ष महोदय :- आज तय हुआ था कि महिलाएं ही बोलेंगी मगर एक दो पुरूष भी बोल लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं हैं, आप भी बोल सकते हैं।

श्री जनक ध्रुव :- अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र का मामला है।

अध्यक्ष महोदय :- बोलिए-बोलिए।

श्री जनक ध्रुव :- अध्यक्ष महोदय, चूंकि कमारभूंजिया विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग बहुतायत पाये जाते हैं। मैंने उस क्षेत्र से संबंधित लगभग 50-60 लोगों की मांग पत्र माननीय मंत्री जी को दे दी है। वहां काफी दिनों से आंगनबाड़ी भवनविहीन है, वहां पर कई जगह पेड़ के नीचे, प्राईवेट घर या स्कूल

में आंगनबाड़ी लग रही है, इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, जब माननीय मंत्री जी का भाषण होगा तो उसमें सम्मिलित कर लेंगी तो अच्छा होगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए नोट कर लीजिए, अच्छा सुझाव है। मंत्री जी। (मेजों की थपथपाहट)

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपसे अनुमति लेना चाहती हूं कि थोड़ा ज्यादा समय दे दिया जाए ताकि जितने भी सदस्यगण आज इन अनुदान मांगों पर चर्चा की हैं, कुछ मांगे हैं, कुछ सुझाव दिए हैं, उसको मैं विस्तृत रूप से कह सकूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान मांगों की चर्चा में भाग लेने वाले पक्ष और विपक्ष का आभार व्यक्त करती हूं और उनके जो सुझाव आए हैं, उनका सम्मान करते हुए आने वाले समय में विचार करूंगी। मेरी अनुदान मांगों में जिन्होंने चर्चा की है, विपक्ष की पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंडिया जी, श्रीमती संगीता सिन्हा जी, श्रीमती शेषराज हरवंश जी, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल जी, श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी जी, श्री कुंवर सिंह निषाद जी, हमारे पक्ष के साथीगण श्रीमती भावना बोहरा जी, सम्माननीय उद्धेश्वरी पैकरा जी, सम्माननीय चैतराम अटामी जी, सम्माननीय रायमुनी भगत जी, अंत में अपनी मांग को रखने वाले सम्माननीय अजय चंद्राकर जी और श्री जनक ध्रुव जी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इन अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही थी तो सबसे पहले इस अनुदान मांग का विरोध करने के लिए श्रीमती अनिला भेंडिया जी खड़ी हुई थीं। उन्होंने कुछ सुझाव भी दीं, सरकार के विरोध में कुछ बातें भी कही। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी कुछ बातें रखना चाहती हूं। इस अनुदान मांग में जो बजट में आज सर्व सहमति से पारित होगा, उसमें आंगनबाड़ी भवन की मांग की गई, कुपोषण अभियान के संबंध में ऐसा बोला जा रहा था कि कुपोषण में वृद्धि हुई है। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपको बताना चाहती हूं कि इस एक वर्ष में हमारी सरकार ने हम सबके प्रयास से कुपोषण की दर को घटाया है। यह मांग की गई कि सखी वन स्टाप सेंटर की अलग व्यवस्था होनी चाहिए तो अगर कहीं पर इस तरह से है तो इस मांग को मैं स्वीकार करती हूं। लेकिन विपक्ष के साथियों के द्वारा महतारी वंदन योजना में भ्रष्टाचार की बार-बार जो बात कही जा रही है, उसमें नये लोगों को जोड़ने की बात कही जा रही है और कई प्रकार की बातें कही जा रही हैं। विपक्ष के लोगों ने इस चीज पर बार-बार इल्जाम लगाया है। हमने यह नहीं कहा कि नये व्यक्तियों का इसमें नाम नहीं जुड़ेगा। हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि आने वाले समय में महतारी वंदन योजना में जो छूटी हुई महिलाएं हैं, उन्हें हम फिर से जोड़कर महतारी वंदन योजना का लाभ पहुंचायेंगे। (मेजों की थपथपाहट) मैं काफी देर से कई आरोपों को सुन रही थी। सभी के मुंह में यही बात थी कि भ्रष्टाचार, यह, वह, ऐसा, वैसा सब कुछ। लेकिन इन्होंने कभी इस बात की चिंता नहीं की। जब इस विषय पर प्रश्न लगा था तो इस बात को एक शब्द में सम्माननीय धर्मजीत जी स्वास्थ्य मंत्री जी को बता रहे थे कि हमारी मंत्री जी ने

बोलने का प्रयास किया और उनका तेवर। शायद मुझे पता नहीं, लेकिन जब मैं इस बात को रख रही थी तो विपक्ष के सभी लोगों ने खड़े होकर हल्ला करना शुरू कर दिया और विरोध करने लग गये और बहिर्गमन करके बाहर चले गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इस विषय में प्रश्न लगा था तो मैंने यह बात कहा था कि अगर मैं बोल दूं तो फिर विपक्ष के लोगों को तकलीफ हो जाएगी। लेकिन हमने तो इस 1 साल में 69 लाख से अधिक लोगों को कव्हर किया है। यह जो आंकड़ा है। हमारी हर्षिता बहन सुन रही हैं। मैंने आपकी बात को भी नोट किया है। पूर्व में आपकी सरकार रही है। आप सब कह रहे हैं कि अंतर की राशि दे रहे हैं और आपने अपने घोषणा पत्र में यह नहीं कहा था। क्या आपने या आपकी सरकार ने कभी यह कल्पना की है ?

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपने ही कहा था, मैंने नहीं कहा था। अभी जो प्रश्न लगा था, उसमें आपने ही कहा था कि अंतर की राशि दी जा रही है।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- आपने नहीं कहा था, लेकिन मैं आपको इससे अवगत करा रही हूं।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- यह मैंने नहीं कहा था, यह आपने जवाब दिया था।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि हम बेरोजगारी भत्ता की बात कर रहे थे तो कितने और किन-किन लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया। गांव में हम 500 से अधिक लोगों को बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं और इन्होंने 1 गांव में सिर्फ 5-7 लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया। उस समय इन्होंने अपने घोषणा पत्र के अनुसार क्राइटेरिया निर्धारित नहीं की थी ? माननीय अध्यक्ष महोदय, पक्ष-विपक्ष के आरोप-प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन जो सही है। हमारे माननीय राम भैया के बगल में जो भैया बैठते है, वह तो कहीं चले गये हैं, लेकिन विपक्ष के कुछ विधायक स्वीकार कर रहे हैं कि आज भी यदि ट्रिपल से चार इंजन की सरकार बनी है तो वह महतारी वंदन योजना के माध्यम से ही बनी है। (मेजों की थपथपाहट) यह स्वीकार कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आज इस सदन में यह हल्ला कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, बहुत सारे सुझाव भी आये हुए हैं। हमारी शेषराज हरवंश दीदी का DPO, CDPO की शिकायत का भी विषय आया है तो अध्यक्ष के माध्यम से कार्रवाई हो जाएगी। शायद एक बार आपने मुझे इसकी जानकारी दी थी, लेकिन मैं इसको नहीं कर पाई हूं।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- मंत्री महोदया, धन्यवाद।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जिनको मैंने नोट भी किया है। माननीया भावना बोहरा जी ने सखी वन स्टाप सेंटर की दूरी में कमी करने का सुझाव दिया है तो उसको स्वीकार करते हुए आगे हम इसपर निर्णय लेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- आप अपना भाषण इधर देखकर बोलिये, उधर देखने की जरूरत नहीं है। इधर देखिये, अध्यक्ष को संबोधित करें। उधर बिलकुल नहीं देखना है। आप बहुत अच्छा बोल रही हैं।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- जी, जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारे सम्माननीय विपक्ष के अजय चन्द्राकर जी ने ....(हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- वह जो बोले, चल जायेगा।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- हमारे सम्माननीय अजय चन्द्राकर जी ने एक बात कही कि पूर्ववर्ती सरकार ने इस सदन जो वादा किया गया था, वह पूरा नहीं हो पाया। मैं आपको आश्वासन देती हूं कि उस सरकार में नहीं हो पाया, आप नशा मुक्ति केन्द्र की मांग कर रहे है, आने वाले समय में हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत बढ़िया।

श्री अजय चन्द्राकर :- लेकिन आप एक चीज बताईये मुझे आश्वासन समिति में तो नहीं जाना पड़ेगा न।

श्री रामविचार नेताम :- मोहले जी के लिए कुछ बोल दो।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना वक्तव्य रखना चाहूंगी।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अब आप भाषण करिये, सबका जवाब देने की जरूरत नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा समय देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये बोलिये, बोलिये।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार भारतीय समाज के समग्र विकास पर आधारित थे। उन्होंने एकात्म मानववाद का सिद्धान्त प्रस्तुत किया, जो केवल भौतिक समृद्धि ही नहीं, बल्कि मानसिक, आत्मिक और सांस्कृति विकास की भी बात करता है। उनके विचारों के अनुसार समाज कल्याण का उद्देश्य केवल व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करना ही नही, बल्कि उसे एक समाजिक और मानसिक दृष्टि से समृद्ध करना था। उनके विचारों का केन्द्र बिन्दु था- 'समानता, एकता और सामूहिक कल्याण'।

अध्यक्ष महोदय :- अजय जी, ध्यान से सुनिये, कितनी अच्छी बात बोल रही हैं। चलिये

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- जिनके अनुसार समाज की सशक्तिकरण में सामाजिक न्याय और नीतियों की प्राथमिकता दिव्यांग वृद्ध और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के कल्याण पर होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे गर्व है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी ने मुझे ऐसे विभाग का प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी सौंपी है, जो सामाजिक सुरक्षा एवं सरंक्षण की दिशा में निरन्तर काम करने हेतु प्रतिबद्ध है।(मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु कुल बजट में 1,575 करोड़ रूपए की अनुदान मांगें आज इस सदन में प्रस्तुत की हूं। यह संपूर्ण बजट मैं राज्य के दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, विधवा एवं परित्यक्त महिलाएं, कुष्ठ मुक्त व्यक्ति के शिल्पकारों तथा उभयलिंगी व्यक्तियों के समक्ष पुनर्वास के लिए समर्पित करती हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, समाज के हमारे दिव्यांग साथियों को यह सम्मानजनक संबोधन दिव्यांगजन आजादी के 75 वर्ष बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सोच के कारण मिला है। हमारी नीति और नीयत में जनता को कोई संदेह नहीं है। इसलिए पूरा देश हमारी ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है। हमारे दिव्यांग साथी यद्यपि किसी अंग विशेष से भले ही प्रभावित हों, किन्तु ईश्वर ने किसी न किसी क्षेत्र में विशेष क्षमता व प्रतिभा का उपहार उन्हें दिया है। आवश्यकता इस बात की होती है कि इनकी पहचान कर यथा अनुरूप उनकी क्षमता व योग्यता का संवर्द्धन, सरंक्षण व समावेशी विकास का अवसर देकर समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाये। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार, दिव्यांगजनों के समग्र विकास के लिए संकल्पबद्ध है। किसी भी समुदाय के प्रगति एवं उनके जीवन स्तर को उठाने में शिक्षा की भूमिका अहम है। इसे ध्यान में रखते हुए दिव्यांग व्यक्तियों के शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु..।

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। आज की कार्यसूची में सम्मिलित कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाये।

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई)

वित्तीय वर्ष 2025-2026 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु शासकीय एवं स्वैच्छिक संस्थानों के माध्यम से विभाग द्वारा विशेष विद्यालय एवं संस्थाएं संचालित की जा रही है। वर्तमान में 21 शासकीय तथा 47 अनुदान प्राप्त विशेष विद्यालय संचालित हैं। वित्तीय वर्ष 2025-2026 में माना कैम्प में दिव्यांगजनों के लिए अत्याधुनिक भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके लिए 5 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। जशपुर नगर में संचालित विशेष विद्यालय का उन्नयन करते हुए उच्चतर माध्यमिक स्तर तक उन्नयन किया गया है, इसके लिए 2 करोड़ 50 लाख का नवीन मद में प्रावधान किया गया है। इस प्रकार दिव्यांगजनों के शिक्षण-प्रशिक्षण के लिए 38 करोड़ 89 लाख का बजट

प्रावधान रखा गया है, जो विभाग के कुल बजट का 2.47 प्रतिशत है। यह दर्शाता है कि विभाग दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के अधिकार के प्रति सजग है। दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदाय करने हेतु कृत्रिम अंग निर्माण केन्द्र स्थापित है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम अंग निर्माण केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु अत्याधुनिक मशीनों के लिए 5 करोड़ रूपये का नवीन मद में प्रावधान किया गया है। जिला स्तर पर दिव्यांग व्यक्तियों को मार्गदर्शन, उपचार संसाधन एवं सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए भी प्रावधान किया गया है, जिसके तहत ग्राम पंचायत स्तर तक शिविरों का आयोजन कर उनकी पहचान चिकित्सीय परीक्षण एवं प्रमाणीकरण सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 4 करोड़ 15 लाख रूपये बजट का प्रावधान किया गया है। बौद्धिक मंद्धता, प्रमस्तिष्क अंगाघात, स्व-प्रणायता से ग्रसित व्यक्तियों एवं बहु-दिव्यांगजनों की जीवन प्रयत्न देखभाल करने के लिए घरौंदा योजना संचालित की जा रही है। वर्तमान में 12 घरौंदा आश्रय गृह संचालित हैं एवं इसके लिए 3 करोड़ 50 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। मानसिक बीमार महिलाओं के लिए एकीकृत महिला सहायता केन्द्र की स्थापना भी रायपुर में की गई है, जिसमें उनकी समुचित देख-रेख, चिकित्सीय सुविधाएं तथा पारिवारिक वातावरण के साथ आश्रय प्रदान किया जा रहा है। केन्द्र संचालन के लिए 1 करोड़ 31 लाख 20 हजार बजट का प्रावधान रखा गया है। दिव्यांग व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास के लिए नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना संचालित है, जिसमें दिव्यांग दंपत्ति को विवाह पश्चात् राशि एक लाख तक एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जात है। इस योजना के लिए 4 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। विभागीय मानव संसाधन की क्षमता विकसित करने के लिए राज्य संसाधन एवं पुनर्वास केन्द्र के लिए 1 करोड़ 8 लाख 96 हजार रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। विभाग की अहम योजनांतर्गत सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 22 लाख 64 हजार से अधिक दिव्यांगजनों, विधवाओं, परित्यक्त महिलाओं, दिव्यांगों तथा बौने व्यक्तियों को विभिन्न पेंशन योंजना से लाभान्वित किया जा रहा है। हितग्राहियों को डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे बैंक खाते में पेशन राशि जमा करने की व्यवस्था की गई है, जिसके फलस्वरूप 98 प्रतिशत हितग्राहियों को डी.बी.टी. किया जा रहा है। समस्त पेंशन योजनाओं के लिए राशि 1395 करोड़ 53 लाख 76 हजार रूपये का बजट प्रावधान किया गया है तथा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लिए 20 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों को पारिवारिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए राज्य के 25 जिलों में 34 वृद्धाश्रमों का संचालन किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आप मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के माध्यम से प्रदेश की जनता को देश के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों की तीर्थ यात्रायें कराकर श्रवण कुमार की भूमिका निभाई थी, उसी योजना को हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पुन: आगे विस्तार करते हुये वृद्धजनों के साथ विधवाओं, परित्यक्त महिलाओं को भी हितग्राही के रूप में शामिल किया गया है, जिसके लिये बजट में 15 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष

महोदय, डेमेंशिया से पीड़ित अथवा निष्क्रिय अवस्था में बिस्तर पर रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति बहुत ही कष्टप्रद होती है । ऐसे मरीज के लिये नि:शुल्क डॉक्टर की सुविधा और देखभाल की व्यवस्था के लिये 6 प्रशामक देखरेख गृह का संचालन किया जा रहा है । माननीय अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ नागरिकों के लिये वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना अंतर्गत 4 करोड़ 15 लाख 2 हजार का प्रावधान किया गया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में नशामुक्ति कार्यक्रम के तहत भारत माता वाहिनी का गठन किया गया है, जो नशा के विरूद्ध प्रभावी रूप से कार्य करते हुये नशा पीड़ित व्यक्तियों को नशामुक्ति के लिये प्रेरित एवं प्रोत्साहित कर रहे हैं, इस प्रयोजन के लिये वर्ष 2025-2026 में 10 करोड़ बजट प्रावधान किया गया है । राज्य में 25 नशामुक्ति केन्द्र का संचालन किया जा रहा है, जिनमें प्रत्येक माह, प्रति केन्द्र 15 नशा पीड़ितों का उपचार किया जा रहा है । माननीय अध्यक्ष महोदय, समाज की खूबसूरती तब नजर आती है, जब हर रंग, हर रूप, हर पहचान को प्यार और सम्मान मिलता है । इसी दिशा में कार्य करते हुये विभाग द्वारा उभयलिंगी व्यक्तियों के समग्र पुनर्वास हेतु नवा पिल्हर योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसमें शिक्षण, प्रशिक्षण, रोजगार तथा व्यासायिक परीक्षाओं की तैयारी के लिये व्यवस्था की गई है । माननीय अध्यक्ष महोदय, योग: कर्मसु कौशलम अर्थात योग से कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, अत: राज्य के प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ जीवन शैली एवं निरोगी जीवन जीने के लिये योग से परिचित कराने और प्रतिदिन योगाभ्यास कराने और महर्षि पतंजलि की प्राचीन ज्ञान परंपरा अष्टांग योग के प्रचार-प्रसार व प्रोत्साहन के उद्येश्य से छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग गठित है । माननीय अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, उभयलिंगी व्यक्ति के साथ ही अन्य व्यक्तियों के लिये विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उसका त्वरित निराकरण करने के लिये हेल्प लाईन सेंटर की स्थापना की गई है, उसके लिये बजट में 1 करोड़ 30 लाख का प्रावधान रखा गया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग अपने दायित्वों के अनुरूप उपलब्ध संसाधनों में विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक कर रहा है । हमारा प्रयास रहा है कि प्रत्येक पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ मिल सके और छत्तीसगढ़ विकसित राज्य बन सके, इसके परिप्रेक्ष्य परिणाम प्राप्त हो रहे हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूँगी कि दिव्यांगजन और वृद्धजनों के साथ निश्चित रूप से कुछ समस्यायें होती है, किन्तु उनके बुलंद हौसले हिमालय से भी ऊंचे होते हैं, यदि उन्हें समाज और सरकार का समुचित संबल व दिशा मिलता है तो वह निश्चित रूप से विकास की नई उड़ान भरने में समाज के साथ एकाकार व सक्षम होते हैं । हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के सुशासन की सरकार इसी दिशा में काम करते हुये दृढ़ संकल्पित है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विभाग की योजनाओं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी व्यक्तियों के लिये दो पंक्ति कहना चाहूँगी-

ऑंधी क्या है, तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले

बढ़ना ही अपना काम है, हर नई चेतना की धारा
हर अंधियारे की उजियारा, हम उस बयार के झोंके हैं
जो हर ले जग का दुख सारा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या-55 महिला एवं बाल विकास विभाग के संबंध में भी मैं बात रखना चाहूंगी । महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 4111 करोड़, 30 लाख, 28 हजार रूपए की अनुदान मांगें आज इस सदन में मैं प्रस्तुत कर रही हूं । यह सम्पूर्ण बजट मैं प्रदेश की नारी शक्ति, किशोर बेटियों और नौनिहालों को समर्पित करती हूं । आदिकाल से ही भारत की महिलाओं का समाज में प्रमुख स्थान रहा है । नारी पूजा का भाव, विचार और विश्वास भारतीय मानस में बसा हुआ है । शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है कि श्री राम के गुरू वशिष्ट के गुरूकुल में संगीत शिक्षण उनकी विदुषी पत्नी अरूंधती ही करती थीं । ऋग्वेद में भी गार्गी, मैत्रेयी, घोषा, अपाला, और लोपामुद्रा जैसी अनेक ऋषिकाओं महिला विद्वानों का उल्लेख मिलता है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैडम, गार्गी अउ मैत्रेयी ह तो एक दूसरा के सौतन रिहीसे।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- रहा तो भइया थोड़िकन ।

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- श्री लखन लाल देवांगन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिए स्वलपाहार की व्यवस्था लाबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल में की गई है । कृपया सुविधानुसार स्वलपाहार ग्रहण करें।

वित्तीय वर्ष 2025-26 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- परन्तु मध्यकाल में बर्बर अकांतराओं के शासनकाल और उनके बाद फिरंगियों की गुलामी के दौरान स्त्री शिक्षा की प्राचीन गौरवपूर्ण एवं स्वर्णिम परिपाटी छिन्न-भिन्न होती चली गईं । आजादी के संघर्ष के दौरान और आजादी के बाद महिलाओं का समाज में पुन: कुछ सम्मान बढ़ा, लेकिन उनकी प्रगति की गति दशकों तक धीमी रही । गरीबी और निरक्षरता महिलाओं के सशक्तिकरण में गंभीर बाधा रही है । बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी सशक्त भारत के निर्माण में महिलाओं के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा है कि सामाजिक न्याय के लिए महिला सशक्तिकरण जरूरी है, तभी समाज में महिलाओं का उत्थान हो सकता है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब देश अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है और हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के इतिहास में पहली बार संसद एवं विधान सभाओं में मातृ शक्ति को एक तिहाई प्रतिनिधित्व दिए जाने हेतु नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2024 पारित किया गया है, जो महिला सशक्तिकरण एवं राजनीतिक सहभागिता के लिए मील का पत्थर साबित होगा । (मेजों की थपथपाहट) महिलाओं के उत्थान से ही स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लोकतांत्रिक विचारों के साथ समाज का पुनर्निर्माण संभव है । माननीय अध्यक्ष महोदय, नारी शक्ति के सम्मान में परम श्रद्धेय भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रसिद्ध कविता के कुछ अंश इस सदन में मैं प्रस्तुत करना चाहती हूं:-

नारी के रूप में शक्ति है, नारी के रूप में सृष्टि है ।
नारी के रूप में जीवन है, नारी के रूप में हर खुशी है ।
नारी का रूप विविधताओं से भरा है ।
कभी मां के रूप में, कभी बहन के रूप में,
कभी पत्नी के रूप में, कभी बेटी के रूप में,
हर रूप में नारी अद्वितीय है ।
नारी को मान और सम्मान दो, उसका हर रूप सम्मानित हो । (मेजों की थपथपाहट)

इसी भाव को चरितार्थ करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के द्वारा महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को समाज में आर्थिक रूप से सम्बल और सशक्त बनाए जाने हेतु विगत वित्तीय वर्ष में मुख्य बजट में 3 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया था, जिसमें वृद्धि करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में महतारी वंदन के लिए 5500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । योजना को और अधिक प्रभावी बनाए जाने हेतु ई केवाईसी के लिए 4 करोड़, 90 लाख रूपए का बजट प्रावधान किया गया है । माननीय श्री विष्णु देव साय जी के सुशासन में हमने कुपोषण की समस्याओं को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं, जिसके फलस्वरूप 15 माह की अल्पावधि में कुपोषण के स्तर में 2.15 प्रतिशत की कमी लाने में हमारी सरकार सफल रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल, पोषण व उनके विकास के लिए राज्य में पालना केन्द्र का संचालन कर दिया गया है। पालना केन्द्र के संचालन के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। महिला सुरक्षा एवं संरक्षण से संबंधित प्रचलित कानूनों के क्रियान्वयन के लिए 5 करोड़ 11लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत जन जागरुकता एवं विशेष अभियान के लिए प्रस्तावित बजट में 1 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित विभागीय भवनों में मरम्मत व विद्युत व्यवस्था में सुदृढ़ीकरण को भी हमारी

सरकार ने प्राथमिकता दी है। इसके लिए बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जिसमें स्वयं के भवन में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में विद्युत सुविधा पहुंचाने के लिए 2 करोड़ का नवीन मद में प्रस्ताव शामिल किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की अवधारणा के अनुरूप समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के उत्थान के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार संकल्पित है। इसी दिशा में कार्य करते हुए हमारी सरकार ने विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूह वाले बसाहटों को चिन्हांकित करते हुए माननीय प्रधान मंत्री जी की मंशा अनुरूप प्रधान मंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियान योजना अंतर्गत प्रथम चरण में 80 बसाहटों में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं। इस योजना के लिए 11 करोड़ 40 लाख रुपए का वित्तीय प्रावधान रखा गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी केन्द्रों में सुविधा, संसाधन व उसके संचालन के लिए वर्ष 2025-26 के बजट में आंगनबाड़ी सेवाएं सामान्य अंतर्गत 700 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को दिए जाने वाले मानदेय एवं अन्य हितलाभ के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है। इसके साथ ही इस बजट की थीम "गति" अंतर्गत टेक्नालॉजी को ध्यान में रखते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के मानदेय एवं अन्य भुगतान हेतु सम्मान सुविधा प्रणाली का सुभारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से केन्द्रीयकृत रूप से डिजिटल प्रणाली का उपयोग कर भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से हितग्राहियों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए 700 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केन्द्र के रूप में विकसित कर आकर्षक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने केन्द्र व राज्य सरकार की निधि में से वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 6740 आंगनबाड़ी केन्द्रों के उन्नयन का लक्ष्य रखा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, किशोरी बालिकाओं की माहवारी स्वच्छता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य के विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में सेनेटरी नेपकीन की वेन्डिंग मशीन एवं भस्मक मशीन की स्थापना कराने के लिए 13 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जन आंदोलन कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक व्यवहार परिवर्तन गतिविधियों का आयोजन किया जाना, के अंतर्गत समुदाय आधारित गतिविधि अंतर्गत सुपोषण चौपाल का आयोजन किया जाना, विभिन्न सहयोगी विभागों से समन्वय स्थापित कर अभिसरण गतिविधियॉ की जाना आदि गतिविधियों के माध्यम से प्रदेश में महत्वपूर्ण कार्यक्रम पोषण अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसमें विगत वित्तीय वर्ष में हमारा छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों की तुलना में अग्रणी रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में पोषण अभियान के संचालन के लिए 125 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2025-26 के ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा

अभिसरण से आंगनबाड़ी केंद्र में 2,000 भवन निर्माण के लिये विभागीय अंशदान की राशि 40 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए शहरी क्षेत्र में 150 आंगनबाड़ी निर्माण के लिये 18 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण व उसके सशक्तिकरण के लिये अनेक योजनाएं कार्यक्रम संचालित कर रही है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के क्रियान्वयन के लिये प्रस्तावित बजट में 8,000 कन्याओं के विवाह का लक्ष्य रखते हुए 40 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है। छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा संचालित ऋण योजना का लाभ अधिक से अधिक समूहों तक पहुंचे, इसक लिये बजट में महिला कोष हेतु राशि 5 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है। बच्चों के जन्म के समय लिंग चयन तथा भेदभाव को समाप्त करने, बालिकाओं की उत्तरजीविता व उनकी सुरक्षा तथा शिक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना संचालन के लिए 2025-26 में 5 करोड़ 3 हजार रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है। पीड़ित जरूरतमंद महिलाओं को एक ही छत के नीचे उनकी आवश्यकतानुसार चिकित्सा, विधिक पुलिस सहायता, मनोवैज्ञानिक सलाह, आश्रय गृह सुरक्षा आदि सहायता तत्काल उपलब्ध हो, इसके लिये 27 जिला मुख्यालयों में सखी वन स्टॉप सेंटर संचालित हैं। 6 नये जिलों में इसके संचालन हेतु स्वीकृति जारी कर दी गयी है। बजट में इसके लिये 20 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। केंद्र सरकार द्वारा लागू मिशन शक्ति का सामर्थ्य घटक अंतर्गत राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र एवं राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के लिए संचालित योजनाओं का अनुसरण, समीक्षा, समन्वय तथा मिशन के कार्यों में सहयोग स्थापित करना, इसके लिये 11 करोड़ 58 लाख 2 हजार रूपये का बजट में प्रावधान रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप बहुत अच्छा भाषण दे रही है। सभी लोग सहमत हैं। सदन सहमत है कि आपको पूरा पैसा तत्काल दिया जाये। (मेजों की थपथपाहट) चलिये, आप मांग कर लीजिये।आप आखिरी की मांग कर लीजिये कि कितनी राशि चाहिए, दे देंगे।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी का ही बोल रही हूं। चूंकि मैं ऐसे विभाग का प्रतिनिधित्व करती हूं, जिसमें बच्चे, वृद्ध, महिलाएं और सभी का समागम है। जिनके लिये मैं भाव स्वरूप दो शब्द और कहना चाहूंगी।

“हर बच्चे की मां बन नन्हे किलकारियों को दुलार करूंगी
नारी शक्ति की सखी बन दिव्यांगजनों की मैं बैसाखी बन जाऊंगी
वृद्धजनों का सम्मान कर उनकी लक्ष्मी बेटी कहलाऊंगी।” (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- वाह, बढ़िया।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि इस विभाग द्वारा प्रस्तुत बजट प्रावधान को सर्वसम्मति से पारित कर बच्चों, महिलाओं, वृद्धजनों व दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास में भागीदार बने। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- मैं पहले कटौती प्रस्ताव पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या- 34 एवं 55 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं, मांगों पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या - 34 समाज कल्याण के लिये - चार हजार एक सौ ग्यारह करोड, तीस लाख, अट्ठाईस हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

मांग संख्या - 55 महिला एवं बाल विकास के लिये - चार हजार एक सौ ग्यारह करोड़, तीस लाख, अट्ठाईस हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

(3) मांग संख्या 8 भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन
मांग संख्या 9 राजस्व विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या 58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय
मांग संख्या 43 खेल और युवक कल्याण

राजस्व मंत्री (श्री टंकराम वर्मा):- अध्यक्ष महोदय, मैं, राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूँ कि दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या - 8 भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन के लिये- दो हजार एक सौ अन्ठावन करोड़, पैंसठ लाख, इक्यासी हजार रूपये

मांग संख्या - 9 राजस्व विभाग से संबंधित व्यय के लिए- छब्बीस करोड़, उन्चास लाख, पैसठ हजार रूपये

मांग संख्या - 58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय के लिए- एक हजार पांच सौ बावन करोड़, उनहत्तर लाख, उनचालीस हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 43 खेल और युवक कल्याण के लिये- एक सौ बावन करोड़, तिरासी लाख, दस हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

मांग संख्या-8

भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन

1.	श्री लखेश्वर बघेल	3

मांग संख्या-9

राजस्व विभाग से संबंधित व्यय

1.	डॉ. चरण दास महंत	1
2.	श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी	1
3.	श्री कुंवर सिंह निषाद	4
4.	श्रीमती शेषराज हरवंश	1
5.	श्री ब्यास कश्यप	1

मांग संख्या-43

खेल और युवक कल्याण

1.	डॉ. चरण दास महंत	1
2.	श्री लखेश्वर बघेल	7
3.	श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी	1
4.	श्री कुंवर सिंह निषाद	6

5. श्रीमती शेषराज हरवंश 3

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी। श्री रामकुमार यादव चर्चा प्रारंभ करेंगे।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद्।

अध्यक्ष महोदय :- इस चर्चा में सम्माननीय 3-3 सदस्य पक्ष और विपक्ष से भाग लेंगे क्योंकि इसके बाद भी दो अलग-अलग विभाग शेष हैं।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी के अनुदान मांग संख्या 8, 9, 58 अउ 43 के विरोध में बोले बर खड़े हंव।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब राजस्व विभाग के बात करथन तो आज मोला सीधा-सीधा तहसील में खड़े हुए, ओ गरीब किसान जेमन अपन झोला में कागजात ला लेकर, अपन खाता फोरियाय बर जाथे। जब पिता जी हा ए संसार ला छोड़के चले जाथे तो भाई-भाई में बंटवारा करे बर ओमन ए महंगाई के जमाना मा अपन गाड़ी मा पेट्रोल डला-डला के आथे-जाथे। आज ओमन मोर नजर के सामने झूलत हे। मैं माननीय मंत्री जी ला देखत हंव ता ओ गांव के किसान मन मोर नजर में झूलत हे। अध्यक्ष महोदय जी, ए मन सरकार में आए के पहिली छत्तीसगढ़ के जनता मन ला दुनिया भर के हसीन सपना दिखाए रिहिस हे। इहां हमर नेता जी बइठे हे अउ वरिष्ठ मंत्री जी मन भी बइठे हे। एमन अइसने बतात रिहिस हे कि बस हमला एक बार मौका देव। ए छत्तीसगढ़ प्रदेश ला सोना के चिड़िया बना देबो। एक बार हमला सत्ता देवव। ए जतका तहसील, एस.डी.एम. ऑफिस में चक्कर काटत हे। ओला एक मंतर छू मारके हमन जम्मो ला हमन बढ़िया कर देबो। अइसे ए मन सपना बताए रिहिस हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- ते हा कौन से विषय में बात करत हस?

श्री रामकुमार यादव :- जेला आप नहीं समझ पावव, ओ विषय हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- ते हा कौन से विषय में बात करत हस, तेला पहिली क्लियर कर?

श्री रामकुमार यादव :- आप केवल आंकड़ा जानथौ। आंकड़ा के सिवाए तुहंर मेर कुछ नइ हे। आप मन सिर्फ आंकड़ा से जनता ला बरगलाना जानथौ बस। ओ काय बताए रहेव कि दो दुनी चार तोता रटन, बस ओतकीच हे।

समय
6.00 बजे

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मन के क्षेत्र में किसान मन ज्यादा परेशान हय। आज मैं बात करना चाहत हवं, महाज्ञानी जी बात ला सुनिहा। आज ये प्रदेश में पटवारी मन के स्वीकृत पद 5792, भरे हवय 4881 पद, रिक्त पद 911 है। अब आप ला जाकर पटवारी के काम करिहय वो पद ला नई

भरिहा ता। अउ सुना यहां पर राजस्व निरीक्षक मन के स्वीकृत पद 1090 हवय, अउ मात्र ऊंच के मुंह में जीरा के समान 702 भरे पद, रिक्त पद 388 हवय। ए प्रदेश में तहसीलदार 288 पद स्वीकृत हे, अतके होना चाहिए, एमा 259 पद मा भरे हवय एवं रिक्त पद 29 हवय। नायब तहसीलदार 444 होना चाहिए, अभी 304 पद मा भरे हावय अउ रिक्त पद 140 हावय। आप ला के भाषा में महाज्ञानी जी अब ऐला सात कोरी भी कह सकत हव। अध्यक्ष महोदय, ये प्रदेश में डेढ़ साल हो गये, न तहसीलदार भर सकत हव, न पटवारी के नियुक्ति कर सकत हव, न निरीक्षक के भर्ती कर सकत हव अउ आप मन डबल इंजन, चौथा इंजन के बात करत हव। आज छत्तीसगढ़ के जनता आप ला ये बात के जवाब जरूर मांगही। आप मन भले घमंड में कहत हव, हमने तीसरा इंजन, चौथा इंजन जोड़ लिया, तो आप ला इंजन, इंजन भागत हवय, आप के डब्बा हा गोल हवय। आज मोला खुशी इस बात के होतिस कि आप मन कहथव जतका कन तहसीलदार के जरूरत हवय, हमर सरकार आईस तो तुरंत हमन तहसीलदार के नियुक्ति कर देईन, महूं आप ला ताली बजा देथेन। आज एक पटवारी 5-5 हल्का ला लेकर किंजरत हे। हमार दाऊ जी, महाज्ञानी जी बैठे हे, एकरे क्षेत्र में जाके देखव, एक पटवारी हा पांच ठे हलका ला लेके किंजरत हे। अउ जब-तब भी हमर चन्द्राकर जी महाज्ञानी बन के आही, आंकड़ो के बात करथे। ये आंकड़ा से कोई हल होने वाला नई हे। राजस्व मंत्री जी, आप पहले तहसीलदार के भर्ती करव, कम से कम कर्मचारी के तो भर्ती कर लो।

समय

6.02 बजे

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, आज पहली बार महूं ला मौका दिहिस हवय तो मैं का देखवं। मैं गांव के ठेठ छत्तीसगढ़िया आदमी हवं, मैं आंकड़ा के बात नई करवं, व्यवहारिक बात करथवं। हो सकथे काई ला बात चुभत होही, लेकिन मैं कोई आंकड़ा के बात नई करवं। मैं जो गांव में देखथवं, जेला महसूस करथवं, ओला मैं विधान सभा में गोठियाथौं। आप मन ये बात ला जानत हव मैं बहुत कम पढ़े-लिखे हवं, लेकिन मैं मन के बात ला करथवं। सिर्फ तुमन सही, मैं वो वाला मन के बात नई करवं। सभापति महोदय, अगर बात की जाये, मैं सही बात ला कहत हवं, आप मन के सरकार हो, चाहे काहू के सरकार हो, सरकार आथे, जाथे। लेकिन तहसील में जो केस चलत रहिथे, वोहर गंजात, गंजात आज वो फाईल ला दियार चरत हे। एमा दुई-दुई कलेक्टर मन आज विधायक बन के आये हे। एक झन मोर सम्माननीय सदस्य अभी भी बैठे हे, एक ठन मंत्री हे, वोहा मंत्री हे तो समय-समय पर आथे। लेकिन आज मैं आपके माध्यम से कह दौं कि सरकार तो बदल गये लेकिन अभी भी किसान जेमन आप ला ओमन के वोट लेकर आये हवव कि हम आप मन के समस्या ला हल करबो। आज जा के देखव आज ओ मन के केस के मारे आलमारी हा धरत नई हवय अउ बड़ी-बड़ी बात करथव। ओ केस में आप ला बड़े हृदय कर ओ

केस के निपटारा करना चाहिए। जब छत्तीसगढ़ में ऐसे किसान मन के समस्या हल हो जातिस तो आज छत्तीसगढ़ में हमन कतका कन हलका हो जाथेन। लेकिन ये मा आप मन के ध्यान नई हे। ये मन बात करथे। सभापति महोदय, आपके माध्यम से आप मन कई हजार करोड़ रुपये मांगे हव, अउ मांग लेवव। आप मन के इंजन के ऊपर इंजन हे। छत्तीसगढ़ में पैसा की कमी नई होना चाहिए। जब हमर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रहिस हे, भूपेश बघेल जी हमारे मुख्यमंत्री रहिस हे, हमर भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रिहिस हे । हमर चरणदास महंत जी हा अध्यक्षीय दीर्घा मा बइठे ता आप मन का-का बात करा, हम सब ला सुनत रहन ।

श्री अजय चंद्राकर :- ओ समय तें हा पैजामा ला उठा के गोबर बीने ला जास। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- अउ ओ गोबर आजकल तुंहरे दिमाग में भर गे हे ।

श्री आशाराम नेताम :- रामकुमार जी ओ पैसा ला गिनत रहे ।

सभापति महोदय :- बैठिए ।

श्री रामकुमार यादव :- आशाराम बापू जी, तु चुपेचाप बईठा ।

श्री अजय चंद्राकर :- तोर पास पैसा हा कल से कम रिहिस हे ।

श्री रामकुमार यादव :- मैं तुंहर ला आजतक समझ नइ पाये हंओ, हमर दीदी ठीक कहिस हे तुमन कौन हा ? जैसे मैं ये बात ला पहिली भी कहे रहे हंओं ।

सभापति महोदय :- एक मिनट । वे पहले वक्ता हैं उनको बोलने दीजिये और थोड़ा जल्दी निपटाना भी है । चलिये, आप बोलिये, बढ़िया बोल रहे हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं, बोलने देंगे । माननीय सभापति महोदय, आपसे विनम्र आग्रह है कि अब आपने आसंदी से व्यवस्था दी है तो यह भी बता दें कि वह कौन से विषय में बोल रहे हैं जिसको बोलने दें ? (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- मैं जो विषय बोले हंओं न । ओ विषय तुमन 7 घा, 10 घा विधायक बन जाहा तभो ले तुंहर खोपड़ी में नइ आये, मोर ओ विषय हे ।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी आप विचलित मत होइए न ।

श्री रामकुमार यादव :- नइ-नइ । मैं विचलित होने वाला नइ हंओं ।

सभापति महोदय :- आप मुझको देखकर बोलिए न ।

श्री रामकुमार यादव :- अइसनहा-अइसनहा मैं हा रोज मोर कना 5 ला जेब मा धरे किंदरत हंओं । (हंसी) ये रामकुमार यादव ओ हे ।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, विचलित व्यक्ति विचलित कैसे होगा ? (हंसी)

सभापति महोदय :- रामकुमार जी आप उधर मत देखिये, आप मुझे देखकर बोलिए ।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय जी, आपे ला देखिहंओं । कभी-कभी मोर मन में ख्याल आथे ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आपके तो बाल पक गये हैं । आप दीदार करने लायक तो नहीं दिखते । (हंसी)

सभापति महोदय :- यह आसंदी तो दीदार करने लायक है न । (हंसी)

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय सभापति महोदय, वह राजस्व उसके बारे में बोल रहे हैं, जिसको अपने समय में वह गिन रहे थे । वह भी राजस्व में आता है ।

श्री रामकुमार यादव :- मैं कतका कन गिनत हंओं, समय आन देवा । देखओ घमंड के घर खाली हे, देखा कभी-कभी अइसे होथे कि कभू-कभू नाव डोंगा मा अउ डोंगा नाव मा हो जथे । ओ समय कतका कन गिने हा, मैं हा तुहू ला बता देहां, आप मन भोरा मा मत रइहा ।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, डोंगा का विषय इसलिये आया कि मुआवजा प्रकरण याद आ गया ।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी आप ऐसे बोलते रहेंगे तो आपका भाषण ठीक से हो नहीं पायेगा । मैं तो बोल रहा हूं कि आप मुझको देखकर बोलिए ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, अब मैं का करओं ? मोर मन में कभी-कभी यह बात आथे काबर मैं ज्यादा पढ़े-लिखे नइ हंओं ता मैं कभी-कभी सोचथओं कि पहिली मुर्गी अइस कि अंडा अइस ? पहिली कौन अइस फिर समस्या आथे जब मैं विधानसभा में आथओं ता मैं कभू-कभू सोचथओं कि जैसे ओ समस्या के कभी हल नइ होथे उसी प्रकार चंद्राकर जी के समस्या कभी हल नइ होए । न मुर्गी जानय, न अंडा जानय । ओसनहे मैं हा ऐला नइ जानय कि ऐ हा ओती के हे कि ऐती के हे ? (हंसी) माननीय सभापति महोदय, सड़क दुर्घटना के बात हे । आज आप देखिहा कि उद्योग क्षेत्र में दुनिया भर के गाड़ी-घोड़ा चलत हे, हर क्षेत्र में देखिहा हर विधानसभा के बात हे । आये दिन एक्सीडेंट होत हे, एक्सीडेंट होथे तो कोई चक्काजाम करथे, कोई धरना-आंदोलन करथे ओला उही जगह मुआवजा दिये जाथे । लेकिन जब कोई गरीब आदमी, कमजोर आदमी वहां से ओला लेकर हास्पिटल में लाश ला पहुंचा दिये जाथे, ओला मुआवजा नइ दिये जाये । मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहत हंओं कि यहां से एक ठन अइसे कानून बना देवओ ताकि कोई गरीब के लईका क्यों न रहय, चाहे कोई राजमहल के लईका क्यों न हो, यदि एक्सीडेंट में खत्म होथे तो मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहत हंओं कि ओला बरोबर सम्मान मिलना चाहिए और सही राशि मिलना चाहिए ।

माननीय सभापति महोदय, हम एक ठन अउ देखे हन । चूंकि हम तो गरीब घर के हन, हम देखे हन । बाढ़ आपदा । जब अतिवृष्टि होथे या पानी गिरथे, ज्यादा पानी गिर देथे ता गांव में घर हा फूट जाथे ता ओ समय पटवारी सर्वे करे जाथे । हम किसान मन ला कहिथन कि तुमन ला मुआवजा

मिलही । किसान हा कथे कि चल भई मोला मुआवजा मिल जही अउ महोदय जब सर्वे करे जाथे, सर्वे करके कहिथे कि मुआवजा बर तहसीलदार बुलाये हे तो सबो सदन के सदस्य मन बात ला सुनिहा। हमन जाथन ता का मिलथे दू ठा बल्ली अउ एक ठा बांस । ओ गरीब आदमी कथे मोर अतेक बड़े घर हा टूट गे अउ इस महंगई के जमाना में लमोला आज दू ठा बल्ली अउ दू ठा बांस मिलत हे । माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कइहओं कि चौथा इंजन हे, मैं आपसे निवेदन करिहओं कि गरीब के भी सुध लेवओ, ओ गरीब के झोपड़ी उजड़थे, ओ गरीब के घोंसला उसलथे ओखरो लिये अच्छा से राशि देवओ ताकि ओ हा कम से कम घर ला बना सकए ।

श्री सुशांत शुक्ला :- पिछले 5 साल के चंदरपुर के महानदी के घोटाला ला याद भी कर लेना चाहिए । माननीय सदस्य महोदय मुआवजा कांड याद करना चाहिए, आप थोड़ा सा 5 साल भी याद करा । (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आपको घोटाला दिखता है तो आप जांच क्यों नहीं करा लेते ? केवल घोटाला-घोटाला का आरोप लगाते रहते हैं । (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- जांच तो चल रही है उसी में तो दिक्कत है । (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आप जांच तो कराइए। उसमें पता चल जायेगा कि आपकी जांच से कौन डर रहा है? आप जांच तो करा लीजिए। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- उसी में तो दिक्कत है। (व्यवधान) और रेस्ट हाउस में गड्डी मिलता है। ये दिक्कत का विषय है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, हम मानते हैं कि चलो घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। आपको छत्तीसगढ़ की जनता ने काम करने के लिए चुनकर भेजा है। अब आप काम कीजिए।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय जी, देखव सरकार आज तुम्हर हे, ए धरती में द्वापर युग में, त्रेतायुग में हमन सुने हन। हमर नेता जी कभू-कभू कहथे हमर महंत जी आगू में बइठे हे बड़े-बड़े इहां पर पहलवान जन्मीस, इहां द्रोण जइसे और रावण जइसे, कंस जइसे, रावण हा सोचे रहिस कि मैं हा स्वर्ग में निशैनी बनाहूं, तेखरो नहीं चलिस त तुमन के कोन चलने वाला हे। लेकिन एक दिन समझ में आही। भाई हो, आप मन कहने वाला हौ, आप मौका मिले हे, छत्तीसगढ़ के जनता देहे, आपके कलम में पॉवर देहे, अच्छा काम करव, अच्छा काम करिहौ तो जरूर आप ला शाबासी मिलही। मैं गरीब के हित में बात करना चाहथव। आज ओ गरीब आदमी जाथे, दू ठन बल्ली अउ बांस ला लेकर तो ओखर मन ला कतका कन निराशा होथे, चूंकि मैं भी ओएसने घर में रहने वाला व्यक्ति हव, मैं कहूं मेर पढ़े-लिखे नहीं हव, मोर मन के बात ला मैं आज कहथव।

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- अपन मन के बात के बारे में बोलना। (हंसी) सभापति महोदय, ये राजस्व विभाग में बांस-बल्ली कहां से आथे?

श्री रामकुमार यादव :- राजस्व विभाग हा एखर मुआवजा ला देथे, शायद तुमन हा नहीं जानथव।

श्री रामविचार नेताम :- ये वन विभाग के बात हे।

श्री रामकुमार यादव :- ये मुआवजा ला राजस्व विभाग देथे।

सभापति महोदय :- आप एक-एक का जवाब मत दो। आप अपना भाषण आगे बढ़ाओ।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय जी, मैं साथ ही साथ में बात करना चाहथव जइसे गरजना मार दिस। कोई गरीब आदमी लकड़ी तोड़े बर जंगल में जाथे गरजना मार दिस, कोई किसान व्यक्ति किसानी करेला जाथे, किसान तो ओइसना हे पानी गिरथे मोर खेत ला पानी झन भाग जाही, आधा रात के दौड़त चल देथे, गलती से सांप-बिच्छी में पैर आ जाथे, ओला काट देथे ओ खतम हो जाथे, लेकिन मोला दुख इस बात के हे आज जइसे खतम होथे, एक काला कोट के वकील घर में जाकर कहथे, आधा पइसा ला मोला देबे, आधा पइसा तोला कागज नहीं लागे, मैं तोला दिहौं।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, 15 मिनट हो गया है। मैं सांप-बिच्छी का पिछली सरकार के घोटाले का प्रश्न पूछा था। तब तो कोई कुछ बोला नहीं। आप चालू हो गये हैं। ये तो गलत बात हैं न। घोटाला पिछली सरकार में हुआ, उस पर कोई बोला नहीं।

श्री रामकुमार यादव :- अगर तुमन ला कुछ मौका मिले हे तो सही काम कर लेवौ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- सुशांत भाई, गरीबों की बात कर रहे हैं, थोड़ा सुन लीजिए।

श्री सुशांत शुक्ला :- पिछली सरकार के गरीबों की बात मैं भी कर रहा था।

श्री अटल श्रीवास्तव :- कब तक दुहाई देते रहोगे पिछली सरकार का। सवा साल हो गये हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- ये अब तक पिछली सरकार में ही हैं।

सभापति महोदय :- ये ठीक नहीं है। आप लोग सब बैठिए। उनको बोलने दीजिए।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय जी, आज ये सदन से मैं निवेदन करहूं, ये कोई घर में सांप बिच्छी काटथे, माननीय मंत्री जी, आप अइसे कानून बना दो चाहे कोई भी तहसीलदार राहे, कोई भी सरकार राहे, अइसे कानून बना दो हमो मन ओमा दस्तखत करबो ताकि कोई भी आदमी ला अइसे होये तो दू रूपया देके जरूरत झन पड़े। दशकर्म के दिन जाके 4 लाख के चेक ला दे देवय तो आप ला शाबासी दिही। मैं आपके माध्यम से अइसे निवेदन करना चाहथव।

सभापति महोदय :- आपकी 12 मिनट हो गया है। कृपया समाप्त करें।

श्री रामकुमार यादव :- बस-बस, महोदय जी, आप कह दिहौ तो मैं खेल में आ जाथव।

सभापति महोदय :- हां, सीधा आ जाओ।

श्री रामकुमार यादव :- खेल ला एक समय कहे रिहिन हे पढ़ोगे, लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे, कूदोगे तो हो जाओगे खराब। एला पहिली के मन कहे रहिस। लेकिन आज परिस्थिति बदल गेहे। आज खेल अइसना हे जइसे हमर क्रिकेट के दुनिया में अगर देखा जाये तो सचिन तेंदुलकर ला क्रिकेट के भगवान कहे जाथे। जब ओखर शिक्षा ला देखिहौ तो मात्र 12वीं पास। आज मैं आपसे कहना चाहथौ, हमर छत्तीसगढ़ में जब ओलंपिक खेल होथे, हमर देश के मन विदेश खेले ला गे रिहिन हे। महूं हा टी.वी. में मुटूर-मुटूर देखत राहव कि कोनो छत्तीसगढ़ के खेले गे होही। काबर ये चुने हुए नवा सरकार मन भारी जांघ ला पीटत रिहिन हे, हम लोग खेल की दुनिया में अइसे करेंगे। मैं आपसे कहना चाहथव कि आप मन अइसे-अइसे खेल बनावव जेमा छत्तीसगढ़ के मन हा आगे बढ़ पाये। मय अभी ए मन के बजट में देखत रहवव ता तुमन का खेल कराथव पता हे, सुशांत भैया जी सुन लौ, ए तुम्हर सरकार, चौथा इंजन के सरकार हा का खेल कराथे, एक ठन डंडी, वो डंडी हा, मैं पूछत रहेंव वो डंडी कतका मा मिलथे, गोल्फ वाला ? वो डंडी पांच लाख, दस लाख, पंद्रह लाख मा आथे, ओला का खेल कथे ? गोल्फ ।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, जो लोगों को खेल का अलंकरण पुरस्कार नहीं दे पाए, पांच साल तक छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को रोजगार नहीं दे पाए । मेरे साथी यादव जी, आज बड़ी दुहाई दे रहे हैं । तब मूक-बधिर क्यों हो गए थे ? पांच साल तक खेल अलंकरण पुरस्कार नहीं देने वाले लोगों को सरकार से प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं है ।

सभापति महोदय :- आप समाप्त करिए ।

श्री रामकुमार यादव :- एक विषय हे ।

सभापति महोदय :- जल्दी करिये ।

श्री रामकुमार यादव :- एक विषय मा एक बार बोलन दौ । आज मान लो गरीब आदमी कबड्डी खेलइया, भंवरा बांटी खेलइया, खो-खो खेलइया तुमन ला वोट दिस । ओमन के खेल करइ ला छोड़के, का खेल करात हावव, गोल्फ, बबा रे...। वोट कोन दिस ? कबड्डी वाला, तु अभी जाथा उदघाटन मा, सब मंत्री मन जाथा, तुमन जाथा खो-खो वाला कनी, खेल काला करावत हो, गोल्फ । ए बात के जवाब छत्तीसगढ़ के जनता लिही, तुमन छत्तीसगढ़ के जनता ला भोकू समझे हो । तुमन समझे हावव । आने वाला समय, खेल मंत्री जी मैं आप से कहना चाहत हौं । तु बढ़िया विभाग ला धरे हौ ।

श्री आशाराम नेताम :- रामकुमार जी, खेल देखना है तो बस्तर ओलम्पिक खेल देखने आना और आपको निमंत्रण दूंगा मैं, और वहां के बच्चों को पूछना अंतर्राष्ट्रीय खेलने गए थे ।

श्री रामकुमार यादव :- आशाराम बापू जी ।

श्री रामविचार नेताम :- अरे, क्या बात कर रहे हैं सभापति जी, खेल देखना है तो हमारे मोहले जी का देखो (हंसी) ।

श्री रामकुमार यादव :- मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहत हौं कि आप बड़े आदमी के

सरकार मा जानत हौ, बड़े आदमी के इशारा मा चलने वाला गोल्फ जरूर करावव लेकिन गांव गांव में कबड्डी, क्रिकेट, खोखो, बांटी, भंवरा उहू ला करावव। सभापति जी, अंत में मोर क्षेत्र के बात ला कहि देथो ओखर बाद मोर बात ला समाप्त कर दूहूं । जैसे हमर आदरणीय भाई बोलत रहिस हे ।

श्री केदार कश्यप :- एकाध बार उनका भी बताओ ना, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच जो टांग खिंचाई होती थी । वो वाला कबड्डी भी बताओ ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- आपके यहां उसी का तो ओलंपिक चल रहा है । हम लोग तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का खेल रहे थे ।

श्री रामकुमार यादव :- कम से कम हमन खेलत रहेन, तुमन ला तो खेल ले बाहर कर दे हावव । ग्राउंड ले बाहर कर दे हौ, एक्स्ट्रा प्लेयर में नइ राखे हौ ।

सभापति महोदय :- चलिए अब आपका हो गया । श्री अजय चन्द्राकर जी ।

श्री रामकुमार यादव :- मोर क्षेत्र के कुछ मांग रहिस हे महोदय ।

सभापति महोदय :- मैं आपको टाइम देता हूं तो आप उधर बात करने लगते हो, जल्दी बोलिए ना ।

श्री रामकुमार यादव :- सिंघरा ला ओ समय में कलेक्टर साहब मन जाकर देख चुके रहिन हे, सिंघला ला उप तहसील बर, ओकर रंग पुतई सब कर डारे हे । उप तहसील मा एक ठी तहसीलदार भेजे बर हे । मैं आपसे निवेदन करत हौं सिंघरा बहुत बड़े गांव हे । गांव मा राजस्व मा सहुलियत पड़ही तेखर बर उप तहसील ला जल्दी चालू कर देत हौ । कलमा बैराज अउ साराडीह बैराज में बहुत सारा किसान मन के मुआवजा बाकी हे, आप सर्वे करावव अउ सर्वे में सही मा कोई किसान बाकी हे तो मैं कोई गलत ला देबन नइ कहंव, सर्वे करावव अगर सही में कोई बाकी हे तो आपके माध्यम से कहना चाहत हौं किसान, सरकार आथे जाथे ओ सब के आप मन जरूर ख्याल करिहा । आप मोला बोल के मउका दे हौ, आप मन कुछ व्यक्ति ला खेल से बाहिर कर दे हौ, तेखर दुख प्रकट करते हुए अपन वाणी ला विराम देत हौं ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- सभापति महोदय, मैं भी गाड़ी दौड़ाने की कोशिश करता हूं । मुझे तो आदेश हुआ है इसलिए खड़ा हो गया । सभापति महोदय, मुझे कभी छत्तीसगढ़ के बारे में बातचीत करने का अवसर मिलता है तो मैं बताने की कोशिश करता हूं कि हिंदुस्तान में भूमि प्रबंधन का इतिहास देखें तो लोग कहते हैं कि अकबर के दरबार में राजा टोडरमल थे उनके समय से दिखता है । मैं जब बोलता हूं तो उसका खंडन करता हूं । हिंदुस्तान में ..।

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, मुझे मालूम हुआ कि विधान सभा की जो जमीन है, ये भी आपके पूर्वजों के नाम से है ।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं बता रहा हूं, ये पूर्वजों के नाम से नहीं है, ये गांव हमारी पारिवारिक मालगुजारी थी, ऐसा है। आपकी राजधानी राखी है न, जहां ये शिलान्यास हुआ, वह भी था, आप समझ रहे हो। सभापति महोदय, आप भी उसी इलाके के हैं, रतनपुर दरबार के कल्याण साय जी जहांगीर के दरबार में थे, आपको बंदोबस्त भूमि प्रबंधन का काम बिलासपुर गैजेटियर में भी पढ़ने को मिलेगा। मैं सबसे पहले जब छत्तीसगढ़ के बारे में बोलता हूं तो हमेशा बोलता हूं, यदि टोडरमल से भी पहले इतिहास है तो छत्तीसगढ़ में कल्याण साय जी का इतिहास है जिन्होंने भूमि प्रबंधन किया, हम ऐसी भूमि में पैदा हुए हैं। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी को योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बधाई दे देता हूं। आपने शुरूआत में जिन बातों को कहा है, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी, मैं जल्दी-जल्दी बोलूंगा। छत्तीसगढ़ में कुल कितने राजस्व गांव हैं, ये मुझे जानना है। मैं आपको उसका कारण बता देता हूं। राज्य के अंतर्गत 20,474 राजस्व गांव है, आपने एक जगह 20474 राजस्व गांव लिखा है, एक जगह आपने वर्तमान में कुल 33 जिलों के 20222 राजस्व गांव लिखा है, आपने एक जगह और कुछ दूसरा लिखा है, इसी प्रतिवेदन में आपके गांव की संख्या के तीन जगह अलग-अलग आंकड़े हैं, मैं उसको मोड़कर रखा हूं, वह कहीं न कहीं दिखेगा। कुल कितने गांव हैं, आप यह बता दीजियेगा। आपने 19633 गांवों का भू अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण किया है, मैं अपेक्षा करता हूं कि आप इसको शीघ्रता से शत प्रतिशत कर लेंगे ताकि थोड़ी बहुत असुविधा है, वह भी दूर होगी, आपके नेतृत्व में तेजी आएगी, माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में तेजी आएगी, इससे आपका विभाग अच्छा काम करेगा। साहब, ये सदियों से चल रहा है, आपके हाथ से इसका समापन होना चाहिए, आप कर लेंगे। असर्वेक्षित गांवों का सर्वेक्षण है, मैं जब से इस हाउस में हूं, तब से इस बात को सुनता हूं कि असर्वेक्षित गांवों का सर्वेक्षण होगा, अमूझमाड़ का सर्वेक्षण होगा। बसाहटी गांव का सर्वेक्षण होगा, पुराने राजस्व मंत्री सामने बैठे हैं, ये भी भाषण में बोल चुके हैं कि इसका सर्वेक्षण होगा। आप माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में इतिहास बनाईए, असर्वेक्षित गांवों का सर्वेक्षण संपादित कीजिए, मैं आपको पूरे सदन की ओर से शुभकामनाएं देता हूं।

सभापति महोदय, आप तहसील कार्यालयों में मार्डन रिकॉर्ड रूम बना रहे हैं, साहब, इसको शत प्रतिशत करिए। मैंने अभी आपकी बजट का उल्लेख नहीं किया है, मैं इसको तत्काल निकाल रहा था, आपको बजट में 218.15 करोड़ रूपए ज्यादा मिला है, आप बधाई स्वीकार कीजिए, आपकी वर्किंग एफीसियेंसी बढ़ेगी। तहसील कार्यालय से इंटर कनेक्ट करना, 105 उप पंजीयक कार्यालय हैं, आपने उतने को कर दिया है, आप ई-गवर्नेंस की ओर अच्छे से बढ़ रहे हैं।

सभापति महोदय, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। आप जीरो रिफरेंसिंग करवा रहे हैं, जितनी जल्दी जीरो रिफरेंसिंग होगी, उतनी लोगों की सुविधा में वृद्धि होगी। नेशनल जीयोपेटियल नॉलेज एंड बेस्ड एंड सर्वे ऑफ अर्बन हैवलीटेशन, ये भी केन्द्र सरकार का प्रोजेक्ट है, आपने तीन नगरपालिका

निगम को पायलेट प्रोजेक्ट में लिया है। साहब, यदि सबसे ज्यादा अपराध, कब्जे, गलत रजिस्ट्री, डबल रजिस्ट्री, तिबल रजिस्ट्री, किसी की मल्कियत या अन्य चीजें सबसे ज्यादा होती है तो शहरों में होती है। आप भारत सरकार की योजना से या राज्य सरकार की योजना से पायलेट प्रोजेक्ट की जगह इसे सभी शहरी क्षेत्रों को शामिल करिए। आपने स्वामित्व योजना में 50 हजार की लक्ष्य की जगह 55 हजार कर लिया। आपने लक्ष्य से ज्यादा किया है, उसके लिए मेरी बधाई स्वीकार करें लेकिन इसको एक अभियान के तौर पर स्वीकार करें कि हम इस लक्षित अवधि में शत प्रतिशत पट्टा बांट देंगे। डिपार्टमेंट का एक सेल्फ कमिटमेंट रहना चाहिए, ये उदाहरण के तौर पर 50 हजार, 55 हजार, 70 हजार ऐसा मत हो। अगली बार आपके उद्बोधन सुनने को मिलेंगे तो आप छत्तीसगढ़ में स्वामित्व योजना में प्रधानमंत्री जी की जो आकांक्षा है, वह शत-प्रतिशत पूरी हो जाएगी और आप pilot project लेकर रामकुमार जी के क्षेत्र में पहले बंटवा दीजिएगा तो आप आय-बाय-साय बोलने के बजाय कम से कम आंकड़े में बोलते हैं तो वह बताएंगे कि मेरे क्षेत्र में इतने लोगों को स्वामित्व योजना का पट्टा मिला। आप आंकड़े में बोल दीजिये। आपको और माननीय विष्णुदेव साय जी को मैं बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं कि भूमिहीन मजदूरों के लिए उन्होंने दीन दयाल उपाध्याय भूमिहीन मजदूर कल्याण योजना लागू की और उनको 10 हजार रूपये दिये। उसमें लगभग 5 लाख, 62 हजार, 112 हितग्राही हैं, जो लाभान्वित हो रहे हैं। गरीबों की सेवा किसी लोक कल्याणकारी राज्य के सबसे बड़े दायित्वों में से एक है। आप गरीबों की सेवा कर रहे हैं। इसके बाद आपने कृषि सांख्यिकी के बारे में बात की है। नामांतरण की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु नामांतरण पोर्टल बनाया गया है। माननीय मंत्री जी, यह सरलीकरण नहीं है, यह कठीनीकरण है। इसमें आप अधिकार व दायित्व किसको दे रहे हैं और उसको कौन करता है? इसको आप थोड़ा स्पष्ट कीजिए और इसको सरल बनाइये। आप कभी एस.डी.एम. को दायित्व दे देते हैं तो कभी तहसीलदार को दायित्व दे देते हैं तो कभी पटवारी को दायित्व दे देते हैं। पटवारी को क्या काम है? इसको हम ही नहीं जानते। पटवारी के पास क्या काम है? इसको मैं सही में नहीं जानता हूं। बस्ता भर रखना है, क्या? आपने प्रशिक्षण के बारे में बात की है और आपने फसल बीमा के बारे में बात की है। आपने फसल कटाई प्रयोग की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए सी.सी.ई. एग्री ऐप लॉन्च किया है। उसके लिए आप बधाई लीजिए। आप जितने नवाचार कर रहे हैं, उससे सुविधा में वृद्धि होगी। गिरदावरी की विसंगतियों को दूर करने के लिए आपने जो चुने हुये गांवों को सलेक्ट किया है, उसको आप सभी गांवों में लीजिए। राज्य की सामान्य जानकारी के संबंध में आपने जो आंकड़े दिये हैं, उसमें आपने 20 हजार, 551 गांव के आंकड़े दिये हैं। आपके इस प्रतिवेदन में गांव की संख्या 3 बार अलग-अलग हैं। आप यह बताइयेगा कि कौन सा accurate है? इसके अतिरिक्त त्रुटि सुधार के प्रकरणों, विवादित प्रकरणों के आपने जो आंकड़े दिये हैं, इसमें शायद इस सत्र में हम लोगों ने खूब बहस की है और ध्यानाकर्षण के माध्यम से भी बहस की है। जब मैं आपको एकाध सुझाव दूंगा तो उस विषय में आऊंगा। लेकिन अगली बार प्रतिवेदन से यह पन्ना

गायब होना चाहिए। वृक्ष कटाई के मामले में जांच की जरूरत है। किसके प्रतिवेदन में वृक्ष कटाई की जानकारी मिलती है? आज आप देखेंगे कि खेत नंगे हो रहे हैं। समझ ले कि मुड़वा हो गेहे। अइसे कही ले। मतलब, मजा ही नहीं आता है और धूप ही धूप दिखती है। आप कितने परमिशन देते हैं और कितने परमिशन लंबित हैं? इसको आप देखिये। राजस्व मण्डल, जब राजस्व प्रकरण में आएंगे तो हम इसमें बात करेंगे। आपने राजस्व मण्डल के स्टॉफ की जानकारी दी है। राजनांदगांव के बाद अब आपने रायपुर में भी शासकीय मुद्रणालय खोल लिया है। प्राइवेट सेक्टर की तरह आप इसकी क्वालिटी को अच्छी कीजिये और सारी चीजें यहीं छपें। दूसरा, आप निर्णय कीजिए और हम लोगों को गजट दीजिए। मैंने बैठक में भी इस विषय को उठाया था। सरकारी आदेश व नये-नये निर्णय होते हैं, उसको हम लोग भी तो पढ़ें। पहले जब हम लोग मध्य प्रदेश में थे तो वह सब मिलता था, लेकिन छत्तीसगढ़ बनने के बाद वह सब बंद हो गया। आपदा मोचन आपका काम है। आपदा मोचन के पैसे को release करने के लिए। किसी भी तरह की क्षति के लिए आप राजस्व विभाग से जो राहत देते हैं, उसको आप सरल-सहज बनाइये। जब आप प्रश्न का जवाब दे रहे थे, उस दिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी ने इस बात को उठाया था। सर्प दंश, इधर-उधर पानी में डूबने जैसे अन्य विषयों में महीनों तक नहीं होता है। उसमें आप स्वास्थ्य विभाग से coordinate कीजिये। 6-6 महीने, 2-2 साल तक लोगों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिलती है और उसके कारण लोगों को जो तात्कालिकता में लाभ व राहत मिलनी चाहिए, उससे हम नाम व यश के बजाय अपयश के भागीदार होते हैं। यदि वह inter department है तो उसको आप ठीक से coordinate करके इसमें कीजिये। दूसरी बात यह है कि आपका जो राहत आयुक्त विभागाध्यक्ष है, उसमें इन मामलों व विषयों की समीक्षा होती है या नहीं होती है? यदि होती है तो आपके प्रतिवेदन में आपने जो बाकी pendency दिखाई है और जो कार्य गिनाये हैं, उसका आप कितने दिन में निराकरण करते हैं? यह बिल्कुल भी नहीं दिखा है। आपने आवंटित राशि व अनुदान राशि बताई है। वह सब तो ठीक है, लेकिन असली चीज इसकी अवधि और तात्कालिकता है।

माननीय सभापति महोदय, अब पुनर्वास विभाग, भू-अर्जन विभाग में छोटी से बात कर लेता हूं। फिर खेल विभाग में 5 मिनट बात करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, आप मुझे गांव की संख्या बतायेंगे । सर्वेक्षण के बारे में कहा न कि 20 साल से इसको सुन रहे हैं, जब से मैं इस हाऊस में हूं, तब से सुन रहा हूं कि गांव का सर्वेक्षण हो रहा है। अब मसाहती गांव नहीं रहेंगे, अब वन ग्राम नहीं रहेंगे, अबूझमाड़ बिलकुल नक्शा सहित तैयार हो जायेगा। आपने उस दिन घोषणा की थी, कल शायद नेता प्रतिपक्ष जी का प्रश्न भी है। मुआवजा में एक उदाहरण बता देता हूं। रेल लाईन मुआवजा प्रकरण में रायपुर में मुआवजा का प्रकरण में रेट दूसरा है, धमतरी जिले में उसका रेट दूसरा है, बड़ी रेल लाईन में ही जमीन निकली है। अब इसको किस आधार पर निर्णय करते हैं ? ये मामलें राजस्व न्यायालय में लंबित हैं, संभागीय न्यायालय में लंबित हैं। 2 साल

से, 3 साल से इसका फैसला नहीं हो पा रहा है। मैं बार-बार कह चुका हूं कि साहब दर अलग-अलग क्यों हैं ? रेल लाईन वही है, रायपुर जिले में क्या अंतर है और धमतरी जिले में क्या अंतर है ? आप एक कदम में क्रास कर लेंगे। केवल नहर का अंतर है। नहर के इस पार रायपुर और नहर के उस पार धमतरी है। तो मुआवजे के मामले में रेट क्या है ? किस तरह की जमीन का क्या रेट है ? यदि इसको क्लीयर करेंगे तो लोगों को सुविधा होगी। मैंने आपको उदाहरण बता दिया है। दूसरा, यह क्लीयरकट होना चाहिए। जो जमीन के टुकड़े हुए हैं, ये एक षड़यंत्र के साथ हुए हैं, कल आप प्रश्न के उत्तर जानकारी देंगे। मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। राजस्व परिपत्र या भू-राजस्व संहिता में निर्देश की जरूरत है कि साहब नोटिफिकेशन के इतने दिनों के बाद लॉक हो गया, अब इसमें किसी तरह का बटांकन नहीं होगा। उस अवधि में जिसने भी बटांकन किया है, उस पर कार्रवाई होगी। चाहे वह कोई भी हो। आप प्रश्न उठाने के बाद कार्रवाई करते हैं। कोई आदमी मुद्दा उठाये तो कार्रवाई करते हैं, यह ठीक नहीं है। राजस्व प्रकरण, अब आपको केन्द्र सरकार की मदद मिल रही है। आपके बजट में वृद्धि हुई है फिर राजस्व प्रकरण इतने क्यों लंबित हैं ? क्या हम राज्य की ओर से नवाचार कर सकते हैं ? किसी समय आपराधिक मामलों के जल्दी निपटान के लिए, सिविल न्यायालय के मामलों के जल्दी निपटान के लिए फास्ट ट्रेक कोर्ट बनता था। हम फास्ट ट्रेक कोर्ट की शक्ल में क्यों नहीं जा सकते ? धमतरी जिले में राजस्व मण्डल का कैम्प कार्यालय बनेगा, बस्तर के पांचों-छहो जिले में लगातर 3 दिन तक सुनवाई होगी या पांचों संभाग में इतने दिन बैठेंगे, हम उसको पूरे जिलों में लायेंगे। क्योंकि आम आदमी से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। आप मुझ क्षमा करियेगा, आपके ऊपर आरोप नहीं है, विभाग के ऊपर है। जब भी सबसे करप्ट डिपार्टमेंट कौन की चर्चा होती है, कोई संस्था सूची जारी करती है तो राजस्व विभाग, पुलिस विभाग का नाम जरूर आता है। चाहे आदमी करप्ट हो या ना हो, वह अलग विषय है। मैं उस ओर नहीं जा रहा हूं। लेकिन आम आदमी को सबसे ज्यादा राहत देने वाला विभाग कोई है तो यही राजस्व विभाग है। आप राजस्व प्रकरण जितना जीरो में लायेंगे, वह आम आदमी के लिए अच्छा होगा। अब उस दिन राजस्व प्रकरणों में फिर उस चर्चा हुई थी, मैं दोहरा भर रहा हूं, फिर खत्म करता हूं। लोक सेवा गारंटी, आपने पूरे प्रतिवेदन में लोक सेवा गारंटी अधिनियम को नहीं बताया है। किसानों को घुमाने वाला आदमी, गरीब आदमी को घुमाने वाला आदमी, समय का पालन नहीं करने वाला आदमी कहीं पर किसी दृष्टिकोण वह क्षम्य नहीं है। वह पाप है। लोक सेवा गारन्टी अधिनियम का पालन नहीं करना और किसानों को तकलीफ देना है।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात, जब हम गांवों में जाते हैं तो पंचायत सचिव से उतना काम नहीं पड़ता, मनरेगा के रोजगार सहायक से उतना काम नहीं पड़ता, गांव के लाईनमेन से उतना काम नहीं पड़ता, गांव के आदमी को सबसे ज्यादा काम पटवारी से पड़ता है। राजस्व विभाग के सब अमले को रिक्त कर दीजिये, लेकिन कृपा करके पटवारी की रिक्तयां फुलफील कर दीजिये। दूसरी बात,

मैं बोल रहा था, क्या हम नवाचार कर सकते हैं ? यदि 5 दिन का सप्ताह है, 6 दिन का सप्ताह है, तो राजस्व कोर्ट जिस दिन कलेक्टर लगायेगा या एस.डी.एम. लगायेगा, तहसीलदार लगायेगा, उसको 2 दिन लगाना अनिवार्य है और उस दिन मंत्री आये चाहे कोई भी आये, विधायक जाये या कोई भी जाये, कोर्ट की सुनवाई के बाद, राजस्व न्यायालय से निकलने के बाद ही वह दूसरा काम करेगा। यदि और ज्यादा अच्छा करना चाहते हैं तो कलेक्टर और नीचे के अधिकारी भी कहीं मत जाये, आप पूरे 33 जिलों में 33 प्रोटोकाल अफसर नियुक्त कर दो, जो मंत्री, विधायक, संसदीय सचिव, केन्द्रीय सरकार के सचिव के साथ रहें और उसके जितने कागजात हैं, जितने निर्देश हैं, उसको कलेक्टर को ले जाकर सौंपे। इतना बड़ा अमला है, हमारा प्रदेश 2 लाख कर्मचारी से 4 लाख कर्मचारी तक पहुंच गये तो 33 प्रोटोकाल अफसर और बढ़ जायेंगे, लेकिन इस नवाचार से राजस्व न्यायालय से किसानों को कितना बड़ा राहत मिलेगा, यह आप देख लीजिये। एक विषय है जो अंतर्विभागीय हो सकता है, लेकिन पहल आपको ही करनी है। 116, 117, 118 या जितने भी नगर पंचायत हैं, रामकुमार जी। जो घास जमीन है, जहां लोग वर्षों से बसे हैं, उनको पट्टा नहीं मिल रहा है। शहरी क्षेत्र नजूल घोषित हुए बगैर पट्टा नहीं बांट सकता है। उनको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहे हैं। उनसे रोज अलग वसूली हो जाती है कि तुम्हारे घर को तोड़ेंगे, उनको तहसीलदार की नोटिस जाती है कि तुमको हटायेंगे, यह जमीन सरकारी काम के लिए आरक्षित कर रहे हैं, इसके लिए आरक्षित करना है। वह लोग कब से बसे हैं? जब वह गांव से शहर नहीं बने थे तब से वे लोग बसे हैं। उनको किन्हीं भी कारणों से पट्टा नहीं मिला है। इस स्वामित्व योजना में शहरी क्षेत्र में जब आप गांव में पट्टा बांट रहे हैं। जो शहर नजूल नहीं है, प्रदेश में कोई भी शहर नजूल घोषित नहीं हुए हैं, उसको नजूल घोषित करके कोई गाईडलाईन बना दीजिये इस सन् तक के लोगों को पट्टा दिया जाएगा। इस बात को आप विवेक के ऊपर रखिए, इससे छत्तीसगढ़ के लोगों की बड़ी सेवा होगी। यदि आप कर सकते हैं तो यह मेरी प्रार्थना है। बाकी आपके क्रियान्वयन में कमिटमेंट आ जाये, जैसा मैंने कहा कि आप 55 हजार की जगह में शत् प्रतिशत करिये। सभापति महोदय, अब एक विषय खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग में देखते हैं। रामकुमार जी, मैं आपसे ही शुरू कर देता हूं। आप क्या कह रहे थे कि कबड्डी वाले वोट देते हैं, भौंरा वाले वोट देते हैं, गिल्ली वाले वोट देते हैं? आपकी सरकार ने चुनाव वर्ष में एक साल में चार बार छत्तीसगढ़िया ओलंपिक करवाई थी। मतलब छत्तीसगढ़ के लोग खोज खेलते रहे। उन्होंने कौन से पैसे से ओलंपिक करवाई? आपने खेल तक का पैसा खाने को नहीं छोड़ा। यह तो आपकी शासन थी और उसको आप लोग कूद-कूद कर ऐसा जेश्चर-पोश्चर बनाकर बात रहे हैं कि यह लोग वोट दिए, यह लोगों ने ऐसा किया। नाचो ऐसे विषय में, जेश्चर-पोश्चर ऐसे विषय में बनाओ, जिसमें जंचे। एक साल में चार बार छत्तीसगढ़िया ओलंपिक करवाया गया और वह खेल पैसा खाने का माध्यम था। यह मेरा आरोप है। आप मेरे ऊपर विशेषाधिकार लाईये। मैं साबित करूंगा कि आपने कहां पर, कैसे पैसा खाया है। इसी शासन में मैं कुछ प्रश्नों को बार-बार इसीलिए उठाता हूं। यदि कल भी मेरा

एक प्रश्न आएगा तो उसी विषय पर आएगा। मैंने उस प्रश्न को दूसरी बार लगाया है। प्रश्न बहस में नहीं आ रही है, वह अलग बात है, लेकिन जब तक यह परिणाम तक नहीं पहुंचेगा तब तक आपका रीपा और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक पर मेरे प्रश्न आते रहेंगे।

श्री रामकुमार यादव :- चन्द्राकर जी, हमन जानत हन कि छत्तीसगढ़िया आदमी बर तुंहर मन मा कूट-कूट के नफरत भरे हावय। तुहला गिल्ली-डंडा, कबड्डी, खो-खो, बांटी अऊ भौंरा वाला मन से बहुत नफरत करथौं। सिर्फ गोल्फ से एखर बहुत प्रेम है।

सभापति महोदय :- बैठिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब थोड़ा अक्ल के बात चलत हावय। सभापति महोदय, वर्ष 2012 में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय खेल करवाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ को 2 करोड़ रूपये दिया था। असम का राष्ट्रीय खेल निकल गया, गोवा का राष्ट्रीय खेल निकल गया, उत्तराखण्ड का राष्ट्रीय खेल निकल गया। हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का नाम लेते हैं, हम अमित शाह जी का हम लेते हैं, हम उनको अपना प्ररेणास्त्रोत व पथ प्रदर्शक मानते हैं। वर्ष 2036 का ओलंपिक भारत में हो, इसके लिए हम एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, यह बात आप कई बार समाचार-पत्रों में पढ़ते होंगे। हम पैसा पटाया है। अब अगली बार ओलंपिक कब होगा। छत्तीसगढ़ राज्य में वह चीजें हैं, छत्तीसगढ़ कर सकता है, बजट सिर्फ इतना है। एक हजार करोड़ खर्च होगा तो हम ओलंपिक आयोजन करेंगे, 500 करोड़ रूपये खर्च होगा तो हम ओलंपिक आयोजन करेंगे। उसमें दिल्ली भी सहायता करती है। चूंकि इन लोगों को पांच साल से खेल के नाम से पैसा खाने से फुर्सत नहीं था। यह छत्तीसगढ़ का क्या मान बढ़ायेंगे, छत्तीसगढ़ की क्या इज्जत बढ़ायेंगे?

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय जी, ओ ओलंपिक मा छत्तीसगढ़ के एको-दू झन खेलही या नई खेलही?

श्री अजय चन्द्राकर :- वर्ष 2027 मेघालय को आवंटित हो गया है।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, बार-बार टोका-टोकी मत करिये। आप उनको बोलने दीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, वर्ष 2027 में मेघालय जैसे राज्य को आवंटित हो गया है। आज बोलेंगे तो सारा सदन सुनेगा, सारा छत्तीसगढ़ गौरान्वित होगा कि साहब, वर्ष 2029 की मेजबानी छत्तीसगढ़ करेगा, यह मेरी प्रार्थना है। (मेजों की थपथपाहट) माननीय विष्णु देव साय जी को इस नवाचार के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि बजट से बस्तर ओलंपिक कराया । छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के लिये कहीं कोई बजट नहीं था, वह पैसा खाने का शानदार अभिसरण था, कन्वरजेंस था कि दस विभाग का मिलाकर पईसा खायेंगे ।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, एक मिनट । तुमन एक तरफ कइथव कि पईसा खा गे हे, एक तरफ कइथव बजट नई रहिसे, ए मुंहू काये तेला काय जानबो ?

सभापति महोदय :- बैठिये ना । आप बैठो तो रामकुमार जी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, कन्वरजेंस करके पांच विभाग का पईसा मिलाके, सात विभाग का पईसा मिलाके, पइसा कईसे खाया जाता है, आपने छत्तीसगढ़ को बताया, प्रदेश के लोगों को बताया । माननीय सभापति महोदय, मैं एक मिनट में बजट पढ़ देता हूँ, आपके बजट में 86 करोड़ की वृद्धि हुई है । यह ऑकड़ें हैं, पढूंगा तो टाईम लगेगा, लेकिन प्राथमिकता आपने खेल को दी है, मुख्यमंत्री जी ने दी है, मैं उसके लिये बधाई दे देता हूँ । सभापति महोदय, अमर जी बैठे हैं, टी.आर.यादव खेल अकादमी का फोटो दो दिन पहले पेपर में छपा था, आपने देखा होगा । रायपुर में एस्ट्रो टर्फ है, बिलासपुर में एस्ट्रो टर्फ है, जशपुर में एस्ट्रो टर्फ है, आप मुझको एक विशेषज्ञता बताईये कि इनको मैंटेन करने का, इनको देखने का, इनको संभालने का कितना पानी एस्ट्रो टर्फ में डाला जायेगा, बैडमिंटन में कितने वोल्टेज रखे जायेंगे, इंडोर गेम कितने हैं और इंडोर के कोर्ट की दशा क्या है, आपके पास इसका एक भी सिस्टम है तो बताईये ? हम क्यों परिसंपत्ति बनायेंगे ? आप कुनकुरी, जशपुर, रायगढ़, नवागांव, नवा रायपुर, बलौदाबाजार में इंटिग्रेटेड कॉम्पलेक्स बनाने जा रहे हैं, क्यों बनाने जा रहे हैं के बाद बनाईये बोल रहा हूँ, लेकिन आप विशेषज्ञता लाईये कि मेरे पास इतने एस्ट्रो टर्फ है, मेरे पास इतने इंडोर स्टेडियम है, मेरे पास इतने इंडोर हॉल हैं, यह कॉस्टिक है, यहां कार्यक्रम हो सकता है, ये-ये काम होंगे ? यदि गड़बड़ हो गया तो इस संस्था और इस व्यक्ति को खबर करने से, मैं बार-बार बोलता हूँ कि साई की तरह संस्था बनी है, जिसको फोन करेंगे और संस्थायें मैंटेन हो जायेगी । सभापति महोदय, मैं बजट में कहीं पर नहीं पढ़ा हूँ कि जो आपने इतनी बड़ी-बड़ी परिसंपत्तियॉ बनाई है, इसके सिस्टम को मैंटेन करने के लिये आपने कोई बजट रखा है ? आपके प्रतिवेदन में कहीं पर नहीं देखा है ।

सभापति महोदय, खेलो इंडिया की अकादमी देखिये, आप प्रतिवेदन के आखिरी पन्ना खोल लीजिए या आपके डायरेक्टर को खोलने के लिये बोल लीजिए ।

सभापति महोदय :- चन्द्राकर जी । अब समाप्त करिये, बहुत टाईम हो गया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मैं तो खत्म कर रहा हूँ, आखिरी कोट चल रहा हूँ । एक भी अकादमी देखिये, तीरंदाजी अकादमी देखिये, राजनांदगांव हाकी अकादमी, छत्तीसगढ़ खेल प्राधिकरण, यहां कितने पद भरे हैं, कितने खाली हैं, क्या है ? आप एक अकादमी चलाईये, वह पूरी तरह चले, यह गोपीचंद की अकादमी है, अंतराष्ट्रीय प्लेयर निकलते हैं, यह प्रकाश पादुकोण की अकादमी है, यह दिलीप वेंगसरकर की अकादमी है, अलग-अलग खेलों का अकादमी बता दूँगा । सभापति महोदय, हरियाणा में महिलाओं के लिये कोई अवसर नहीं होता था, भ्रूण हत्या के लिये प्रसिद्ध, लेकिन आज सबसे ज्यादा महिला खिलाड़ी कहीं से निकल रही है तो हरियाणा से निकल रही है । आपको बता दूँ, अभी राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ की टीम गई, आपने कहीं पर भी नहीं बताया कि कोच को क्या सुविधा देते हैं, कितने दिनों का प्रशिक्षण शिविर लगाया, कितने दिन पहले हमने तैयारी शुरू की थी, ऐसे-ऐसे खेल के संघ बने

हैं, जो कागजों में पदाधिकारी हैं, उसकी कोई गतिविधियॉ नहीं है, आप खेल वृत्ति देते हैं, खेल वृत्ति में क्या देते हैं साहब ? सभापति महोदय, एक राष्ट्रीय खिलाड़ी बनने के लिये जो मेंहनत कर रहा है, साहब गोद लीजिए । इतने सारे संस्थान हैं, एनटीपीसी को मैदान बनाने के लिये मत दीजिए । सभापति महोदय, आयोजन करना और नर्सरी बनाना, दोनों में अंतर है । छत्तीसगढ़ तीरंदाजी, हाकी या किसी भी खेल की नर्सरी है साहब, यहां पौध निकलती है । सभापति महोदय, उड़ीसा में हाकी के लिये खस्सी बोकरा का कप होता है, वह बिना प्रचार-प्रसार के दो बार वर्ल्ड कप करा चुका है, गांव-गांव में लोग स्टिक लेकर निकल रहे हैं और आधा भारतीय हॉकी टीम उड़ीसा से है । खस्सी बोकरा बांध दिये हैं और जो जीतेगा, उसे देंगे कहते हैं । छत्तीसगढ़ में नैसर्गिक प्रतिभायें हैं, यहां नर्सरी बने, आप क्या खेल वृत्ति देते हैं ? आप खेल वृत्ति बताईये कि यह नेशनल में जायेगा, उसे इतना देंगे और इतने दिन तैयारी के लिये देंगे, नौकरी कर रहा है तो इतने दिन उसको छुट्टी देंगे। आपके पास संसाधन नहीं है तो इतनी सारी संस्थायें क्या कर रही है, छत्तीसगढ़ के एक-एक खेलों को गोद लें, आयोजन को 5 लाख देने के लिये गोद मत लें, उन खिलाड़ियों को वहां तक पहुंचाने के लिये गोद लें, उन खिलाड़ियों को वहां तक पहुंचाने के लिए गोद लें । यह मेरा सुझाव है, आपको समझ में आये तो करिए । आपने खेल प्राधिकरण बनाया है, लेकिन एक भी पद नहीं भरे गए हैं । खेल प्राधिकरण की कितनी बैठक हुई ? खेल प्राधिकरण की बैठक क्यों नहीं होती, निर्णय क्यों नहीं होते ? गठन क्यों किया गया है, पद क्यों नहीं भरे गए ? आजकल नई दुनिया की जो महाशक्तियां हैं न, चीन हो या अमेरिका हो, वह खेल में भी महाशक्ति हैं । आप ओलम्पिक देखिएगा, एक-एक खेल में प्रतिस्पर्धा होती है कि उनमें कौन पहला होगा । छत्तीसगढ़ यदि राईजनिंग स्टेट है तो खेल में भी है और जब खेल में होगा तो सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि छत्तीसगढ़ के 43 प्रतिशत युवा नशाग्रस्त हैं, वे नशे के शिकार हैं । आप क्या कर सकते हैं, उसको देखिए । मैं तो इसमें सुझाव ही दे सकता हूं । आप यह देखिएगा कि छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ी दूसरे राज्य से खेलते हैं । वे खेलने के लिए दूसरे राज्य क्यों जाते हैं, वे दूसरी टीम से क्यों खेलते हैं ? आपके पास वह सुविधा नहीं है, आपके पास वह देखरेख नहीं है । अभी जो देहरादून में राष्ट्रीय खेल हुआ, उसमें कितने खिलाड़ी दूसरे राज्य से खेले ? वे दूसरे राज्य से खेलने के लिए क्यों गए ? मैं आपको नाम बता दूंगा कि छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ी दूसरे राज्य से खेले । यही परिस्थितियां सुधरनी चाहिए । अब आप हमेशा उत्कृष्ट खिलाड़ी पुरस्कार दीजिए । आज विकलांगों के लिए मेरा प्रश्न था, मैं उस प्रश्न को हमेशा लगाता हूं । न सीधी भर्ती के, न बैकलॉग के, न उनको इक्यूपमेंट देते हैं, उसमें कोई समयबद्धता नहीं, सर्वेक्षण नहीं । यह उसी तरह का उत्कृष्ट खिलाड़ी का हाल है विकलांगों की तरह छत्तीसगढ़ में । केवल नाम है कि हम उत्कृष्ट खिलाड़ी देते हैं । दूसरा, नौकरी क्यों नहीं देते ? आपके पास नौकरी देने और दिलवाने के लिए बहुत सारी जगह है कि साहब, हमारे उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आपको नौकरी देना है । आप उसको सी.एस.आर. में शामिल करवा सकते हो कि ये लोग हैं, जिसको आप प्राथमिकता

देंगे । आप इनका पालन करवाएं । माननीय सभापति महोदय का इशारा हो गया है । मैं यही कहूंगा कि आप छत्तीसगढ़ के आम आदमी की जरूरत को सम्हालते हो । यह दु:खद है कि इतने पेंडिंग केस हैं । आप नौजवान हैं, कुछ करके दिखाईए । आप दूसरा महत्वपूर्ण विभाग सम्हालते हैं । मैंने कहा कि 43 प्रतिशत नवजवान अवसादग्रस्त और नशाग्रस्त के शिकार हैं । आपके खेल की गतिविधियां छत्तीसगढ़ की जवानी को दिशा देंगे । यह एक जिम्मेदारी होगी, सिर्फ सरकारी काम नहीं होगा । छत्तीसगढ़ के प्रति जो हमारा दायित्व है, उस दायित्व के लिए हम आगे बढ़ेंगे, सरकार आगे आएगी, सरकार का सही दायित्व है, उसको सरकार निभाएगी, आपका एक कमिटमेंट आना चाहिए । मैं सोचता हूं कि आपने एक बेहतर बजट दिया है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन-जिन कामों को कहा है, मैंने उसका उल्लेख भी किया। आप अच्छा काम करेंगे और आगे छत्तीसगढ़ का नाम खेल के क्षेत्र में जैसे मैंने इतिहास जान-बूझकर बताया, कल्याण साय का नाम आपको बताया कि भूमि सुधार, भूमि बंदोबस्त में छत्तीसगढ़ का नाम सबसे पहले, टोडरमल से पहले लिया जाता है। आप वही कल्याण साय बनिए कि छत्तीसगढ़ का भूमि प्रबंधन सबसे अच्छा है, किसानों के लिए सबसे अच्छी सेवा है । सभापति महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार ।

सभापति महोदय :- श्रीमति अम्बिका मरकाम । अब आप लोग इधर थोड़ा कम-कम बोलेंगे । दोनों तरफ के ओपनर बोल लिए हैं ।

श्रीमति अम्बिका मरकाम (सिहावा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-8, 9, 58 एवं 43 के विरोध में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं । राजस्व विभाग अपने आप में बहुत बड़ा विभाग माना जाता है । राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास विभाग के पास बहुत बड़ा अमला भी रहता है । पिछले साल के साढ़े तीन हजार करोड़ से अधिक के बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने विभाग के आधुनिकीकरण एवं व्यवस्था को ऑनलाईन करने की घोषणा की थी, परन्तु जमीन की अफरा-तफरी मची है । फर्जी क्रय विक्रय, भू माफियाओं का राज अभी भी अनवरत जारी है, जिसके नियंत्रण हेतु अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामवासियों के निस्तार हेतु घास भूमि एवं निस्तार की भूमि राजस्व विभाग की लापरवाही के कारण अतिक्रमण की भेंट चढ़ रही है। उसका खामियाजा सरकार को भी भुगतना पड़ रहा है। आज सरकार ने ग्राम पंचायतों में महतारी सदन निर्माण की घोषणा की है। महतारी सदन निर्माण हेतु भूमि ही नहीं मिल पा रही है, इसलिए ग्राम पंचायतों में आने वाली योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सरकार को कड़े कदम उठाते हुए सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जाना बहुत आवश्यक है।

माननीय सभापति□ महोदय, भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना हेतु इस साल के बजट में 600 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र, वनांचल क्षेत्र में बहुत से पात्र हितग्राहियों का

पंजीयन नहीं हो पाया है, जिसके कारण योजना के लाभ से जरुरतमंद वंचित हो रहे हैं। सरकार को फिर से सर्वे कराकर छूटे हुए पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि मेरा सिहावा विधान सभा क्षेत्र वनों से आच्छादित क्षेत्र है। वहां 90 वन ग्राम हैं। इन वन ग्रामों को वर्ष 2013 में राजस्व ग्राम में परिवतित किया गया है। उन्हें अधिकार पत्र नहीं मिला है। राजस्व ग्राम की सुविधा जो मिलनी चाहिए, उन्हें नहीं मिल पा रही है। वर्ष 2005 के बाद यदि किसी परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है, तो उनके बच्चों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। उनका न तो बटांकन हो रहा है, न नामांतरण हो रहा है, न बंटवारा हो रहा है, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। जिनकी मृत्यु हो गई है, उनकी फौती भी नहीं उठ पा रही है। राजस्व ग्राम का दर्जा सिर्फ कागजों में है, वास्तविकता में नहीं है। माननीय मंत्री जी, यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, इसलिए मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं कि इस ओर ध्यान देने की जरुरत है क्योंकि यदि राजस्व भूमि में 60 हजार हेक्टेयर का अधिकार है और वन ग्राम के हितग्राहियों को 30 हजार हेक्टेयर का अधिकार है, तो ऐसा भेदभाव क्यों? क्योंकि किसान वही हैं, व्यक्ति वही हैं, लेकिन उनके साथ बहुत भेदभाव हो रहा है। भेदभाव यह हो रहा है कि यदि खेती भूमि राजस्व ग्राम की है, तो उन्हें अधिक राशि मिल रही है और वन ग्राम को नहीं मिल पा रही है। इस तरह की स्थिति बनी हुई है। इसमें बहुत भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मांग जमीन के लिए पट्टा नहीं मिल पा रहा है। इसके पूर्व स्व.सुखराम नागे जी के द्वारा 18 गांवों की मांग की गई थी, जो कि मांग पूरी हुई लेकिन उसमें भी 5 गांव अभी भी पट्टे के लिए अछूते बचे हुए हैं। जैसे बोईरनाला, ठेलकाभर्री, उमरादैहान, कुसुमभर्री, कोंदादरहान, भाटखार ये पट्टे की मांग कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपने प्राकृतिक आपदा के लिए सूखाग्रस्त क्षेत्र को राहत देने की बात की है। अभी राहत कार्य तो कुछ चल नही रहा है लेकिन प्राकृतिक आपदा से नदियों में जो कटाव हो रहा है, उससे गांव का भी नुकसान हो रहा है, खेतों का भी नुकसान हो रहा है और खेतों में रेत का पटाव हो जा रहा है इसलिए वहां पर नदी के कटाव को रोकने के लिए भी प्रावधान करना चाहिए। मेरे क्षेत्र में महानदी, पैरी नदी, बालका नदी है, इन नदियों के किनारे-किनारे पूरा कटाव हो गया है, जिससे खेतों में रेत का पटाव हो जा रहा है। रेत पटने की वजह से न उनको मुआवजा मिल पाता है और न ही उनकी खेती हो पाती है। इसलिए कटाव को रोकने के लिये बाढ़ आपदा प्रबंधन में राशि का प्रावधान करके वहां पर तट बंध का निर्माण किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं खेल एवं युवक कल्याण पर बोलना चाहूंगी। आजकल बच्चों को क्रिकेट में बहुत रूचि है। हम खेल के बारे में बहुत बातें करते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगी कि इसके लिये कई जगहों पर स्टेडियम बनाना था, लेकिन बन नहीं पाया है। पिछली सरकार में कई जगहों पर स्टेडियम की घोषणा भी हुई लेकिन वह वापस हो गया। आखिर सरकार किसी की भी हो,

जो विकास के कारण है, वे तो होने चाहिए, उस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। मेरे क्षेत्र में बरबांधा, भंडारवाड़ी और मोहेरा में स्टेडियम की मांग है। माननीय मंत्री जी, वहां स्टेडियम बनाया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अभी हम राजस्व विभाग की बात कर रहे थे। माननीय मंत्री जी, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री हैं। अभी मेरे विधान सभा में मेरे ब्लॉक में तहसीलदार का करीब 4 बार ट्रांसफर हो गया। अनुविभागीय अधिकारी का 4 बार ट्रांसफर हो गया। दो महीना होता नहीं है कि दूसरा एस.डी.एम. आ जाता है, फिर डेढ़ महीना होता नहीं है कि दूसरा एस.डी.एम. आ जाता है। आखिर काम कैसे होगा ? मैं माननीय मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहती हूं कि यदि किसी अधिकारी को रख रहे हैं तो काम अच्छे से हो। आप पटवारियों को मुख्यालय में रहने के निर्देश दीजिये। दूसरा, अधिकारियों को लंबे समय तक न रखे लेकिन काम समय पर होना चाहिए, बार-बार स्थानांतरित करने की वजह से काम में बाधा आती है। मैंने देखा कि अभी चुनाव के पहले कोई और अनुविभागीय अधिकारी आया और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ तुरंत दूसरा अनुविभागीय अधिकारी आ गया। इस तरह से नहीं होना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि आपके अधिकारी पहले तो सोमवार व मंगलवार को मुख्यालय में रहे। वे मुख्यालय में उपस्थित नहीं रहकर कलेक्ट्रेट में टी.एल. की बैठक में चले जाते हैं, जिससे वहां पर किसान और आम जनता भटकते रहती है। उस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। वह सबसे पहले मुख्यालय में रहे, उसके बाद टी.एल. की बैठक में जाये, जिससे क्षेत्र की समस्या का निराकरण हो। मैं समझती हूं कि कलेक्टर के पास भी अधिकारियों की जरूरत रहती है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं कि सबसे पहले जनता का काम होना चाहिए, किसानों का काम होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिये धन्यवाद।

श्री प्रबोध मिंज (लुण्ड्रा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 8, 9, 58 और 43 के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। समय की मर्यादा है, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। चूंकि हम सरकार में हैं, इसलिए हम सब लोग सरकार की उपलब्धियों पर बोलते हैं और विपक्ष उनकी खामियों को निकालता है। सब अपने-अपने समय की बात करते हैं। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा।

सभापति महोदय, यह जो हमारा भू- राजस्व, जिला प्रशासन, मांग संख्या-8 है, इसमें 2,158 करोड़ रूपये का प्रावधान है। यह बहुत बड़ा प्रावधान है। हमारा जो राजस्व विभाग है, वह वास्तव में बहुत फैला हुआ विभाग है और उस विभाग के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं। हमारे मूल रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो भूमियों के पट्टों से संबंधित, भूमि से उनकी जाति प्रमाण पत्र से संबंधित और जो अन्य तमाम चीजें हैं, वह राजस्व विभाग से संबंधित होकर जाता है। जाति प्रमाण पत्र के मामले में भी जो हमारे सेटलमेंट के प्रकरण हैं, ट्राइबलों के लिये उसको आधार माना गया है। दूसरा, जो पिछड़ा वर्ग के लिये हैं, उनके लिए 1984 के सेटलमेंट को आधार माना गया है। मैं इसको राजस्व से जुड़ा हुआ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब तक हम सब लोगों की प्रक्रियाएं वहां से शुरू नहीं होती है, तब तक आपको ग्राम

सभा से, पटवारी से और रेवेन्यू के रिकॉर्ड के आधार पर ही बहुत सारी चीजों के लिये आगे करना पड़ता है। राजस्व प्रकरणों की जो प्रक्रिया है और राजस्व के संबंध में जो हमारी स्वामित्व योजना चल रही है, हमारे लोगों को उस योजना का बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। उनको स्वामित्व योजना में लक्ष्य से ज्यादा जमीनों का अधिकार भी दे दिया गया है लेकिन इसको और बढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्रों तक और अंदरूनी क्षेत्रों तक भी जाने की जरूरत है। हमारे बहुत सारे जो वन क्षेत्र हैं और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, जहां उनका कोई आधार नहीं मिल पाता। इस पर मेरा माननीय मंत्री जी से यह आग्रह है कि उसको व्यवस्थित करने की जरूरत है और रिकॉर्ड सेटलमेंट करने के लिए जहां-जहां यह छूटे हुए हैं, उस पर कार्य करना है। दूसरा, मांग संख्या-9 में राजस्व विभाग से संबंधित व्यय के लिए छब्बीस करोड़, उन्चास लाख, पैसठ हजार रूपये रखा गया है। चूंकि यह दोनों एक ही विषय से संबंधित हैं। पिछला जो बजट था, उससे इस बार का बजट बढ़कर है। हम सब लोगों ने जिस सुधार की शुरूआत की है इसमें जैसे स्वामित्व योजना है और आबादी भूमियों का गृह स्वामियों को अभिलेख वगैरह उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी तरह से बैंक लोन वगैरह लेने के लिए हम लोगों के लिए आधार बन रहा है तो इस दिशा में जितने लोग छूटे हुए हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से यह आग्रह है कि इस पर और तेजी से ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर, जो घास जमीन है, आबादी भूमि है और शहरी क्षेत्रों में जो नजूल भूमि हैं, जल्द से जल्द उन सब को व्यवस्थित करें ताकि राजस्व में लोगों को भूमियों का सुधार है और जो भूमि के प्रकरण चल रहे हैं, उनको आगे का लाभ मिल सके। हमारे बीच में भूराजस्व से संबंधित कार्यालय वगैरह होते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अपने क्षेत्र की थोड़ी सी मांग के बारे में बताना चाहूंगा। उस समय कांग्रेस पार्टी के शासन के समय शहरी क्षेत्रों में 152 प्रतिशत में नजूल भूमियों का पट्टा दिया जाता था। उसमें बहुत सारी चीजें होती थीं। चूंकि उस समय मौके पर जो स्थितियां बनती थी। तब बहुत सारे घूमा फिराकर केवल रिकॉर्ड बनाकर, सब चीज करके, उनको पट्टा देने का काम भी हुआ और ऐसे बहुत सारे प्रकरण हुए। जो वास्तव में जरूरतमंद लोग थे, जो गरीब लोग थे वह शहरी क्षेत्रों में 152 प्रतिशत में नजूल भूमियों का पट्टा लेने से वंचित रह गये थे। क्योंकि उनके पास पैसे की कमी रही है और उस 152 प्रतिशत में उन्हीं लोगों ने लाभ लिया जो बड़े लोग थे और जिनकी जमीनें सड़क से लगी हुई थीं और जिनके पास व्यवसायिक मामला था। कांग्रेस पार्टी के शासन के समय उन सारे लोगों को 152 प्रतिशत में लाभ दिया गया। उस समय कई तरह से उसका दुरूपयोग भी हुआ है। आने वाले समय में हमारे शहरी क्षेत्रों में नजूल भूमियां हैं, उनको गरीब लोगों को भले टुकड़ों, स्क्वायर फीट में देना पड़े, उनको कम दर पर उपलब्ध कराने से शहरी क्षेत्रों में नजूल भूमियों पर बसे हुए लोग हैं, उन सारे लोगों को प्रधान मंत्री आवास योजना से वह अपने स्वयं के भवन बनाकर, उनको राहत मिलेगी। इसी तरह से इस विभाग से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा कि मेरे लुण्ड्रा क्षेत्र में एस.डी.एम. कार्यालय संचालित है, लेकिन आज तक उसका भवन नहीं बना है। उसके लिए बजट में भी प्रावधान था, परन्तु

उसकी स्वीकृति नहीं हो पायी है। हमारा रघुनाथपुर क्षेत्र है वहां पर उप तहसील कार्यालय चलता है, कुन्नी क्षेत्र में उप तहसील कार्यालय है, लेकिन भवनविहीन है, वहां पर भवन नहीं होने के कारण तहसीलदार बैठ नहीं पा रहे हैं। वहां पर कार्यालय विस्थापित नहीं हो पा रहा है। कभी कोई तहसीलदार दो दिन, तीन दिन के लिए जा रहा है तो वहां ऐसे उप तहसील खोलने का ग्रामीणों को कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिल पा रहा है उनको दूर-दूर तक जाना पड़ता है। उनके घरों तक जाना पड़ता है तो जहां-जहां पर कार्यालयों के भवन नहीं बन पाये हैं, वहां भी जल्द से जल्द उनके लिए भी समुचित भवन बनाने का कष्ट करेंगे। लखनपुर ब्लॉक में एक जमगमा गांव है उसके राजस्व का नक्शा ही नहीं है। वहां कोई नक्शा उपलब्ध नहीं होने के कारण आपस में जमीनों का बहुत भारी विवाद हो रहा है। ऐसे और भी क्षेत्र होंगे जहां नक्शे गायब है। मध्यप्रदेश से अलग होने के बाद जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो मध्यप्रदेश के ग्वालियर में जो छत्तीसगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड रखे जाते थे चूंकि हम बंटवारा होने के बाद छत्तीसगढ़ में आ गये तो वहां ग्वालियर भू अभिलेख कार्यालय में बहुत सारे रिकॉर्ड और मूल प्रतियां जमा है, जो हमारे स्टेट का जमा रहता था। वहां से ऐसी भूमियां जिनका नक्शा उपलब्ध नहीं है उनका भी वहां से समन्वय बनाकर, नक्शा उपलब्ध करायें जिससे जो चीजें छूट गई हैं हमारे ग्रामीणों को जो तकलीफ है, राजस्व नक्शे से उसका बंटवारा, बाकी चीजों, नापजोख में मदद मिलेगी। मेरा आग्रह यह है कि ऐसे जो क्षेत्र हैं जहां नक्शा उपलब्ध नहीं है उसके लिए भी पहल करके, उसको उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे। मांग संख्या- 58 में प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय के लिए एक हजार पांच सौ बावन करोड़, उनहत्तर लाख उनचालीस हजार रूपये की व्यवस्था रखी गयी है। लेकिन मैं, आपसे यह कहना चाहूंगा कि यह व्यवस्था तो बहुत अच्छी है। यह एक हजार पांच सौ बावन करोड़ की योजना है, लेकिन छोटी-छोटी चीजों में ग्रामीण क्षेत्रों में जो भूमियों के कटाव होते हैं, नदियों का हर बरसात में बार-बार क्षेत्र को काटते हैं, ऐसे कोई क्षेत्रों को चिन्हांकन करके उन ऐसे क्षेत्रों को भी आने वाले समय के लिए यदि हम तटबंध का निर्माण कर दें और अन्य चीजें करें तो उससे कटाव रूकेगा तो भूमियों का बचाव होगा, ऐसी प्राकृतिक आपदाओं की चीजों को भी करें। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रदेश की कमेटी की बैठकें नहीं हो पा रही हैं। उन बैठकों में जिला प्रशासन से सारी चीजों के प्रकरण आते हैं, वैसे प्रकरणों को भी जल्दी से जल्दी निपटारा करके क्षेत्र में वापस भेजें ताकि उन पर काम हो सके। सभापति महोदय, करोड़ों रुपये की बहुत बड़ी धनराशि आपदा राहत में शासन स्तर पर कई वर्षों से पड़ी है जिसका अभी तक क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, वह राशि का उपयोग क्षेत्र में नहीं हो पा रहा है। उसके लिए भी आग्रह है कि इनको वहां तक पहुंचायें।

माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 43 में खेल एवं युवक कल्याण में 152 करोड़ 43 लाख रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है। हमारे माननीय सदस्य अजय चन्द्राकर जी ने बहुत विस्तृत रूप से खेल विभाग में चर्चा की है और बहुत सारी चीजों पर सुझाव भी रखा है। मैं उनसे सहमत भी हूं। खेल के

विषय में मैं बताना चाहूंगा कि हमारे सरगुजा जिले में भी खेल में ट्राईवल बच्चे बहुत आगे तक निकलते हैं। चूंकि मैं भी खेल प्रेमी हूं, फुटबाल से बहुत जुड़ा रहा हूं और अभी भी जिला फुटबाल संघ का अध्यक्ष भी हूं। सरगुजा अडानी फुटबाल एकेडमी बनी है जो लगातार 8-9 वर्षों से संचालित हो रही थी। अडानी की सरगुजा जिले में कोल माईन्स है, सी.एस.आर. मद में वह 40 लाख रुपये पैसा उपलब्ध कराती थी, जिससे 9, 10, 15 साल के हर साल 50 बच्चों का सलेक्शन पूरे सरगुजा संभाग से करके उन बच्चों को ट्रेनिंग देकर, लोकल स्तर पर सब सुविधायें देकर 40 लाख रुपये से उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग देकर तैयारी कराई जा रही थी। उसका परिणाम यह था सरगुजा के ट्राईवल बच्चे ईरान तक में जूनियर इंडिया टीम से खेले। अंडर 16 की टीम जूनियर इंडिया से एक बच्चा बाल साय, एक बच्चा डेनमार्क में जाकर खेला। यह उपलब्धि वहां तक पहुंची। संतोष ट्रॉफी जो बड़ी टॉफी होती है, छत्तीसगढ़ की टीम से सरगुजा जिले के 8-10 बच्चे उस एकेडमी से जाकर खेलते रहे हैं। लेकिन कोरोना में बंद होने के बाद वह एकेडमी लगभग शिथिल हो गई। जो पैसा अडानी से सी.एस.आर. मद में मिलता था, वह मिलना बंद हो गया है, वह पैसा नहीं दे रहे हैं। उसके चलते हमारा फुटबाल का क्षेत्र आगे बढ़ रहा था, वह रूक गया है। मैं आग्रह करूंगा कि इतनी बड़ी धनराशि जो छोटे से खेल के लिए मिलती थी, उसको जरूर उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे। कांग्रेस के समय में जो छोटे-छोटे खेल के आयोजन होते थे, चाहे वह लट्टू चलाने का, कबड्डी का, गेड़ी चढ़ने का हो, इस तरह के जो कार्यक्रम चलाये गये और पैसों को जो स्वार्थपूर्ण बंटवारा हुआ। युवा संघ बनाकर हर साल 1-1 लाख रुपये देकर आयोजन किये जाते थे, वह केवल दिखावा के लिए होता था। उससे कोई बच्चे आगे नहीं बढ़ पाये। खेल के माध्यम से क्षेत्र में बच्चे बहुत सारे नशा करने से बचते हैं। जिनकी रूचि खेल के प्रति हो जाती है, निश्चित रूप से वह लोग दूसरे नशा की तरफ से बचते हैं। ऐसा सरगुजा में भी पूरे क्षेत्र में खेल का बहुत अच्छा वातावरण है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि खेल और युवा कल्याण विभाग में 152 करोड़ 43 लाख रुपये का जो बजट में प्रावधान रखा गया है, उससे ग्रामीण क्षेत्र में भी छोटे-छोटे खेल के मैदान, फुटबाल, कबड्डी के मैदान छोटे-छोटे ग्रामीण क्षेत्रों के आधार पर इंडोर स्टेडियम जैसी थोड़ी व्यवस्था करके उस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ताकि कबड्डी, खोखो, बैडमिंटन, फुटबाल, हॉकी छोटे-छोटे खेल ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, उसका एक इन्फ्रॉस्ट्रक्चर हम सबको ग्रामीण क्षेत्र तक मिलेगा तो बच्चे वहां से निकलकर निश्चित रूप से खेल के माध्यम से भी आगे नौकरियों की तरफ बढ़ेंगे और खेल के माध्यम से अपना जीविकापार्जन भी अच्छे से करेंगे और साथ ही छत्तीसगढ़ का नाम भी रोशन करेंगे। मांग संख्या 8, 9, 58 और 43 का समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी से एक चीज और आग्रह करना चाहूंगा बिलासपुर से अंबिकापुर रोड है, कटघोरा तक फोरलेन सड़क है, कटघोरा के बाद टू लेन सड़क है। लेकिन उसमें कटघोरा के पास जो बाईपास सड़क है, वह सड़क केवल वहीं कटघोरा के पास बची हुई है और शायद वह कुछ राजस्व प्रकरण के चलते रूका हुआ है । उसके चलते पूरे शहर के बीच से पूरा हेवी ट्रैफिक का, चूंकि हम सभी लोगों का

आवागमन होता है । सरगुजा क्षेत्र के लोग हैं, तमाम उधर बैकुंठपुर क्षेत्र के लोग हैं, उधर सरगुजा संभाग के लोगों को जाना होता है उससे समय बहुत लग जा रहा है इसलिये उस प्रकरण को तत्काल जल्दी से जल्दी ठीक करके मुआवजे का कुछ प्रकरण है उसको ठीक करा दें ताकि हम सबको आवागमन में सुविधा होगी। मैं मांग संख्या - 8, 9, 58, 43 के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ था, मैं इसका समर्थन करता हूं । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय प्रदान किया इसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुण्डरदेही) :- माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या- 8, 9, 58, 43 के विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

माननीय सभापति महोदय, राजस्व । यह ऐसा विभाग है चूंकि प्रत्येक व्यक्ति को कहीं न कहीं राजस्व विभाग से काम पड़ता है । चाहे वह नामांकन हो, बंटावारा हो, सीमांकन हो या अन्य राजस्व के जितने भी काम हों लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम धरातल पर काम कराने के लिये जाते हैं तो स्थानीय स्तर पर काम की जरूरत पड़ती है तो गांव के लोगों को सबसे ज्यादा पटवारी की जरूरत पड़ती है लेकिन वर्तमान समय में हम देखते हैं कि एक-एक पटवारी के पास 2-2, 3-3 हल्का है । काम का बोझ यानी यदि वह सुबह से शाम तक भी काम करना चाहे तो 1 या 2 गांव को ही दे पाते हैं उसके बाद लगभग 10 से 12 गांव, 16 गांव, 18 गांव उसके अधीन रहते हैं वह नहीं हो पाता है । हम परिस्थिति देखते हैं कि अपने सहायक के रूप में हर हल्का नंबर में 2-2 कम्प्यूटर ऑपरेटर की तरह रखे रहते हैं और वह पटवारी से कहीं ज्यादा प्रभावशाली या पॉवरफुल । वह कह दे, वही काम होता है । माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा में ऐसे 2-3 गांव हैं । मैं स्वयं गया था फिर मैंने अचानक टेबल को देखा तो दर की सूची टंगी थी । नामांकन का इतना, बंटवारा का इतना, फौती का इतना, सीमांकन का इतना । मैं टेबल से खींचकर लाया, उस समय जो भी तत्कालीन अधिकारी थे उनसे मैंने कहा तो फिर उसको तुरंत वहां से हटाया गया । यानी एक तय होता है, जो उनके निजी कम्प्यूटर ऑपरेटर रहते हैं वह दर निर्धारित करता है और उसके आधार पर वह सारे काम होते हैं ।

माननीय सभापति महोदय, राजस्व विभाग में वर्ष 2024-25 में मूल बजट 3571 करोड़ 74 लाख 82 हजार रूपये था । आपने पिछले बजट में दो बातें कही थीं। एक तो पहली बात यह है कि प्रदेश के समस्त तहसील कार्यालय हेतु कम्प्यूटर सहउपकरण क्रय कर व्यवस्था को ऑनलाईन किया जायेगा । एक साल में कितने तहसील में यह व्यवस्था और खासकर मैं यह पूछना चाहूंगा कि जो सुदूर अंचल हैं, बस्तर और सरगुजा में कितने कर पाये हैं ? आप जरूर इसका एक आंकड़ा बता देंगे।

माननीय सभापति महोदय, आपने दूसरी बात कही थी कि समस्त राजस्व ग्रामों के नक्शे को जिओ रिफ्रेशिंग किया जायेगा, वह करने की बात की गयी थी । आज भी गरीब किसान या छोटे-छोटे

लघु भूमि स्वामी जिनमें से किसी के पास 25 डिसमिल, किसी के पास 50 डिसमिल हो गया तो बहुत एकड़ जमीन वाले हो गये । यदि वह अपनी जरूरत के लिये जमीन का क्रय करना चाहते हैं, वह विक्रय करने के लिये जाता है तो जिओ रिफ्रेशिंग सिस्टम ही नहीं मिलता और यदि कोई जमीन दलाल वहीं पर उसी कागज को लेकर पहुंच जाता है तो तुरंत वह काम हो जाता है, सेटिंग तो यह सेटिंग का काम जमीन के दलाल करते हैं ।

समय :

7.14 बजे

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मुझे इसी में एक बात कहनी थी कि अभी आचार-संहिता लगी । उसके बाद बहुत से गांव में सब जगह जो अवैध घेराव हो गया है, घर बन गये हैं उसको तुरंत कुछ कार्रवाई करके तोड़वा दीजिये क्योंकि वह धीरे-धीरे 1 साल, 2 साल होता है फिर उसको तोड़ने में बहुत परेशानी आती है और फिर वे दौड़कर जनप्रतिनिधि के पास आते हैं । माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इसको थोड़ा सा करवा देंगे ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, यह प्रथा जरूर बंद होनी चाहिए । मैं राजस्व विभाग के बजट में देख रहा था। अगर कोई उल्लेखनीय कार्य की बात करें तो पिछले बजट में जो घोषित कार्यक्रम थे, उसे पुनः बढ़ाया गया है। हर विभाग में वित्त मंत्री जी ने ई-गवर्नेंस पर जोर दिया है, लेकिन राजस्व विभाग में क्यों कम ध्यान दिये हैं, यह समझ से परे है। इस बार राजस्व विभाग के इस साल के बजट में यदि हम देखें तो कोई खास वृद्धि नहीं हुई, न ही अपेक्षा की गई है। 3,832 करोड़ रूपये से अधिक का बजट है। अगर इसमें पूंजीगत खर्च देखें तो मात्र 551 करोड़ रूपये है। प्रदेश में नए जिले, तहसील और तहसीलों का ढांचा अगर तैयार करना है तो इतनी कम राशि में हम कैसे कर पाएंगे? ये भी एक सोचने की बात है। राजस्व के बहुत से ऐसे प्रकरण जो ग्रामीण स्तर पर होते हैं, चाहे अवैध लकड़ी की कटाई का हो या अन्य चीजों का हो, मैं आपके माध्यम से एक उदाहरण देना चाहूंगा। मेरे यहां ग्राम भूसरेंगा है, वहां अवैध लकड़ी की बात आती है, कटाई की शिकायत होती है। अवैध लकड़ी की 7 ट्राली जब्त की जाती है। मालिक की पहचान होती है, उससे 5000 रूपये का रूपया जुर्माना वसूल किया जाता है और वह लकड़ी सरपंच को सुपुर्द कर दिया जाता है। कुछ दिन बाद अनावेदक को वह लकड़ी सुपुर्द करने का आदेश किया जाता है। वह घास भूमि की लकड़ी की उसने अवैध रूप से कटाई की और उसको ही रखने का आदेश कर दिया जाता है। फिर सरपंच आवेदन लगाता है तो वही एस.डी.एम. के द्वारा फिर उसी सरपंच को उस लकड़ी को नीलाम करने का आदेश कर दिया जाता है तो दो-दो विसंगति है। एक तरफ आप उस अनावेदक को लकड़ी को रखने का, अपने पास ले जाने की अनुमति देते हैं और जैसे ही एस.डी.एम. का ट्रांसफर होता है, उसके 1 दिन पहले उस व्यक्ति को एक नया आदेश दे

दिया जाता है। ये भूसरेंगा का मामला है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसे जरूर संज्ञान में लें। क्योंकि अवैध कटाई का मामला है। जिसमें 5 नग फलदार आम के वृक्ष भी कटे थे और बगैर स्वीकृति के और बगैर परमिशन के कटे थे, क्योंकि घास जमीन है, घास जमीन के पेड़ काटे गये थे तो अवैध रूप से वृक्षों की कटाई हुई थी। हम देखते हैं जब कोई मंदिर या मठ की जमीन होती है, उसका सर्वकारा मेरे ख्याल से उस स्थानीय जिले का कलेक्टर होता है। मेरे यहां बालोद जिले में और मैं स्वयं अपने गृह नगर अर्जुंदा की बात करूं तो सैकड़ों एकड़ जमीन राम मंदिर के नाम से है। पूर्व में भी मैं पिछले विधान सभा सत्र में विषय लगाया था, उसका मुझे संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं आया था। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, वह सैकड़ों एकड़ जमीन जो राम मंदिर के नाम से है, आज राम मंदिर की दीवारें टूट गईं, उसे बनाने वाला कोई नहीं, लेकिन उसके नाम से जो जमीन है, उसमें अवैध रूप से कॉम्प्लेक्स बनाकर वहां के मंदिर के पुजारी के द्वारा व्यापार किया जा रहा है। लगभग 130 से 135 एकड़ जमीन है, उसका कोई ठिकाना नहीं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये सैकड़ों एकड़ जो जमीन मंदिर के नाम से है, उसे स्थानीय कलेक्टर जो सर्वकारा हैं, उनके माध्यम से इस पर जरूर ध्यान दें और उसकी जो उपज हो रही है, वह किसके खाते में जा रहा है? उसका सम्पूर्ण देख-रेख कौन कर है? उसकी राशि का उपयोग कैसे हो रहा है और अगर वह पैसा है तो कहां है? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जितनी वहां स्थानीय जमीन हैं, उसमें पूरा कॉम्प्लेक्स बनकर अवैध व्यापार किया जा रहा है और उसकी कोई परमिशन नहीं है। नगर पंचायत से एक भी परमिशन नहीं है। उसके बाद भी ये परिस्थिति वहां पर चल रही है। हमने अभी गिरदावरी के समय देखा। धान खरीदी के समय गिरदावरी हुई। गिरदावरी एक बार हो चुकी थी। आपके ही सरकारी कर्मचारियों ने गिरदावरी किया था। आपके ही कर्मचारी, अधिकारी पर आपको भरोसा नहीं है कि आपने दूसरे विभाग के कर्मचारी, अधिकारी को लगाकर आपने गिरदावरी की। हमारी सदस्य महोदया कह रही थीं। निश्चित ही यह बड़ी विडंबना है कि गांव में लोग घास जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। बनाने दीजिए करके किसी राजनीतिक व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं, किसी नेता के पास पहुंच जाते हैं, किसी अधिकारी के पास पहुंच जाते हैं। अब बेचारे के पास कुछ नहीं है। कहीं थोड़ी सी ताकत या बल मिलता है तो उसमें निर्माण कार्य चालू कर देता है। साल भर के बाद उसे तोड़ने का आदेश हो जाता है। तो उनके पास दो-दो परिस्थितियां हैं। एक तो ले देकर पैसा इकट्ठा करके उसमें रहने के लिए बनाता है या किसी व्यापार के लिए बनाता है । हम चाहते हैं कि उसको निर्माण के पहले ही रोक दिया जाए ताकि उसके धन की बर्बादी न हो । अमूमन ऐसा हर गांव में देखने को मिलता है । इस काम पर रोक लगनी चाहिए । सभापति जी, एक बड़ा प्रकरण मेरे गुंडरदेही विधान सभा क्षेत्र के प्रॉपर गुंडरदेही में बहुत से ऐसे लोग हैं, तालाब के किनारे राजा की जमीन, आधे उस पार रह रहे हैं, वह भी राजा की जमीन है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वो आदिवासी जमीन है, वहां पर लोग लगभग 30-

40 सालों से घर बनाकर निवास कर रहे हैं और उन्हें चुनाव के समय आश्वासन भी दिया गया है कि यह जमीन हम आपको दे देंगे । मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो लोग वहां निवास कर रहे हैं, घर बनाकर 30 साल, 40 साल से रह रहे हैं । उन्हें एक कागज दे दिया गया है कि यह जमीन आपकी है लेकिन जब वे किसी चीज के लिए आवेदन लगाते हैं, पीएम आवास के लिए लगाते हैं तो सीधा सीधा बोल दिया जाता है कि यह जमीन आपके नाम पर नहीं है, रजिस्ट्री आपके नाम पर नहीं है, आपको आवास की सुविधा नहीं है, जबकि 30-35 सालों से वे वहां रहे हैं, मकान टैक्स पटा रहे हैं, बिजली का बिल पटा रहे हैं, जल कर पटा रहा है, सब कर रहा है । ऐसी स्थिति में उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, उसका एक बार परीक्षण जरूर करवा लीजिए । वहां जो स्थानीय हैं, जिनकी जमीन है, उनके साथ बैठकर तालमेल बनाएं, बीच का एक रास्ता निकालें जिससे सैकड़ों परिवार जो वहां निवास कर रहे हैं, उनके कम से कम वह जमीन मिले और निश्चिंत और निर्विवाद रूप से वे अपने परिवार के साथ बगैर डर के रह सकें । मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं ।

सभापति महोदय :- निषाद जी 10 मिनट से ज्यादा हो गया है, संक्षेप करिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- नहीं हुआ है, 7 मिनट हुआ है, मैं यहां से देख रहा हूं, गिन रहा हूं । सभापति जी, राजस्व प्रकरण में बंदोबस्ती में जो गड़बड़ियां हुई हैं । चकबंदी के समय एक बड़ी त्रुटि हुई है । वह चकबंदी 1932-33 की आज भी चल रही है और जब हमने बंदोबस्ती त्रुटि सुधार के लिए एक निवेदन मैंने आपको भी दिया है कि 1983-84 में जो बंदोबस्त हुआ था, स्पेसीफिक मोंहदीपाट ग्राम का बता रहा हूं । एक नम्बर के कारण अव्यवस्थाएं होती हैं लोग समझ नहीं पा रहे हैं, काबिज जरूर हैं। लेकिन कभी ये नम्बर उसमें में दिखाता है, वो नम्बर इसके में दिखाता है । ऐसे जो ग्राम हैं, उनकी बंदोबस्त त्रुटि को सुधारकर वहां के लोगों को सहुलियत दी जाए । मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा, मेरी कुछ मांगें हैं, तहसील मुख्यालय अर्जुन्दा जिला बालोद में मैंने नवीन राजस्व अनुभाग की मांग की है । बजट में नहीं आ पाया, मैं आपके माध्यम से भी निवेदन करता हूं कि तहसील अर्जुन्दा अंतर्गत 66 ग्राम और तहसील मार्रीबंगला देवरी के अंतर्गत 96 ग्राम, अर्जुन्दा के 66 ग्राम के लोगों को गुंडरदेही जाना पड़ता है, तहसील मार्रीबंगला देवरी के लोगों को लोहारा जाना पड़ता है । यदि एक अलग से राजस्व अनुभाग बन जाए तो लगभग 152 ग्राम के लोगों को एक नया राजस्व अनुभाग मिलेगा, नागरिकों को सुविधा होगी तथा प्रशासनिक कार्यों में कसावट के साथ सुगमता होगी । सभापति महोदय, तहसील कार्यालय अर्जुंदा में बढ़िया भवन बना और सारी चीजें हैं लेकिन वहां स्टाफ के रहने के लिए क्वार्टर नहीं है और तहसील बड़ा कार्यालय है, इसलिए सुविधा की दृष्टि से वहां एक अहाता का निर्माण हो जाए, यह मांग मैं माननीय मंत्री जी से करता हूं । अर्जुंदा तहसील में लिंक कोर्ट तो चल रहा है लेकिन 96 ग्राम जो मार्रीबंगला देवरी से आते हैं, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां

भी एक लिंक कोर्ट प्रारंभ कर दें, वहां अनुभाग अधिकारी बैठें । पिछले समय मैंने आपसे मांग की थी और आपने आश्वासन दिया था लेकिन अभी तक लिंक कोर्ट की सुविधा वहां संचालित नहीं है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करता हूं । कुछ राज्य आपदा नवीनीकरण से निर्माण कार्य, छोटे-छोटे पुल पुलिया की मांग थी । मैं आपक माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि ग्राम चेंदरीबन नवागांव में पुलिया निर्माण, ग्राम पसौद में पुलिया निर्माण, कुलसुंदरी में पुलिया निर्माण, रेंगाकठेरा में पुलिया निर्माण, रेंगाकठेरा में पुलिया निर्माण, ग्राम कांदुल में पुलिया निर्माण की मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से खेल के संबंध में थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा। अभी खेल के संबंध में बड़ी-बड़ी बात कर रहे थे, माननीय राजस्व मंत्री जी के पास खेल विभाग भी है। मैंने पूर्व में खेल मंत्री जी से आग्रह किया था, चाहे वह कबड्डी के लिये हो, चाहे वह वेटलिफ्टिंग के लिए हो, आपने आश्वासन भी दिया है, मैं उसके प्रति आशान्वित हूं लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आपने वित्तीय वर्ष 2024 में 104 करोड़ 48 लाख का प्रावधान रखा था, मुझे नहीं लगता कि एक वर्ष में कहीं पर भी कोई उल्लेखनीय कार्य या कोई चीज हुई होगी जिसके माध्यम से हम अपनी पीठ थपथपा सकें। आपने खेल प्राधिकरण के गठन की बात थी, घोषणा भी हुई थी लेकिन अभी तक प्राधिकरण का गठन नहीं हुआ है, अगर हो गया होगा तो बता दें कि ऑफिस कहां हैं, उनके अध्यक्ष कौन हैं, उनके CEO कौन है ?

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, हमर सीनियर मन दू झन दल बदल वाला हो गे हे। (हंसी)

सभापति महोदय :- निषाद जी, समाप्त करिए।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, बस्तर ओलंपिक की बड़ी-बड़ी बात हो रही थी। आपने बस्तर ओलंपिक की लेकिन आयोजन का उद्देश्य क्या था ? स्थान के चयन का मापदंड क्या था ? मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता हूं, सिर्फ इतना सुना था, देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी कार्यक्रम में आए थे, हमारे किसी सदस्य ने प्रश्न में पूछा था और जानकारी में पता चला है कि उस आयोजन में 7-8 करोड़ रूपए खर्च हुए थे, खिलाड़ियों को जितना लाभ मिलना चाहिए था, उतना लाभ नहीं मिला, उससे कहीं ज्यादा फूलमाला मोमेंटों में खर्च कर दिया गया।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, पिछले पांच साल छत्तीसगढ़िया छद्म छत्तीसगढ़िया वाद के नाम पर खेल में क्या हुआ, उसको भी आप बताईए न, आपने उसमें कितना करोड़ बर्बाद किया।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, वह हमारी संस्कृति थी, हम लोगों ने पुन: संचालित करने का प्रयास किया था, आपने इस बजट में 152 करोड़ 43 लाख 10 हजार का प्रावधान रखा है। जांजगीर जिला में मलखंभ का एक बड़ा खेल होता है, जांजगीर जिला के पामगढ़ ब्लाक में अभी लगभग 220 पंजीकृत खिलाड़ी हैं और पूरे प्रदेश में लगभग 4 हजार खिलाड़ियों की संख्या है।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, उसी मलखंभ के एसोसिएशन ने पिछले पांच साल तक मान्यता नहीं दी, ये भी बताईए न।

श्री रामकुमार यादव :- पूरा घोटाला करके बैठे हो, अभी तुंहर खेला का होथे तेला देखव।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैं बता रहा हूं न। ये खिलाड़ी लकड़ी के खंजा रस्सी पर समूह में एक या एक करके योग आसन क्रियाशील की गतिविधियां करते हैं। इससे शारीरिक विकास एवं मानसिक संतुलन बेहतर होता है। यदि इस खेल के प्रति हमारी सोच अच्छी होगी तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा क्योंकि इन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर 52 मेडल एवं राज्य स्तर पर 180 मेडल जीते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल हुए थे, उसमें पामगढ़ के बच्चों ने अपने खेल का जौहर दिखाया था, उन्हें भी इनका लाभ मिलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय खेल मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मलखंभ खेल के लिए भी इस बजट में कोई प्रावधान रखे। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, आखिरी वक्ता बोलेंगे, उसके पहले मैं बोल लेता हूं।

सभापति महोदय :- संक्षेप में बोलिए।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- सभापति महोदय, बिल्कुल संक्षेप में बोलूंगा। मैं हमारे बहुत ही विविध आयामी व्यक्तित्व के धनी राजस्व मंत्री जी के मांग का समर्थन करता हूं और उनका स्वागत भी करता हूं। मैंने पिछले बजट सत्र में उप तहसील की मांग की थी, उसको उन्होंने स्वीकृति प्रदान करके 25 गांवों के लोगों को राहत देने का काम किया है, उसके लिए बहुत-बहुत बधाई, अभी कुछ दिन पहले ही वह स्वीकृत हुआ है। मैं आसंदी में बैठ करके अभी यहां भाषण सुन रहा था, वे पटवारी का रेट लिस्ट वगैरह बता रहे थे कि पटवारी का रेट लिस्ट टंगा है। सभापति महोदय, इसी सदन में पिछली सरकार में एक कांग्रेस के विधायक थे, जो गृहमंत्री के साथ एक थाने के उद्घाटन में गए थे। वहां पर उन्होंने सार्वजनिक रूप से भाषण दिया कि आप यहां पर बोर्ड टांग दीजिए कि सिविल लाइन थाने का क्या रेट है ? सिटी कोतवाली का क्या रेट है ? इस तरीके से उन्होंने वहां पर रेट लिस्ट पूछा और सीधे-सीधे उन्होंने अपनी सरकार के पुलिस विभाग के ऊपर आरोप लगाया। इस तरीके से आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह बात सही है कि कहीं-कहीं बहुत कमियां व खामियां हैं। लेकिन हमको उसको रोकने का प्रयास करना है। उसके लिए बहुत सी agencies काम कर रही हैं, लेकिन किसी को रेट लिस्ट टंगा है, करके अपमानित नहीं करना चाहिए। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से 2-3 बातें कहकर अपनी बात खत्म कर दूंगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- सभापति महोदय, उनकी वस्तुस्थिति वैसी थी तो क्या करेंगे ? सबके पीछे तो रेट लिस्ट तय था।

श्री धर्मजीत सिंह :- हां, उनको वही दिख रहा था।

श्री केदार कश्यप :- पूरी जमीन बेच दी, पूरा शराब माफिया, सारा माफिया राज ही तो था।

श्री धर्मजीत सिंह :- सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। जब आदमी सावन में अंधा होता है तो वह जिंदगी भर हरा-हरा देखा रहता है तो उसको हरा-हरा दिखता है।

श्री रामकुमार यादव :- ता डेढ़ साल मा तुमन काए कर डारे हव ? डेढ़ साल मा रेट हा दुगुना बढ़ गे। चार नग घाघर अउ बारह नग पुदगउनी।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, मैं सबकी बात कह रहा हूं।

श्री केदार कश्यप :- सभापति महोदय, इनका वही वाला मामला है, जिसमें जमीन के ही मामले में उनके पास नोट वाला मामला है। वही वाला मामला है, न?

श्री सुशांत शुक्ला :- हां, नोट वाला है। मुआवजे में बांस-बल्ली दिखाकर गेस्ट हाऊस में नोट मंगवा लिया था। वही वाला मामला है।

श्री रामकुमार यादव :- आन देओ-आन देओ, समय आन देओ। काखर-काखर कर माल-पानी हे, सब ला मैं जानत हो।

सभापति महोदय :- चलिये, रामकुमार जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, यह छोटे झाड़ व बड़े झाड़ के जंगल का रिकॉर्ड विकास में सबसे बड़ा अवरोध पैदा करता है। क्या है कि कहीं पर कुछ बनाना है तो पटवारी साहब लिखता है कि छोटे झाड़ व बड़े झाड़ का रिकॉर्ड है। आप यह बताइये कि उसको कैसे ठीक कर सकते हैं ? वहां तो तिनका भी नहीं है, घास भी नहीं है, परंतु कोई छोटे झाड़ व बड़े झाड़ का जंगल बनवाना चाहे तो कुछ बनवा नहीं सकते हैं। किसी को खेल मैदान बनवाना है तो वह नहीं बनवा सकते हैं। यदि सड़क निकालनी है तो वह नहीं निकाल सकते हैं। आप हमको इसका रास्ता पूछकर बताइये। रास्ता पूछे हैं, वह आगे-पीछे तो बैठे हैं। आप रास्ता निकालिये। वन विभाग और रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट मिलकर यदि सेन्ट्रल गवर्नमेंट से भी बात करनी हो तो इसको ठीक करवाइये। इस छोटे झाड़ व बड़े झाड़ के कारण हम बहुत परेशान हैं। जब छोटे झाड़ व बड़े झाड़ का रिकॉर्ड आता है तो मैं थर-थर कांप जाता हूं।

सभापति महोदय, दूसरा, जितने पटवारी हैं, उनके लिए मैं आपको एक सरल उपाय बता रहा हूं। मान लीजिए कि फला A तहसील में जितने पटवारी हैं, उनको आप B तहसील में भेज दीजिये और B तहसील के पटवारी को C तहसील और C तहसील के पटवारी को D तहसील और D तहसील वाले को E तहसील में भेज दीजिये। इससे सब व्यवस्था ठीक हो जायेगी। कोई इस नेता का, कोई उस नेता का, कोई उस अधिकारी का, कोई उस अधिकारी के सब प्रिय पात्र लोग हैं। आप बेरहमी से इसकी सर्जरी कर दीजिए कि जो जिस ब्लॉक में है, वह उस ब्लॉक में नहीं रहेगा। जो जिस तहसील में है, वह वहां नहीं रहेगा। आप उनको A to Z उठाकर दूसरी जगह ट्रांसफर कर दीजिए। इससे आधी समस्या हल हो जाएगी। उसको लंद-फंद करने में भी बहुत समय लगेगा। आप उनकी सेवा दूसरी जगह लीजिए। मैं रेवेन्यू

के बारे में ज्यादा जानता नहीं हूं। मैं आपसे 2-3 बातें बोलूंगा। यह कच्चा प्लाटिंग व पक्का प्लाटिंग बहुत होता है। मैं आज तक इसको समझ नहीं पाया हूं। आप इसमें जरा सा रोक लगवाइये। इस नेता का फोन आ जाता है, इस अधिकारी का फोन आ जाता है, इस विधायक का फोन आ गया, कहीं हमारा फोन चला गया। आप इन सब में रोक लगवाइये। यह कच्चा प्लाटिंग व पक्का प्लाटिंग वाले गरीब लोगों को जंजाल में फंसाकर चले जाते हैं। उसको रोकना जरूरी है। मैं पता कराकर उसकी लिस्ट आपको दे दूंगा। हमारे बिलासपुर में बी.आर. यादव स्टेडियम है। वह खेल की ट्रेनिंग के लिए बहुत बड़ा स्टेडियम है। जब अमर अग्रवाल जी मंत्री थे, तब वह बना था। वह कई सौ करोड़ रूपये का है। उसकी साफ-सफाई तो होनी चाहिए, पोताई-लिपाई होनी चाहिए, यदि कोई चीज टूट रही है तो उसकी मरम्मत होनी चाहिए। आप खेलकूद में ज्यादा पैसे दीजिए। वह इतनी करोड़ रूपये की संपत्ति बनी है, परंतु देख-रेख के अभाव में वह बहुत जर्जर हो रहा है। वहां पर बहुत बढ़िया टूर्नामेंट हो सकता है। मेरा आपसे निवेदन है कि बिलासपुर में क्लॉडियस करके ओलम्पिक खिलाड़ी भी हुआ करते थे और भी कई जशपुर तरफ के ओलम्पिक खिलाड़ी रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप बिलासपुर में सी.एम. वर्ल्ड कप ऑल इंडिया टूर्नामेंट का आयोजन कराइये। (मेजों की थपथपाहट) बिलासपुर में हॉकी का सी.एम. वर्ल्ड कप ऑल इंडिया टूर्नामेंट होना चाहिए और उसके लिए आप अधिकारियों को उसमें इनवॉल्व करिये। हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे नगर के वरिष्ठ विधायक अमर अग्रवाल जी व धरमलाल कौशिक जी हैं, हम हैं, सुशांत जी हैं, हमारे केन्द्रीय मंत्री हैं, हमारे अन्य विधायक भी हैं, इनको लेकर एक मेगा शो करवा दीजिये। उसके लिए 25-30 लाख रूपये से ज्यादा की जरूरत नहीं होगी। थोड़ा-बहुत कम ज्यादा होगा, तो देखेंगे। आप उसमें लगाईये ताकि उसके माध्यम से बच्चों में रूचि हो और यह हर साल होना चाहिए। कम से कम हमारी सरकार के रहते यह सी.एम. गोल्ड कप 4 साल तक लगातार होना चाहिए, यह मैं आपसे मांग कर रहा हूं और आपको उसकी घोषणा करनी चाहिए। ताकि हमारे बिलासपुर में भी, पहले बिलासपुर हाकी सरीखे में आगे रहता था, आज राजनांदगांव है, हम चाहते हैं कि हमारे बिलासपुर संभाग के जशपुर, रायगढ़ तरफ के लोग भी उस टूर्नामेंट के माध्यम से प्रभावित हों।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक मांग और करना चाहता हूं। अटल श्रीवास्तव जी बैठे हैं। शिवतराई, अचानकमार हमारे उप मुख्यमंत्री जी के विधान सभा क्षेत्र के पास ही है और उन्हीं का ही है, समझ लीजिये। अटल जी वहां के विधायक हैं और वह तो हमारा प्रिय क्षेत्र है, हम वहां आते-जाते रहते हैं। खेलकूद मंत्री जी, आप एक दिन वहां जाईये और जाकर देखिये कि वहां की बच्चियां कैसे निशानेबाजी करते हैं। पर कैसे करते हैं ? बोरे के कपड़े में पैरा बांधकर बोर्ड बनाकर 200 मीटर से निशाना लगाते हैं तो सटीक निशाना लगता है। उनके पास हुनर है, उनके हाथ में कला है, हम इस रूपए को क्या करेंगे ? वह आदिवासी बच्चियां वहां पर निशानेबाजियां कर रही हैं। अगर आप उनको निशाने के लिए कुछ पैसा

खर्च कर देंगे, चन्द्राकर जी, आप बताओ कि निशानेबाजी में कौन है ? निशानेबाज में बढिया खिलाड़ी कौन है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मनु भाकर।

श्री धर्मजीत सिंह :- हमारे यहां से कोई मनु भाकर बन सकती हैं। आप उसको जरूर देखियेगा। मैं आपसे यह नहीं बोलता हूं कि आप पैसा दो, मैं आपसे यह नहीं बोलता हूं कि वहां बहुत बड़ा संस्थान बनाओं, उप मुख्यमंत्री जी, आप वहां एक बार जरूर जाईये, वहां के विधायक जायेंगे, नेता प्रतिपक्ष जी जायेंगे, आप उन बच्चियों का एक बार निशाना तो देखो। आप एक बार निशाना देख लीजिये। एक बार पधारो हमारे राजस्थान में, ऐसा जो विज्ञापन आता है, वैसे ही आप बार-बार आने लगेंगे। उनको सुविधा दीजिये साहब, उन लोग बहुत बढिया खेल रहे हैं।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- माननीय सभापति महोदय, भईया एक मिनट। इसी गांव वालों पर एक पिक्चर बनी थी- "सांडे की आंख"। सांडे की आंख पिक्चर बनी थी, जिसमें बुजुर्ग महिलाएं निशानेबाजी करती थी, उनकी भी पिक्चर दिखाने के लिए कम से कम बोल दीजिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- वहीं देखेंगे न, सर। ग्राउण्ड में बैठकर देखेंगे। आप चलिये, वह तो सुरम्य वादी है। चारो तरफ नदी-पहाड़, बढ़िया है। वहां की बच्चियां शाम को प्रतिदिन जाती हैं, उनको चना देना चाहिए, उनको पौष्टिक आहार देना चाहिए, उनके निशानेबाजी का सामान उपलब्ध कराना चाहिए। कहां से उपलब्ध होगा ? आप ये सब रूपयों को उन बच्चियों पर न्यौछावर कीजिये साहब, गांव-गांव में खेलकूद को बढ़ावा दीजिये।

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) :- खेलो इण्डिया का है।

श्री धर्मजीत सिंह :- खेलो इण्डिया है, लेकिन क्या है कि वहां देखना है कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, खेलो इण्डिया है क्या ?

सभापति महोदय :- धर्मजीत जी, समाप्त करिये।

एक माननीय सदस्य :- आपकी 11 बच्चियां रहती हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- इन्टरनेशनल खेल लेंगी। थोड़ी सुविधा दें। कुछ नहीं तो आप वहां जाकर उनका प्रोत्साहन तो बढ़ा सकते हैं। आप प्रोत्साहन दे सकते हैं। मैं गनियारी में एक मिनी स्टेडियम के लिए पैसे की मांग करता हूं। साहब, गनियारी एक बड़ा गांव है, वहां पर मिनी स्टेडियम के लिए एकाध करोड़ रूपये जरूर उपलब्ध कराईये। मैं अंत में खेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे गांव-गांव में कबड्डी की प्रतियोगिता बहुत होती है। तो उसके कुछ सामग्री के लिए दो-चार-पांच गांव के लिए सूची दूंगा, आप उसे दे दीजियेगा, बड़ी मेहरबानी होगी।

माननीय सभापति महोदय, आपके पास खेल और कूद दोनों विभाग है। खेलकूद विभाग एक संग है। आदरणीय सभापति महोदय, कई प्रदेश में खेल मंत्री अलग रहते हैं और कूद मंत्री अलग रहते हैं।

हमारे यहां तो खेलकूद मंत्री एक ही हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप खेलकूद की तरफ ध्यान देंगे। बिलासपुर में सी.एम. गोल्ड कप के लिए 30 से 40 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान करेंगे। वहां के सारे जनप्रतिनिधि मिलकर अधिकारियों के साथ मिलकर भव्य कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं, आपकी मदद चाहिए, आप मदद कर दीजियेगा। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रिकेश सेन (वैशाली नगर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्व विभाग के मांग संख्या 8, 9, 58 एवं 43 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। निश्चित रूप से राजस्व विभाग हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है और यह हमारा बड़ा ही सौभाग्य है कि भारत सरकार की स्वामित्व योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के हजारों गांवों को लाभ मिला है। सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी है। कुछ विषय है, जिसे मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। पिछले शासनकाल में छत्तीसगढ़ के अंदर जितनी आबादी भूमि थी, उसमें कई गांवों को आबादी भूमि से हटा दिया गया है, जिसका उदाहरण वैशाली नगर विधान सभा क्षेत्र का कुरूद गांव है। उस गांव को आबादी भूमि से हटा दिया गया है। वह 70 साल पुराना गांव है। आखिरी समय में जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी, उस समय उस गांव को आबादी भूमि से हटाकर वक्फ बोर्ड को देने की तैयारी थी। यह बड़ा ही संवेदशीन मामला है। यह सिर्फ एक गांव का मामला नहीं है, यह सिर्फ मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के ऐसे कई गांव हैं, जिसे आपको संज्ञान में लेने की आवश्यकता है क्योंकि यह बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। कल इसी विषय पर मेरा प्रश्न भी है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि ऐसे जितने भी गांवों को आबादी भूमि से हटाया गया है, उसे आप संज्ञान में लें। चूंकि वह शहरी क्षेत्र में है तो उसमें स्वामित्व योजना लागू नहीं होगा, लेकिन जल्द से जल्द उन सभी गांवों को आबादी भूमि में जोड़ा जाये। उस गांव को 70 साल होने के बावजूद भी उनके पास पट्टा नहीं है। उस गांव को ऐसा क्यों छोड़ा गया है, इसे निश्चित रूप से आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा भिलाई नगर निगम में दो विधान सभा क्षेत्र आते हैं। वहां पर आज दिनांक तक एक भी एस.डी.एम. कार्यालय नहीं है। इसे आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी संज्ञान लें। वहां एस.डी.एम. कार्यालय खोलने की बड़ी आवश्यकता है। मैं तीसरा खेलकूद विभाग में बात करना चाहूंगा। चूंकि संक्षिप्त में बात रखना है। भिलाई शिक्षाधानी भी है, भिलाई खेलधानी भी है और भिलाई कलाधानी भी है, लेकिन कहीं न कहीं उसमें भिलाई को खेल से नहीं जोड़ा जा रहा है। आपके एक वर्ष के कार्यकाल में हो सकता है कि बजट का अभाव हो। आप भी जानते हैं कि भिलाई मिनी भारत है। भिलाई में सभी प्रदेश के लोग निवास करते हैं और भिलाई से राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि भिलाई से राजेश चौहान जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के खिलाड़ी हुए हैं, लेकिन आपके द्वारा लगातार यह दूसरे खेल बजट में कोई भी प्रावधान नहीं रखना कहीं न कहीं चिंता का विषय है। मेरा आपसे निवेदन है कि जब खेल की बात हो तब भिलाई को अवश्य याद रखा

जाये, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आपके राजस्व से संबंधित सभी योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ से सभी 33 जिलों में ड्रोन फ्लाई का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। आप बधाई के पात्र हैं। ऐसे ही अब तक 1150 से अधिक गांवों के लगभग 73 हजार अधिकार अभिलेख तैयार किये जा चुके हैं, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। निश्चित रूप से आप जिस प्रकार से राजस्व विभाग को लेकर चिंतित हैं और यही चिंता हम सभी विधायकों की भी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस दिशा में एक अच्छी पहल करेंगे। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद्। (मेजों की थपथपाहट)

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय।

श्री रोहित साहू :- माननीय सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री श्री टंक राम वर्मा जी।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, मैं एक मिनट भी नहीं बोलूंगा।

सभापित महोदय :- सबने अपनी बात रख ली है।

श्री रोहित साहू :- माननीय सभापति महोदय, मेरी एक समस्या है।

सभापति महोदय :- आपने कोई नाम नहीं दिया था, इसलिए आपका नाम नहीं आया है।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, नाम नहीं आया है, कोई बात नहीं। यदि आपकी अनुमति होगी तो बोल सकते हैं।

सभापति महोदय :- समय की बंदिश है, एक और विभाग बचा है, कृपया आप उसे सहयोग करें ।

श्री रोहित साहू :- सभापति महोदय, एक मांग है ।

सभापति महोदय :- सभी लोगों का मांग हो गया है, आप मंत्री जी को दे दीजिए । वह कर लेंगे ।

श्री रोहित साहू :- सभापति महोदय, मेरा एक मांग है ।

सभापति महोदय :- कर लेंगे, आप माननीय मंत्री जी को दे देंगे । माननी मंत्री जी ।

राजस्व मंत्री (श्री टंकराम वर्मा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं अपने विभाग की मांग संख्या-8 भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन, मांग संख्या-9 राजस्व विभाग से संबंधित व्यय, मांग संख्या-58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय, मांग संख्या-43 खेल एवं युवक कल्याण विभागों के बजट मांगों पर अपना प्रस्ताव रखने के लिये खड़ा हुआ हूँ । माननीय सभापति महोदय, मैं सर्वप्रथम इन मांग संख्याओं पर पक्ष और विपक्ष के जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, सुझाव दिये हैं, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ । माननीय सभापति महोदय, आज के इस बजट प्रस्ताव पर विशेष रूप से पक्ष एवं विपक्ष दोनों तरफ के माननीय सदस्यों का सुझाव मिला । विपक्ष की ओर से माननीय श्री रामकुमार यादव जी, श्रीमती अंबिका मरकाम जी, श्री कुंवर सिंह निषाद जी और

हमारे पक्ष के तरफ से वरिष्ठ विधायक अजय चन्द्राकर जी, श्री अजय चन्द्राकर जी, श्री प्रबोध मिंज जी, श्री धर्मजीत सिंह जी, माननीय श्री रिकेश सेन जी का अमूल्य सुझाव मिले हैं ।

समय
7.46 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुये)

सभापति महोदय, आप सब का जो सुझाव हमें मिला है, यह निश्चित तौर पर विभाग को बेहतर ढंग से काम करने के लिये प्रेरित करेंगे और पूरी कोशिश होगी कि आपके द्वारा जो सुझाव दिये गये हैं, उसे विभाग में प्राथमिकता के आधार पर बजट में शामिल कर सकें । माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन और हमारे राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री माननीय विष्णु देव साय जी के कुशल नेतृत्व में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य नित्य नूतन सोपानों को सृजित कर रहा है । भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजिन सरकार ने आज जिस सामंजस्य और समन्वय के साथ आम जनता का विश्वास अर्जित किया है, अभी छत्तीसगढ़ विधान सभा चुनाव 2024 के बाद, लोक सभा के चुनाव, नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों के जो परिणाम आये हैं और जो सफलता अर्जित की है, यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार के कार्यकाल से जनता प्रभावित हुई है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम अपनी मांग संख्या-8 भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन, मांग संख्या-9 राजस्व विभाग से संबंधित व्यय के विषय में बताना चाहूँगा कि राजस्व एक ऐसा विभाग है, जिसमें सर्वस्व समाहित है अर्थात शासन की अधिकांश योजनाओं का क्रियान्वयन राजस्व विभाग के माध्यम से ही होता है । माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग का यह संकल्प है कि आमजनों को त्वरित, बेहतर और प्रमाणिक भू-अभिलेख दस्तावेज उनकी आवश्यकता पर उन्हें सहज और सरल ढंग से उपलब्ध हो । इसके लिये विभागीय नियमों एवं प्रक्रियाओं द्वारा प्रकाशित अधिनियमों में सुधार एवं उन्नयन की प्रक्रिया को हम अपना रहे हैं । हमारी कोशिशों का एक ही उद्येश्य है कि राज्य के राजस्व विभाग की सेवा हम बेहतर ढंग से कर सकें । माननीय अध्यक्ष महोदय, भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन के लिये इस बजट में 2158 करोड़ 81 लाख 7 हजार राशि का प्रावधान किया गया है, वहीं शासकीय प्रेस के लिये 26 करोड़ 49 लाख 75 हजार रूपये की राशि प्रावधानित की गई है । अध्यक्ष महोदय, इस बजट में पुनर्वास के लिये 2 करोड़ 86 लाख 38 हजार रूपये प्रावधानित है, वहीं राहत कार्य के लिये 1552 करोड़ 59 लाख 39 हजार की राशि बजट में हमने रखा है । अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार कुल 3740 करोड़ 86 लाख 59 हजार का मांग प्रस्ताव हमारे विभाग द्वारा वर्ष 2025-2026 के लिये अपने प्रस्ताव में रखा है । माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग द्वारा स्वामित्व योजना के तहत स्वामित्व कार्ड का वितरण का कार्य हमारे विभाग द्वारा जनवरी 2025 में किया गया है । इस योजना में 55 हजार से अधिक प्रापर्टी कार्ड वितरण का हमने रिकार्ड बनाया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे भारतीय जनता

पार्टी की सरकार ने हमारे आदर्श पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय विकास को लक्ष्य मानकर पंडित दीनदयाल भूमिहीन कृषि कल्याण योजना को पिछले वर्ष प्रारंभ किया है और इस योजना के तहत वर्ष 2024-2025 में हमने कुल 5 लाख 62 हजार 112 पात्र परिवारों में से 5 लाख परिवारों को 500 करोड़ की राशि उनके बैंक खाते में जमा की गई है, शेष पात्र परिवार को हम इस योजना के तहत अतिशीघ्र लाभ देने के लिए संकल्पित है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग द्वारा डिजीटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण का कार्य किया जा रहा है । सर्वेक्षण का कार्य क्रमश: पूर्णता की ओर अग्रसर है । पटवारी नक्शों का जीवरी रिफ्रैसिंग भी एक ऐसा कार्य है, जिसके माध्यम से सीमांकन, नामांकन, बटवारा, बंदोबस्त, त्रुटि सुधार सहित अनेक कार्यों में हम और अच्छे ढंग से विभाग की सेवाओं को आम जनता तक उपलब्ध करा रहे हैं । राज्य के 26 जिलों में 13,313 ग्रामों में डिजीटल फसल सर्वे का कार्य किया गया है । विभाग द्वारा नजूल एवं परिवर्तित अभिलेखों का डिजीटलाईजेशन का कार्य हम भुईयां साफ्टवेयर के माध्यम से कर रहे हैं । राजस्व विभाग की आय को समृद्ध करने के लिए वार्षिक भू भाटक 15 वर्ष की राशि एक साथ जमा करने पर आगामी 15 वर्षों के लिए भुगतान में छूट दी जा रही है । राजस्व वसूली के अंतर्गत राजस्व विभाग को 606.29 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां हम अपने विभागीय कार्यालयों के रख-रखाव पर ध्यान दे रहे हैं, इसका प्रमाण है कि हमने 40 करोड़ रूपए का नवीन मद तहसील कार्यालय बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा एवं खैरागढ़ में नवीन तहसील कार्यालय भवन निर्माण हेतु प्रत्येक तहसील के लिए 10 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है । कम्प्यूटर हेतु प्रदेश में हमने कम्प्यूटर, फर्नीचर एवं अन्य उपकरणों के लिए 11 करोड़, 21 लाख रूपए का प्रावधान किया है । 762 न्यायालयों के लिए हमारे विभाग ने 163 करोड़, 22 लाख रूपए का नवीन मद रखा है, वहीं मुख्यमंत्री डिजीटल सशक्तिकरण सशक्त संगवारी योजना के अंतर्गत 25 करोड़, 85 लाख रूपए का नवीन मद प्रावधानित किया गया है । बलौदाबाजार-भाटापारा जिला कार्यालय, तहसील कार्यालय में स्थापित नकल शाखा के दस्तावेजों को डिजीटलाईशन हेतु 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में राज्य आपदा मोचन के लिए 533.60 करोड़, राष्ट्रीय आपदा मोचन के लिए 50 करोड़ तथा राज्य आपदा नवीनीकरण निधि के रूप में 133.40 करोड़, प्रशासन हेतु 3.26 करोड़, आपदाओं का विश्लेषण एवं योजना तैयार करने हेतु 0.58 करोड़ तथा ऋण हेतु 0.20 करोड़ वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित किया गया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में अधोसंरचना विकास परियोजना एवं पर्यावरण सुधार परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भूमि परोपकार उद्गृहित अधोसंरचना विकास कोष एवं पर्यावरण कोष स्थापित है । इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में विकसित गतिविधियों एवं पर्यावरण सुधार को

प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त संसाधन में वृद्धि करना है । इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर निधि में 238 करोड़, 54 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है । हमने अपने विभाग के माध्यम से पुनर्वास के कार्यों को पूर्ण करते आ रहे हैं, इसके तहत आयुक्त कार्यालय स्थापना व्यय हेतु इस वर्ष 62.30 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है, वहीं कार्यालय कमांडेंट माना शिविर, जिला रायपुर हेतु 213 लाख रूपए का बजट प्रावधान किया गया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं खेल एवं युवक कल्याण विभाग के बजट प्रस्ताव के विषय पर आपके माध्यम से सदन को कुछ विशेष बिन्दुओं की ओर अपने विभाग की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं के संदर्भ में जानकारी उपलब्ध करा दूंगा । जब भी हम खेल विभाग की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभा को बढ़ाने और उसको प्रोत्साहित करने के लिए आपने 2006-07 में जो नींव रखी है, अलंकरण समारोह और उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करना और जो उत्कृष्ट खिलाड़ी है, उसको शासकीय नौकरी में 2 प्रतिशत आरक्षण देकर नौकरी देने का बहुत बड़े काम का शुभारंभ आपने किया है । इसी परिपाटी को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णु देव साय जी आगे बढ़ा रहे हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत 50 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । हम राज्य में खेलों के विकास के लिए वचनबद्ध हैं । इस वर्ष बजट में खेल अकादमी के लिए 13 करोड़, 47 लाख की राशि प्रस्तावित की गई है । हमारी सरकार परम्परागत एवं अन्य खेलों को समान रूप से महत्व देते हुए यह कोशिश कर रही है कि राष्ट्रीय खेलों के साथ-साथ स्थानीय खेलों को भी खेल के मानचित्र पर स्थापित कर सकें । पिछले वर्ष हमने बस्तर ओलम्पिक का आयोजन किया था । सरकार और हमारे विभाग के इस प्रयास को बस्तर में एक नये युग के आरंभ का संकेत कहा गया है । बस्तर ओलम्पिक के माध्यम से हमने जहां एक ओर जनजातीय संस्कृति और लोक संस्कृति का सम्मान किया है, वहीं दूसरी ओर इस आयोजन के माध्यम से नए खेल प्रतिभाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोले हैं। बस्तर ओलंपिक की सफलता को ध्यान में रखते हुए हमने बजट में इस वर्ष 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ग्रामीण खेल प्रतिभाओं के लिए 2 करोड़ 80 लाख रुपए का प्रावधान किया है। देश और प्रदेश की आधी आबादी अपनी मातृशक्ति को खेलों में समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने इस वर्ष महिला खेल कूद प्रतियोगिता के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, खेलों के विकास के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है कि हमारी खेल प्रतिभाओं को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त हो। इसके लिए हमने इस वर्ष 4 करोड़ रुपए की राशि बजट में प्रावधानित की है। साथ ही खेल विकास प्राधिकरण के लिए हमने बजट में 1 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान रखा है। वहीं खेल महोत्सव के माध्यम से हम राज्य की युवा खेल प्रतिभाओं को प्रेरित और प्रोत्साहित करने का भी कार्य कर रहे हैं। यह उल्लेखनीय है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु

हमने 3 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान रखा है। राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के शासन के दौरान खेल दिवस और खिलाड़ियों को सम्मानित भी नहीं किया गया, अलंकरण समारोह आयोजित नहीं किया गया। जैसे ही हमारी सरकार आई, माननीय विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पिछले समय कॉग्रेस सरकार के कार्यकाल में जो अलंकरण समारोह आयोजित नहीं किया गया था, उसे आयोजित करके उनके पुराने जो अलंकरण समारोह और जो उनको पुरस्कार राशि दिया जाना था, उसे पूरा किए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक है कि हम खेलों के अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों को अपने राज्य में आयोजित करें। महोदय, इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए 03 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। खेलों के विकास के लिए खेल मैदानों की आवश्यकता होती है। हमारी सरकार ने खेलों की मूलभूत सुविधा, खेलों के विकास, स्टेडियम आदि के लिए इस वर्ष विभाग के बजट में 47 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। वहीं नेशनल गेम्स के लिए 02 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार ने समाज के युवाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से युवा रत्न सम्मान योजना लागू की है। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 1 करोड़ 50 लाख की राशि का प्रावधान किया गया है। राज्य युवा महोत्सव के लिए हमने इस वर्ष 5 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की है। महोदय, राज्य में युवा कल्याण की गतिविधियों को गति देने के लिए हमने 5 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। इस योजना के तहत हम अपने युवा साथियों को सामाजिक सरोकारों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। युवा आयोग के गठन को सार्थक करने के लिए इस वर्ष बजट में 2 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, खेल एवं युवक कल्याण के लिए अगर हम बजट की समस्त अनुदान मांग का योग करें, तो यह कुल राशि 190 करोड़, 51 लाख रुपए है। इतनी बड़ी राशि का प्रस्ताव हमारे विभाग ने किया है। मैं समझता हूं कि हमारे प्रयासों को देखते हुए, हमारी उपलब्धियों को गौर करते हुए, यह सदन इसे अपनी सर्वसम्मत स्वीकृति प्रदान करेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करता हूं कि मांग संख्या 8, 9, 58 और 43 की समस्त मांगों को सदन से अपनी स्वीकृति प्रदान करें। जय हिन्द, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।

श्री धर्मजीत सिंह :- सी.एम. वाला घोषणा कर दीजिए ना?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय धर्मजीत सिंह, वरिष्ठ विधायक का प्रस्ताव है कि बिलासपुर में CM world cup...

श्री धर्मजीत सिंह :- world cup नहीं, All India tournament. बोल दीजिए ना।

अध्यक्ष महोदय :- ऐसा world cup की घोषणा मत करो।(हंसी)

श्री टंकराम वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैं घोषणा करता हूं कि करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- इनके विधान सभा में world cup करेंगे? (हंसी)

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, जो उप तहसील को तहसील बनाने के लिए बोला था, उसका भी हो जाएगा? (श्री टंकराम द्वारा इशारा करने पर) अच्छा, हो जाएगा।

समय:

8.00 बजे

अध्यक्ष महोदय :- मैं पहले कटौती प्रस्ताव पर मत लूंगा।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या - 8, 9 एवं 43 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं, मांगों पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या	-	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन के लिये- दो हजार एक सौ अन्ठावन करोड़, पैंसठ लाख, इक्यासी हजार रूपये
मांग संख्या	-	9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय के लिए- छब्बीस करोड़, उन्चास लाख, पैसठ हजार रूपये
मांग संख्या	-	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय के लिए - एक हजार पांच सौ बावन करोड़, उनहत्तर लाख, उनचालीस हजार रूपये तथा
मांग संख्या	-	43	खेल और युवक कल्याण के लिये- एक सौ बावन करोड़, तिरासी लाख, दस हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(4) मांग संख्या 19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मांग संख्या 79 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या 50 बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूँ कि दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या - 19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिये चार हजार सात सौ उनतीस करोड़, बयासी लाख, तिरानबे हजार रूपये,

मांग संख्या - 79 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय के लिये- एक हजार नौ सौ सतहत्तर करोड़, दो लाख, अन्ठावन हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 50 बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय के लिये चार करोड़ रूपये तक की राशि दी जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकतः वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

<u>मांग संख्या - 19</u>

<u>लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण</u>

1.	डॉ. चरणदास महंत	1
2.	कुंवर सिंह निषाद	5
3.	श्रीमती अनिला भेंडिया	2
4.	श्रीमती अंबिका मरकाम	1
5.	श्री रामकुमार यादव	3
6.	श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह	2
7.	श्रीमती शेषराज हरवंश	2

मांग संख्या - 79

चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय

निरंक

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (अकलतरा) :- अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं मांग संख्या, 19, 79 एवं 50 के विरोध में अपनी बात कहने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति स्वस्थ होता है, वही अपने लक्ष्य को हासिल कर पाता है और जीवन को बेहतर बनाता है। एक पुरानी कहावत है "पहला सुख निरोगी काया"। हर पांच साल में जब सरकारें आती हैं तो नई चुनौतियां भी सामने आती है। जैसे पुराने समय में जब हम लोग सुनते हैं कि डायरिया, पोलियो, पीलिया जैसी बीमारियां बहुत बड़ी मानी जाती थी। कॉमन फ्लू बहुत बड़ा माना जाता था। धीरे-धीरे जब उसकी दवाइयां इजात हुई, वह आने वाले समय में एक पुरानी बात हो गई कि इन बीमारियों से पूरा गांव का गांव खाली हो जाता था। हमें जब ऐसा लगता है कि हम इन बीमारियों से बाहर आ गये हैं तो कोई न कोई एक नया म्यूटेशन सामने आता है। हमने वर्ष 2020 में यही म्यूटेशन कोरोना के रूप में देखा। यह वायरस पहले से मौजूद था लेकिन जब वह म्यूटेट हुआ तो नया म्यूटेशन इतना खतरनाक था कि पूरे देश में हाहाकार की स्थिति मची हुई थी। जानवरों की तरह लोग ढोये जा रहे थे। हम लोगों ने गंगा के किनारे, हर शहर में अपनों को खोया है। कहां पर किसकी सरकार थी, यह जरूरी नहीं था लेकिन पूरा विश्व इस गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। उस समय छत्तीसगढ़ में भी इस बीमारी का प्रकोप था परंतु मैं यह बात कहना चाहूंगा कि कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में एक अच्छा मैनेजमेंट दिखा, जिसकी वजह से हम उस बीमारी से बेहतर तरीके से बाहर निकल पाये और जैसा दूसरे राज्यों की स्थिति थी, हम उन राज्यों की तरह खराब स्थिति पर नहीं पहुंचे। उस समय एक बात सामने आयी थी, जिसको हम सब को सोचना है कि रिसर्च एवं डेव्हलपमेंट की तरफ हमको कितना ध्यान देना होगा। अगर हम मेडिकल कॉलेजों की बात करें तो पुराने समय में रायपुर, जगदलपुर, बिलासपुर, रायगढ़ के कॉलेज थे। कुछ कॉलेज अधूरे पड़े हुए थे और चुनौती थी कि कई नए कॉलेज शुरू करने थे, जिसमें कांकेर, महासमुंद, कोरबा और अंबिकापुर जैसे कॉलेज को शुरू किया गया । हमें कुछ नई स्वीकृतियां भी मिलीं। जैसे कवर्धा, मनेन्द्रगढ़, गीदम, जांजगीर अभी जिनके काम शुरू होने बाकी हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए यह कॉलेज बहुत जरूरी हैं। लेकिन सवाल यह भी होता है कि हम अगल लक्ष्य क्या रख रहे हैं। इन कॉलेजों को कब तक शुरू किया जायेगा। इन मेडिकल कॉलेजों में क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी, यह तो गाईड लाईन में दिया है। लेकिन हम उसको कितनी अच्छी तरीके से संचालित करके हर जगह पर कितना उपयोग कर पा रहे हैं। हम सब को इस बात को समझना होगा। जब पिछली सरकार आयी तो 10-12 साल के प्रमोशन्स रूकने की बात आयी थी जिसको क्लियर किया गया। एक बात बहुत क्लियर है कि हम लोगों को पी.एच.सी.के

लेवल पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अलावा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एम.बी.बी.एस. डॉक्टर्स की उपलब्धता करानी होगी। माननीय मंत्री जी, पिछली सरकार में इसमें बहुत काम हुआ, लेकिन अभी भी कई जगह ऐसे छूटे हुए हैं जहां पर अभी तक हम लोग डॉक्टर्स मुहैया नहीं करा पाये हैं। पिछली सरकार में वर्ष 2019 में हाट बाजार क्लिनिक योजना की शुरूआत की गयी । मैं इसके लिए बधाई देना चाहूंगा और आपको धन्यवाद् भी दूंगा कि अभी भी यह योजना चल रही है और प्रदेश के लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। जब मैं हमेशा माननीय मंत्री जी को सुनता हूँ तो वह सिकलसेल बीमारी की बात करते हैं। मैं उनको धन्यवाद् देना चाहूंगा कि यह बहुत व्यापक मुद्दा है। इस पर बहुत समय से काम चल रहा है और आने वाले समय में इसमें ईलाज के अलावा जागरूकता भी फैलानी होगी। क्योंकि इसका ईलाज जागरूकता से ही होगा। आने वाले सममय में हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए सिकलसेल बड़ी बीमारी बनकर सामने न आये, इसके लिए माननीय मंत्री जी जो प्रयास कर रहे हैं, शायद मैं उनको सुझाव देना चाहूंगा कि हम लोग इसको और बेहतर तरीके से इसमें कार्य कर सकते हैं। एक बार छत्तीसगढ़ और बस्तर को मलेरिया मुक्त करने की बात हुई थी और जिस पर लगातार काम हुआ। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा कि इस पर कहीं न कहीं थोड़ी सी ढिलाई नजर आ रही है। आने वाले समय में हमें इसको इसलिए ध्यान देना होगा क्योंकि चाईना जैसे देश को अपने यहां से मलेरिया की बीमारी हटाने में 30 सालों का समय लगा और बीच में जब वह Recurrence होता है तो फिर से स्थिति उतनी भयावह हो जाती है। श्रीलंका को उसको हटाने के लिए कई दशकों लगे। राईट टू लाईफ आर्टिकल हमारे Constitution में मुहैया कराया गया है। जिसमें हमारा Affective Relegation के लिए राईट टू हेल्थ भी आता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को यह एक सुझाव देना चाहूंगा। हमें यूनिवर्सल हेल्थ स्किम के बारे में सोचना चाहिए। मैं बीच में एक बार कुछ सालों पहले दिल्ली गया था। मुझे अपना ईलाज करवाना था। जब बिल देने की बात आयी तो उन्होंने मुझसे बहुत आश्चर्यचकित होकर पूछा कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस का नंबर नहीं है क्या ? मैं यहां पर यह बताना चाहूंगा कि उस समय मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस का नंबर नहीं था। तब मुझे यह महसूस हुआ कि हम इस क्षेत्र में कैसे पिछड़ते जा रहे हैं। शायद जागरूकता की कमी है, शायद हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन माननीय मंत्री जी हमें यूनिवर्सल हेल्थ स्किम की ओर देखना होगा। यूरोप, एशिया में कई ऐसे छोटे-छोटे देश हैं जिनकी जनसंख्या या क्षेत्रफल आप कहें तो यह छत्तीसगढ़ इतना है, लेकिन जब हम यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात करें तो वह इतने अग्रणी हैं कि कहीं भी उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अपने पास की ही Locality में उनके सारे ईलाज हो रहे हैं। उनको वहां से बाहर नहीं जाना पड़ता है। उनको जो भी बीमारी है वहीं ब्लॉक स्तर पर उनका ईलाज हो जाता है। हमें छत्तीसगढ़ में यह बात सोचनी पड़ेगी कि हमारा स्टेट छोटा है। क्या हम इंश्योरेंस के मॉडल से या हम किसी और मॉडल से Implementation और बजट लेकर क्या हम यूनिवर्सल हेल्थ स्किम नहीं ला सकते हैं जहां पर हमें सिर्फ अपनी गाड़ी से जाने

पर डीजल का खर्च आये। चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, किसी भी वर्ग से हो, हम लोग उनको सारे अस्पतालों में ईलाज मुहैया करा सकें। माननीय मंत्री जी, थाईलैण्ड में भी यह पूरी स्थिति है, यूरोप के देशों में है। तो क्यों नहीं वहां पर हमारा एक Delegation इस चीज को समझने की कोशिश करे कि क्या हम छत्तीसगढ़ में इसको मुहैया करा सकते हैं। अगर यह स्थिति होती है तो आने वाले समय में यही ईलाज का फ्यूचर है और आने वाले समय में हमको इसको implement करना ही होगा। आज हम सब यह जानते हैं कि एक टैक्सपेयर या एक जो अमीर आदमी है, वह कितनी बार गवर्नमेंट अस्पताल में जाकर अपना ईलाज कराना चाहता है क्यों न हम ऐसी स्थिति लायें कि हम लोग कहीं भी जाकर, अपना ईलाज करा सकें। यहां पर एक एक्सपायरी दवाईयों की बात हुई...।

सदन को सूचना

होली मिलन समारोह का आयोजन

अध्यक्ष महोदय :- बुधवार दिनांक 12 मार्च, 2025 को अपरान्ह 2.30 बजे से छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय परिसर स्थित सेंट्रल हॉल के सम्मुख स्थित लॉन में विधायक क्लब एवं संस्कृति विभाग के सौजन्य से "होली मिलन समारोह" आयोजित है, जिसमें माननीय सदस्यगण के साथ श्री राकेश तिवारी एवं साथियों द्वारा "फाग गीत" तथा पद्मश्री डॉ. सुरेन्द्र दुबे द्वारा हास्य कविता पाठ का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जावेगा।

आप सभी माननीय सदस्यगण उक्त "होली मिलन समारोह" में सादर आमंत्रित हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले कुछ डेटा देख रहा था कि जो हमारी दवाईयां expire होती हैं, एक समय था कि हम लोगों को जो लॉस होता था, वह 8 से 10 करोड़ रुपये तक चला जाता था। उसको बाद में reduce करके 2 से 4 करोड़ रुपये तक हम लोग ले आये हैं। आने वाले समय में हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह जो expiry दवाईयों से राजस्व का लॉस हो रहा है, इसको हम और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, इस बात को हमें देखना होगा। आजकल diabetes, B.P., Heath problem लगभग हर गांव-गांव तक ये बीमारियां फैली हुई हैं। यह एक जीवनशैली की समस्या है। जब हम लोग जेनेरिक दवाईयों की बात करते हैं तो जेनेरिक दवाईयां उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। पिछली सरकार में जेनेरिक दवाईयों की उपलब्धता के लिए जेनेरिक स्टोर खोले गये थे, उसको और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, बजट एलोकेशन देने की आवश्यकता है ताकि

गरीब को हर एरिया में दवाईयां मिल सकें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहूंगा कि हमर लैब संचालित हो रहे थे जहां पर जिले स्तर पर करीब सवा सौ टेस्ट, सी.एच.ई. के स्तर पर 70-80 टेस्ट, पी.एच.सी. के स्तर पर 40 से 60 टेस्ट हो जाते थे और सब हेल्थ सेंटर्स में हम लोग करीब 15-20 फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट कर रहे थे। माननीय मंत्री जी, इस व्यवस्था को हमें और सुदृढ़ बनाने की जरूरत है। कई जगह यहां पर ऑपरेटर की कमी की वजह से भी टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। ताकि लोगों को यह सुविधायें अपने स्तर पर ही मिल जायें, उनको बाहर आने की आवश्यकता न पड़े। आयुष्मान में हम लोग बजटीय एलोकेशन की बात कर रहे हैं, हम लोगों के दिमाग में आयुष्मान के संदर्भ में यह होता है कि यह केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की ही स्कीम है। लेकिन कहीं न कहीं उसका एक बड़ा हिस्सा जो साढ़े 4 लाख रुपये का होता है, बी.पी.एल. परिवारों को वह राज्य सरकार ही देती है। मैंने जो शुरू में यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात की थी, माननीय मंत्री जी, वह इसी आंकड़ें को देखते हुए आपको सुझाव दिया था कि अगर हम लोग साढ़े 4 लाख रुपये बी.पी.एल स्कीम में दे रहे हैं, लोगों को मुहैया करा रहे हैं तो उसमें केन्द्र सरकार का हिस्सा कम है। अगर स्टेट इतना पैसा बजटीय एलोकेशन कर रहा है तो क्यों नहीं हम उसको ओवरऑल एक व्यवस्था दे पायें और हम लोग यूनिवर्सल हेल्थ केयर को वहां पर ले जा पायें। पहले एक पार्ट पेमेंट की बात थी कि कुछ इलाज हो रहे थे और यह समस्या होती थी कि आयुष्मान स्कीम में कुछ हॉस्पिटल कुछ ही ईलाज करते थे और दूसरे में जिसमें पैसा नहीं बचता था, वह कह देते थे कि यह हमारा नहीं है। जब इसको strictly implement किया गया तो सारे ईलाज शुरू हुए। लेकिन अभी आदरणीय मंत्री जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अधिकारी जांच कर रहे हैं, उन राशियों की जांच कर रहे हैं। आप जांच करिये, मैं इस बात से सहमत हूं कि कहीं भी गलत भुगतान नहीं होना चाहिए। लेकिन वह इतना ज्यादा डिले हो रहा है कि हॉस्पिटल आयुष्मान में ईलाज करना बंद कर दे रहे हैं। पैसा देकर ईलाज हो रहा है। reimbursement नहीं पहुंच रहा है। आदरणीय मंत्री जी, इस व्यवस्था को हमें सुदृढ़ करनी होगा। क्योंकि हम लोग करीब-करीब 60 लाख से ऊपर बी.पी.एल. कवरेज की बात कर रहे हैं, उन परिवारों को हमें ध्यान देना ही पड़ेगा।

समय
8.13 बजे

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, जब हम स्वास्थ्य की बात करें तो हमारा एक H.R. Oriented है, जहां पर हमें मशीनों की तो आवश्यकता है, लेकिन इंसानों के, चिकित्सको के, स्पेशलिस्ट के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जो प्रशासकीय प्रतिवेदन है, मैं उसके आंकड़े पढ़ रहा था। अगर हम लोग स्वास्थ्य चिकित्सक विशेषज्ञ की बात करें तो यह आंकड़ा करीब-करीब 1418 चला जाता है कि हमारे पास रिक्त पद हैं। चिकित्सा अधिकारी की बात करें तो करीब 150, दंत चिकित्सक के 51, आर.एम.ए. के 168 पद

रिक्त हैं। यह प्रशासकीय प्रतिवेदन कहता है। नर्सिंग समर की जो स्थिति है, वह साढ़े 4 हजार के आसपास है। लेकिन जो एक हमें ध्यान देने वाला विषय है कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग के जो रिक्त पद हैं, वह करीब-करीब 8373 पद रिक्त पड़े हुए हैं। अगर हम लोग इतना बड़े manual database को नहीं भरेंगे, इन नौकरियों को नहीं देंगे तो आने वाले समय में ईलाज में दिक्कतें होंगी। सभापति महोदय, अगर हम एन.एच.एम. की बात करें तो 4542 पद खाली पड़े हुए हैं। इस वर्ष के बजट में लगभग 8 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो कि 4 प्रतिशत की बढोत्तरी है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा। लेकिन इस बढ़ोत्तरी को हमको ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हमारी हेल्थ केयर्स स्कीम को अभी implement करने में और बहुत ज्यादा समय लगेगा। हमें मंहगाई को, inflation को ध्यान देना होगा। यह बार-बार आ रहा है कि हमारे प्रदेश के जितने भी 26 जिला चिकित्सालय हैं, वहां जीवन रक्षक दवाईयों का अभाव है। लेकिन पिछले समय में हमने ये अभाव कभी नहीं देखा है । अब अगर कोई आता है, फोन करके पूछना होता है तो हम लोग यह बात पूछते हैं कि यह दवाई उपलब्ध है कि नहीं है ? मैं आदरणीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि इसके लिये प्रावधान करें ताकि कहीं भी हमारी दवाईयों की कमी न हो पाये । प्रदेश में करीब-करीब 5 हजार उप स्वास्थ्य केंद्र, 750 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 183 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं । माननीय मंत्री जी, हम ज्यादातर उस जगह देखते हैं कि यह रेफरेल यूनिट की तरह काम कर रहे हैं । इन संस्थानों में पर्याप्त संसाधन और विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं हैं और इसके पहले जो मैंने आंकड़े पढ़े हैं वह आपके ही प्रशासकीय प्रतिवेदन के हैं कि यह साफ है कि हमारे पास विशेषज्ञ नहीं हैं इसलिये रात में कोई इमरजेंसी होती है, कोई एक्सीडेंट होता है तो वहां भेजकर केवल एक ही काम होता है कि आप बिलासपुर सिम्स रेफर कर दीजिये या रायपुर मेकाहारा रेफर कर दीजिये । हमें यह स्थिति खत्म करनी पड़ेगी । हम अगर मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, अगर हम हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं तो हमें कहीं न कहीं अपने एरिया में इस व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा ।

माननीय सभापति महोदय, मितानिन और प्रशिक्षकों का और एरिया कॉर्डिनेटर का अक्टूबर, 2024 से कई जगह मानदेय नहीं पहुंचा है, इस बात को हमको समझना होगा कि वह हमारी रीढ़ की हड्डी हैं और अगर उनका मानदेय नहीं पहुंच रहा है, वैसे तो उनका मानदेय बहुत कम है । उसके बाद भी नहीं पहुंचना यह एक चिंता का विषय है । हम बजट पर बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं लेकिन अगर हम इतनी छोटी व्यवस्था भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो कहीं न कहीं यह हमारा फेलियर है ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य इतनी गंभीर बात कर रहे हैं लेकिन उधर गप्प चल रहा है । मैं कम से कम माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि गंभीरतापूर्वक माननीय सदस्य की बात को सुनें क्योंकि यह स्वास्थ्य का मामला है ।

श्री रामकुमार यादव :- ओ गप्प नइ मारत हे, ओमन दुनो झन छत्तीसगढ़ के चिंता करत हे ।

सभापति महोदय :- राघवेंद्र जी, आप बोलिये ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात को बोलने के पहले भी कहता और अब फिर से कह रहा हूं कि इस पर माननीय मंत्री जी से मेरा एक विशेष आग्रह है कि आप एक-बार मेरी बात ध्यान से सुनें । माननीय सभापति महोदय, आजकल हम लोग कान्फ्लेक्ट टू इंटरेस्ट की बात करते हैं । हम एक तरफ पॉलिसी बनाते हैं कि हमें एक्साईज ड्यूटी को बढ़ाना है और दूसरी तरफ हम नशामुक्ति का अभियान चलाते हैं । मैं एक्साईज ड्यूटी और नशामुक्ति की एक-साथ की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों चीजें जरूरी हैं । हमें राजस्व की भी प्राप्ति जरूरी है और हमें कहीं न कहीं नशामुक्ति जो छत्तीसगढ़ में आदरणीय एक वरिष्ठ सदस्य कह रहे थे तो मैं उनकी बात से सहमत हूं कि यह एक बहुत चिंतनीय विषय है । छत्तीसगढ़ में युवा नशे की तरफ चले जा रहा है और यह केवल एक तरफ नहीं है, वह सब्सटेंस और केमिकल्स का भी नशा कर रहा है । हमें यह बात समझनी पड़ेगी, हमें अपनी सोशल रेस्पांसबिलिटी को समझना होगा कि हमें टैक्स कलेक्शन और सोशल रेस्पांसबिलिटी के बीच में एक बैलेंस बनाना होगा । एक तरफ हम जहर परोसकर दूसरी तरफ दवाई नहीं परोस सकते हैं, हमें इस बात को सभी विभागों में समझना पड़ेगा ।

माननीय सभापति महोदय, जब लॉ एण्ड ऑर्डर सिचुएशन होती है तो कई जगह शराब सब्सटेंस और केमिकल एब्यूज होता है, मैं यह बहुत मार्मिक बात कहने जा रहा हूं । कोई भी व्यक्ति जो अपने पूरे होशोहवाश में है, हम लोग जो सुनते हैं कि बेदर्दी से हत्या कर दी गयी, एक माईनर के साथ रेप कर दिया गया, एक छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म हो गया । यह सब्सटेंस और केमिकल एब्यूज के केसेस 60 से 70 प्रतिशत होते हैं उसके बाद ही इस तरह की निर्मम हत्याएं की जाती हैं । माननीय मंत्री जी, हम लोगों को इस पर आगे कोई न कोई सिस्टम बनाना होगा कि यह जितनी चीजें खुले बाजार में बिक रही हैं, इसका बिकना बंद करना पड़ेगा । इसके लिये मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा । आजकल ए.आई. है, उस ए.आई. के माध्यम से हम क्यों नहीं यह मॉनिटरिंग सिस्टम बना सकते हैं कि इसकी उपलब्धता ही खत्म कर दी जाये और जिसके पास यह उपलब्ध है वह जिम्मेदार रहे कि वह किस चीज में इसका उपयोग कर रहा है । आज यह जितनी हैवानियत है, हमें इसको खत्म करना चाहिए और यह आपकी सरकार और मेरी सरकार की बात नहीं है । छत्तीसगढ़ के युवा की बात है और छत्तीसगढ़ के आने वाले भविष्य की बात है ।

माननीय सभापति महोदय, एक और बात इसी से संबंधित है । एक आई.वी.एफ. की बात हुई, मैं माननीय वित्तमंत्री जी को इस मुद्दे के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आई.वी.एफ. की बात शुरू की क्योंकि आजकल हम लोग डिप्रेशन और मेंटल डिस्आर्डर पर खुलकर बात नहीं कर रहे हैं । अभी कुछ साल हुए हैं जब हम लोग मेंटल डिस्आर्डर की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ की बात करते हैं । माननीय मंत्री जी, मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में जितनी

आत्महत्याएं होती हैं उसमें लगभग 72 प्रतिशत पुरूष आत्महत्या कर रहे हैं और दैनिक वेतनभोगी वर्ष 2002 से 2021 तक उनमें 170 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह भी उसी नशे में हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान के आंकड़ों के अनुसार 80 प्रतिशत लोगों को ये सेवाएं हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं। मनोरोगी सेवाएं हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं। नेशनल मेन्टल हेल्थ सर्वे 2015-16 कहता है कि इंडिया में 10 प्रतिशत जितने अडल्ट्स हैं, उनको इसकी जरूरत है, लेकिन हम इसको बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं। हम इसको बीमारी मानने को तैयार नहीं हैं। पी.टी.एस.डी., anxiety disorder, bipolar disorder, डिप्रेशन आज की तारीख में हम इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसको बीमारी माना ही नहीं जाता है और गांव में तो किसी को कह दीजियेगा कि ओला कुछू मेन्टल प्रॉब्लम है, तो ओला पगला समझ लीही। ये तो कोई बीमारी ही नहीं होए या तो सीधा पागल खाना भर्ती होही और नहीं तो उस पर कोई भी हम लोग इसके बारे में ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग इसको बीमारी मानने को तैयार नहीं है, लेकिन मंत्री जी, आने वाले समय में हमको इसको एड्रेस करना पड़ेगा, डिप्रेशन को एड्रेस करना पड़ेगा, नशा मुक्ति को एड्रेस करना पड़ेगा तभी हम छत्तीसगढ़ का एक भविष्य बना पाएंगे।

सभापति महोदय :- राघवेन्द्र जी, थोड़ा संक्षिप्त करिए।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- मैं बस 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं। मानसिक स्वास्थ्य को हम लोगों को समझने और आगे जाने की आवश्यकता है। नवीन दृष्टिकोण की आवश्यकता है। आदरणीय मंत्री जी, जहां हम ए.आई. की बात कर सकते हैं। मैं रिसर्च और डेवलपमेंट में अपनी बात ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन रिसर्च और डेवलपमेंट का हमने प्रभाव कोविड के समय में देख लिया है कि कितनी जल्दी हमें इसका रिजल्ट मिलता है। आई कैम्प्स के लिए मैं आपको निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में मोतियाबिंद एक बहुत ऐसी बीमारी है, जो गांव-गांव फैली हुई है तो इस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। अब मैं ज्यादा बात न करते हुए अपने क्षेत्र की कुछ मांगें आपके सामने रख देता हूं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बलौदा में महिला चिकित्सक नहीं है। मैंने पिछली बार भी इसी बजट सेशन में ही निवेदन किया था। आपने कहा था कि उसमें संज्ञान लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है। हमारे जिले में कई जगह सोनोग्राफी मशीन्स लगी हुई हैं, लेकिन वहां पर उसको संचालन कोई नहीं करने वाला है। डॉक्टर्स नहीं है, इसलिए वह खाली पड़ी हुई हैं तो डी.एम.एफ. से या किसी अन्य व्यवस्था से उन मशीनों को स्टार्ट कराया जाए। मैंने पिछली बार ग्राम किरारी और खिसोरा बलौदा में निवेदन किया था, आपने अनाउंस भी किया था, लेकिन उसके बाद भी वह उप स्वास्थ्य केंद्र शुरू नहीं हो पाए हैं। मंत्री जी, आपसे सादर निवेदन है कि आप उसकी तरफ भी ध्यान दें । एक चीज मैं आपको निवेदन करूंगा कि हर ब्लॉक में जीवनदीप समितियों को हम लोग 5 लाख रूपये की राशि उपलब्ध करा रहे हैं, उसमें अब थोड़ी बढ़ोत्तरी की जाए, क्योंकि रख- रखाव से लेकर सारी चीजें जीवनदीप समिति में आती हैं तो जीवनदीप समिति से अगर हम उसको बेहतर कुछ और दे सकें, 10 लाख रूपये से ऊपर दे सकें तो ये

हमारे काम आएगा। ये बातें मैं आपके बीच में कहना चाहता था और एक मालखरौदा में सकर्रा में प्राथमिक स्वास्थ केंद्र की स्वीकृति हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसको चालू नहीं किया जा सका है। आदरणीय मंत्री जी, आपसे निवेदन है कि आप इस ओर भी ध्यान दें। काफी देर हो गई है, इसलिए मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय :- श्री धर्मजीत सिंह जी।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की मांगो के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। राघवेन्द्र सिंह जी ने बहुत ही तथ्यों के संग बहुत ही अच्छा भाषण दिया, उसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूं। हमारे जो मंत्री जी हैं, वे बहुत ही उत्साही हैं। मैंने उनको 2,4,5 मौकों पर देखा है कि बिलासपुर के सिम्स में जब एक बहुत हाई पॉवर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें डी.एम.ई. थे, डायरेक्टर थे और भी बड़े-बड़े अधिकारी थे। अधिकांश आई.ए.एस. लोग थे। पहली बार मेरे राजनीतिक जीवन में किसी स्वास्थ्य मंत्री ने इतनी बड़ी मीटिंग में एज ए एम.एल.ए. मुझे वहां निमंत्रित किया और आपने उसमें बड़े कड़े-कड़े निर्णय लिए और उससे वह व्यवस्था सुधरी, उसके लिए आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। (मेजों की थपथपाहट) मैंने मांग की कि तखतपुर में 50 बिस्तर मातृ शिशु अस्पताल की स्वीकृति दी जाए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने उस अस्पताल की स्वीकृति बजट में दी है। अब कृपा करके उसको तेज गति में बनवा दीजिएगा, क्योंकि केवल घोषणा और बजट प्रावधान मत रहे, आप आगे भी कार्रवाई कराने का कष्ट करेंगे। मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य में 9 नवीन नर्सिंग महाविद्यालय बलरामपुर, दंतेवाड़ा, पुसौर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, जशपुर, बैकुंठपुर, नवा रायपुर, कुरूद, धमतरी एवं बीजापुर राज्य योजना के अंतर्गत और 3 नर्सिंग महाविद्यालय कांकेर, कोरबा, महासमुंद केंद्र प्रवर्तित योजना के तहत स्थापित करने का आपने बजट में निर्णय लिया है। इस हेतु प्रति संस्था 44 पद के मान से कुल 396 पद और राशि 34 करोड़ का बजट प्रावधान प्रथम चरण में करके नर्सिंग महाविद्यालय को आपने प्रोत्साहन देने का काम किया । यह सिर्फ नर्सिंग महाविद्यालय ही नहीं हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ की होनहार लड़कियां ।

श्री अजय चन्द्राकर :- लड़के भी ।

श्री धर्मजीत सिंह :- लड़के-लड़कियां । सभापति जी, जब एशियन हार्ट हॉस्पीटल मुम्बई में ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी । जो वहां आईसीयू में जो लड़की काम कर रही थी वह हमारे भिलाई की थी । मुझे अच्छा लगा कि हमारे छत्तीसगढ़ की बच्ची मुंबई के सबसे बड़े एशियन हार्ट सेंटर के आईसीयू में ड्यूटी कर रही थी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- ऑपरेशन के बाद आपका दिल पहले से ज्यादा धड़कता है ना ? (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- इन नर्सिंग महाविद्यालय के माध्यम से बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर देगा । हमारे प्रदेश में जो कॉलेज हैं जहां इन पदों की कमी है, वहां उनको काम करने का अवसर मिलेगा और हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि होगी । उसी तरह से 6 स्थानों पर बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, जशपुर, रायगढ़ एवं मनेन्द्रगढ़ में नवीन फिज़ियोथेरेपी कॉलेज की स्थापना के लिए आपने 3.3 करोड़ का प्रावधान किया है और 1 करोड़ के हिसाब बनाने का भी प्रावधान किया है । इस फिज़ियोथेरेपी का भी बहुत महत्व है । सिर्फ सर्जरी, डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज इन सब चीजों से ही नहीं, नर्सिंग सिस्टर, फिज़ियोथेरेपिस्ट का महत्व अपने आप में बहुत ज्यादा है । कई जगह जब दवाईयां काम नहीं करती हैं तो फिज़ियोथेरेपी के माध्यम से हमें लाभ होता है । सभापति महोदय, कुनकरी जशपुर जो कि मुख्यमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है । नवीन चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए 60 पदों का सृजन कर 200 लाख बजट का प्रावधान किया गया है और 2 करोड़ का प्रावधान भवन निर्माण के लिए किया गया है । मतलब आप वहां नवीन चिकित्सा महाविद्यालय खोलने के लिए कटिबद्ध हैं । अंबिकापुर में भी इसी तरह से रेडियोथेरेपी विभाग के लिए आपने प्रावधान किया है, दंतेवाड़ा में डीएमएफ मद से मेडिकल कॉलेज खोलने का बजट में प्रावधान किया है ।

सभापति महोदय, हमारे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में जरूर बताना चाहूंगा । इस प्रदेश में 30 जिला चिकित्सालय हैं, 22 सिविल अस्पताल हैं, 195 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, 788 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, 5169 उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं, 1 कुष्ठ गृह एवं चिकित्सालय है, सेंदरी को मिलाकर 3 मानसिक चिकित्सालय हैं । 31 एनसीएच अस्पताल हैं इस तरह से 6239 अस्पतालों के माध्यम से ये सरकार सेवा के लिए लगी हुई है । स्वाभाविक रूप से इतने बड़े प्रदेश में हर चीज समय पर पूरी हो, यह जरूरी भी नहीं है और स्वास्थ्य विभाग के बारे में तो मैंने विधान सभा में एक दिन भाषण भी दिया था, जब टी.एस.बाबा यहां स्वास्थ्य मंत्री थी तो मैंने भूपेश बघेल जी से बोला था कि भूपेश बघेल जी सारा ताली वाला विभाग आपने अपने पीछे वालों को दिया है । ताली मतलब भूपेश बघेल जी के पीछे वन मंत्री बैठते थे, एक्साइज़ मंत्री बैठते थे, आबकारी मंत्री, आवास एवं पर्यावरण मंत्री वहां पर वह ताली वाला विभाग था और उनके किनारे स्वास्थ्य विभाग था, वह गाली वाला विभाग था । यह मैंने इसी सदन में बोला था, वहां बैठकर । लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने पहले दिन से ही स्वास्थ्य विभाग को ठीक करने के लिए अच्छा काम किया और स्वास्थ्य विभाग की जितनी आलोचना पहले होती थी, उतनी आलोचना अभी नहीं हो रही है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग बहुत चुनौती भरा विभाग है और चुनौती भरे विभाग को आपने बहुत चुनौतीपूर्ण ढंग से संभाला है। (मेजों की थपथपाहट) हमारे विरोधी पार्टी के लोग बोलते हैं कि हमारी सरकार नाम बदलने की परंपरा, काम बदलने की परंपरा कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना का शुभारंभ 2 अक्टूबर, 2019 को हुआ था, पूरे राज्य में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना का क्रियान्वयन

किया जा रहा है। आज भी उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, जब आप कोई अच्छा काम करेंगे, उसको ये सरकार बड़े दिल से ले करके आगे बढ़ाने का काम करेगी लेकिन जब आपकी सरकार थी तब शराब की दुकानों में दो रेक लगते थे, एक में होलोग्राम वाला एक में बिना होलोग्राम वाला लगता था। हम उसको उदाहरण लेकर काम नहीं कर सकते, हम उसको नजीर भी नहीं बना सकते थे, हम उसको अमल में भी नहीं ला सकते थे। ये हाट बाजार क्लीनिक योजना है, इसमें सभी का स्वास्थ्य परीक्षण होता है, इसमें अंतिम व्यक्ति तक नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं, हाट बाजार क्लीनिक योजना में 10 प्रकार की प्राथमिक जांच की सुविधा है, इसमें कुष्ठ रोग की भी जांच होती है, गर्भवती माताओं वगैरह की भी जांच होती है, यह बहुत बड़ा व्यापक कार्यक्रम है और ये चल रहा है। इस योजना को भले ही आपने शुरू की है लेकिन इसकी क्षमता, इसका प्रभाव और इसके असर को देखकर हम इस योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। चिकित्सकों में भी बहुत से हैं, मैं एकाध उदाहरण दे देता हूं। जैसे राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की भौतिक उपलब्धि है। चिकित्सा के 104 पद स्वीकृत हैं, 70 उपलब्ध हैं, स्टॉफ नर्स 161 के Against 136 हैं, फार्मासिस्ट 50 के Against 42 हैं, ANM 388 के Against 325 हैं, लैब टेक्नीशियन 57 के Against 49 हैं, ये उपलब्धि भी असंतोषप्रद नहीं है, संतोषप्रद ही है।

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस के बारे में भी आपके प्रतिवेदन में छपा है, मैं इसको पढ़ना ज्यादा उचित नहीं समझा। मैं इसमें आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं अगर गलत नहीं हूं तो ये मोक्षित वाला, रि एजेंट वाला ही कार्पोरेशन है क्या ? ये रि-एजेंट का खेल बहुत पुराना चल रहा है। आपको इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। यहां पर सरकार का करोड़ों रूपए है, कोई रि-एजेंट देने वाला आदमी सरकार के मशीनरी के उपर हॉवी नहीं होना चाहिए, माननीय मंत्री जी आप कड़ाई से पेश आईए और जनता के हित में जो भी सही फैसला हो, सही आदेश हो, जिसको भी सप्लाई देना है दीजिए, जिसको भी लेना है वे लें लेकिन इस तरीके से न करें कि वे जो मनमर्जी चाहे ला के पटक दे, जब चाहे तब कर दे। उसे बचाने का जघन्य अपराध हमारे उपर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपकी नीयत साफ है, आपकी व्यवस्था ठीक है, हमारे सब लोग सही हैं, इसको रोक देना चाहिए। आपने मातृ शिशु अस्पताल का भी भवन निर्माण बहुत कराया है, छत्तीसगढ़ में 100 बिस्तर के 10 नग शिशु अस्पताल का निर्माण हो चुका है, छत्तीसगढ़ में 50 बिस्तर के 15 नग शिशु अस्पताल बन गये हैं, इसमें आपने बहुत सी अस्पतालों का प्रावधान किया है। माननीय सभापति महोदय, आप लोग बार-बार बोलते हैं कि हमारी सरकार आपके नाम को बदल देती हैं, क्यों बदल रहे हैं ? डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना एवं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये दोनों योजना लागू है। इस प्रतिवेदन में है। आपने बोल दिया कि खूबचंद बघेल का नाम बदल दिया। क्यों बदलेंगे ? अगर एक सज्जन व्यक्ति, एक बड़े नेता के नाम से कोई योजना है और उस योजना का लाभ गरीबों को मिल रहा है तो उस नाम को बदल देने से क्या मिलने वाला है। ये सरकार संकीर्ण मानसिकता से चलने वाली नहीं है, ये विष्णुदेव साय की

सरकार है, एक गरीब परिवार का बेटा है जो मुख्यमंत्री को सुशोभित कर रहा है, ऐसे तिकड़मबाजी, ऐसे दांवपेज और ऐसी संकीर्ण दिमाग से राजनीति करने वाला हमारा मुख्यमंत्री नहीं है, सज्जन है, सीधा है तो आप लोग कुछ भी आरोप लगाते रहते हैं। (मेजों की थपथपाहट) वे बोलते नहीं, वे गुस्साते नहीं, आप लोगों को आरोप लगाने के पहले इस प्रतिवेदन को पढ़ना चाहिए। इसमें सभी नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सहित शहीद वीर नारायण स्वास्थ्य सहायता योजना है। मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना राज्य को बेहतर करने के लिए हैं। यह योजना भी आपकी सरकार के समय में वर्ष 2020 में शुरू हुई थी। लेकिन इस योजना के महत्व को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने इसका विस्तार किया है और उन्होंने इसमें 25 लाख रूपये तक के इलाज की सुविधा प्रदान की है। इसमें किसी भी गरीब को दुर्लभ बीमारियों के लिए 25 लाख रूपये तक की इलाज की सुविधा स्वास्थ्य विभाग दे रहा है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना है। मैं अंक गणित में कमजोर हूं, लेकिन मैं इसको पढ़ देता हूं कि इस योजना में दिनांक 01.01.2020 से लेकर दिनांक 31.01.2025 तक कुल 6,096 करोड़ रूपये की राशि से 2,08,85,37,412 लाख से अधिक क्लेम किये जा चुके हैं। इस तरह से जिसके घर में कोई दुर्लभ बीमारियों से बीमार हो, उसकी आप पीड़ा पूछियेगा। जब वह अपने पिता को कैंसर से पीड़ित देखता है, जब वह अपने पिता के किडनी और अन्य रोगों के इलाज के लिए पैसे के अभाव में दर-दर भटकता है, तब माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार उसके लिए 25 लाख रूपये देने के लिए तैयार है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, यह खाद्य नियंत्रण विभाग भी है। यह औषधियों और अन्य खाद्य पदार्थों की नकली चीजों पर नियंत्रण करते हैं। मैं आपसे इसमें निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश में नशाखोरी का जबरदस्त व्यापार हो रहा है। इस प्रदेश में नशे के सौदागर जिन्होंने कभी उड़ता पंजाब पिक्चर देखी होगी, वह छत्तीसगढ़ को उड़ता पंजाब बनाने के लिए लगे हुए हैं। आप ऐसे गिरोह के लोगों को कुचलने का काम करिये। उनके लिए यह लोग टूल बनते हैं। कई दुकानों में दवाइयों में मिलता है। मैं सबको नहीं बोलता हूं, परंतु कई ऐसे लोग हैं, जो उनसे सीधा-सीधा मॉर्फिन, सुलोशन और न जाने क्या-क्या चीजें लेकर छोटे-छोटे बच्चों को देते हैं। मैंने एक दिन स्वयं देखा था। मैं सत्यम चौक में किसी से मिलने के लिए खड़ा था तो दो लड़के रूमाल निकाले और रूमाल निकालकर उसमें सुलोशन डालकर उसको रगड़कर ऐसा-ऐसा सूंघे और वह तड़पते हुए, हाथ-पैर भिनभिनाते हुए वहीं पर बैठे हुए थे। यह हम किधर जा रहे हैं? आप छत्तीसगढ़ को बचाइये। छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के नशे से हमारा प्रदेश बर्बाद हो रहा है। चैन लूटे जा रहे हैं। डकैतियां हो रही हैं। वह नशे वाला आदमी चाकू रखकर किसी को भी मार सकता है, चाहे आपकी जितनी भी security रहे। यह नशे का आदि आदमी किसी की भी जान ले सकता है। बकरा और मुर्गा काटने में भी थोड़ी दया आती है, लेकिन उसको कोई दया नहीं आती है। इसलिए

आप इस विभाग को active करिये और पूरे प्रदेश के हर दुकानों में यदि नशे की ये चीजें बेचने की कोई शिकायत हो चाहे न हो, लेकिन आपको इसकी जांच करानी चाहिए। आपके पास इतना बड़ा अमला है तो आप इसकी जांच कराइये।

सभापति महोदय :- आप थोड़ा संक्षेप करेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, मैं दो मिनट में बोल रहा हूं। मैं तो सरकार की तरफ से बोल रहा हूं। मैं इसको रख देता हूं और 2-3 बातें कह लेता हूं। माननीय सभापति महोदय, जब बिलासपुर का मेडिकल कॉलेज खुला तो वह छत्तीसगढ़ का दूसरे नंबर का मेडिकल कॉलेज था। उस कॉलेज के खुलने में और उस कॉलेज के यहां तक आने में हम लोग भी वहां के जन प्रतिनिधि के रूप में उसमें शामिल थे। कैसे-कैसे उस मेडिकल कॉलेज को खुलवाया गया। नदी तक की जमीन को आधी नदी को नापकर मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया को बताया गया था कि इतना बड़ा है। गवर्नर साहब साय साहब थे और जोगी जी मुख्यमंत्री थे। उसको खोलने का जिद भी था और उसको खोलने का प्रयास भी किया गया और वह खुला भी। लेकिन जिस दिन से वह जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज में बना है, उसके संबंध में मैंने 2-3 बार विधान सभा में मांग कर ली। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, मैं आपसे चाहूंगा कि जैसे जगदलपुर में, अन्य प्रदेशों में, रायगढ़ में और राजनांदगांव में मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बनी हुई है, आपको वैसी ही मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बिलासपुर के लिए भी बनाने की घोषणा करनी चाहिए। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 300 बेड के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन में हम लोग गये थे, वह बना है। आप उसी के आसपास मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बनवाइये और इस मेडिकल कॉलेज में एक बहुत बेहतरीन आई हॉस्पिटल खोलिये। जैसे-एल.वी. प्रसाद, हैदराबाद type का एक आई हॉस्पिटल खोल दीजिये। बहुत बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है और आप उस बिल्डिंग में eye hospital खोलिये। मैं जब छोटा था, शायद उप मुख्यमंत्री जी तो मुझे से भी बहुत छोटे हैं, अभी भी मुंगेली में रेंबो वार्ड है। मिशन हास्पिटल में डॉ. रेंबो विदेश के डाक्टर थे, वह आज से 70 साल पहले वहां eye का ईलाज करते थे। एक जमाने में मुंगेली eye के नाम से फेमस था। बड़े-बड़े शहर के लोग वहां ईलाज कराने के लिए जाते थे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बिलासपुर में एक बेहतरीन eye hospital खोलने के लिए विचार करें। जब मेडिकल कॉलेज बनकर जाये तो उस बिल्डिंग में eye hospital खोलकर बिलासपुर को एक मेडिकल eye के नाम से बढिया हब बनाने के लिए कोशिश करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, दवाई के लिए कार्ड मिलता है, कोई डाक्टर अपनी मनमर्जी लागू नहीं करेंगे बोलते हैं। क्यों लागू नहीं करोगे ? पहले तो बहुत वसूली किए हो, बहुत खरोच खरोच कर पैसा निकाल लिए थे, अब गरीबों का ईलाज करिये न। हर महीने आपके कलेक्टर, सी.एम.एच.ओ. संयुक्त संचालक के सामने सभी अस्पताल के लोगों के प्रतिनिधियों की मीटिंग होनी चाहिए। उसमें बताना चाहिए कि आपने कितने लोगों का आरोग्य कार्ड या आयुष्मान कार्ड में सेवाएं दी हैं और उसका हिसाब रखिये।

मैं जानता हूं कि वहां के कई बड़े अस्पताल हैं, जिनका लाखों रूपए का पेमेन्ट रूका था, बाद में हो गया। तो यह चक्कर नहीं होना चाहिए। आप उसका हर महीने हिसाब रखिये कि आखिर आपने क्या ईलाज किया, कितने लोगों को दिया, क्या दिया, क्या नहीं दिया। गांव में दवाईयों का सिलसिलेवार विवरण हो। मंत्री जी बता रहे थे कि स्नेक, कुत्ते का इंजेक्शन, यह सब रहना चाहिए। सांप काटे तो मुआवजा नहीं लेना है भाई, उसकी जान बचाना है। तो ये सब वहां उपलब्ध रहे। अस्पताल में और भी सुविधाएं जैसे राघवेन्द्र ने कहा कि जीवन दीप समिति में, मैं सबसे ज्यादा जीवन दीप समिति की बैठक लेता हूं। क्योंकि मुझे इस बात में रूचि है कि हम, हमारे लोगों को सीमित साधन में कैसे अच्छी व्यवस्था दे सकते हैं। लेकिन वहां पैसा ही नहीं है। आप उस फण्ड को बढ़ा दीजिये न। आप 5 लाख रूपये के फण्ड को 20 लाख रूपया कर दीजिये। वह पैसा हमारे घर में नहीं आना है, वह पैसा रहेगा। एस.डी.एम. उसका सचिव होता है। विधायक, उसका अध्यक्ष होता है। जो भी व्यवस्था होगी, उसका खर्च, उसका हिसाब-किताब सब लोग रखेंगे। तो छोटी-छोटी बातों के लिए बड़े-बड़े स्तर पर आकर बोलना उचित नहीं होता है। इसलिए अगर विकेन्द्रीयकरण करके जीवन दीप समिति को मजबूत बनायेंगे तो बहुत सी समस्याओं का हल होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जिसे मैं यहां नहीं बोलना चाहता था। मैं कहना भी नहीं चाहता था, लेकिन मैं जरा नाराजगी में हूं, इसलिए बोलना चाहता हूं। आप कृपा करके उसको सुन लीजियेगा। इस सदन में किसी को कोई तकलीफ हो, उसका कहीं आपरेशन हो, उसके परिजन का कोई आपरेशन का बिल हो, वह अपना पूरा क्लेम करे, यहां से सब कागज जाये तो उसके बिल का पेमेन्ट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए ? यह किन्तु, परन्तु ये लाओ, उससे लिखवाकर लाओ, उसको बोलो, इसको बताओ, इसको करो, यह सब बंद होना चाहिए, या तो आप एक लकीर में जवाब दे दीजिये कि यह आपका फर्जी क्लेम है, हम नहीं देंगे। कृपा नहीं चाहिए, दया नहीं चाहिए। लेकिन कोई क्लेम है तो उन लोगों का सारा क्लेम वहां से मंजूर होना चाहिए, जो उस क्लेम को मांग रहे हैं। इसलिए आप जरा समीक्षा करके दिखवाईयेगा। मैं फिर बोल रहा हूं कि बिलकुल कृपा नहीं चाहिए। अगर मिल सके तो सम्मान से दीजिये, नहीं तो आप एक लकीर में लिखकर भिजवा दीजियेगा कि यह आपको नहीं मिलेगा, हम उसको स्वीकार कर लेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। ।(मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, मैं एक लाईन बोलकर कुछ काम करके आता हूं। मैं चर्चा में भाग नहीं लूंगा। छत्तीसगढ़ में जीवन की जो प्रत्याशा है, वह भारत के मुकाबले कम है, देश के मुकाबले कम है। कितने सुझाव आयेंगे, आप उसको देखियेगा। आप efficient minister हैं। geriatrics खोलिये। आप छत्तीसगढ़ में कहीं मेडिकल कालेज खोल रहे हैं, पी.एच.सी., सी.एच.सी. खोल रहे हैं। बढ़ती आबादी वृद्धों की है, senior citizens की है। यहां छत्तीसगढ़ में उसके देखभाल की कोई मेडिकल व्यवस्था नहीं है। आपको दूसरे प्रान्तों में geriatrics मिल जायेगा। परन्तु छत्तीसगढ़ में

उसका कोई मेन पावर नहीं है। वृद्धों की एक बड़ी आबादी हो रही है। दूसरी एक लाईन, फिर मेरी बात समाप्त है। मैं डेढ़ महीने से बाजार का पनीर खाना बंद कर दिया है। मध्य भारत में 600 किलो, 6 क्विंटल पनीर रायपुर में पकड़ा गया। आप समझ रहे हैं ? खाद्य एवं शहरी प्रशासन थोड़ा कागजों से निकले। उसका एक कार्यक्रम बने कि फल दुकान, होटल या कीचन का 6 महीने, 3 महीने में एक बार जांच करनी है, एक बार देखनी है। उसके पास ऐसा कोई चार्टर नहीं है। आप इसको करवा दीजिये क्योंकि आप efficient हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप अच्छा काम कीजिये। धन्यवाद्।

सभापति महोदय :- अटल जी।

श्री अटल श्रीवास्तव (कोटा) :- माननीय सभापति महोदय, बहुत सारी बातें हो गईं। मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ राज्य इस बार रजत जयंती वर्ष पर है और किसी भी प्रदेश की पहचान वहां की शिक्षा और वहां के स्वास्थ्य से होती है। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो एक मात्र चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में था। दूसरा चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर में खुला। आज यहां 10 महाविद्यालय खुल चुकी हैं और 11वीं चिकित्सा महाविद्यालय की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र कुनकुरी में हुई है। इसके अलावा 10 नर्सिंग कॉलेज व 5 प्राईवेट मेडिकल कॉलेज भी छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में लगभग 16 मेडिकल कॉलेज हो गये हैं। मैं हमारे विद्वान सदस्य आदरणीय अजय चन्द्राकर जी को कोट करना चाहूंगा कि जब इसके पहले खेलकूद विभाग के मामले में चर्चा हो रही थी तब उन्होंने कहा था कि हमने सब जगह स्टेडियम बनाया है, लेकिन Excellency का कहीं न कहीं कमी दिखती है। हमने मेडिकल कॉलेज बना दिया है, लेकिन वहां पर लगातार विशेषज्ञों की कमी दिख रही है। छत्तीसगढ़ राज्य को बने 25 साल हो गये हैं। हमने infrastructure develop कर लिया, हमने बहुत सारी प्रगति की, लेकिन अब हमको ज्यादा जरूरत है कि हम विशेषज्ञों के रूप में किस तरीके से अपने हॉस्पिटल को आगे बढ़ायें। मैं कभी-कभी बात करता था कि अपोलो का establishment खर्च है और हमारा सिम्स का establishment खर्च है, उसमें हमारे सिम्स का establishment खर्च अपोलो से ज्यादा है। आप अपोलो जायेंगे तो वहां पर जो facilities हैं, वहां पर जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, आखिर किन कारणों से वहां पर डॉक्टर अच्छा काम कर रहे हैं? वहां सफाई व्यवस्था क्यों अच्छी रहती है? वहां समय पर दवाई क्यों मिल जाती है? यह व्यवस्था हमारे सिम्स में क्यों लागू नहीं हो पा रही है? केवल उसमें एक बात है। मैंने उसमें बात की थी कि हमको भी एक सी.ई.ओ. रखना चाहिए जो बाकी मैनेजमेंट देखें। वहां अपोलो का डॉक्टर केवल डॉक्टरी करता है, केवल दवाई लिखता है, ट्रीटमेंट करता है, लेकिन हमारे यहां के डीन को, हमारे यहां के विभागाध्यक्ष को नर्स सर्विस पर आई है या नहीं, बाटल उपलब्ध है या नहीं, दवाई उपलब्ध है या नहीं है, ए.सी. चल रहा है या नहीं चल रहा है, सिलेण्डर में ऑक्सीजन है या नहीं है, यह देखने का काम किसी डॉक्टर का नहीं होना चाहिए। यह सब देखने का काम सी.ई.ओ. का होना चाहिए, जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का काम करता है। तब वहां की व्यवस्था सुधरेगी। हमको इसीलिए

ध्यान देना है कि अब हमको गुणवत्तायुक्त हॉस्पिटल चाहिए, जिसकी हमको जरूरत है। आपके आंकड़े बताते हैं कि हमारे यहां चिकित्सा विशेषज्ञ की 1773 पद स्वीकृत हैं, उसके विरूद्ध में हमारे पास 1418 पद रिक्त हैं। आपने बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि जो एम.बी.बी.एस. करेगा, उसको दो साल गांवों में नौकरी करनी पड़ेगी। अभी हम जो विशेषज्ञ दे रहे हैं, नर्सिंग को छोड़ कर फिजियोथैरेपी को छोड़ कर हमारी 855 सीटें स्वीकृत हैं, जिसमें 316 पी.जी. की सीटें हैं। मेरा यह कहना है कि हम जिनको पी.जी. की सीटों में प्रवेश दे रहे हैं, उनके यहां भी शर्त रखी जाये कि आपको लगभग एक साल हमारे सरकारी अस्पतालों में काम करना होगा। हमारे अस्पतालों में जो विशेषज्ञों की कमी दिख रही है, उससे अस्पताल की कमी को इसी तरीके से पूरा किया जा सकता है। अभी हमारे राघवेन्द्र भाई ने बताया कि किस तरीके से लोवर स्टॉफ की कमी है। लगभग 8 हजार स्टाफ की कमी लगातार दिख रही है। जब तक आपके पास वर्क फोर्स नहीं होगा। आप सोचिए कि बिलासपुर से एन.टी.पी.टी. लगभग 17 किलोमीटर दूर बसा हुआ है और रायगढ़ से लारा लगभग 20 किलोमीटर दूर बसा हुआ है, पर वहां के कर्मचारी न ईलाज के लिए बिलासपुर आते हैं, न एजुकेशन के लिए बिलासपुर आते हैं, वह केवल घूमने के लिए बिलासपुर आते हैं। उसका कारण है कि आप work culture पैदा कीजिये। आपके जितने ब्लाक के हॉस्पिटल हैं, वहां डॉक्टरों के लिए मकान नहीं है। वहां पर नर्स के रहने के लिए जगह नहीं है। जब आप उनको security नहीं दे पा रहे हैं तब आप उनसे कैसे उम्मीद करते हैं कि वह अच्छा ईलाज करेंगे। जो basic infrastructure है, खासकर मेडिकल लाईन का basic infrastructure से कम से कम उनका मन शांत रहेगा तभी तो वह अच्छा कर पाएगा। अगर उसको रहने की अच्छी जगह मिलेगी तभी तो वह ईलाज अच्छा कर पाएगा। अगर उसके परिवार की पढ़ने की अच्छी जगह होगी तभी तो वह अच्छा ईलाज कर पाएगा। आप basic facilities की तरफ ध्यान देने की कोशिश कीजिए, तभी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, उनको सुधारने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय धर्मजीत सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम से कम उन्होंने माना है और आपकी सरकार ने उसे लागू किया । सभापति महोदय, आज से तीन साल पहले माननीय धर्मजीत सिंह जी के विधान सभा क्षेत्र औरापानी में जहां पर गिद्ध वल्चर रहते हैं, अपने परिवार के साथ गया था । सभापति महोदय, आदिवासी गांव में एकदम जंगल के बीच में बाजार लगा हुआ था और मैंने वहां पर एक एम्बुलेंस खड़ी देखी । मुझे लगा कि क्या हो गया, मैं वहां गया । मैने देखा कि तीन डॉक्टर बैठे हुये हैं और लगभग 8-10 लोगों की लाईन लगी हुई है और ईलाज कराने आ रहे हैं । सभापति महोदय, मुझे लगा कि हॉट बाजार क्लिनिक योजना सक्सेस हो रही है, बाजार में जब क्लिनिक लगती है तो लोग ईलाज कराने आते हैं । सभापति महोदय, आपने उस योजना को चालू रखा है, आप उस योजना को और बढ़ाईये । आपकी यह कोशिश होनी चाहिये कि गांव से ब्लॉकों में और ब्लॉक से जिला अस्पतालों में भीड़ कैसे कम हो सकती है? अगर गांवों में ईलाज की सुविधा उपलब्ध होगी तो ब्लॉक के अस्पतालों में भीड़

कम आयेगी, अगर ब्लॉक में ईलाज की सुविधा अच्छी होगी तो आपके जिला अस्पताल और सिम्स में जो भीड़ लगी हुई है, वहां भीड़ की संख्या कम होगी । माननीय सभापति महोदय, आज ही जांजगीर का किस्सा आया है कि जांजगीर के डॉक्टरों ने वहां के सायकल स्टैण्ड में ओ.पी.डी. लगाई । यह जो व्यवस्था का प्रश्न है, आज ही की न्यूज है, वहां के सभी डॉक्टर्स ने सायकल स्टैण्ड में ओ.पी.डी. लगाई, वहां सीएमएचओ का कुछ लड़ाई-झगड़ा हो गया है, इसको भी रोका जाना चाहिये । इमरजेंसी सेवायें हैं, ऐसी जरूरत क्यों पड़ रही है, उन्होंने सिविल सर्जन के खिलाफ आंदोलन किया । माननीय सभापति महोदय, हम बड़ी-बड़ी मशीने खरीदते हैं, बिलासपुर में 19 करोड़ की एम.आर.आई. मशीन आई है । ऐसा कहा जाता है कि भारत में ऐसी तीन या चार मशीने हैं, जो इतने माइक्रो लेवल पर एम.आर.आई.करती है । सभापति महोदय, पल्स का ऑपरेटर नहीं मिलता है, उसके सिस्टम नहीं मिलते हैं, हम लोग सड़कें बनाते हैं तो यह बोलते हैं कि यह बी.ओ.टी. में है । आप जो मशीने बड़ी-बड़ी मंगा रहे हैं, उन मशीनों की कंपनियॉ है, उसे कहिये कि 6 महीने यहां रहना पड़ेगा । हमारे 3 स्टॉफ को आपको ट्रेंड करना पड़ेगा कि यह मशीन कैसे चलेगी, तब जाकर वह सिस्टम होगा ? सभापति महोदय, आप सिम्स में चले जाईये, अभी तक नहीं है । वहां एम.आर.आई. मशीन रखी है, जिस तरह से काम होना चाहिये, उस तरीके से काम नहीं हो रहा है, उनको टाल दिया जाता है । वहां एक पर्ची फाड़ी जाती है कि आप बाहर से एम.आर.आई. कराकर आयें । सभापति महोदय, मैं आपसे कहीं न कहीं सिस्टम डेवलप करने की बात कर रहा हूँ, यहां सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा । चूँकि बाकी बातें आ चुकी है, मैं कुछ बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । सभापति महोदय, मेरे कोटा विधान सभा क्षेत्र में बता रहे थे कि जब मलेरिया से और हैजा से हमारे सदस्यों की मौतें होती थी, पिछले साल ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में मलेरिया से 4 लोग और हैजा से 3 लोगों की मौतें हुई । सभापति महोदय, आपने पता नहीं कितने लाख मच्छरदानियॉ बांट दी है, क्लोरोक्विन की कितनी सारी दवाईयॉ बांट दी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिल्हा में एक मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है । माननीय सभापति महोदय, आपको इस ओर ध्यान देना होगा, जब तक हम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छा नहीं करेंगे, तब तक आपके शहर के बड़े अस्पतालों में भीड़ कम नहीं होगी । लोगों को मलेरिया से नहीं मरना पड़ेगा, लोगों को डेंगू से नहीं मरना पड़ेगा । सभापति महोदय, मैंने तो एक अशासकीय संकल्प भी लाया था कि जब शेर किसी को खा जाता है तो उसको मुआवजा मिलता है, जब किसी को सॉप काट देता है, उसको प्राकृतिक आपदा माना जाता है, जब मलेरिया या डेंगू काटता है तो उसे प्राकृतिक आपदा क्यों नहीं माना जाता ? सभापति महोदय, यह कहीं न कहीं सिस्टम की कमी है, आदमी मलेरिया से मर रहा है, आदमी डेंगू से मर रहा है । मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा, इसमें अच्छी बात यह है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को जब भी कोई बात कही जाये तो बड़ी गंभीरता से बातों को सुनते हैं और बड़ी गंभीरता से लेते हैं । मैं आपसे निवेदन करूँगा कि बेलगहना जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केनद्र हैं,

वहां मेडिकल ऑफिसर नहीं है, वहां पर फार्मासिस्ट नहीं है, वहां पर लैब असिस्टेंट नहीं है, मैं चाहता हूँ कि बेलगहना एक ऐसा क्षेत्र है, जहां 25 किलोमीटर के रेडियस में दूसरा अस्पताल नहीं है । सभापति महोदय, पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में बैगा आदिवासी लोग रहते हैं, जब उनको मलेरिया होता है, दो दिनों में पूरी तरह से फैल जाता है, तब वह अस्पताल की तरफ रूख करते हैं । सभापति महोदय, यदि आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अच्छा रहेगा, मुझे उम्मीद है कि वहां के लोगों को ईलाज की सुविधा हो पायेगी । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बेलगहना में आपकी जो 108 की योजना चली है, आज क्रांतिकारी योजना है, जब किसी का एक्सीडेंट होता है, मेरा अपना अनुभव है, मैंने सड़क के 10 एक्सीडेंट में जब भी 108 को फोन किया, वहां थोड़ी देर में 108 पहुंची है, इन सुविधाओं को और बढ़ाया जाना चाहिये । सभापति महोदय, हमारा बेहगहना से पेंड्रा की दूरी करीब 40 किलोमीटर है और बेलगहना से बिलासपुर की दूरी भी लगभग 60-70 किलोमीटरी है । वहां पर लगातार मांग हो रही है कि एम्बुलेंस की व्यवस्था हो जाये, वह हाईवे भी है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को इमरजेंसी आ जाती है, उसकी एक व्यवस्था करने की कृपा करें । विधान सभा क्षेत्र चन्द्रपुर में हमारे विधायक साथी के ग्राम जमगहन, तहसील मालखरौंदा जिला-सक्ति, जहां उनका अपना खुद का घर है, वहां पर एक उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की मांग मैं यहां से करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए सिस्टम को सुधारने की जरूरत है । मुझे विश्वास है कि इस रजत जयंती वर्ष में छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य के मामले में अपनी ऊंचाइयों को छुएगा । सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद । जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़ ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, एक बात बताना भूल गया था । पिछली बार के बजट सत्र में मैंने आपसे निवेदन किया था कि तखतपुर के मुरू गांव में एक उप स्वास्थ्य केन्द्र है, उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा दे दीजिएगा । इसके लिए आपके विभाग के स्तर पर लिखा-पढ़ी भी हुई थी, पर अभी तक उसका पता नहीं है तो कृपा करके अगर आप वहां उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कर देंगे तो ठीक रहेगा, वह बहुत जरूरी है । ऑलरेडी वहां उप स्वास्थ्य केन्द्र है, उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र करना है । ख्याल रखिएगा और हो सके तो यहां एक बार फिर बोल दीजिएगा तो शायद हो जायेगा । पिछली बार आप डायरेक्ट क्लीयर नहीं बोल पाये थे। इस बार बोल ही दीजिएगा तो हो जाएगा ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- सभापति जी, मैं एक लाईन कहना चाहता हूं, यह बात शायद विपक्ष वाले नहीं बोल पाएंगे । हर जिले में कमर को ठीक करने वाला उपकरण लगाया जाये । क्योंकि इन सबकी कमर सोनिया गांधी जी के पास में जा-जाकर झुक-झुक कर बहुत दर्द कर रही है ।

श्री रामकुमार यादव :- इहां तक तुंहर आवाज ही नहीं आवथे ।

श्रीमती रायमुनी भगत (जशपुर) :- सभापति महोदय, इसी विषय में छोटी सी बात कहना चाहती हूं । मेरे विधान सभा क्षेत्र में सन्ना पंडरापाठ में स्त्री रोग विशेषज्ञ की बहुत ही जरूरत है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां त्वरित गति से स्त्री रोग विशेषज्ञ भेजने की कृपा करेंगे । धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- पुन्नूलाल मोहले जी । संक्षेप में अपनी बात समाप्त करिएगा ।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- संक्षेप में ही ? मैंने संक्षेप बोल दिया, वह हो गया।

सभापति महोदय :- मतलब आप समय के हिसाब से बोलिए ।

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, सदन को मालूम होना चाहिए कि माननीय मोहले जी बहुत बड़े बैद्य हैं ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- ईलाज कराना है क्या ?

श्री धरम लाल कौशिक :- पुन्नूलाल जी ने जनसंख्या नियंत्रण पर काफी प्रभावी काम किया है । (हंसी)

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सभापति महोदय, मैं जनसंख्या नियंत्रण के बारे में ही बात करना चाहूंगा । (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- तै बढ़ा, हमन नियंत्रण करी ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सभापति जी, परिवार नियोजन समाज के लिए आवश्यक है । (हंसी) जनसंख्या को कम करना है तो परिवार नियोजन कराना होगा ।

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति जी, पुन्नूलाल जी सबको शिक्षा दे रहे हैं। आप इनको पूछिए कि जनसंख्या नियंत्रण कितना आवश्यक है । (हंसी)

सभापति महोदय :- वे जानते हैं इसलिए उसकी आवश्यकता बता रहे हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति जी, मोहले जी 100 चूहे खाकर हज़ करने जा रहे हैं । परिवार नियोजन के बारे में ज्ञान दे रहे हैं ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- जब खाया जाता है, तब हज़ ही किया जाता है । (हंसी) मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि अगर परिवार में अपनी जनसंख्या को नियंत्रण भी करना है और कम बच्चे पैदा करना है तो हमारे दिल्ली की सरकार, हमारे केन्द्रीय मंत्री जी ने एक ऐसी व्यवस्था की है, जिसको मैं बताना चाहूंगा । गर्भ निरोधकों के लिए अंतरा कार्यक्रम के अंतर्गत इंजेक्शन की आवश्यकता है । इंजेक्शन लगाते हैं तो वह रूकता है, जिससे गर्भ ठीक रहता है । दूसरा, आपने गोली की व्यवस्था की है-अंतरा गोली । अंतरा इंजेक्शन लगाते हैं और उसके बाद गर्भ निरोधकों के लिए गोली की व्यवस्था है, जिसमें छाया गोली है । उस गोली को 3 महीने खाना पड़ता है और तीन महीने खाने के बाद सप्ताह में एक-एक गोली खाते हैं, जिससे आपने परिवार नियोजन रोकने का उपाय किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं । (मेजों की थपथपाहट) वैसे इस गोली को हमारे रामविचार जी भी ले सकते हैं ।

(हंसी) मैं तो लेकर बैठ गया हूं न । इस कारण हम परिवार नियोजन कर सकते हैं या हमारे देश की जनसंख्या कम हो सकती है, जिससे मानव की आर्थिक, सामाजिक स्थिति मजबूत हो सकती है । इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा । अगर परिवार नियोजन कराने से अस्पताल में नसबंदी के दौरान छुट्टी के 07 दिनों के भीतर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे 04 लाख रुपए देने की व्यवस्था की है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। यदि अस्पताल से छुट्टी होने के 30 दिन के भीतर मृत्यु होती है, तो उसे 1 लाख रुपए, नसबंदी ऑपरेशन के असफल होने पर 60 हजार रुपए भी देने का प्रावधान किया गया है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। नसबंदी ऑपरेशन के छुट्टी के 60 दिनों के भीतर complication case होने पर उसे 50 हजार रुपए दी जाती है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। इससे लोग एवं डॉक्टर खुश हैं। ऐसी चीजों से लोग परेशान होंगे और उनके लिए आसान भी होगा और मरीजों के लिए जो व्यवस्था की गई है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, जो मानव अंग प्रत्यारोपण की बात है, उसकी नि:शुल्क जांच के लिए, किडनी, हृदय रोग, हृदय का वाल्व, फेफड़े या अन्य जो गंभीर बीमारियां हैं, उसका यदि इलाज कराना है, गरीब आदमी है, तो उनको और कोई अंग नहीं दे सकता। ऐसे जो अंग देते हैं, उसके लिए सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश स्तर पर रजिस्ट्रेशन किया जाता है और उपलब्धता के आधार पर उन्हें दिया जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं, जिन्हें तत्काल आवश्यकता है, उनके लिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करुंगा कि ऐसे मरीजों के लिए तत्काल नि:शुल्क व्यवस्था की जाए, ताकि गरीब आदमी इससे लाभ प्राप्त कर सके। यह मैं आपसे चाहता हूं। पर इस व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए जिला स्तर पर रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। जब प्रदेश स्तर पर रजिस्ट्रेशन होता है, तो लोग भटकते रहते हैं और लोगों को मालूम नहीं होता है। उसकी जिला स्तर पर रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, अगर मैं आयुष्मान कार्ड की बात करूं, तो आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में होता है। पर बहुत से अस्पताल हैं, जहां आयुष्मान कार्ड चलता नहीं है और वहां घुमाया जाता है। ऐसे अस्पतालों को चिन्हित किया जाए, उसमें बोर्ड रखा जाए। वे बोर्ड रखते नहीं हैं, अंदर में छोटे से बोर्ड में लिखते हैं और लोग जब आवश्यकता के अनुसार जाते हैं, तो कह देते हैं कि आयुष्मान कार्ड चलता नहीं है। अगर आयुष्मान कार्ड चलता है और ज्यादा पैसा लेते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई करें, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं। जो कार्डधारी हैं, उनके लिए 50 हजार रुपए तक के इलाज की व्यवस्था सरकार ने की है। आज की परिस्थिति में उनके लिए 50 हजार रुपए में कुछ नहीं होता। इसलिए उस राशि को बढ़ाया जाए, ऐसी मैं मांग करता हूं, ताकि लोगों को तात्कालिक लाभ मिले और स्थानीय स्तर पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, उनमें इलाज की व्यवस्था हो। चाहे शुगर की बीमारी हो या बी.पी. की बीमारी हो या छोटी-मोटी जो बीमारियां हैं, जिसका इलाज संभवत: मुफ्त में होता है। यह जेनेरिक दवा से होता है, पर जिले में इसका अस्पताल सिर्फ एक

होता है, तो यह आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर हो, जिससे आम लोगों को समय पर और कम दर पर जो जेनेरिक दवाएं मिलती हैं, उसका भी लाभ मिले, ऐसी मैं आशा करता हूं। हमें इन बातों का भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि अत्यंत हर्ष का विषय है कि आपके प्रदेश में कुल 8 शासकीय बी.एस.सी. नर्सिंग महाविद्यालय संचालित हैं, जिसमें बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम की कुल 410 सीटें हैं एवं एम.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु 162 सीटें उपलब्ध हैं। राज्य सरकार द्वारा 12 नए नर्सिंग महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है, जिसमें से 09 केन्द्रीय योजना अंतर्गत तथा 03 केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत है। इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। नए शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय प्रारंभ होने से प्रदेश के बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम के सीटों की संख्या अब 1010 होगी। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में वर्तमान में एकमात्र शासकीय फिजियोथैरेपी महाविद्यालय संचालित है, जिसमें बी.पी.टी. पाठ्यक्रम हेतु कुल 50 सीटें उपलब्ध हैं। राज्य सरकार द्वारा 06 नए फिजियोथैरेपी महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है, इसक लिए मैं धन्यवाद देता हूं। प्रदेश में शासकीय फिजियोथैरेपी महाविद्यालय में बी.पी.टी. पाठ्यक्रम के सीटों की संख्या अब 350 होगी, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। अगर मैं मुंगेली जिले की बात करूं तो पिछले समय अशासकीय संकल्प में सर्वसम्मति से पास हुआ था कि मुंगेली जिला चिकित्सालय को आपने पिछले समय आदर्श चिकित्सालय बनाया था। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और आपको बधाई देता हूं। इसके अतिरिक्त मेरी सी.टी. स्केन मशीन की मांग थी। आपने उसमें आश्वासन दिया था परंतु अभी तक वह मशीन नहीं मिली है। इसके अतिरिक्त मैंने अशासकीय संकल्प लगाया था, वह अशासकीय संकल्प केंद्र सरकार को पत्र भेजने के लिये सर्वसम्मति से पास हुआ था। आप कृपा करके उसे भेजे। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से और आपसे भी मांग की थी कि दिल्ली की निधि जब मिलेगी तब महाविद्यालय या जिला चिकित्सालय खुलेगा लेकिन मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप राज्य की निधि से महाविद्यालय या जिला चिकित्सालय खोलेंगे। मैंने मेडिकल कॉलेज के संबंध में अशासकीय संकल्प लगाया था। मैं माननीय मंत्री जी से यह मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग को फिर से दोहराता हूं। आपने जरहा गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन करने की स्वीकृति दी है, मैं उसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे स्वत: के गांव में 20 वर्षों से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप उसका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन करेंगे। उसमें आस-पास के मरीज आते हैं। मैं आपसे ऐसी आशा करता हूं कि आप मरीजों को वहां से समय पर जिला अस्पताल तक ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस भी देंगे। साथ ही आप मुंगेली विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत चकरभाठा में एक उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की कृपा करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। आपने कम समय में अपनी बात रखने कहा है। मेरे पास कई विषय

है, जिसे मैं बोल सकता हूं परंतु एक विषय है कि जब कुत्ता काट देता है। क्यों आपको कुत्ता काटा है या नहीं काटा है ?

श्री रामकुमार यादव :- तोला (व्यवधान)

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सभापति महोदय, कुत्ता काटने की दवा समय पर उपलब्ध नहीं होती, जिससे मरीज को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

श्री धर्मजीत सिंह :- रामकुमार यादव जी हर 6 महीने में कुत्ते के काटने से पहले ही इंजेक्शन लगवा लेते हैं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सभापति महोदय, हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कुत्ता और सांप काटने का इंजेक्शन होना चाहिए। अधिकतर सांप काटने का मामला आता है। उस समय तत्काल एंटी वेनम दवा, इंजेक्शन की आवश्यकता होती है।

समय:
9.07 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

यदि विषैले सांप ने काटा हो तो आधे से एक घण्टे में मृत्यु हो जाती है। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी दवा व इंजेक्शन की व्यवस्था की जाये, जिसे फ्रिज में रखा जाये, जिससे तात्कालिक रूप से उनका इलाज हो और वह मृत्यु से बच सके। इसके अतिरिक्त आप सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जेनेरिक दवाइयां रखवायेंगे, मैं ऐसी भी आशा करते हुए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आपकी मांगों का समर्थन करते हुए बहुत-बहुत बधाई देता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- धरमलाल जी, यदि कुछ मांग हैं तो सीधे रख दीजिये। भूमिका मत रखिये।

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) :- अध्यक्ष महोदय, मैं सीधे अपनी मांग रख देता हूं। मैं सबसे पहले मंत्री जी को बधाई देता हूं कि सरकार बनने के बाद जब से आपने जवाबदारी संभाली है, उसके बाद लगातार आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। साथ ही हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने से पहले और छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहले हमारे यहां 01 मेडिकल कॉलेज था और आज हमारे यहां 15 मेडिकल कॉलेज हैं। उसमें हमारे यहां स्नातक में कुल सीटों की संख्या 2130 हैं और स्नातकोत्तर में कुल 502 सीटें हैं। इसका यह मतलब है कि हमारे इतने डॉक्टर हर साल निकल रहे हैं। हम अस्पताल बना देते हैं, नये अस्पताल खोल देते हैं लेकिन अस्पताल खोलने के बाद उसकी पूर्ती कैसे होगी ? मैं समझता हूं कि इस दिशा में छत्तीसगढ़ बनने के बाद एक महत्वपूर्ण कार्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया है। उसमें आप जो 15 मेडिकल कॉलेज बनाकर संचालित कर रहे हैं और प्रत्येक वर्ष हमारे जो 2130 डॉक्टर निकल रहे हैं, मैं उसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यदि मैं हमारे रायपुर के मेकाहारा और बिलासपुर के सिम्स की बात करूं तो यह

अस्पताल पूरे प्रदेश के अस्पताल हैं। यह वास्तव में किसी एक शहर के अस्पताल नहीं हैं। उसमें हम जितनी सुविधाएं बढ़ायेंगे उसका लाभ प्रदेश के लोगों को मिलेगा। मंत्री जी, इसलिए वहां पर जो कमियां हैं, आप उन कमियों को दूर करें। बिलासपुर में सिम्स में भी लगातार कुछ न कुछ बातें आती रहती है। आप उस सिस्टम में कैसे सुधार कर सकते हैं, उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी भी उसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, आज हम देख रहे हैं कि हार्ट की बहुत ज्यादा समस्या आ रही है और मेकाहारा में हार्ट के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। यदि वह पेशेंट प्राईवेट अस्पताल में जायेंगे तो वहां जाने के बाद उनकी क्या स्थिति है, उसे उसके परिवार वाले जानते हैं और वह जानते हैं? जिस प्रकार से मेकाहारा में ईलाज शुरू किया गया है और वहां पर आसानी से ऑपरेशन कर रहे हैं, वहां हार्ट का ईलाज हो रहा है। यह हमारी बड़ी उपलब्धि है। मैं, माननीय मंत्री जी आपको उसके लिए बधाई देता हूँ कि यहां की तर्ज पर बिलासपुर के सिम्स में भी हार्ट के ऑपरेशन की सुविधा प्रदान करेंगे तो निश्चित से पूरे संभाग के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। जहां बहुत सारे लोग ईलाज के अभाव में खत्म हो जाते हैं, उनको इससे एक बड़ी सुविधा प्राप्त होगी। मैं इस प्रतिवेदन में यह देख रहा था कि आप लोगों ने इस बात उल्लेख भी किया है।

अध्यक्ष महोदय :- अब उसको मत खोलिए। आप अपनी मांगें रख दीजिए। अगर उस पन्ने को खोलेंगे तो वह विषय लम्बा है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता रहा हूँ। चिकित्सा विशेषज्ञ के 1773 पदों में से नियमित 320 चिकित्सा विशेषज्ञ हैं। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कहां पर खड़े हुए हैं। आपके 1773 चिकित्सा विशेषज्ञ के पदों में रिक्त 1418 पद हैं । जो आपके चिकित्सा अधिकारी हैं, इन 2296 पदों में 1991 पद रिक्त हैं और उसमें जो संविदा के पद 780 हैं। इसमें नियमित पद 1174 हैं मतलब यह 50 प्रतिशत है। हम संविदा के भरोसे चला रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र बिल्हा में संविदा वाले डॉक्टर्स 5 थे, उनका कार्यकाल खत्म हो गया, वह से पांचों डॉक्टर्स छोड़कर चले गये। आपने नये संविदा डॉक्टर्स की भर्ती नहीं की है। हमारा वहां का अस्पताल पूरा खाली हो गया है। वहां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है। मैंने एक दो लोगों का लिखकर भेजा था कि हमारे पास जो डाक्टर्स हैं उन्होंने आवेदन दिया है किसी भी कारण से उनकी पोस्टिंग नहीं हो पायी तो वहां पर 5-6 पद खाली हैं इसी प्रकार से अन्य अस्पतालों में पद खाली हैं यदि उसमें कोई आवेदन कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें उस विषय में विचार करने की आवश्यकता है और हमें विचार करना चाहिए। हम अस्पतालों के लिए उपकरण खरीदी कर रहे हैं और उपकरण खरीदी करने के बाद, उसको स्टाल भी कर रहे हैं। लेकिन वहां पर उपकरण स्टाल करने के बाद भी बंद क्यों हैं ? मैं आपको केवल एक उदाहरण बता देता हूँ। इस प्रतिवेदन में यह उल्लेखित है कि ओ.टी. टेक्निशियन के 136 पदों में से 113 पद रिक्त हैं, ई.सी.जी. टेक्निशियन के 37 पदों में से 37 पद रिक्त हैं। तो इसमें आप थोड़ा सा विचार

कीजिए। लेकिन यह इतना ही नहीं है, आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम भी किया है। आपने इस क्षेत्र में जो बहुत अच्छे काम किये हैं मैं आपको उसको बताना चाहता हूँ कि यहां पर जो मातृत्व, शिशु, नवजात मृत्युदर हैं। हम वर्ष 2001 की बात करेंगे तो जहां पर 1 लाख की जनसंख्या पर 407 थी तो हमें आज इस बात का संतोष है कि यह वर्ष 2024 में यह संख्या 124 रह गई है। आने वाले समय में इससे भी कम होने की संभावना है। शिशु मृत्युदर की संख्या 76 थी, उसमें अभी हम 1 हजार की जनसंख्या में 38 में पहुंचे हैं और इसी प्रकार से नवजात की संख्या 45 में 26 पर है। निश्चित रूप से इसमें प्रगति है और मैं इस प्रगति का एक कारण यह समझता हूँ कि जो अस्पतालों में प्रसव की स्थिति है वह लगभग 90, 95 और 98 प्रतिशत है । आज अस्पतालों में जो प्रसव हो रहे हैं आप जो नियमित जांच करा रहे हैं हम सबको यहां इस नियमित जांच कराने का लाभ दिखायी दे रहा है। हमारी जो एक स्थिति बन रही है कि यहां पर जो दवाई और उपकरण खरीदी हो रही है। इससे विभाग की लगातार बदनामी हो रही है। अब आप उस व्यवस्था को कैसे सुधारेंगे। हम लोग अनेक बार इस विषय में प्रश्न लगाते हैं फिर आप उस प्रश्न का जवाब देते हैं, उसके बाद आप कठोर कार्यवाही भी करते है। आने वाले समय में हमारे प्रदेश में पारदर्शिता के साथ दवाई, उपकरण की खरीदी हो, जिससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार किया जा सके। आपने उस दिशा में काम किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसमें और कठोरता बरतने की आवश्यकता है। अगर हमें सिस्टम में सुधार करने की आवश्यकता है तो हम उसमें सुधार भी करेंगे। आयुष्मान योजना के अंतर्गत हमारे प्रदेश में 72 लाख परिवार को इसका लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही 5 लाख और 50 हजार रूपये का 8 लाख 56 हजार परिवारों को लाभ मिल रहा है। एक व्यापक स्तर पर आयुष्मान भारत योजना का केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से लाभ मिल रहा है। मैं समझता हूं कि यदि हम छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में 72 लाख और 8 लाख परिवार को जोड़ दें तो लगभग 80 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, यह हमारी बड़ी उपलब्धि है। जेनेरिक दवाई की दुकान और खोलने की आवश्यकता है ताकि उनको सस्ती दर पर दवाई की उपलब्धता हो सके और इसके लिए हमको प्रयास करने की आवश्यकता है। मैंने पिछली बार ट्रामा सेंटर की बात की थी। आप बिलासपुर से रायपुर तक आयेंगे तो आपके पास में बीच में कोई बड़े हॉस्पिटल नहीं हैं कि यदि दुर्घटना हो जाये तो उनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया जा सके। मैंने सरगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की बात की थी, यदि उसमें ट्रामा सेंटर खोलते हैं तो निश्चित रूप से लोगों की जान बचेगी। यदि आप इस बजट में ट्रामा सेंटर नहीं खोल पा रहे हैं, आप उसको अपग्रेड करिये। अपग्रेड करने के लिए जो राशि की आवश्यकता हो, आप उसमें राशि दीजिए। यह हमारे क्षेत्र की बात नहीं है, प्रदेश के लोगों को आवागमन के दौरान जो दुर्घटना घटित हो रही है और मृत्यु हो रही है और बहुत सारे लोग अकाल मृत्यु के शिकार हो रहे हैं तो उनको उसका लाभ मिलेगा। इसके लिए हमको करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ हमारे यहां बदरठा उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं, वहां पर लगातार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की मांग हो रही है। बिल्हा विकासखंड में पासीद है, वहां पर उप-स्वास्थ्य केन्द्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की मांग हो रही है। आप यदि वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलेंगे तो निश्चित रूप से वहां के लोगों को लाभ मिलेगा। दूसरी बात मैं विभाग के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हाईकोर्ट बोदरी में हो गया है। वहां हाईकोर्ट के जज रहते हैं। वहां पर हाईकोर्ट की आवासीय कालोनी है, वहां पर एयरपोर्ट है, जनसंख्या बढ़ गई है। वह अभी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप उसको सी.एस.सी. की घोषणा करेंगे और आप उसका परीक्षण करा लीजिए। आप बोदरी में सी.एस.सी. खोलते हैं तो उसका लाभ सबको मिलेगा। इसलिए उसको आप आज ही सी.एस.सी. की घोषणा कर दें तो मुझे लगता है कि संदेश भी अच्छा जायेगा और उसका लाभ भी वहां पर मिलेगा। इसीलिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बजट में भी बहुत अच्छी बातों का आपने उल्लेख किया है। मैं आपको बधाई देता हूं। आपने जो अनुदान की मांगें रखी हैं मैं उसका समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- रामकुमार यादव, आपको एक लाईन में बोलना है, उसके बाद कोई नहीं। चलिये, आप शुरू करिये।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ला बस यही कहूं कि मोर चन्द्रपुर विधान सभा हर जिला के लास्ट छोर हे और हमर नेता प्रतिपक्ष डॉ.चरणदास महंत जी बैठे हे। ओ सक्ती ला नवा जिला बनाये हे तो कलेक्टर, एस.पी. तो बैठत हे, लेकिन जिला में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हे, जैसे ही आज जिला चिकित्सालय में जो सुविधा हे, ओला सर्वसुविधायुक्त बनाये जाये। मोर एक ठे मांग हे। दूसरा आप जानत हव चन्द्रपुर ला पूरा उड़ीसा के भी व्यक्ति उहां दर्शन करय बर आथे, अन्य प्रदेश से भी आथे, ओला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हो जाये। उहां लरे परे मा अच्छे से दर्शन करय बर जो आथे, उ मन ला लाभ मिल सकथे। महाराष्ट्र में अष्टभुजी मंदिर में आकर उहां दर्शन करय बर भी जाथे, ओला छोटे से 10-20 बिस्तर के जो भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र होही, ओला बढ़ा देथव। मालखरौदा डभरा में महिला डॉक्टर के मांग करथवं। बस मोर अतके कन मांग हे, आप ओला घोषणा करके दे दिहौ।

श्री ब्यास कश्यप (जांजगीर-चांपा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो मैं धन्यवाद दूंगा कि सरकार की तरफ से नर्सिंग कॉलेज और जिला चिकित्सालय जांजगीर को 220 बिस्तर अस्पताल मिला है। ऐसी उम्मीद भी है कि आने वाले समय में जांजगीर-चांपा जिला के ऊपर आप लोगों की कृपा रहेगी। एक विषय है एन.एच.आर.एम. के अंतर्गत विगत 12-15 वर्षों से इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, यहां तक लगभग 100 के करीब दंत चिकित्सक भी आते हैं। उनकी यह

मांग है कि उनको या तो नियमितिकरण करें या अन्य राज्यों मध्यप्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली में उनको जो वेतन भुगतान होता है तो कम से कम उनका वेतन बढ़ा दिया जाये। यह मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा। अभी एक विषय है वर्तमान में जिला चिकित्सालय जांजगीर में सिविल सर्जन और वहां के स्थानीय कर्मचारियों के बीच जो विवाद की स्थिति बनी, उसके नाम से अभी चिकित्सा सुविधा में बाधा उत्पन्न हो गई है, उसका अतिशीघ्र निराकरण कर लें ताकि वहां के जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य का लाभ मिल सके । एक विषय और है, यह बी.डी. महंत चिकित्सालय चांपा वहां भी चूंकि वह हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, वह भी जांजगीर-चांपा जिले का मुख्यालय है उनको अपग्रेड किया जाये और उस चिकित्सालय में अच्छे डॉक्टरों की भी व्यवस्था करें, मुझे आपसे यही बात कहनी थी । धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ब्यास जी बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमार स्वामी जी बोल रहे हैं ।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्यामबिहारी जायसवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तो समय बहुत हो गया है लेकिन आप मुख्यमंत्री थे और मैं भी उस सदन में सदस्य था तो यह वही सदन है कि सुबह 5 बजे यहां से सब गये थे और घर में जाकर ब्रश करके चाय पी थी तो मुझे कोई चिंता नहीं है । मुझे लगता है कि आप सब लोग बड़े धैर्य से...।

अध्यक्ष महोदय :- आप बोलिए न । आपके लिये समय की सीमा नहीं है क्योंकि आपको जवाब देना है और सब लोग उम्मीद करके बैठे हैं तो आप आराम से बोलें, कोई जल्दी नहीं है । सुबह तक नहीं बोलना है, समय पर पूरा करना है । (हंसी)

श्री श्यामबिहारी जायसवाल :- नहीं, आज ही के दिन खत्म कर देंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विभाग पर 10 सदस्यों से कुछ न कुछ कम-ज्यादा करके आपने बोलवाया भी और मैं हमारे सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं । मुझे लगता है कि शायद शुरूआत में होता तो और सदस्य भी दिये होते तो एक और अच्छा भी होता लेकिन पर्याप्त सुझाव आ चुके हैं । इसमें श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह जी, हमारे वरिष्ठ विधायक श्री धर्मजीत सिंह जी, श्री अजय चंद्राकर जी, श्री अटल श्रीवास्तव जी, श्रीमती रायमुनी भगत जी, श्री पुन्नूलाल मोहले जी, श्री धरमलाल कौशिक जी, श्री रामकुमार यादव जी, श्री ब्यास कश्यप जी सहित अन्य सभी प्रमुख लोगों के सुझाव आये और मैंने उन सुझावों पर गंभीरता से ध्यान भी दिया ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य एक ऐसी व्यवस्था है कि मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन में अगर कोई चीज है तो वह स्वास्थ्य है । संस्कृत में एक श्लोक है -

स्वास्थ्यम सर्वसिद्धिनाम, धर्मार्थ काम मोक्षणां,
स्वास्थ्यम धन संपत्तिम, नाशमरथे पृथिव्याम् शमम् ।

इसका अर्थ है कि स्वास्थ्य ही समस्त सिद्धियों का आधार है और यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में सहायक है । माननीय अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी में भी Health is Wealth कहा जाता है और समय-समय पर हमारे जो स्थानीय कवि हैं और संतजन भी बोलते हैं कि पहला सुख निरोगी काया तो इस अवधारणा को लेते हुए इस महत्वपूर्ण विभाग में अभी तक जो आम जनता और हम सब लोग यह मानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग का काम केवल बीमारियों का ईलाज करना है । निश्चित रूप से एक समय था जब आदमी रोटी-कपड़ा और मकान के बीच सिमटा रहता था तो खाने की रोटी कुछ भी हो, दाल-रोटी भी खाना होता था लेकिन समय के साथ चूंकि आज समय बहुत आगे बढ़ रहा है तो आज भोजन में भी क्वालिटी बेस्ड भोजन की आवश्यकता होती है उसी प्रकार स्वास्थ्य में बीमारियों का उपचार तो हम करते ही हैं लेकिन इसके साथ-साथ जो डब्ल्यू.एच.ओ. ने बहुत पहले अमेरिका-इंग्लैण्ड ऐसे जो विकसित राष्ट्र हैं उनके स्वास्थ्य के अध्ययन के आधार पर उन्होंने जो स्वास्थ्य की परिभाषा दी उसमें 3 महत्वपूर्ण फेक्टर हैं। पहला है प्रिवेंशन ऑफ डिसीस (Prevention of Disease) । बीमारी को आने से ही रोकना, जब बीमारी ही नहीं आयेगी तो व्यक्ति बीमार नहीं होगा, जब बीमार नहीं होगा तो वह स्वस्थ होगा तो हम एक सेक्टर पर इस पर भी काम करे हैं, मैं इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा है बीमार हो जाने पर उसका उपचार करना तो बीमार हो जाने पर हम उपचार करते हैं । मैं इस पर भी संक्षिप्त में प्रकाश डालूंगा और तीसरा है वेलनेस । वेलनेस से तात्पर्य है अच्छा स्वास्थ्य एवं खुशहाली है, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक रूप से खुशहाल, इस तरह वेलनेस में तीन चीजें आती हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, prevention of disease के लिए आप जब मुख्यमंत्री थे, तब से ही हमने स्वास्थ्य सुविधाओं को देखा है। गांव-गांव तक जो मितानिन हैं, उनके माध्यम से हमारे जो उप स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी हैं और पेरीफेरी में डॉक्टर्स से लेकर सभी स्टाफ जन जागरूकता कैंप करते हैं, मलेरिया के समय डी.डी.टी. इत्यादि जो मच्छर को मारने के लिए छिड़काव है या फॉगिंग है, उसको करते हैं, गर्मियों में कुओं में तालाबों में पीने वाला जो पानी है, उसमें टैबलेट डालते हैं। सिकलसेल से लेकर तमाम बीमारियों की जांच हमारे स्वास्थ्य अमला के नीचे के कर्मचारी करते हैं और हम तो अब गांव-गांव में भी उप स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से बीमारी आने से पहले ही बी.पी., शुगर ऐसे तमाम बीमारियों की जांच कर रहे हैं। ये prevention of disease पूरा होने के बाद जब व्यक्ति फिर भी बीमार पड़ गया तो नीचे में उप स्वास्थ्य केंद्र से लेकर स्वास्थ्य केंद्र और सी.एच.सी. और हमारे सिटी हॉस्पिटल और अन्य ऐसे बड़े सिविल हॉस्पिटल हैं, इनके माध्यम से हम इलाज करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे आगे और

होने पर हम टर्सरी केंद्र में भेजते हैं, जैसे कि आप सभी सदस्यों को मालूम है कि आपके समय छत्तीसगढ़ राज्य बना तो एक मेडिकल कॉलेज था और समय के साथ 10 मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में ये बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले साल भी हम लोगों ने 4 मेडिकल कॉलेज को स्वीकृत किया और एक मेडिकल कॉलेज इस बार भी आया है। ऐसे 16 मेडिकल कॉलेज हो गये। (मेजों की थपथपाहट) ऐसे जो सेकेंडरी टर्सरी केयर हैं, उनके माध्यम से बीमारियों का इलाज करते हैं। इसी प्रकार से हमारे घोषणा पत्र में सभी संभागों में हमने एम्स की तर्ज पर सिम्स की स्थापना का माननीय प्रधानमंत्री की जी के नेतृत्व में जो संकल्प पत्र में जारी किया था, मुझे सदन को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे रायपुर संभाग का जो डी.के.एस. है, उसको हम धीरे-धीरे कई बीमारियों के मामले में एम्स से भी आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सतत् रूप से आपको सदन सामने बता दूं कि जो हमारा बर्न और प्लास्टिक सर्जरी यूनिट है, उसे हमने काफी उन्नत अवस्था में किया है और अच्छे रूप से कई बीमारियों के इलाज चल रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) इसी प्रकार से बिलासपुर का भी जो सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल है, हमने उसको प्रारंभ कर दिया है, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल माध्यम से और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित थे, हमारे डिप्टी सी.एम. साहब भी थे और हमने वहां दूसरा सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल खोला। (मेजों की थपथपाहट) हमारे बस्तर क्षेत्र में जहां नक्सलवादी घटनाएं होती हैं या फिर दूरस्थ अंचल में रहने वाले लोग हैं, वहां अन्य बीमारियां होने से अथवा गंभीर बीमार होने से यहां पहुंचने में बहुत दिक्कत होती है और मैं सदन के सामने विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले तीन महीने में जगदलपुर के मल्टी सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल में वहां इलाज चालू हो जाएगा। (मेजों की थपथपाहट) साथ ही साथ सरगुजा, जिसको किसी ने सुध नहीं लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ही सरगुजा के पालनहार थे, आपने स्वास्थ्य की सुविधाओं के क्षेत्र में वहां हमको मेडिकल कॉलेज दिया, लेकिन दुर्भाग्य से उसका भवन भी पूरा नहीं हुआ। हमारी सरकार आने के बाद उसके लिए 109 करोड़ की राशि और वहां मल्टी सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल की भी स्वीकृति हो गयी। शीघ्र उसका टेंडर लगने वाला है और सरगुजा में भी एम्स की तर्ज पर सिम्स की स्थापना होगी। मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशिलिटी को क्लब करके हमारा 5 में से 4 इन 14 महीनों में हमने संकल्प किया है। दूसरा मैं ये उपचार के सिस्टम को समान रूप से बता रहा था, सदन को समझा रहा था कि हेल्थ में प्रारंभिक रूप से रोकथाम हो गया। दूसरा उपचार हो गया और तीसरा जैसे मैं बता रहा था कि आज के समय में दुनिया बहुत आगे चल रही है। लोगों के मन में बिना बीमार हुए भी आशंका रहती है कि मैं बीमार तो नहीं हो गया। लोग दवाइयां नहीं खाना चाहते। अब लोग धीरे-धीरे फिर से जो प्राकृतिक चिकित्सा है, उसकी ओर बढ़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए सदन को खुशी है कि वेलनेस के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए रायपुर में योग और नेचुरोपेथी का रिसर्च सेंटर और 100 बिस्तर का अस्पताल 98 करोड़ की लागत से स्वीकृत हुआ है, इसके

लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद् देता हूं । उसका वर्चुवल भूमिपूजन प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया है, उस कार्यक्रम में हम सभी लोग थे, आप भी उसमें उपस्थित थे । इसमें बाहर से मसाज वाले, मालिश वाले नॉर्थ ईस्ट या केरल से बुलाते हैं, इन सबमें उसके भी वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रावधान है । चूंकि इस दिशा में सारे लोग आगे बढ़ रहे थे इसलिए इस बार के बजट अनुमान में हम लोगों ने योग और नेचुरोपैथी के 10 बेडेड, 4 अस्पताल जशपुर, रायगढ़, मनेन्द्रगढ़ और बस्तर में भी खोलने का भी निर्णय लिया है, यह प्रायोगिक तौर पर है (मेजो की थपथपाहट) । आवश्यकता पड़ने पर आने वाले अनुपूरक में इसको और बढ़ाएंगे । मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने इस बात से आश्वस्त किया है कि इसको आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाएंगे ।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी केदार कश्यप जी बोल रहे थे कि कमर वगैरह की मालिश के लिए या थकावट हो जाती है, कई प्रकार की बातें हो जाती हैं तो उधर और इधर के लिए भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सभी के लिए रहेगा । हम लोग केवल हॉस्पीटल ही नहीं, अभी फिज़ियोथेरेपी की बहुत ज्यादा डिमांड है, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद एक ही फिजियोथेरेपी का कॉलेज है और एक साथ 6 फिजियोथेरेपी कॉलेज खोजने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी ने लिया है (मेजो की थपथपाहट) । यह 6 कॉलेज बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, जशपुर, मनेन्द्रगढ़ और रायगढ़ में खुलेगा । अभी एक-दो और खोलेंगे, उसकी सूची नहीं है लेकिन जल्द ही इस पर हम काम चालू करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, अभी के समय में लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है । मैं अपनी ही बात करूं तो यहां हमारे 90 साथी हैं, उसमें आप भी शामिल हैं । पॉलिटिकल क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, जनता की उम्मीद और आशा हम लोगों से बढ़ गई है, मां-बाप की बेटे से आशा बढ़ गई है । उसको पूरा करना कठिन होता है और हर चीज में, बात-बात में मानसिक तनाव, मानसिक दबाव के चलते मानसिक रूप से आदमी थकता है । केवल मानसिक बीमारी पागलपन ही नहीं होती है, एक अच्छे समाज के लिए स्वस्थ मस्तिष्क होना आवश्यक है । सुनील सोनी जी बता रहे हैं उसे इंग्लिश में डिप्रेशन कहते हैं । आजकल खानपान में, बातचीत में, व्यवहार में चिड़चिड़ापन होना और अभी आप लोग बात कर रहे थे कि नशीली दवाईयां हैं उनके चलते मानसिक स्थिति खराब हो रही है । मैंने उस दिन कहा भी था कि मानसिक हॉस्पीटल खोलेंगे तो कई लोगों ने मेरा उपहास भी उड़ाया था । मैंने उस पर आत्म चिंतन किया, सेंदरी जो बिलासपुर में है, प्रदेश का एकमात्र मानसिक चिकित्सालय है। दो अन्य मेडिकल कॉलेज जैसे रायपुर और बिलासपुर में एक वार्ड बना हुआ है लेकिन जो सेंदरी में 100 बेड का मानसिक चिकित्सालय है और उसके लिए मेरे सोर्स लगाने के बाद भी वहां एडमिट नहीं हो पाते क्योंकि वहां बेड संख्या सीमित है । इसलिए हमने उसको 100 बेड से बढ़ाकर 200 बेड कर दिया है (मेजो की थपथपाहट) । उसके तमाम सुधार के लिए वहां का बाऊंड्रीवाल हो, चाहे अन्य सुविधाएं हो, पिछले एक साल में हमने कई करोड़ रूपए जारी किया है । अध्यक्ष महोदय, चूंकि मध्य छत्तीसगढ़ में एक बड़ा केन्द्र हो गया इसलिए सरगुजा और

बस्तर में भी दो मानसिक चिकित्सालय सरगुजा में मनेन्द्रगढ़ और बस्तर में जगदलपुर में खोलने का प्रावधान इस बजट में किया है ताकि सभी क्षेत्र के लोग अपना मानसिक इलाज करा सकें । एक स्वस्थ्य मन मस्तिष्क के साथ क्षेत्र के विकास के लिए काम कर सकें । अध्यक्ष महोदय, मैंने तीन भाग बताया था, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़, ट्रिटमेंट और वेलनेस । वेलनेस में दो फैक्टर तो मैंने बता दिया कि जो शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य । अध्यक्ष महोदय, तीसरा सामाजिक स्वास्थ्य भी है और समाज का स्वास्थ्य कैसे ठीक हो, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि नीचे नीचे स्तर पर जाकर काउंसलिंग हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया कराएं, रोजगार के साधन हो। अध्यक्ष महोदय, मैंने पूरे साल भर में अध्ययन किया, मैंने देखा कि प्रदेश में लगभग 130 के आस-पास प्राईवेट नर्सिंग कॉलेज हैं और प्रदेश में कुल 8 शासकीय नर्सिंग कॉलेज हैं। मुझे IIT वालों ने भी बुलाया था, वहां कई राज्यों के और मुझे लगता है कि दो तीन देशों के लोग भी आए थे, मुझे उनसे बातचीत करने का अवसर मिला। उसमें ये बात आई कि जो चायना और अन्य यूरोपियन कंट्री हैं, वहां अच्छे पैकेज पर इंडियन नर्सेस की बहुत डिमांड है, जैसा कि आदरणीय धर्मजीत सिंह जी ने बताया कि जब उनका मुंबई में ईलाज हुआ तो वहां छत्तीसगढ़ की नर्स मिली, मुझे लगता है कि यहां बहुत टैलेंट है लेकिन गरीब लोग प्रतिभा होने के बाद भी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, इसमें एक बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजन होंगे। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आजादी के बाद 8 नर्सिंग कॉलेज और इस साल के बजट में 12 नर्सिंग कॉलेज एक साथ खोलने का प्रस्ताव हुआ है। (मेजों की थपथपाहट) इससे न केवल हेल्थ की दिशा में वृद्धि होगी बल्कि लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। मैं सौभाग्यशाली रहा कि मुझे इस विभाग के माध्यम से लोगों की सेवा के साथ-साथ इन सारी सुविधाओं को करने का अवसर मिल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हिसाब-किताब में ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी समय बहुत कम है लेकिन फिर भी थोड़ी जानकारी दूंगा, साल भर में मुख्य रूप से जो कार्य हुए हैं और अभी जो कार्य हो रहे हैं, उनको बताने जा रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ कि जो आयुष यूनिवर्सिटी है, उसके दीक्षांत समारोह में देश का राष्ट्रपति आया हो, लेकिन इस बार के दीक्षांत समारोह में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की गरिमामय उपस्थिति हुई। (मेजों की थपथपाहट) ये इसलिए भी किया गया कि जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, उनका हौंसला बढ़ सकें, उनका मनोभाव बढ़ सके। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और राष्ट्रपति महोदया को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ आकर बच्चों का हौसला बढ़ाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा परिवर्तन मेडिकल एजुकेशन की दिशा में किया है, क्योंकि ईलाज करना ही हमारा मूल उद्देश्य नहीं है, हम डॉक्टर बनाने की स्कूल कॉलेज भी चलाते हैं, जब तक कॉलेज अच्छे नहीं होंगे, तब तक नॉलेज नहीं होगा, वे क्या ईलाज करेंगे। मैं स्वयं गांव का व्यक्ति हूं और मैंने कई बार बताया है कि मैंने भी साईंस लेकर पी.जी. की है लेकिन मेरा सब्जेक्ट कैमेस्ट्री था तो

उसमें पूरी किताबें अंग्रेजी माध्यम की आती थी, कैमेस्ट्री है तो चल जाता था, आधा स्ट्रक्चर रहता था, आधा लिखना पड़ता था तो ले देकर बन जाता था। आज 12 वीं के बाद MBBS करने के लिए बच्चों का सलेक्शन हो जाता है, पूरी अंग्रेजी में सिलेवस होने की वजह से वे पढ़ लिखकर लटककर पास तो हो जाते थे लेकिन पूरी दवाईयों का ज्ञान नहीं हो पाता था, क्योंकि भाषा अंग्रेजी हो या हिंदी हो, भाषा एक पुल का काम करता है, उसको समझने में मदद करता है, इसलिए जो मेडिकल की पढ़ाई है, उसको हिंदी माध्यम में करने का निर्णय लिया गया है। (मेजों की थपथपाहट) अब छत्तीसगढ़ के बच्चे हिंदी में भी पढ़ाई कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा गर्व का अवसर रहा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मोहले जी ने जनसंख्या नियंत्रण पर काफी लंबा भाषण दिया और इनको शोध भी है। जनसंख्या नियंत्रण के साथ-साथ कुछ ऐसे परिवार दंपत्ति होते हैं जिनके बाल बच्चे नहीं होते हैं, मैं गांव का आदमी हूं, उन नि:संतान दंपत्ति के उपर कैसी-कैसी भाषा का उपयोग करते हैं, मुझे सदन में कहना अच्छा नहीं लगता है, नेता प्रतिपक्ष जी भी गांव के हैं, वे बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि उनको क्या-क्या ताने पड़ते हैं। उनके जीवन में जो संतान सुख है, उनको भी लगता है कि हमारे आंगन में किलकारी गूंजे लेकिन वह तो भगवान की देन होती है, लेकिन आजकल भगवान के साथ-साथ इंसान भी काम करने लगा है और नये टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो नि:संतान दंपत्ति हैं, जिनके पास पैसे रूपये हैं, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख रूपये देकर जो IVF तकनीक है, उसके माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान कराकर नि:संतान दंपत्ति अपनी संतान तो ले लेते थे लेकिन गरीब आदमी क्या करे। (मेजों की थपथपाहट) गरीब आदमी अपना खेत भी बेच देगा तो भी उतना पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए हम देश का पहला IVF सेंटर मेकाहारा में खोलने जा रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) इसके लिए हमने बजट में प्रावधान किया है। मुझे लगता है कि यह माननीय विष्णुदेव साय जी का एक चमत्कारी निर्णय है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लिंग भी परिवर्तन होता है तो उसमें कैसे पता लगता है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- मैं आपका नहीं बोल रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आपको किसी और का लिंग परिवर्तन कराना है तो हमारे DKS हॉस्पिटल में हमने बहुत अच्छी तकनीकी की है और उसमें लिंग परिवर्तन की भी व्यवस्था है। हमने इसको इतना हाइटेक कर लिया है। हमारे DKS हॉस्पिटल का जो प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट है तो उसके लिए भी हम कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहिये और एक दिन आकर देखिये।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- वह नि:शुल्क होता है या सशुल्क होता है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- यदि आयुष्मान कार्ड होगा तो नि:शुल्क कर देंगे। वह नि:शुल्क हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय :- आप इनको परामर्श के लिए भेजिये। (हंसी)

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मैं बोल रहा हूं, तभी बोला हूं।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं समझ पाया कि माननीय मंत्री जी बच्चा जन्म लेने के पहले लिंग परिवर्तन की बात कर रहे हैं या आदमी के बड़े हो जाने के बाद लिंग परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं ? आप बुरा मत मानियेगा। यहां हमारे रायपुर में ऐसे चिकित्सक हैं, यदि आप चाहे तो वह आज की तारीख में भी लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। बहुत सारे जो बृहन्नला होते हैं, उनके लिंग परिवर्तन के काम भी वहां पर हो रहे हैं और बहुत बेहतर ढंग से हो रहे हैं। यदि मोहले जी को इसकी जरूरत हो तो मैं उनका करा सकता हूं। दूसरी बात, जैसा कि मोहले जी बता रहे थे कि बच्चा नहीं होने के लिए उनके पास कोई गोली-दवाई है, उसके बारे में यदि आप हमें बता सके कि वह कहां और कैसे मिलता है तो उसका भी हम लोग उपयोग करना चाहेंगे। (हंसी)

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका बच्चा नहीं होता है, इसलिए इनके लिए करेंगे।

डॉ. चरणदास महंत :- नहीं गा, मोर तो हवे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- यह रामकुमार जी के लिए है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप बैठिये। मंत्री जी, आप जारी रखें।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि हमारे मेडिकल कॉलेजों को और सुदृढ़ करने के लिए जीवन दीप के बारे में हमारे माननीय सदस्य धर्मजीत सिंह जी वगैरह सब लोग चिंता कर रहे थे तो मैं जीवन दीप के बारे में बाद में बात करूंगा। लेकिन जो मेडिकल कॉलेज हैं, वहां सिर्फ डीन और एम.एस. को 2 लाख रूपये तक ही खर्च करने का अधिकार था, लेकिन अब हमने एक ऐसी व्यवस्था बना दी है कि यदि 10 लाख रूपये भी खर्च करनी हो तो डीन, एम.एस. और उनकी वित्त की कमेटी में एक सदस्य के माध्यम से वह लोग 1 घण्टे के अंदर मीटिंग करके इमरजेंसी में कोई भी चीज ले सकते हैं। हमने उनको यह भी अधिकार दिया है कि अब मंत्री या विभागीय सचिव या अन्य अधिकारियों या सी.एम.ई. या डी.एम.ई. के किसी प्रकार की मीटिंग की आवश्यकता नहीं है। यदि 2 करोड़ रूपये तक की कोई खरीदी करनी हो तो कमिश्नर की अध्यक्षता में कलेक्टर, कमिश्नर और मेडिकल कॉलेज की जो टीम है, ऑटोनॉमस बॉडी है, उसके साथ बैठक करके 2 करोड़ रूपये तक की भी खरीदी कर सकते हैं या कोई भी निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि आज के समय में प्राइवेट हॉस्पिटल type तुरंत-तुरंत में हाईटेक Type से चल रहे हैं। अब यदि हमारी बैठक का इंतजार करेंगे तो 6 महीने में हमारी बैठक होगी, तब तक तो सारा मामला ही खत्म हो जायेगा। इसलिए हमने उनको पूरा अधिकार दे दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कई मेडिकल कॉलेजों का दौरा किया है। मैं अपने 1 साल के कार्यकाल के अंदर लगभग सब मेडिकल कॉलेजों में गया तो मैंने देखा कि बहुत जगहों में फण्ड की भी कमी है। मैं

माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि जैसे जीवन दीप होता है, वैसे ही ऑटोनॉमस समिति को 1 करोड़ रूपये प्रति साल अपने हिसाब से खर्च करने के लिए इसमें अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है। मुझे लगता है कि इससे हमारे मेडिकल कॉलेजों की स्थिति बहुत सुधर जाएगी। (मेजों की थपथपाहट)

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आयुष्मान में जो राशि होती है, उसका किसी भी बीमारी के लिए निर्धारित रेट है तो उसको बीमारी में जितनी राशि लगती है, वह पूरी राशि उसको दी जाती है या नहीं दी जाती है ? नहीं तो 50 हजार, 1 लाख रूपये के लिए लोग परेशान होते हैं और उसको नहीं दे पाते हैं तो उसके लिए क्या आप रेग्यूलर करेंगे ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता देता हूं कि आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रूपये तक की पात्रता है। जैसे बी.पी.एल. हैं या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट में 5 लाख रूपये तक बने हैं और जो ए.पी.एल. हैं, उनको 50 हजार रूपये तक की पात्रता है। 50 हजार रूपये का उपाय यह है कि यदि पैसे खत्म हो जाएंगे तो उसके लिए अभी मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना है, जिसमें यहां से सैकड़ों करोड़ रूपये खर्च होते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जब मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने ही इस प्रदेश में यह व्यवस्था शुरू की थी। उसके माध्यम से 25 लाख रूपये तक का इलाज नि:शुल्क होता है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री पुन्नू लाल मोहले :- नहीं, जितना निर्धारित रेट है, जैसे हार्ट और अन्य बीमारी के ईलाज के लिए 1 लाख रूपया सीमित है, लेकिन किसी मरीज को डेढ़ लाख खर्च आता है, तीन लाख खर्च आता है तो उसको आयुष्मान में या किसी में आदेश करेंगे क्या ताकि पूरी राशि वहन हो, ईलाज नि:शुल्क हो ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- निश्चित रूप से, आयुष्मान कार्डधारक के लिए हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कार्डधारक अस्पताल में जाये और कार्ड जमा करें और पूरी तरह से फिट होकर निकले। उससे चाय का भी पैसा न ले सके, हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं। कहीं शिकायत आई तो बताइयेगा। हम जल्द ही इस व्यवस्था को दुरूस्त करने जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिवेदन को ज्यादा नही पढ़ूंगा। माननीय धरम लाल कौशिक जी प्रतिवेदन को पढ़ रहे थे। जो राष्ट्रीय मानक है, राष्ट्रीय सूचकांक है, वह चाहे मातृत्व मृत्यु दर हो या शिशु मृत्यु दर हो, इसमें काफी गिरावट आई है। सन् 2001 में 1 लाख के पीछे मातृत्व मृत्यु दर 407 था, वह अब 137 रहा गया है। इसी प्रकार से सन् 2001 में 1 लाख के पीछे शिशु मृत्यु दर 176 था, वह कुल 38 रहा गया है। ऐसे तमाम नेशनल पैरामीटर हैं, राष्ट्रीय पैरामीटर हैं, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ में काफी हद तक सुधार हुआ है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भारत सरकार की योजनाएं चल रही हैं। चाहे टी.बी. मुक्त बनाने की बात हो, हमारे प्रदेश के सभी जगहों पर 100 दिन का अभियान चलाया गया । टी.बी. ऐसी बीमारी है जो आज भी हमारे छत्तीसगढ़ में प्रभावी है। हमने इसको जड़ से समाप्त करने

के लिए 'निक्षय निरामय अभियान' चलाया है। हमने सभी विधायकों से आग्रह किया था, सांसदों से भी निवेदन किया था, सभी लोगों ने अपने-अपने क्षेत्र में शामिल भी हुए और उसका बड़ा सकारात्मक परिणाम आया है। टी.बी. मरीजों की स्क्रीनिंग में छत्तीसगढ़ राज्य देश भर में चौथे स्थान पर आया, यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ।(मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं और मानीय मुख्यमंत्री जी भी सिकलसेल बीमारी के प्रति बहुत चिंतित रहते हैं। क्योंकि वे ट्राइबल क्षेत्र के हैं और ट्राइबल भी हैं और हम लोग भी उस क्षेत्र में रहते हैं। सरगुजा और बस्तर में जैसे-जैसे इधर आयेंगे, रायपुर से जैसे दूर जायेंगे, वह पूरे रेडियस में सिकलसेल बढ़ते जाता है। सिकलसेल की बहुत समस्या है। सिकलसेल का जो रिजनल इन्स्टीट्यूट है, उसको स्थापित करने के लिए, बोन मेरो ट्रांसप्लांट के लिए प्रश्न भी आया था। हमारा 48 करोड़ रूपये का बिल्डिंग और मशीनी उपकरण है, उसकी जल्द व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन तब तक स्क्रीनिंग करना है, उसकी जांच करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे प्रदेश में अभी तक लक्ष्य से भी ज्यादा डेढ़ करोड़ आसपास के लोगों का स्क्रीनिंग किया है। मुझे लगता है कि हम लोग सिकलसेल के मामले में पूरे देश के अनुपात में सबसे पहले स्थान पर हैं। ।(मेजों की थपथपाहट) आज भी हमारे अनुसूचित जाति मंत्री, हमारे वरिष्ठ मंत्री श्री रामविचार नेताम जी इस विषय में बैठक लिए होंगे। हमारे स्वास्थ्य की भी टीम थी। उनके डिपार्टमेंट से भी लगातार समन्वय बनाकर प्रयास कर रहे हैं कि सिकलसेल की बीमारी को आने वाले समय में समाप्त कर सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना हमारा लक्ष्य है। मैने इस दृष्टि से दौरा किया तो देखा कि गरियाबंद क्षेत्र के सुपेबेड़ा क्षेत्र में गया। चाहे वहां किडनी की समस्या हो, चाहे वहां भवन समस्या हो, मैंने देखा कि वहां का भवन जर्जर हो चुका है। उस दूरस्थ अंचल में अस्पताल भवन की भी आवश्यकता थी और सेटअप की भी आवश्यकता थी। इस बार बजट में गरियाबंद और गौरेला-पेण्ड्रा जिले का बिल्डिंग है, उनकी जो बेड संख्या है, उनको भी 100 से बढ़ाकर 220 बिस्तर करने का इस बजट में निर्णय लिया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले का बहुत दूरस्थ अंचल है, जो मध्यप्रदेश की सीमा में है, जनकपुर के सी.एच.सी. से 100 बिस्तर में उन्नयन करने की स्वीकृति मिली है। इसी प्रकार जांजगीर चांपा और कबीरधाम में मेडिकल कालेज जल्द चालू करना है, उसके लिए 220 बेड की आवश्यकता होती है। इसलिए इस बजट में 100 बिस्तर से उन्नयन कर 220 बिस्तर करने का लक्ष्य रखा है और इस बजट में उसकी स्वीकृति मिली है। इसी प्रकार रायपुर जिले के सरोना में 100 बिस्तर अस्पताल की स्थापना के साथ-साथ कोरबा जिले के कटघोरा, बेमेतरा जिले के नवागढ़, नया रायपुर में राखी, सारंगढ़ बिलाईगढ़ के सरिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन कर 100 बिस्तर किए जाने का इस बजट में प्रस्ताव है। इसके लिए 470 पदों का सृजन किया गया

है। इसी प्रकार से मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए तखतपुर में 50 बिस्तर एम.सी.एच. हॉस्पिटल को उन्नयन करने का लक्ष्य लिया गया है। इससे उस क्षेत्र में काफी लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से बिलासपुर जिले का तखतपुर, रायपुर जिले का धरसींवा और कबीरधाम जिले का तरेगांव, बिलासपुर जिले का पचपेड़ी पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में उन्नयन कर दिया गया है, जिससे कि उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सुविधाएं और बढ़ सकेंगी। साथ ही इस बार इस बजट में राष्ट्रीय स्तर के संस्थान जैसे राज्य वैक्सीन भंडार, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, ऑल इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच एण्ड हीयरिंग एवं एस.आई.एच.एफ.डब्ल्यू. के लिए भूमि क्रय हेतु 2700 लाख रूपये का का बजट प्रावधान किया गया है ताकि इन राष्ट्रीय मानकों को हम पूरा कर सके। इसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि इन रोगों के लिए दवाईयां आधे से एक तिहाई कीमत में मिल सके, इसके लिए हमारी सरकार में 500 जन औषधि केन्द्र खोलने का लक्ष्य था। इसमें प्रतिवेदन में कम संख्या दिया है, लेकिन मुझे 157 जन औषधि केन्द्रों की जानकारी है। इसमें मुझे बताते हुए खुशी है कि हमने 150 से ऊपर जन औषधि केन्द्र चालू कर दिया है, जिससे लोगों को एक तिहाई दाम पर दवाई मिल रही है। समय के साथ लोगों को किडनी की भी बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने 33 जिलों में से 28 जिलों में डायलिसिस सेंटर की स्थापना कर दी है और हमने इस बार के बजट में और 10 विकासखण्डों में डायलिसिस सेंटर की स्थापना के लिए 100-100 लाख प्रति यूनिट में प्रावधान किया है ताकि गांव के लोगों में किसी को किडनी की कोई समस्या हो तो उनको डायलिसिस के लिए शहरों में भटकना ना पड़े। आगे हमारे सभी विकासखण्डों में डायलिसिस यूनिट खोलने के लिए योजना है। अभी हमने 10 विकासखण्डों में डायलिसिस खोलने का लक्ष्य लिया हुआ है। इसी प्रकार से बसना में नवीन भवन के लिए भी 100 बिस्तर भवन की स्वीकृति है। तखतपुर में 50 से 100 बेड एम.सी.एच. उन्नयन करना था, उसका भी भवन इसमें स्वीकृति है। अभी हमने जितने भी उन्नयन किया था, सभी के प्राथमिक और 100 बेड है, उनके भवनों की इसमें स्वीकृति है। इसी प्रकार मैं मानसिक स्वास्थ्य की बातचीत कर चुका हूं। मैंने इसमें बहुत ही विस्तार से बात किया है। इसी प्रकार से जनजाति बाहुल्य में, अटल जी जो हाट बाजार क्लीनिक की बात कर रहे थे। अटल जी, वाकई में मैं भी गांव का हूं और मैं जानता हूं, शायद आपकी मेरी बात भी हुई थी। गांव वाले हॉस्पिटल ईलाज कराने नहीं जाना चाहते हैं। पता नहीं कि उनको हॉस्पिटल से क्यों डर लगता है? ऐसे दूरस्थ गांवों में जहां फ्रिजिविटीज रहते हैं, जहां विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग रहते हैं। जो हॉट बाजार क्लीनिक की गाड़ियां हैं, उसको हम लगातार सुदृढ़ रूप से चला रहे हैं। लेकिन उसमें गाड़ियों की संख्या कम हो रही है। इसीलिए भारत सरकार के जनमन योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी की 60 प्रतिशत राशि और 40 प्रतिशत राज्यांश करके 57 एम.एम.यू. का टेण्डर हो चुका है। मुझे लगता है कि हम टेण्डर की तैयार कर चुके हैं और एकाध हफ्ते या 10 दिन में उसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और एकाध महीने के अंदर चमचमाता हुआ 57 नये

एम.एम.यू. गाड़ी दूरस्थ अंचलों के चालू कर रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) हमारे जो इंटीरियर क्षेत्र हैं, उसके बारे में भी बात करने की आवश्यकता है। माननीय केदार भैया भी उस क्षेत्र से आते हैं। आप लोग चिंता गुफा तो जानते ही होंगे, लेकिन हम लोग भी चिंता गुफा को जानते हैं। वहां एकदम नक्सली घटनाएं होती थीं। वहीं गोला-बारूद, वहीं मुठभेड़ होती थी। अक्सर चिंता गुफा की घटना की खबर आती थी। मैं बता रहा हूं कि ऐसे चिंता गुफा क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्र में हमने इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि वहां 92 प्रतिशत बच्चों का टीकाकरण हो रहा है और 90 प्रतिशत संस्थागत प्रसव हो रहा है। (मेजों की थपथपाहट) यह बहुत ही बड़ी बात है। इसको भारत सरकार ने ही जांच कराया है। एक एनकास सर्टिफिकेट होता है, उसको भारत सरकार ने चिंता गुफा को प्रदान की है। (मेजों की थपथपाहट) मुझे लगता है कि यह छत्तीसगढ़ के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में एक बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव है। इसी प्रकार से आयुष्मान योजना की बातचीत हो रही थी। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत प्रदेश के 77 लाख 20 हजार परिवारों को नि:शुल्क स्वास्थ्य योजना प्रदान करने के लिये सरकार ने इसमें 1850 करोड़ एन.एच.एम. राशि सहित उसका प्रावधान किया है । सभापति महोदय, इसके साथ ही भीमराव आंबेडकर जो मेकाहारा है, वहां हमारे प्लास्टिक सर्जरी और अन्य सुविधाओं की चर्चा हुई है । सभापति महोदय, मेरा मानना है कि मेकाहारा सभी की भावनाओं से जुड़ा विषय है, यहां जितने भी लोग हैं, सभी वहां ईलाज कराये होंगे । छत्तीसगढ़ के जितने भी पुराने डॉक्टर्स हैं, सभी ने वहां से पढ़ाई की है । सभापति महोदय, मैं चाहता हूँ कि वह देश का सबसे अच्छे से अच्छा हॉस्पीटल बने । हम इसके लिये प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णु देव साय के नेतृत्व में कर रहे हैं । हम उसके सौंदर्यीकरण के लिये टेण्डर करने वाले हैं, इंटरनल, आऊटर, सारे उपकरणों के लिये हमने करीब 70-80 करोड़ वहां के फण्ड से दे दिया है । आप सभी जानते हैं कि हार्ट का एस्कार्ट के नाम से चलता था और अभी भी यहां अच्छे-अच्छे डॉक्टर्स हैं, मध्य भारत का एक अच्छा सेंटर कार्डियक का खोलने के लिये अनुपूरक में भी पैसा दिया गया है । जो कमीबेशी हो, एडवांस में और इस बजट में 10 करोड रूपया दिया गया है । सभापति महोदय, यहां बाईपास सर्जरी भी प्रारंभ हो गया है, इसके लिये 10 करोड़ का बजट है, यहां मेकाहारा का केंसर रिसर्च इंस्टिट्यूट है, यह भी मध्य भारत का सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है । एक पेट स्कीन मशीन है, शायद चंद्राकर जी अभी नहीं है, वह बोल रहे थे, मैंने पहला दौरा वहीं से किया था । मैं मंत्रालय से साईन लेकर बैठक से निकला, मैं घर नहीं गया, मैं पहले मेकाहारा गया था । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उस दिन से ही निर्देशित किया है, उसमें कई तकनीकी कमी-बेशी है, लेकिन उसमें कानूनी कमी-बेशी करते हुये हम लोग काफी निकट पहुंच गये हैं । हम इसे जल्द ही चालू करेंगे । सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मेकाहारा में कई आवश्कताओं को लेकर केंसर डिपार्टमेंट के लिये इस बजट में 20 करोड़ रूपया का प्रावधान किया गया है । मुझे लगता है कि यह बड़ा महत्वपूर्ण होगा । अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से मेकाहारा में 28 करोड़ 50 लाख का तीन टेस्ला

एम.आर.आई. मशीन, 26 करोड़ के 256 स्लाईस के सिटी स्कैन मशीन और महासमुंद चिकित्सा महाविद्यालय के लिये 14 करोड़ की लागत से 128 स्लाईस का सिटी स्कैन मशीन स्थापित करने के लिये इस बजट में प्रावधान किया गया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, समय कम है, दो-तीन विभाग और है, थोड़ा-थोड़ा बोल कर खत्म कर दूँगा । एक आयुष विभाग, जब पूरे देश में चिकित्सा की कोई पद्धति नहीं थी तो आयुष चिकित्सा पद्धति बहुत आगे थी और जिस प्रकार से योग, आयुर्वेद और आयुष के लिये हमारे प्रधानमंत्री जी सहयोग प्रदेश के लिये उपहार के रूप में मिलता रहता है । सभापति महोदय, जैसा कि मैंने योग और नेचरोपैथी के रिसर्च सेंटर की बातचीत किया तो उसमें 100 बैड भी होंगे । सभापति महोदय, हमारे यहां जो आयुर्वेद चिकित्सालय हैं, आयुष पॉलीक्लिनक है, इसको भी सुदृढ़ करने के लिये इस मुख्य बजट में 517 करोड़ का प्रावधान किया गया है । एक बात की चिंता थी, चन्द्राकर जी चले गये, अभी नहीं है, उन्होंने कहा कि मैंने पनीर खाना छोड़ दिया । 5000 किलो पनीर इस रायपुर के आसपास में पकड़ाना, यह चिन्ताजनक है । हम शुरू से ही, जब से हमारी सरकार फिर से आई है, मुझे मंत्रालय का जिम्मा मिला है, मैं इस ओर चिंतित हूँ । मैं सदन को बताना चाहूँगा कि कई देशों में मिलावटखोरी में फॉसी की सजा है, इस मिलावटी चीजों के प्रति हम बेहद गंभीर हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बेहद गंभीर हैं । हमारे विभाग के अधिकारी ऐसे स्थानों पर लगातार छापा मार रहे हैं और छत्तीसगढ़ की पहली घटना होगी, जिसको फुड एण्ड ड्रग्स डिपार्टमेंट ने 5000 किलो नकली पनीर को जब्त किया है । सभापति महोदय, उसके साथ-साथ कई और कार्यवाही किये हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, चूँकि कई बार पकड़ने के बाद भी यह केस लूज हो जाता है, वह चाहे ड्रग्स का मामला हो या फुड सेफटी का मामला हो । माननीय अध्यक्ष महोदय, जब वह सेंपल जाता है, मैं मंत्री हूँ शायद इसलिये नहीं कहना चाहिये, मैं सरकार की ओर से हूँ । सभापति महोदय, चार महीना, छै: महीना, आठ महीने बाद, बाहर के लैब से रिपोर्ट कैसे आता है, मैं उसे नहीं कह सकता हूँ । इसमें अपराधी बच ही जाते हैं, उसकी सारी गुंजाईश खत्म हो सके, इसलिये यही लैब हम स्थापित करेंगे और औषधि परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना के लिये हमारे यहां 49 करोड़ 18 लाख रूपये प्रयोगशाला के प्रयोजन के लिये किया गया है । (मेजों की थपथपाहट) ताकि ऐसे लोगों को सख्त सजा मिल सके, उसका परीक्षण करके तत्काल उसका रिजल्ट आ सके और एक साल में 7 हजार से 8 हजार ऐसे दवाइयों के नमूनों का टेस्ट हम करेंगे और 35 हजार खाद नमूनों का टेस्ट अतिरिक्त रूप से इस नवीनतम प्रयोगशाला के चालू हो जाने से हम करेंगे ।

समय :-

10:00 बजे

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से फूड एण्ड ड्रग्स डिपार्टमेंट को और मजबूत बनाने के लिए 5 संभागीय कार्यालयों के भवनों एवं उनके लिए हर संभाग के लिए 2-2 गाड़ियों के लिए बजट में

प्रावधान किया गया है, ताकि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई कर सकें और कोई भी मिलावटखोर इस राज्य में मिलावट न कर सके, इसके लिए 35 पदों का भी इस बजट में सृजन किया गया है । फूड एण्ड ड्रग्स के बारे में मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा । निश्चित रूप से यह समाज की बड़ी चिन्ता है, हमारी भी चिन्ता है कि लोग नशे की ओर बढ़ रहे हैं । उसे रोकने के लिए सरकार जो करेगी, वह कर ही लेगी, लेकिन समाज की भी आवश्यकता है, इसके लिए हमने गृह विभाग और हमारे स्वास्थ्य विभाग के सचिव स्तर के अधिकारी हैं, उनकी संयुक्त मीटिंग हमने होम मिनिस्टर के साथ की है और पूरे प्रदेश में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम बनाकर हमने कई जगह छापे भी मारे हैं और 50 कार्यवाहियां भी कर रहे हैं । माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार किसी भी नशा के कारोबारियों को नहीं छोड़ेगी । इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं । सभी लोग मुझे बड़ी आशा भरे नजरों से देख रहे हैं कि मैं कब खतम करूं क्योंकि 10 बज गया है, लेकिन एक छोटी सी बात रह जाएगी । सबकी चिन्ता है, सदस्यों ने कई बातें कही थी । जैसे कि जेरिएट्रिक्स खोलने की बात कही गई है तो 5 वर्ष की कार्य योजना में हमारे पहले से भी हर जिला अस्पताल में एक जेरिएट्रिक्स वार्ड खोलने का लक्ष्य दिया गया है और सियान केयर क्लीनिक हेतु इस बजट में 200 लाख का प्रावधान किया गया है । इसी प्रकार से आयुष केन्द्रों में जो सियान जनत क्लिनीक है, उसको प्रति गुरूवार को हम संचालित करते हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो रिएजेंट की बात आ रही थी कि कैसे उसको खराब होने से बचाया जाये, कैसे भ्रष्टाचार को रोका जाये । इसके लिए भारत सरकार के पोर्टल से हमने साफ्टवेयर लिया है, जिसका नाम नैक्स्ट जैम । इस पोर्टल में डालेंगे कि किसके पास कितना रिएजेंट है, कितना टेबलेट है, कितनी दवाइयां हैं । उसमें जो गलत जानकारी देगा, उसको तत्काल सस्पेंड करेंगे और कार्यवाही करेंगे और जो दवाइयां रखी-रखी एक्सपायर हो जाती है, दवाइयों के ऊपर दवाइयों का बंडल है, वह भ्रष्टाचार अब खतम हो जाएगा और ट्रांसपेंट रूप से वह दिखता रहेगा कि इतनी दवाई यहां पर है और उसकी मानीटरिंग के लिए हर जिलों में एक टीम बनाने की व्यवस्था की गई है । साथ ही साथ उसकी जो खपत है, ऐसा नहीं है कि कोई कितनी ही रिएजेंट या दवाई खरीद ले, आईपीडी की संख्या, ओपीडी की संख्या और आगे चलकर हम यहां तक भी करने वाले हैं कि कौन से मरीज को कौन सी दवाइयां दी गईं । भर्तियों की बातचीत हो रही थी । हम केवल बात नहीं करते, काम भी करते हैं। माननीय विष्णु देव साय जी के डबल इंजन की सुशासन की सरकार है । हमने व्यापम में 600 पदों की भर्ती के लिए दे दिया है और व्यापम में बहुत लंबी कतार है। सितम्बर और अक्टूबर माह में हमको परीक्षा की तिथि मिली है । हम 600 पदों में शीघ्र भर्ती करने जा रहे हैं । इसी प्रकार से मेडिकल कॉलेजों में इस बार 1108 नवीन पदों का जो प्रावधान किया गया है और ऐसे नये मेडिकल कॉलेज के लिए अटल जी बोल रहे थे कि व्यवस्था करते जायें तो हम इस बार मेडिकल कॉलेजों के लिए 496 पदों का सृजन किये हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग में 778 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । सिम्स को जैसा कि आप लोगों की चिन्ता है, जो भवन की आप बातचीत कर रहे थे तो पिछले ही बजट में हमने भवन की स्वीकृति कर दी है, वित्त विभाग से स्वीकृति मिल गई है । 700 बैड का 700 करोड़ रूपए का चमचमाता हुआ भवन रायपुर में जैसे आपके बिलासपुर में है, वैसा रायपुर में भी बनेगा । (मेजों की थपथपाहट) अंत में एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। यहां चुनौतियों तो बहुत हैं, लेकिन हम सब रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है कि

युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बड़े अभागे हैं,
युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बड़े अभागे हैं,
या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे।

न हम प्रण तोड़ने वाले हैं, न रण से भागने वाले हैं । यहां की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ठीक करेंगे और माननीय विष्णु देव साय जी की डबल इंजन की सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है । (मेजों की थपथपाहट) और आप सब लोगों ने मुझे बहुत धैर्य से सुना, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद । (मेजों की थपथपाहट)

श्री पुन्नूलाल मोहले :- जायसवाल जी, मैंने जो बोला था, उसमें कुछ कहेंगे?

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, में ह कुछ मांगे रेहेन। इहां हमन 10 बजे तक बैठे हन।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- मैंने आपकी मांगों को नोट कर लिया है और मैंने विभाग की ओर इशारा कर दिया है। चूंकि अब उतना ही करेंगे तो बाकी सदस्यों का भी जवाब देना पड़ेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं घोषणा करने के लिये नहीं कह रहा हूं। मैं आपकी कविता का जवाब कविता से दे रहा हूं।

"द्वंद कहां तक पाला जाये और युद्ध कहां तक टाला जाये
तू भी है राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाये।" (मेजों की थपथपाहट)
फेंको भाला।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मंत्री जी, मैंने जो मांग की थी, उस पर भी कुछ बोलेंगे?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, जिनकी भी मांग आयी है, सबका सीरियसली परीक्षण करायेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- परीक्षण तो करना ही पड़ेगा।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, बालोद में संत कबीर जी की एक पूरी टीम है। वह एक हॉस्पिटल बना लिये हैं और जिद कर रहे हैं कि वहां सेटअप दे दो और डॉक्टर भेज दीजिये।

बिना सेटअप के डॉक्टर नहीं भेज पायेंगे। बालोद जिला का एक गांव है, मैं उसका नाम बता देता हूं। हम उस गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे, उसके लिये विभाग अपनी योजना करेगा। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- मैं पहले कटौती प्रस्ताव पर मत लूंगा।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 19, 79 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जाएं।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं, मांगों पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या - 19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिये चार हजार सात सौ उनतीस करोड़, बयासी लाख, तिरानबे हजार रूपये,

मांग संख्या - 79 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय के लिये- एक हजार नौ सौ सतहत्तर करोड़, दो लाख, अन्ठावन हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 50 बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय के लिये चार करोड़ रूपये तक की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 2025 को 11.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित।

(रात्रि 10 बजकर 08 मिनट पर विधान सभा बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 2025 (फाल्गुन 21, शक सम्वत् 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छ.ग.)
दिनांक : 11 मार्च, 2025